

बाल कल्याण समितियों द्वारा बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत का उपयोग

एक पुस्तिका



enfold

© एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, 2025

बाल कल्याण समितियों द्वारा बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत का उपयोग

एक पुस्तिका

एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट

2025

© एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, 2025

एनफोल्ड: संक्षिप्त परिचय

एन्फोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, बेंगलुरु स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो 2001 से बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा की रोकथाम हेतु कार्य कर रही है। एन्फोल्ड व्यक्तिगत सुरक्षा एवं समग्र यौन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाने, बाल यौन शोषण के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने, किशोर न्याय प्रणाली और समुदाय में बच्चों के लिए पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रियाएं लागू करने, अनुसंधान, नीति-स्तरीय हस्तक्षेप तथा क्षमता विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही है।

अधिक जानकारी या सहयोग के लिए हमसे संपर्क करें:

info@enfoldindia.org or research@enfoldindia.org

Enfold India | enfoldindia | Enfold India

Enfold Proactive Health Trust | Enfold Proactive Health Trust

www.enfoldindia.org

विषय-सूची

आभार —— 1

पृष्टभूमि —— 5

अध्याय 1 —— **जेजे अधिनियम, 2015 का अवलोकन: सीएनसीपी के अधिकार, और सीडब्ल्यूसी की भूमिका —— 9**

1.1 जेजे अधिनियम, 2015 के उद्देश्य क्या हैं? 9

1.2 जेजे अधिनियम, 2015 के सिद्धांत क्या हैं और उनका पालन किनके लिए अनिवार्य है? 9

1.3 सीडब्ल्यूसी क्या है और उसकी भूमिका क्या है? 12

1.4 देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (सीएनसीपी) कौन हैं? 13

1.5 सीडब्ल्यूसी की शक्तियां क्या हैं? 15

1.6 सीडब्ल्यूसी का क्षेत्राधिकार क्या है? 16

1.7 क्या सीडब्ल्यूसी को उन मामलों में अधिकार है जिनमें बच्चे की अभिरक्षा को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद है? 21

1.8 सीडब्ल्यूसी के कार्य क्या हैं? 22

1.9 क्या बाल कल्याण समिति पुलिस को ऐसे सीएनसीपी के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकती है जो किसी अपराध का शिकार है? 28

1.10 क्या बच्चे को एसआईआर के बिना माता-पिता या अभिभावक को सौंपा जा सकता है? 28

1.11 देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान, संरक्षण और पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूसी क्या कर सकती है? 29

अध्याय 2 **"बच्चे के सर्वोत्तम हित" सिद्धांत की व्याख्या और प्रमुख तत्वों का उपयोग —— 33**

2.1 "बच्चे के सर्वोत्तम हित" का क्या अर्थ है? 33

2.2 सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे के सर्वोत्तम हितों का मूल्यांकन और निर्धारण करते समय बच्चे के अधिकारों से जुड़ाव क्यों आवश्यक है? 33

2.3 यूएनसीआरसी में बच्चे के सर्वोत्तम हित के बारे में क्या कहा गया है? 34

2.4 सीडब्ल्यूसी के लिए बच्चे के सर्वोत्तम हित सिद्धांत को एक "मूल अधिकार" (सब्सटेंटिव राइट) के रूप में मानने के क्या निहितार्थ हैं? 35

2.5 सीडब्ल्यूसी के लिए बच्चे के सर्वोत्तम हित सिद्धांत को एक मूलभूत, व्याख्यात्मक विधिक सिद्धांत (लीगल इंटरप्रेटेटिव प्रिंसिपल) के रूप में मानने के क्या निहितार्थ हैं? 36

2.6 सीडब्ल्यूसी के लिए बच्चे के सर्वोत्तम हित सिद्धांत का एक प्रक्रिया संबंधी नियम (रूल ऑफ प्रोसीजर) के रूप में क्या निहितार्थ है? 36

2.7 सर्वोत्तम हित निर्धारण प्रक्रिया के तहत सीडब्ल्यूसी द्वारा पालन किए जाने वाले जांच के चरण क्या हैं? 38

2.7.1. पहला कदम: यह निर्धारित करना कि प्रस्तुत किया गया व्यक्ति "बालक" है या नहीं 39

2.7.2. दूसरा कदम: यह निर्धारित करना कि प्रस्तुत किया गया बच्चा "सीएनसीपी" है या नहीं? 41

2.7.3. तीसरा कदम: जांच की प्रक्रिया 42

2.7.4. चौथा कदम: एक तर्कसंगत आदेश लिखें 54

2.8 सर्वोत्तम हित के तत्व 56

2.8.1. बच्चे की राय से क्या आशय है और इसे कैसे जाना जा सकता है? 56

2.8.2. बच्चे की पहचान से क्या अभिप्राय है और सर्वोत्तम हित निर्धारण करते समय उसे कैसे ध्यान में रखा जा सकता है? 63

2.8.3. पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने और संरक्षित करने के संदर्भ में किन बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है? 65

2.8.4. सर्वोत्तम हित निर्धारित करते समय सीडब्ल्यूसी बच्चे की देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा को, जिसमें बच्चे की भलाई और विकास शामिल है, किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? 72

2.8.5. सीडब्ल्यूसी किस प्रकार बच्चे की सुभेद्यता को सर्वोत्तम हित निर्धारण का हिस्सा मानकर विचार कर सकती है? 75

2.8.6. सीडब्ल्यूसी को सर्वोत्तम हित का निर्धारण करते समय बच्चे के स्वास्थ्य के अधिकार को किस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए? 76

2.8.7. सीडब्ल्यूसी को सर्वोत्तम हित निर्धारित करते समय बच्चे के शिक्षा के अधिकार को किस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए? 79

2.8.8. जब विभिन्न तत्वों के बीच टकराव हो या अन्य पहलू विचारणीय हों, तो सीडब्ल्यूसी बच्चे के सर्वोत्तम हितों में संतुलन कैसे स्थापित कर सकती है? 82

अध्याय 3 — **विशिष्ट परिस्थितियों में बच्चों के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देना — 87**

3.1 पॉक्सो मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका 87

3.2 गर्भवती बालिका के संदर्भ में सीडब्ल्यूसी की भूमिका 90

3.2.1. क्या गर्भ समापन के लिए सीडब्ल्यूसी का आदेश आवश्यक है? 96

3.2.2. ऐसे मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका क्या होनी चाहिए जहां नाबालिग की इच्छा उसके माता-पिता की इच्छा से भिन्न हो? 97

3.3 बाल विवाह के मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका 99

3.3.1. बाल विवाह के शून्यीकरण की प्रक्रिया में सीडब्ल्यूसी की भूमिका क्या है? 101

3.4 बाल एवं किशोर श्रम के मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका 102

3.4.1. क्या बाल श्रम मामलों में सीडब्ल्यूसी नियोक्ता पर जुर्माना लगा सकती है या बकाया वेतन (बैक वेजेस) का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है? 106

अध्याय 4 — **सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे का सर्वोत्तम हित निर्धारण करने के लिए चेकलिस्ट — 115**

परिशिष्ट 1: देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वोत्तम हित निर्धारण 122

परिशिष्ट 2: बाल श्रम के लिए विधिक ढांचा 143

केस स्टडी सूची

1. कठिन परिस्थितियों से ग्रस्त बच्चे की पहचान — **18**
2. दुर्व्यापार के शिकार बच्चों का उपचार — **19**
3. किसी बच्चे को स्थानांतरित करते समय विचारणीय बिंदु — **69**
4. स्वास्थ्य के अधिकार और शीघ्र पुनर्वास के बीच संतुलन स्थापित करना — **78**
5. नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन — **84**
6. पॉक्सो के मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका — **88**
7. पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत “आपसी सहमति” वाले संबंध के एक मामले में विचार — 92
8. बाल एवं किशोर श्रम मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका — **104**

न्यायिक दृष्टांत सूची

1. पॉक्सो कानून, 2012 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति की भूमिका — **27**
2. सीडब्ल्यूसी द्वारा आयु निर्धारण जांच करने और वयस्क को रिहा करने की बाध्यता — **40**
3. सुनवाई के अधिकार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना सीडब्ल्यूसी का दायित्व — **47**
4. सीडब्ल्यूसी का यह दायित्व है कि वह अपनी कार्यवाही को संवेदनशील ढंग से और उस भाषा में संचालित करे जो बच्चे को समझ में आती हो — **50**
5. बच्चे की राय की अवहेलना के कारण सीडब्ल्यूसी का निर्णय निरस्त किया गया — **57**
6. सीडब्ल्यूसी का दायित्व है कि वह बच्चे की शिक्षा जारी रखे और प्लेसमेंट पर निर्णय लेते समय विवेकपूर्ण सोच रखे — **81**
7. बच्चे की उसके कल्याण और भविष्य से संबंधित इच्छाओं और आकांक्षाओं पर विचार — **94**

आभार

लेखक
स्वागता राहा
आर्लीन मनोहरन

मुख्य शोध टीम
शिवांगी पुरी
श्रीदेवी नायर
स्वागता राहा
आर्लीन मनोहरन
रानू तिवारी

बाह्य समीक्षक
भारती अली
डॉ. मोहुआ निगुडकर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस)
डॉ. बिपाशा रॉय

दृश्यांकन इनपुट
शिवांगी पुरी
आर्लीन मनोहरन
श्रुति रामकृष्णन
रोहन सिंह

डिज़ाइन
अनुजा खोखानी

हिंदी टाइपसेटिंग/डिज़ाइन
राजलक्ष्मी भगवती

अनुवाद सहायता
भारती अली
शिवांगी पुरी
प्रशांत दुबे

हम उत्तर प्रदेश में बाल कल्याण समितियों द्वारा बच्चों के सर्वोत्तम हितों के निर्धारण पर आयोजित क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों के संचालन के दौरान अनंत अस्थाना (बाल न्याय एवं अपराध विधि अधिवक्ता) और भारती अली (बाल अधिकार कार्यकर्ता) से प्राप्त समर्थन के लिए भी आभार प्रकट करना चाहते हैं। उन्होंने पुस्तिका में दिए गए सिद्धांतों को परखने और उन्हें व्यवहार में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों, केस वर्कर और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के भी आभारी हैं, जिन्होंने एनफोल्ड द्वारा आयोजित लक्षित समूह चर्चाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूरे मन से भाग लिया तथा सर्वोत्तम हित निर्धारण के लिए तैयार की गई चेकलिस्ट और केस स्टडीज़ में सक्रिय रूप से भागीदारी की। इस पुस्तिका को उनके अनुभवों और सूझ-बूझ से उल्लेखनीय रूप से लाभ हुआ है।

संक्षेपाक्षरों की सूची

BNS, 2023 (बीएनएस, 2023)	भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)
BNSS, 2023 (बीएनएसएस, 2023)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)
CALPRA, 1986 (सीए एलपीआरए)	बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986) अर्थात् बाल श्रम कानून, 1986
CCI (सीसीआई)	बाल देखरेख संस्थान (Child Care Institution)
CEDAW (सीडॉ)	महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय, 1979 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979)
CICL (सीआईसीएल)	विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले बालक (Child alleged or found to be in conflict with law, as may be the case)
CNCP (सीएनसीपी)	देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (Child in Need of Care and Protection)
CPCR Act, 2005 (सीपीसीआर अधिनियम, 2005)	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005)
CRC (सीआरसी)	संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति (Committee on the Rights of the Child)
CrPC, 1973 (सीआरपीसी, 1973)	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973)
CWC (सीडब्ल्यूसी)	बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee)
DCPU (डीसीपीयू)	ज़िला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit)
DLSA (डीएलएसए)	ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority)
FIR (एफआईआर)	प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report)
GC (जीसी)	सामान्य टिप्पणी (General Comment)
HIV/AIDS (एचआईवी/एड्स)	एचआईवी/एड्स (मानव प्रतिरक्षण दोष विषाणु, प्राप्त प्रतिरक्षण अपूर्णता सिंड्रोम) (Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome)
HIV/AIDS(PC) Act, 2017 (एचआईवी/एड्स (पीसी) अधिनियम, 2017)	एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (The Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017)
ICP (आईसीपी)	व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan)
IPC, 1860 (आईपीसी, 1860)	भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860)
IT(P) Act, 1956 (आईटी(पी) एक्ट, 1956)	अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956)

JJ (जेजे)	किशोर न्याय (Juvenile Justice)
JJ Act, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015)	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015)
JJ Model Rules, 2016 (जेजे मॉडल नियम, 2016)	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (Juvenile Justice (Care and. Protection of Children) Model Rules, 2016)
JJB (जेजेबी)	किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board)
MIC (एमआईसी)	व्यक्तिगत बच्चे का मॉडल (Model of the Individual Child)
MTP Act, 1971 (एमटीपी एक्ट, 1971)	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971)
NCPCR (एनसीपीसीआर)	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) अर्थात् राष्ट्रीय बाल आयोग
NGO (एनजीओ)	गैर सरकारी संगठन (Non Governmental Organisation)
PCMA, 2006 (पीसीएमए, 2006)	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006)
POCSO Act, 2012 (पॉक्सो अधिनियम, 2012)	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012)
POCSO Rules, 2022 (पॉक्सो नियम, 2022)	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 (The Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020)
RPD Act, 2016 (आरपीडी अधिनियम, 2016)	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016)
RTE Act, 2009 (आरटीई अधिनियम, 2009)	निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009)
SCPCR (एससीपीसीआर)	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission for Protection of Child Rights)
SIR (एसआईआर)	सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (Social Investigation Report)
SJPU (एसजेपीयू)	विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit)
SOP (एसओपी)	मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)
UN (संयुक्त राष्ट्र)	संयुक्त राष्ट्र (United Nations)
UNCRC (यूएनसीआरसी)	संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, 1989 (United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989)
UNHCR (यूएनएचसीआर)	संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees)
UOI (यूओआई)	भारत संघ (Union of India)

नोट: जेजे अधिनियम, 2015 और जेजे मॉडल नियम, 2016 के संदर्भ में क्रमशः 2021 और 2022 में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखा गया है।

पृष्ठभूमि

सर्वोत्तम हित एक ऐसा शब्द है जिसे बाल संरक्षण के क्षेत्र में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, सर्वोत्तम हित सिद्धांत को लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि किसी एक बच्चे के लिए 'सर्वोत्तम हित' का क्या अर्थ है, यह अलग-अलग लोगों की दृष्टि से अलग हो सकता है। सर्वोत्तम हित का निर्धारण, निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अधिकारियों और अदालतों द्वारा लिए गए निर्णयों का बच्चों, उनके परिवारों और विस्तारित परिवारों, समुदाय और कई बार अगली पीढ़ियों पर भी गहरा असर पड़ता है।

भारतीय संदर्भ में, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, जिसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) के मामलों का निस्तारण करने और कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश पारित करने का अधिकार है। हालांकि, सीडब्ल्यूसी आमतौर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने की मंशा रखती हैं, कई बार उनके निर्णय केवल उनके अनुभव या "जो सही लगता है" की भावना पर आधारित हो सकते हैं। ऐसे निर्णयों में उन सभी आवश्यक तत्वों को ध्यान में न रख पाने की संभावना होती है, जो एक समग्र दृष्टिकोण से बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि कई बार बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं और अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करने में पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती जाती है।[1]

इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बाल कल्याण समितियों को इस बात का अनुबोध हो कि बच्चे की आवश्यकताओं और अधिकारों का मूल्यांकन करते समय सर्वोत्तम हित के ढांचे को समझना और उसे लागू करना उनका कानूनी दायित्व है, ताकि उनके द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से सही और बाल हितैषी हों।[2] हालांकि अंतरराष्ट्रीय मानकों - जैसे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 14[3] और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ - यूएनएचसीआर) द्वारा विकसित सर्वोत्तम हित प्रक्रिया उपकरण,[4] में सर्वोत्तम हित के अर्थ और उसके घटकों को लेकर दिशा निर्देश मौजूद हैं, परंतु भारत के संदर्भ में इसे लागू करने के लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। इस कमी को पूरा

1 JJ Act 2015, (JJ Act 2015) s 2(9).
2 JJ Act 2015, s 27(9).
3 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 'General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration' (art. 3, para. 1), 29 May 2013, CRC/C/GC/14 (General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration), Para 6, available at <https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html> accessed 27 January, 2025.
4 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), '2021 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child', (May 2021), available at <https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html> accessed 27 January, 2025.

करने के लिए बेंगलुरु स्थित एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट ने यह पुस्तिका तैयार की है, जिसका उद्देश्य सर्वोत्तम हित निर्धारण को लेकर बाल कल्याण समितियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।

इस पुस्तिका की तैयारी के दौरान एनफोल्ड टीम ने वर्ष 2022 में एक आवश्यकता आकलन किया। इसका उद्देश्य यह समझना था कि वर्तमान में बाल कल्याण समितियां, केस वर्कर्स और नागर समाज संगठनों द्वारा सर्वोत्तम हित सिद्धांत को कैसे समझा और लागू किया जा रहा है, और किन चुनौतियों के भीतर बाल कल्याण समितियां कार्य करती हैं। इस आवश्यकता आकलन के दौरान सीडब्ल्यूसी अध्यक्षों और सदस्यों, केस वर्कर्स और नागर समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ लक्षित समूह चर्चाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दो-दो ज़िलों में बाल कल्याण समितियों के कामकाज को प्रत्यक्ष रूप से समझा गया। ऐसे युवाओं और उनके परिवारों से बातचीत की गई, जो कि पहले सीडब्ल्यूसी में आ चुके थे और जिनके मामले का निस्तारण हो चुका था।

उन बच्चों की केस फाइलें भी देखी गईं जिनके मामले सीडब्ल्यूसी के समक्ष थे, ताकि यह समझा जा सके कि आदेश कैसे लिखे जाते हैं, और उनमें किस हद तक बच्चे के सर्वोत्तम हित का उल्लेख किया गया है या उस सिद्धांत को कैसे लागू किया गया है। इससे इन दोनों राज्यों में बाल कल्याण समितियों के कामकाज की ज़मीनी हकीक़त को समझने में मदद मिली, विशेष रूप से सर्वोत्तम हित सिद्धांत को लागू करने के संदर्भ में, साथ ही उन हितधारकों की भूमिका को भी समझा जा सका जो असुरक्षित बच्चों की देखरेख और संरक्षण से जुड़े अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस प्रक्रिया में योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश में बाल कल्याण समितियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलिंग दाताओं और संरक्षण अधिकारियों के साथ आयोजित किये गये तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्राप्त सुझाव और प्रश्नों ने इस पुस्तिका को और समृद्ध किया है।

यह पुस्तिका जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत सीएनसीपी के लिए बाल कल्याण समितियों द्वारा सर्वोत्तम हित सिद्धांत को प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।

इसमें एक चेकलिस्ट शामिल है, जिसका उपयोग बाल कल्याण समितियां अपने कामों को प्रभावी रूप से पूरा करने और हर बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने के लिए कर सकती हैं। यह बाल कल्याण समितियों को सर्वोत्तम हित सिद्धांत के प्रयोग के लिए एक रूपरेखा देती है जिससे प्रत्येक बच्चा अपने सभी अधिकारों का पूरा और प्रभावी आनंद ले सके, साथ ही उसकी समग्र देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास, पुनर्वास और समाज में फिर से वापसी सुनिश्चित हो सके, जैसा कि जेजे अधिनियम, 2015 की प्रस्तावना में कल्पना की गई है।

पुस्तिका की रूपरेखा

इस पुस्तिका में प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है, जिससे संबंधित विधिक ढांचे की सरल व्याख्या की जा सके। इसमें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानूनी ढांचे का उल्लेख किया गया है, लेकिन ज़ोर भारत के संदर्भ पर केंद्रित है। इसमें केस स्टडीज़ शामिल की गई हैं ताकि लैंगिक शोषण के शिकार बच्चों, विकलांग बच्चों, मज़दूरी कर रहे, घर से भागे हुए या दुर्व्यापार और बाल विवाह जैसी स्थितियों में पाए गए बच्चों और किशोरों के मामलों में सर्वोत्तम हित सिद्धांत के प्रयोग पर विचार और अभ्यास को सरल बनाया जा सके। इन केस स्टडीज़ में प्रयुक्त नाम काल्पनिक हैं और पहचान से जुड़ी अन्य जानकारियां बदली गई हैं।

पुस्तिका का उपयोग कैसे और किनके द्वारा

मूल्यांकन की आवश्यकता - उत्तर प्रदेश & पश्चिम बंगाल

ऑनलाइन फोकस समूह चर्चा			प्रत्यक्ष साक्षात्कार	
				
31 नागरिक समाज	**22** केस वर्कर / सामाजिक कार्यकर्ता	**32** सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष/सदस्य	**10** युवा एवं **9** परिवार	**4** पूर्व सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष/सदस्य एवं **2** विशेषज्ञ

बाल कल्याण समितियों का अवलोकन	लखनऊ	बहराइच	कोलकाता	नदिया
केस स्टडीज़	26 केस स्टडीज़		18 केस फाइलें	

अध्याय I

में सीडब्ल्यूसी की भूमिका, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों तथा सीएनसीपी की परिभाषा की व्याख्या की गई है।

अध्याय 2

सर्वोत्तम हित के सिद्धांत का परिचय देता है, इसके घटकों को विस्तार से समझाता है और सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वोत्तम हित निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

अध्याय 3

विशिष्ट परिस्थितियों में बच्चों के सर्वोत्तम हितों को आगे बढ़ाने से संबंधित है और सर्वोत्तम हित सिद्धांत के उपयोग के लिए केस स्टडीज़ प्रदान करता है।

अध्याय 4

में बाल कल्याण समितियों द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु सर्वोत्तम हित निर्धारण की एक चेकलिस्ट शामिल है, साथ ही एक उदाहरणात्मक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (एसआईआर) और उस प्रकरण में पारित अंतिम आदेश भी प्रस्तुत है।

किया जा सकता है?

सर्वोत्तम हित निर्धारण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से सीएनसीपी बच्चों के लिए निर्णय लेने हेतु बाल कल्याण समितियों द्वारा की जाती है, जो कि जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत स्थापित हैं। यह पुस्तिका और चेकलिस्ट विशेष रूप से बाल कल्याण समितियों के लिए तैयार की गई है ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया को मज़बूत कर सकें और आदेश पारित करते समय सर्वोत्तम हित सिद्धांत के प्रयोग को व्यवहार में ला सकें।

यह चेकलिस्ट अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं, जैसे कि केस वर्कर्स, परिवीक्षा अधिकारी, ज़िला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) और नागर समाज संगठनों द्वारा भी बच्चों की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता के मामलों में मार्गदर्शन हेतु प्रयोग की जा सकती है।


JJ ACT 2015

अध्याय 1

जेजे अधिनियम, 2015 का अवलोकन: सीएनसीपी के अधिकार, और सीडब्ल्यूसी की भूमिका

1.1 जेजे अधिनियम, 2015 के उद्देश्य क्या हैं?

जेजे अधिनियम, 2015 का उद्देश्य, जैसा कि उसकी प्रस्तावना में उल्लेखित है, इस प्रकार है - **"विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए... उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, समुचित देखरेख, सुरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए,..."।**[5] इस अधिनियम का उद्देश्य है कि "बच्चों के सर्वोत्तम हित के संदर्भ में, मामलों के निर्णय और निस्तारण में बाल-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया जाए, तथा पुनर्वास की प्रक्रिया, स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके, और इससे संबंधित अन्य विषयों का समाधान किया जा सके।"[6]

1.2 जेजे अधिनियम, 2015 के सिद्धांत क्या हैं और उनका पालन किनके लिए अनिवार्य है?

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 3 में 16 सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया गया है, जो इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं। इन सिद्धांतों का पालन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), सीडब्ल्यूसी और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा राज्य सरकार या राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीसी) द्वारा नियुक्त अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू), डीसीपीयू, नागर समाज संगठन, स्वयंसेवक और अन्य संबंधित व्यक्ति भी इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

5 JJ Act 2015, Preamble.
6 JJ Act 2015, Preamble.

जेजे अधिनियम 2015 की धारा 3 के तहत मौलिक सिद्धांत


सर्वोत्तम हित


नए सिरे से शुरुआत


वैकल्पिक न्याय प्रक्रिया (डाइवर्ज़न)


नैसर्गिक न्याय


निर्दोषता की पूर्वधारणा


निजता और गोपनीयता का अधिकार


सकारात्मक उपाय


सहभागिता


परिवार की भूमिका और उत्तरदायित्व


अधिकारों का अधित्यजन अस्वीकार्य


गरिमा और योग्यता


सुरक्षा का सिद्धांत


समानता और विभेद न करना



गैर कलंकीय शब्दावली


प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन


संस्थागत देखभाल एक अंतिम उपाय

कुछ उदाहरण जिनसे यह समझा जा सकता है कि सीडब्ल्यूसी इन सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकती है:

- एक निरीक्षण यात्रा के दौरान, एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्था (सीसीआई) में कुछ ऐसे बच्चों को पाया गया जिन्हें दुर्व्यापार से बचाया गया था और उन्हें अन्य बच्चों से अलग रखा गया था। संस्था के कर्मचारियों को यह डर था कि ये बच्चे अन्य बच्चों को लैंगिक शोषण के अपने अनुभवों के बारे में बता सकते हैं। सीडब्ल्यूसी इस पर और जानकारी लेती है और फिर अधीक्षक को निर्देश देती है कि इन बच्चों के साथ भेदभाव न किया जाए, क्योंकि यह **समानता और विभेद न किये जाने तथा गरिमा और योग्यता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।** सीडब्ल्यूसी सीसीआई प्रबंधन को यह भी निर्देश देती है कि सभी कर्मचारियों और बच्चों को प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा और लैंगिकता पर आयु-उपयुक्त प्रशिक्षण एवं जागरूकता सत्र प्रदान किए जाएं, साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जाए।
- एक केस वर्कर ने एक बच्चे को, जिसे दुर्व्यापार से बचाया गया था, एसआईआर में "वेश्या" कहकर संबोधित किया। यह रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को सौंपी गई। समिति ने केस वर्कर को बुलाया और यह समझाने में मदद की, कि इस प्रकार की अपमानजनक भाषा बच्चे की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और यह **गरिमा और योग्यता के सिद्धांत** के साथ-साथ **गैर कलंकीय शब्दावली के अप्रयोग के सिद्धांत** का उल्लंघन है।
- एक 6 साल की बच्ची, जो कि बौद्धिक अक्षमता का शिकार है और जो एक निम्न-आय वाले परिवार से है, जिसकी मां, भाई-बहन या कोई नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है, सीडब्ल्यूसी से कहती है कि वह अपने घर वापस लौटना चाहती है। उसके पैरों और हाथों पर चोट के निशान हैं और एसआईआर से पता चलता है कि वह अपने शराबी पिता के हाथों बुरी तरह पिटती रही है, वह कभी स्कूल नहीं गई और उससे भीख मंगवाई जाती है। सीडब्ल्यूसी भागीदारी के सिद्धांत को लागू करने की अपनी ज़िम्मेदारी को समझती है और एक ऐसे विशेष शिक्षक की व्यवस्था करती है जिसे बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों से संवाद करना आता है। समिति बच्ची के साथ संवाद स्थापित करती है और उसे यह समझने में मदद करती है कि वह शारीरिक हिंसा की शिकार है, और उसके शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकारों का हनन हो रहा है। समिति के सदस्य बच्ची को समझाते हैं कि हालांकि सिद्धांतों के अनुसार **संस्था में रखने का निर्णय अंतिम विकल्प होना चाहिए,** लेकिन उसे उसके अपने घर में या पालक देखभाल (फ़ॉस्टर केयर) में रखना उसके सर्वोत्तम हित में नहीं है। वे यह भी समझाते हैं कि उसे एक ऐसी संस्था में रखा जाएगा जहां उसकी ज़रूरतों को समझने वाली विशेष सेवाएं उपलब्ध हैं, और यह निर्णय **उसके हित में है।** वे उसे उस संस्था में लेकर भी जाते हैं ताकि वह निर्णय से पहले अधिक सहज महसूस कर सके। सीडब्ल्यूसी उसे बताती है कि उसके पिता उससे नियमित रूप से मिलने आ सकते हैं और वह केवल तब ही घर लौट सकती है जबकि उसके पिता का व्यवहार बदल जाए। सीडब्ल्यूसी उसके पिता के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करती है और केस वर्कर को निर्देश देती है कि वह उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों और बेरोज़गारों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी दें।
- कुछ बच्चे जिन्हें एक राजनेता की शहर यात्रा के दौरान भीख मांगते हुए रेस्क्यू किया गया था, बताते हैं कि पुलिस ने उन्हें पीटा, रात भर थाने में रखा और अगले दिन सुबह ही सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सीडब्ल्यूसी पुलिस को बुलाकर इस आरोप की जांच कराती है और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करती है, क्योंकि यह **सुरक्षा के सिद्धांत** का उल्लंघन है।
- एक छापेमारी के दौरान एक वेश्यालय से 12 बालिकाओं को बचाया गया। सीडब्ल्यूसी पूछताछ शुरू करती है। इस बीच, एक स्थानीय नेता जिसे इस छापेमारी की जानकारी मिलती है, अपने आधिकारिक फोटोग्राफर के साथ समिति परिसर में पहुंच जाता है और अध्यक्ष द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। वह बच्चों से उनके नाम और उनके घर/गांव की जानकारी लेने लगता है। ऐसे में समिति की एक सदस्य हस्तक्षेप करती हैं और

फोटोग्राफर को फोटो खींचने से रोकती हैं और नेता को कक्ष से बाहर जाने को कहती हैं। इस पर नेता नाराज़ होकर चिल्लाता है और कहता है - "तुम खुद को क्या समझती हो?" सदस्या अपना परिचय पत्र दिखाती हैं और उसे मौखिक चेतावनी देती हैं। वह कहती हैं कि वह सीडब्ल्यूसी की सदस्य हैं, जिसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें उसके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की शक्ति भी शामिल है। वह यह भी स्पष्ट करती हैं कि किसी भी बच्चे की **निजता और गोपनीयता के सिद्धांत** का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करना उनकी ज़िम्मेदारी है।

- एक विकलांग बालिका के लिए केस वर्कर द्वारा तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना (आईसीपी) की समीक्षा करते समय, सीडब्ल्यूसी पाती है कि उसके लिए किसी भी सरकारी योजना की पहचान नहीं की गई है जिससे उसकी खुशहाली सुनिश्चित हो सके और उसकी वंचितता को कम किया जा सके। समिति केस वर्कर को बुलाकर यह समझाती है कि वह **सकारात्मक उपायों के सिद्धांत** को लागू करें। वह केस वर्कर को निर्देश देती है कि बालिका के परिवार/संबंधियों और समुदाय में उपलब्ध सभी संसाधनों और सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं की जानकारी इकट्ठा करें और आईसीपी संशोधित करें। सीडब्ल्यूसी अंतिम आदेश पारित करते समय संशोधित आईसीपी को संलग्न करती है और विशेष रूप से आदेश देती है कि चिन्हित की गई सुविधाएं बालिका को प्रदान की जाएं और समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- ज़िला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही रिपोर्ट में एक सीडब्ल्यूसी बताती है कि यद्यपि बच्चों को उनके गृह राज्यों में स्थानांतरित करने के लिए अंतिम आदेश पारित किए जा चुके हैं, फिर भी 16 बच्चे अब भी उसी संस्था में रह रहे हैं। जब देरी के कारण की जांच की जाती है, तो समिति पाती है कि संस्था में कई पद रिक्त हैं, पुलिस चुनावी ड्यूटी में व्यस्त है और डीसीपीयू एनजीओ के स्वयंसेवकों को साथ ले जाने के लिए पर्याप्त राशि नहीं देती है। सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू के साथ बैठक बुलाती है और **प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन के सिद्धांत** के उल्लंघन पर चिंता जताते हुए अनुरोध करती है कि इस विषय को राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- एक बालिका को, जिसके साथ उसके पिता द्वारा लैंगिक शोषण किया गया है, सीसीआई में रखा गया, जबकि उसकी मां इसका विरोध कर रही थी। सीडब्ल्यूसी ने उसकी मां को सीसीआई परिसर में प्रवेश करने या बोलने की अनुमति नहीं दी। एसआईआर में यह जानकारी दी गई है कि मां स्वरोज़गार में लगी हुई है, उसने अपना निवास स्थान बदल लिया है और अपने पति से सभी तरह के संपर्क समाप्त कर दिए हैं। समिति के आदेश से आहत होकर मां ने अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि आदेश **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत** का उल्लंघन है क्योंकि उसे अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया और यह पॉक्सो नियम, 2020 की धारा 4(6) का भी उल्लंघन है। अपीलीय न्यायालय ने मां के पक्ष में आदेश पारित किया और बच्ची को उसकी मां की कस्टडी में सौंप दिया गया।

1.3 सीडब्ल्यूसी क्या है और उसकी भूमिका क्या है?

सीडब्ल्यूसी एक अर्ध-न्यायिक (क्वाज़ी-जुडिशियल) निकाय है, जिसे जेजे अधिनियम, 2015 के तहत[7] स्थापित किया गया है। इसे ऐसे मामलों के निस्तारण की शक्ति दी गई है जो देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और सीएनसीपी के पुनर्वास से संबंधित हों।[8] सीडब्ल्यूसी को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि इन बच्चों को मूलभूत आवश्यकताएं और संरक्षण उपलब्ध हों।[9] समिति द्वारा पारित आदेश बाध्यकारी होते हैं।

सीडब्ल्यूसी में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर की जाती है।[10]

7 JJ Act 2015, s 27(1).
8 JJ Act 2015, s 29(1).
9 JJ Act 2015, s 29(1).
10 JJ Act 2015, s 27(2).

सीडब्ल्यूसी के लिए नियुक्त व्यक्ति:

a. बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, विधि, समाज कार्य, सामाजिक विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में स्नातक की डिग्री रखता हो और कम से कम सात वर्षों तक बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न रहा हो; या
b. उपर्युक्त क्षेत्रों में डिग्री रखने वाला एक कार्यरत पेशेवर हो।[11]

इनमें से कम से कम एक नियुक्त सदस्य महिला होनी चाहिए, और एक सदस्य को बच्चों से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता होनी चाहिए।[12]

1.4 देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (सीएनसीपी) कौन हैं?

बच्चे अपनी उम्र, परिस्थितियों, स्थान, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग, विकलांगता, धर्म और जातीयता के कारण असुरक्षित होते हैं। **जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) के अनुसार, "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा" वह बच्चा होता है:**

1. जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के लिए कोई दृश्यमान साधन नहीं हैं; या
2. जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त श्रम कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्य करता पाया गया हो, या भीख मांगता हुआ पाया गया हो, या सड़क पर रहने वाला पाया गया हो; या
3. जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने—
   - बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है; या
   - बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को न्यायसंगत ठहराने की कोई युक्तियुक्त संभावना है; या
   - किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा अथवा शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, दुर्व्यवहार, शोषण या उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या
4. जो मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या जिसके माता-पिता या संरक्षक हैं, किंतु वे बोर्ड या समिति द्वारा उसकी देखरेख करने में असमर्थ पाए गए हैं; या
5. जिसके माता-पिता अथवा कोई संरक्षक हैं और ऐसे माता या पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने तथा उसकी सुरक्षा और कल्याण की संरक्षा करने के लिए समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया गया है; या
6. जिसके माता-पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखरेख और संरक्षण करने का इच्छुक नहीं है, या जिसके माता-पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या
7. जो गुमशुदा या भागा हुआ है या जिसके माता-पिता निर्धारित विधि के अनुसार यथोचित जांच के बाद भी नहीं मिल पाए हों; या
8. जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीडन या शोषण किया गया है, या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या
9. जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किया गया है या सम्मिलित किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या
10. जिसका अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की प्रबल संभावना है; या

11 JJ Act s 27(4).
12 JJ Act 2015, s 27(2).

11. जो किसी सशस्त्र संघर्ष, नागरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है या पीड़ित है; या
12. जिसे विवाह की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता-पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षकों या अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है।

संदर्भ: तमिलनाडु राज्य में अनाथालयों में बच्चों का शोषण बनाम भारत संघ,[13] में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 05.05.2017 को दिए गए निर्णय में कहा कि इस श्रेणी की परिभाषा को केवल इस सूची तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसकी व्यापक व्याख्या की जानी चाहिये :

> **"यह परिभाषा उदाहरणार्थ है और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो लाभ प्रस्तावित किए गए हैं, वे वास्तव में ऐसे सभी बच्चों को मिलने चाहिए जिन्हें राज्य की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है।"**

परिभाषाओं को कानून के उद्देश्य के साथ जोड़कर समझना और पढ़ना चाहिए। इसलिए, भले ही सभी बच्चों को पूर्ण रूप से विकसित होने और अपनी पूरी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, पर **कानून केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बच्चों को कानूनी रूप से 'देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' के रूप में मान्यता देता है — अर्थात्, जब उन्हें राज्य द्वारा देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास की आवश्यकता होती है।**

उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे के साथ उसके ही घर में रहने वाले मामा द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है, या यदि किसी सीसीआई में कार्यरत कर्मचारी द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे बच्चों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, क्योंकि उन्हें जो हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, वह उनके साथ रहने वाले व्यक्ति द्वारा की जा रही है। दूसरी ओर, यदि किसी बच्चे के साथ किसी स्कूल या पार्क में दुर्व्यवहार होता है और उसके परिवार के सदस्य उसकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हैं, तो उस बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, सभी सड़क पर रहने वाले बच्चे ज़रूरी नहीं कि सीएनसीपी हों। यदि ऐसे बच्चों का परिवार उनके प्रति प्रेमपूर्ण और देखभाल करने वाला है, तो केवल गरीबी के कारण उन्हें उनके परिवार से अलग कर बचाव करने और सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र के बच्चों की वैकल्पिक देखभाल के दिशा-निर्देश (यूएन गाइड्लाइनस फॉर द ऑल्टर्नेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन) यह स्पष्ट करते हैं कि:

> **"आर्थिक और भौतिक गरीबी, या ऐसी परिस्थितियां जो सीधे तौर पर केवल गरीबी के कारण उत्पन्न हुई हैं कभी भी किसी बच्चे को उसके माता-पिता की देखभाल से हटाने का एकमात्र आधार नहीं होनी चाहिए [...] बल्कि इसे परिवार को उपयुक्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए।"**[14]

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी सड़क पर रहने वाले बच्चों के देखभाल और संरक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर केयर एण्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन्स) में पारिवारिक सशक्तिकरण के उपायों पर ज़ोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि: "...गरीबी के कारण बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं और अपने परिवारों के साथ सड़कों पर रहने को मजबूर होते हैं। इसलिए, बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए, ऐसे परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए।"[15] यह "न सिर्फ़ परिवारों के पुनर्वास में मदद करेगा, बल्कि अत्यंत गरीबी, विस्थापन और बेघर होने के दुष्चक्र को तोड़ने में भी सहायक होगा।"[16]

इसी प्रकार, जिन बच्चों के माता-पिता जेल में हैं, या जो यौन कर्मियों के बच्चे हैं, या जिनके एक या दोनों माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण हो गई है — उन्हें स्वतः

13 (2020) 14 SCC 327 (Supreme Court of India).
14 The Guidelines for the Alternative Care of Children, General Assembly resolution 64/142, annex, para 15.
15 NCPCR and Save the Children, Standard Operating Procedure for Care and Protection of Children in Street Situations, 2020, p. 30, available at https://ncpcr.gov.in/uploads/167662954363ef562781cc7_standard-operating-proceduressop-for-care-and-protection-of-children-in-street-situation-2020.pdf
16 ibid.

सीएनसीपी मान लेना उचित नहीं होगा अगर उनकी देखभाल के लिए उनके पास विस्तारित परिवार या रिश्तेदार उपलब्ध हैं। ऐसे संवेदनशील हालातों में पाए गए बच्चों को संस्थागत देखभाल में भेज देना, बिना यह सावधानीपूर्वक जांच किए कि क्या वास्तव में माता-पिता बच्चे की उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण कर रहे हैं, **संस्थागत देखभाल को अंतिम उपाय के रूप में अपनाने के सिद्धांत** का उल्लंघन होगा। इससे बच्चे के परिवार के साथ संपर्क में रहने के अधिकार का उल्लंघन भी हो सकता है, और कभी-कभी संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण बच्चे को अपनी पुश्तैनी संपत्ति से भी वंचित होना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी संस्थाओं की कमी जो विभिन्न लिंगों के भाई-बहनों को एक साथ रख सकें, बच्चों के बीच अलगाव का कारण भी बन सकती है। इसके स्थान पर, सीडब्ल्यूसी इस बात की संभावना तलाश सकती है कि उन्हें एक ही पालक परिवार (फ़ॉस्टर फैमिली) में रखा जाए, या किसी योग्य व्यक्ति[17] की देखरेख में रखा जाए – यह व्यक्ति बच्चों के विस्तारित परिवार से भी हो सकता है – और इस प्रक्रिया में प्रयोजन (स्पॉन्सरशिप) का उपयोग भी किया जा सकता है।

इस संदर्भ में डीसीपीयू की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (*जेजे मॉडल नियम, 2016*) के अनुसार, डीसीपीयू का कार्य होता है कि वह सीएनसीपी बच्चों और उन परिवारों की पहचान करे जो जोखिम में हैं।[18] डीसीपीयू को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वह कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की संख्या का आकलन करे और ऐसे बच्चों की पहचान के लिए ज़िला-विशिष्ट आंकड़ा संग्रह बनाए, ताकि बच्चों की इन परिस्थितियों में उपस्थिति के रुझानों और प्रवृत्ति पर निगरानी रखी जा सके।[19] यह समझना भी ज़रूरी है कि कई बार बच्चे अपने परिवारों के साथ आजीविका के कारण प्रवास करते हैं, और ऐसा हर बच्चा जो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा हो या अपने मूल निवास स्थान (डोमिसाइल) से दूर रह रहा हो, वह ज़रूरी नहीं कि सीएनसीपी हो।

1.5 सीडब्ल्यूसी की शक्तियां क्या हैं?

बाल कल्याण समितियों को उन मामलों की जांच करने और उनका निपटारा करने का अधिकार होता है जो सीएनसीपी की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित होते हैं।[20] साथ ही, बाल कल्याण समितियां ऐसे बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। जब सीडब्ल्यूसी जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किसी मामले की जांच के लिए पीठ के रूप में बैठती है, तो इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सीआरपीसी, 1973/ बीएनएसएस, 2023) के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती हैं।[21]

सीडब्ल्यूसी के आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। समिति अपने आदेश में केवल उस स्थिति में संशोधन कर सकती है जब बच्चे के निवास में परिवर्तन उपयुक्त हो।[22] हालांकि, सीडब्ल्यूसी के सभी आदेशों के विरुद्ध अपील बाल न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन पालक देखभाल (फ़ॉस्टर केयर), प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) या पश्चातवर्ती देखभाल (आफ्टरकेयर) से संबंधित निर्णयों के विरुद्ध अपील ज़िला मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाएगी। यदि सीडब्ल्यूसी की कार्यप्रणाली के संबंध में कोई शिकायत है (जो उनके पारित आदेशों से भिन्न ग हो), तो कोई भी प्रभावित बच्चा या बच्चे से जुड़ा कोई व्यक्ति वह शिकायत ज़िला मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कर सकता है। ज़िला मजिस्ट्रेट इस शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर उपयुक्त आदेश पारित करते हुए करेंगे।[23]

17 Section 2(28), JJ Act defines fit person as follows: "fit person" means any person, prepared to own the responsibility of a child, for a specific purpose, and such person is identified after inquiry made in this behalf and recognised as fit for the said purpose, by the Committee or, as the case may be, the Board, to receive and take care of the child."
18 JJ Model Rules 2016, rule 85(1)(vii).
19 JJ Model Rules 2016, rule 85(1)(viii).
20 JJ Act 2015, s 29 (1).
21 JJ Act 2015, s 27(9).
22 JJ Act 2015, s 104(1).
23 JJ Act 2015, s 27(10); JJ Model Rules 2016, rule 20(4).

बाल कल्याण समिति की कार्यप्रणाली से संबंधित शिकायत



प्रभावित बच्चे या बच्चे से संबंधित व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है



30 दिनों के भीतर ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त शिकायत का निस्तारण

1.6 सीडब्ल्यूसी का क्षेत्राधिकार क्या है?

सीडब्ल्यूसी का भौगौलिक कार्यक्षेत्र उस ज़िले या ज़िलों के समूह तक सीमित होता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। विषयगत दृष्टि से सीडब्ल्यूसी का अधिकार क्षेत्र उन मामलों पर होता है जो 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं, देखरेख, संरक्षण, उपचार और पुनर्वास से सम्बंधित हों, जो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) के अंतर्गत "देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) के रूप में परिभाषित हैं।[24]

सीडब्ल्यूसी उन बच्चों के मामलों को भी देख सकती है जो किसी सीसीआई से निकल चुके हैं और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, ताकि उन्हें 21 वर्ष की आयु तक पश्चातवर्ती देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिन्हें असाधारण मामलों में, दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।[25] इसी प्रकार, यदि सीसीआई में रहने वाली कोई बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है और उसकी रिहायी का समय आ गया है, लेकिन उसके पास रहने का कोई अन्य स्थान नहीं है, तो उसे कार्यरत महिला छात्रावासों या अन्य ऐसी सरकारी आवासीय सुविधाओं में अस्थायी रूप से तब तक रखा जा सकता है, जब तक वह स्वयं के लिए कोई और व्यवस्था न कर ले।[26] इसके अतिरिक्त, यदि किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक उसे स्वीकार करने से मना कर दें, तो ऐसे बच्चों को परिवार में वापस नहीं भेजा जाएगा और समिति उनके लिए वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था कर सकती है।[27] हालांकि, यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित आदेश क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति वयस्कता प्राप्त कर चुका होता है और कानून की नज़र में अब बच्चा नहीं है।

धारा 8(3)(छ), जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत, बाल न्याय बोर्ड (जेजेबी) उन सीआईसीएल के मामलों को सीडब्ल्यूसी को स्थानांतरित कर सकता है, जिनमें बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसका उद्देश्य यह मान्यता देना है कि एक सीआईसीएल बच्चा एक साथ सीएनसीपी भी हो सकता है और ऐसे मामलों में समिति और बोर्ड दोनों की भूमिका आवश्यक है।

जब जेजेबी निम्नलिखित परिस्थितियों में मामला सीडब्ल्यूसी को स्थानांतरित कर देता है, तो समिति को उन बच्चों से संबंधित मामलों में भी क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा जिन पर कानून के उल्लंघन का आरोप है या जिन्हें ऐसा पाया गया है:

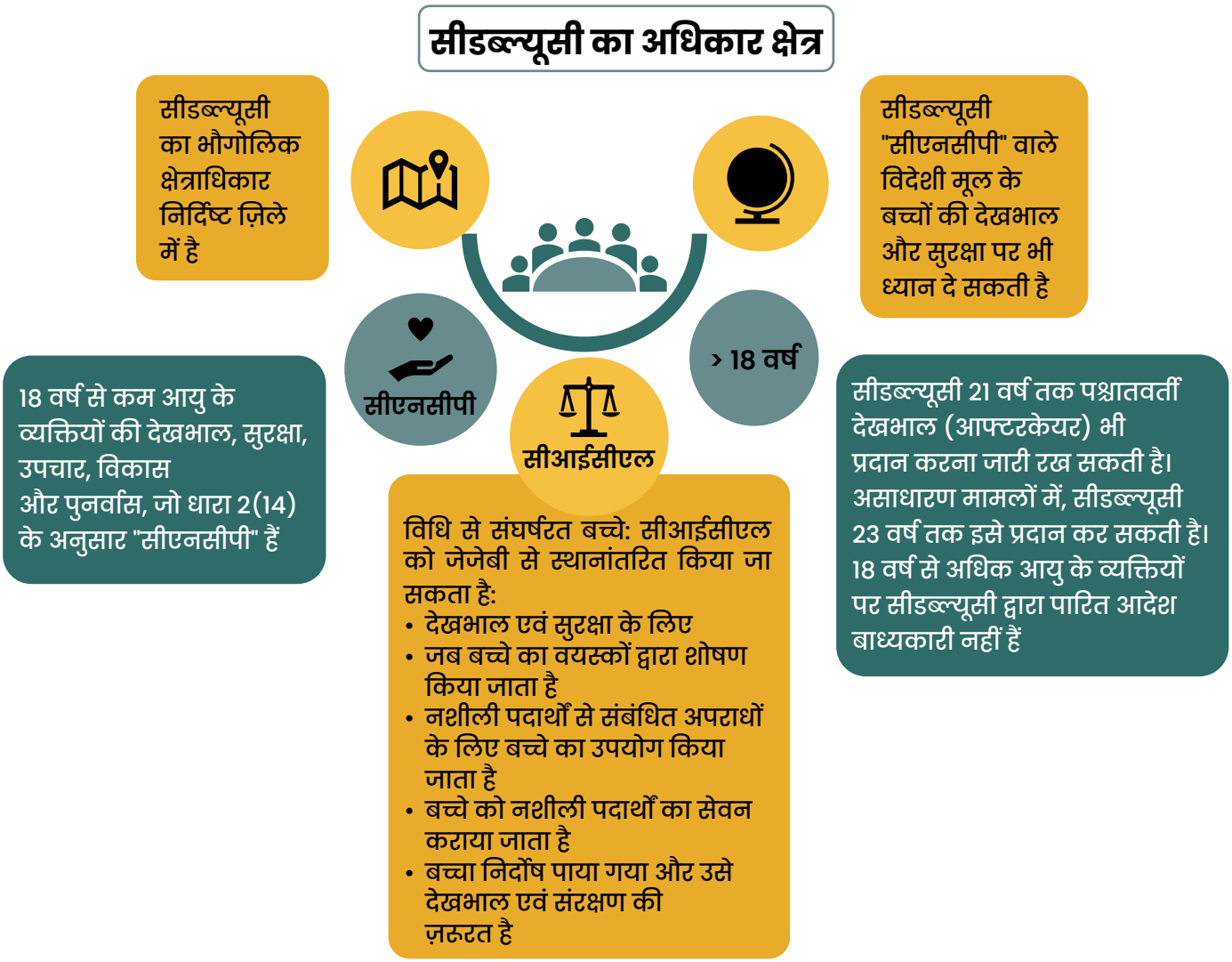
- जब बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो[28];
- जब बच्चा ऐसे वयस्कों द्वारा शोषित पाया गया हो जो किसी उग्रवादी समूह के सदस्य हों, या जिन्होंने आत्म अभ्यर्पण किया हो[29];
- जब बच्चे का उपयोग किसी मादक द्रव्य, नशीले पदार्थ या मनो-सक्रिय पदार्थ की खरीद-फ़रोख़्त, बिक्री, ले जाने, या तस्करी में किया गया हो[30];
- जब बच्चे को मादक पदार्थ दिए गए हों या वह उनके प्रभाव में पाया गया हो[31];

24 JJ Act 2015, s 29(1).
25 JJ Model Rules 2016, rule 25.
26 JJ Model Rules 2016, rule 79(9).
27 JJ Model Rules 2016, rule 82B(5).
28 JJ Act 2015, s 8(3)(g) and 30(xiv).
29 JJ Model Rules 2016, rule 9(3).
30 JJ Model Rules 2016, rule 9(3).
31 JJ Model Rules 2016, rule 56(2).

- जब बच्चा निर्दोष पाया गया हो और जेजेबी यह माने कि बच्चे को राज्य द्वारा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है।[32]

सीडब्ल्यूसी का क्षेत्राधिकार ऐसे किसी अन्य देश के बच्चे पर भी होगा जो सीएनसीपी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। सीमा पार तस्करी के शिकार बच्चों को, उदाहरण के तौर पर, सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उन्हें सीएनसीपी के रूप में माना जाना चाहिए, न कि विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के तहत अभियोजित किया जाना चाहिए।[33] यदि ऐसा बच्चा जेजेबी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो जेजेबी उसे सीडब्ल्यूसी के पास स्थानांतरित कर सकती है ताकि उस बच्चे के साथ सीएनसीपी के रूप में व्यवहार किया जाए, जैसा कि गृह मंत्रालय के सलाह-पत्र में उल्लेख किया गया है:[34]

"यदि जांच के बाद यह पाया जाए कि महिला या बच्चा पीड़ित है, तो उसके विरुद्ध विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत अभियोजन नहीं किया जाना चाहिए। यदि जांच से यह सामने आता है कि वह अपनी इच्छा से भारत नहीं आया या किसी अपराध में सम्मिलित नहीं हुआ, तो राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा उस पीड़ित के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल न करने पर विचार किया जा सकता है। यदि पीड़ित के विरुद्ध पहले ही विदेशी नागरिक अधिनियम या देश के अन्य प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, तो ऐसे मामलों में, जहां तक पीड़ित का संबंध है, अभियोजन से मामला वापस लेने की कार्रवाई की जा सकती है।"



32 JJ Act 2015, s 17(2).

33 Ministry of Home Affairs, 'Advisory on preventing and combating human trafficking in India - dealing with foreign nationals', No. 14051/14/2011-F.VI, 1 May 2012, para 2(iv) available at <https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AmdmntAdvForeign-030512_2.pdf> accessed 27 January 2025.

34 ibid.

केस स्टडी 1

कठिन परिस्थितियों से ग्रस्त बच्चे की पहचान

16 वर्षीय अंशु, अपने पिता के साथ एक झुग्गी बस्ती में रहती थी। उसकी मां का निधन तभी हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। अंशु को अपने पड़ोसी से प्रेम हो गया और वह गर्भवती हो गई। जब अंशु ने गर्भावस्था की बात अपने पड़ोसी को बताई, तो उसने उसे छोड़ दिया। अंशु को अपने पिता की प्रतिक्रिया का डर था और उसके पास ऐसा कोई और नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके, इसलिए उसने इस बारे में चुप्पी साध ली। आख़िरकार अंशु ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस नवजात को एक निर्माणाधीन इमारत के पास छोड़ दिया। वह बच्चा वहां मिला और कुछ जांच के बाद, पुलिस को पता चला कि बच्चे को अंशु ने छोड़ा है। इसके बाद उसे अभिरक्षा में लेकर जेजेबी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

1. **क्या अंशु को 'विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले बालक' (सीआईसीएल), सीएनसीपी, या पीड़ित बच्चा माना जाना चाहिए?**
2. **जेजेबी और सीडब्ल्यूसी मिलकर अंशु के मामले का समाधान कैसे कर सकते हैं?**

अंशु को एक लैंगिक अपराध की पीड़िता माना जाएगा क्योंकि वह 18 वर्ष से कम उम्र की है और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम, 2012) के तहत उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम की धारा 2(घ) के अनुसार सहमति की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का उसके माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा परित्याग, भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी, 1860) की धारा 317 / भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस, 2023) की धारा 93 के तहत एक दंडनीय अपराध है। हालांकि, जेजे अधिनियम, 2015 में दो प्रावधान हैं, जिन्हें ऐसे मामलों में माता-पिता की कानूनी ज़िम्मेदारी के संदर्भ में समझना ज़रूरी है। बच्चे के प्रति क्रूरता से संबंधित धारा 75, जेजे अधिनियम, 2015 की व्याख्यात्मक शर्त यह कहती है कि "यदि बच्चे का उसके जैविक माता-पिता द्वारा परित्याग उनकी इच्छा के विरुद्ध और उनकी परिस्थितियों से उत्पन्न मजबूरी के कारण है, तो यह माना जाएगा कि यह परित्याग जानबूझकर नहीं है और इस धारा के दंडात्मक प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होंगे।" इसके अलावा, कानूनी रूप से बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित धारा 38(2), जेजे अधिनियम, 2015 की दूसरी व्याख्यात्मक शर्त यह स्पष्ट करती है कि "देश में प्रचलित किसी अन्य कानून में भिन्न रूप से कुछ भी कहा गया हो, फिर भी इस अधिनियम के अंतर्गत परित्याग किये गए या अभ्यर्पित बच्चे से संबंधित जांच की प्रक्रिया के दौरान किसी भी जैविक माता-पिता के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं की जाएगी।" यहां तक कि यदि अंशु के विरुद्ध धारा 317, आईपीसी, 1860 / धारा 93, बीएनएस, 2023 के तहत कोई मामला दर्ज होता है, तब भी जेजेबी के पास जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 8(3)(छ) के तहत यह विकल्प है कि वह उसे देखरेख और संरक्षण के लिए सीडब्ल्यूसी के पास भेज दे, और यदि यह प्रतीत हो कि वह कानून से संघर्ष में नहीं है, तो मामला समाप्त भी किया जा सकता है।

केस स्टडी 2

दुर्व्यापार के शिकार बच्चों का उपचार

रानी 12 साल की थी जब उसे एक परिचित ऑटो-रिक्शा चालक दुर्व्यापार के लिए ले गया था। जब उसके परिवार को पता चला, तो उन्होंने उसे त्याग दिया और उसके साथ कोई भी संपर्क बनाए रखने से इनकार कर दिया। रानी के साथ बार-बार बलात्कार किया गया, उसे शारीरिक रूप से पीटा गया, उसे भोजन से वंचित रखा गया और उसे अलग-थलग रखा गया। जब वह 15 साल की हुई, तो वह बहुत बीमार पड़ गई और उसे यौन संचारित संक्रमण हो गया। चूंकि वह काम नहीं कर सकती थी और उसे अपनी दवाओं पर काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे, इसलिए वेश्यालयसंचालक ने उससे कहा कि उसे दो छोटी लड़कियों को काम पर रखना होगा जो उसके ठीक होने तक काम कर सकें। रानी अपने गांव वापस गई और उसने दो 10 साल की लड़कियों को अपने साथ शहर चलने के लिए राज़ी किया। जब लड़कियों में से एक को पता चला कि रानी उन्हें देह व्यापार में शामिल करने की कोशिश कर रही है, तो उसने विरोध किया और शोर मचाया। पुलिस को बुलाया गया और रानी के खिलाफ धारा 370, आईपीसी, 1860/धारा 143, बीएनएस, 2023 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। उसे गिरफ्तार कर जेजेबी के समक्ष पेश किया गया, जबकि दो छोटी लड़कियों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया।

1. **क्या रानी को सीएनसीपी या सीआईसीएल माना जाना चाहिए?**
2. **मानव दुर्व्यापार के मामलों में सीडब्ल्यूसी की क्या भूमिका है?**

जो बच्चे वयस्कों द्वारा दूसरों के दुर्व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या जिनका इस्तेमाल मानव दुर्व्यापार के किसी भी पहलू में किया जाता है, वे खुद पीड़ित हैं और उन्हें जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14)(viii)(ix) और (x) के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। सीडब्ल्यूसी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 83 के तहत आतंकवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा अवैध गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना एक अपराध है, और ऐसे वयस्कों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जो ऐसा करते हैं।

इस संदर्भ में ***दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बनाम भारत संघ***,[35] का मामला प्रासंगिक है। इस मामले में दो लड़कियों को पश्चिम बंगाल से दिल्ली, ट्रेफिकिंग करके लाया गया था और उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। इनमें से एक लड़की के पिता ने उसकी प्रत्यक्ष अभिरक्षा की मांग की, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ताओं

↘

35 Crl. Rev. No. 443/2009 & Crl.M.A.No.3071/2010 decided by the Delhi High Court on 12.08.2014.

ने यह तर्क दिया कि इस प्रकार की अभिरक्षा से संबंधित मामले में अधिकार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को नहीं बल्कि सीडब्ल्यूसी को है। इसलिए, न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या जेजे अधिनियम, 2000 प्रभावी होगा या अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटी(पी) अधिनियम),1956)? और यदि जेजे अधिनियम लागू होता है तो उस स्थिति में बच्चे को सीआईसीएल माना जाएगा या सीएनसीपी? **दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस प्रकार के मामलों में सीडब्ल्यूसी का ही अधिकार क्षेत्र होगा, और जेजे अधिनियम, 2000 का वर्चस्व आईटी(पी) अधिनियम, 1956 पर होगा।**

इसके साथ ही, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दुर्व्यापार में पाया गया कोई भी बच्चा सीआईसीएल नहीं, बल्कि सीएनसीपी माना जाएगा|

> "कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, यदि वह आईटी(पी) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत परिभाषित दुर्व्यापार या वेश्यावृत्ति की किसी भी प्रक्रिया में संलिप्त पाया जाता है, अथवा धारा 15/16 के तहत पुलिस कार्रवाई में रेस्क्यू किया जाता है, तो उसे किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 2(ठ) के अंतर्गत 'विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर' नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे धारा 2(घ) के तहत 'देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालक' माना जाएगा।"

इसके अनुपालन में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि:

> "अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 17 और 17(क) के प्रावधानों के बावजूद, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 31(1) और 39(3) के अनुसार, ऐसे किसी भी बाल पीड़ित - देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालक की अभिरक्षा और पुनर्वास के संबंध में अंतिम अधिकार केवल धारा 29 के तहत गठित बाल कल्याण समिति को ही होगा।"

1.7 क्या सीडब्ल्यूसी को उन मामलों में अधिकार है जिनमें बच्चे की अभिरक्षा को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद है?

ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां एक माता-पिता ने अपने बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए सीडब्ल्यूसी से संपर्क किया है, जबकि उसी समय पारिवारिक न्यायालय (फैमिली कोर्ट) में तलाक और अभिरक्षा से जुड़े मामले लंबित हैं। सीडब्ल्यूसी इन मामलों में अपनी भूमिका को लेकर अनिश्चित रहती है और कई बार माता या पिता में से किसी एक को बच्चे की अभिरक्षा दे दी जाती है। **हालांकि, कई उच्च न्यायालयों ने यह माना है कि जब किसी पारिवारिक न्यायालय में मामला लंबित हो, तो सीडब्ल्यूसी को बच्चे की अभिरक्षा तय करने का अधिकार नहीं है।**[36]

सबसे पहले, यह समझना ज़रूरी है कि पारिवारिक न्यायालयों को नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।[37] संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 एक सक्षम न्यायालय को ही संरक्षकत्व, अभिरक्षा और मुलाक़ात के अधिकार जैसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है - न कि बाल कल्याण समिती को।[38] हिंदुओं के संदर्भ में, संरक्षकत्व का मामला हिंदू अवयस्कता और संरक्षकत्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत ही तय किया जा सकता है, और इस विषय में निर्णय देने की सीडब्ल्यूसी की कोई योग्यता नहीं है।[39] सीडब्ल्यूसी का कार्यक्षेत्र केवल उन मामलों तक सीमित है जो सीएनसीपी के पुनर्वास, दत्तक ग्रहण, पुनः एकीकरण और पुनर्स्थापन से संबंधित हैं।[40] जेजे अधिनियम, 2015 में सीडब्ल्यूसी को अभिरक्षा के मामलों पर निर्णय लेने का कोई उल्लेख नहीं है।

गीतांजलि डोगरा बनाम राज्य[41] के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14)(iii) उस स्थिति की कल्पना नहीं करती जहां बच्चे के माता-पिता उसकी अभिरक्षा को लेकर विवाद में हों। यह ध्यान देना ज़रूरी है कि ***संदर्भ: तमिलनाडु राज्य में अनाथालयों में बच्चों का शोषण बनाम भारत संघ***,[42] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि 'सीएनसीपी' की परिभाषा सीमित या अंतिम नहीं है, और राज्य की देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले सभी बच्चों तक इसका विस्तार होना चाहिए। इस व्याख्या के आधार पर, ***निधि लुहरुवाला बनाम कर्नाटक राज्य***,[43] ***गीतांजलि डोगरा बनाम राज्य***,[44] और ***राजलक्ष्मी फाउंडेशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य***,[45] जैसे मामलों में यह प्रयास किया गया कि धारा 2(14), जेजे अधिनियम, 2015 की परिभाषा को अभिरक्षा से जुड़े मामलों तक विस्तारित किया जाए। हालांकि, इन तीनों उच्च न्यायालयों ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और यह निर्णय दिया कि दांपत्य विवादों में बाल अभिरक्षा से जुड़े मामलों में निर्णय नहीं ले सकती।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 31 उन प्राधिकृत व्यक्तियों/संगठनों को सूचीबद्ध करती है जो बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें पुलिस अधिकारी, एसजेपीयू, बाल कल्याण अधिकारी, डीसीपीयू का अधिकारी, सरकारी सेवक, चाइल्ड लाइन सेवा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता, सजग नागरिक, डॉक्टर या नर्स आदि शामिल हैं। ***प्रिया यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य***[46] के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि: "इस प्रावधान में, सीडब्ल्यूसी को कोई स्थान नहीं दिया गया है कि वह पति द्वारा पत्नी के खिलाफ बच्चे को

36 *Nidhi Luharuwalla v State of Karnataka*, 2019 SCC OnLine Kar 254, decided by the Karnataka High Court on 7.02.2019; *Geetanjali Dogra v The State*, 2019 SCC OnLine Del 10009; *Priya Yadav v State of MP*, 2016 SCC OnLine MP 11923; *Neelam Bohra v Child Welfare Committee*, 2020 SCC OnLine Raj 560; *Rajlakshmi Foundation v The State of Madhya Pradesh*, Writ Petition No. 25356 of 2018, decided by the Madhya Pradesh High Court on 3.02.2022.
37 *Geetanjali Dogra v The State*, 2019 SCC OnLine Del 10009; The Family Courts Act 1984, s 7(1)(a)(g) and s 20.
38 ibid.
39 *Rajlakshmi Foundation v The State of Madhya Pradesh*, Writ Petition No. 25356 of 2018, decided by the Madhya Pradesh High Court on 3.02.2022.
40 JJ Act 2015, s 1(4)(ii).
41 *Geetanjali Dogra* (n 37).
42 in *Re: Exploitation of Children in Orphanages* (n 13).
43 2019 SCC OnLine Kar 254.
44 *Geetanjali Dogra* (n 37).
45 *Rajlakshmi Foundation* (n 39).
46 2016 SCC OnLine MP 11923.

प्रस्तुत करने के आवेदन पर कोई कार्रवाई करे, जहां वे दोनों न्यायालय में मुकदमेबाज़ी कर रहे हों।"

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 37 यह स्पष्ट करती है कि सीडब्ल्यूसी किस प्रकार के आदेश पारित कर सकती है। इस धारा में, और जेजे अधिनियम या जेजे मॉडल नियम, 2016 में कहीं भी, सीडब्ल्यूसी को बच्चे की अभिरक्षा तय करने का अधिकार नहीं दिया गया है।[47] ***नीलम बोहरा बनाम सीडब्ल्यूसी***[48] के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा:

> "प्रावधानों की समग्र योजना को देखते हुए ... सीडब्ल्यूसी को अधिनियम के अनुसार किसी सीएनसीपी से संबंधित प्राप्त जानकारी पर तत्काल कार्रवाई करनी होती है; और सीडब्ल्यूसी को अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होता है। वह अपनी इच्छा से किसी भी कार्यवाही को जारी नहीं रख सकती, जैसे कि पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करना - जो कि आमतौर पर तब होता है जब विवाद बच्चे के माता-पिता के बीच हो - और अन्य मामलों में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। समझौता प्रक्रिया के दौरान मुलाक़ात के अधिकार आदि देने वाले आदेश पारित करना अधिनियम के तहत संभव नहीं है और उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।"

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संरक्षकत्व, अभिरक्षा, और मुलाक़ात संबंधी अधिकार के मामले केवल विधि-प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही तय किए जा सकते हैं और यह केवल विधिक न्यायालयों का क्षेत्र है।[49] चूंकि सीडब्ल्यूसी के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और संभवतः विधि में प्रशिक्षित नहीं होते या विधिक प्रावधानों की पूरी जानकारी नहीं रखते, अतः वे संरक्षकत्व, अभिरक्षा या मुलाक़ात के अधिकार जैसे मामलों में आदेश देने के लिए योग्य नहीं हैं।[50]

1.8 सीडब्ल्यूसी के कार्य क्या हैं?

सीडब्ल्यूसी के कार्य जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 30 और 32, जेजे मॉडल नियम, 2016 के नियम 17, तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 19 और नियम 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। इनमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

संज्ञान लेना और यथोचित आशंका पर कार्रवाई करना

- समिति के **समक्ष प्रस्तुत** किए गए बच्चों का संज्ञान लेना और उन्हें स्वीकार करना।[51]



- **स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेना** और उन सीएनसीपी तक पहुंचना जो सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसा निर्णय कम से कम तीन सदस्यों द्वारा लिया जाना चाहिए।[52]

सीएनसीपी से संबंधित मामलों में जांच करना

- **परित्यक्त या खोए हुए बच्चों को उनके परिवारों तक वापस पहुंचाने के लिए सभी प्रयास सुनिश्चित करना।**[53]
- यह निर्धारित करना कि **जो व्यक्ति सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, वह वास्तव में बच्चा है और धारा 2(14), जेजे अधिनियम, 2015 के अनुसार "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता" (सीएनसीपी) की श्रेणी में आता है या नहीं, और फिर बच्चे को सीएनसीपी घोषित करना।**[54]



- जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत **बच्चों की सुरक्षा और कल्याण** से संबंधित मुद्दों की जांच करना।[55]

47 *Priya Yadav v State of MP*, 2016 SCC OnLine MP 11923; JJ Act 2015, s 37.
48 *Neelam Bohra v Child Welfare Committee*, 2020 SCC OnLine Raj 560; JJ Act 2015, s 30.
49 *Priya Yadav v State of MP*, 2016 SCC OnLine MP 11923.
50 ibid.
51 JJ Act 2015, s 30(i). POCSO Rules 2020, rule 4(4).
52 JJ Act 2015, s 30(xii).
53 JJ Act 2015, s 30(x).
54 JJ Act 2015, s 37(1)(a) and JJ Model Rules 2016, rules 19(1) and rule 19(2).
55 JJ Act 2015, s 30(ii).

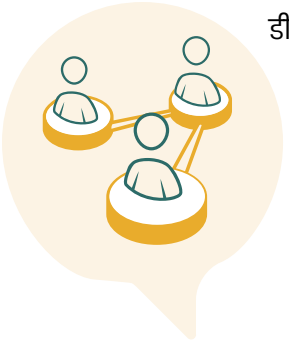
- **जेजेबी द्वारा सीडब्ल्यूसी को स्थानांतरित किए गए बच्चों से संबंधित मामलों का समाधान करना।**[56]
- बाल कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, डीसीपीयू या किसी एनजीओ को **एसआईआर 15 दिनों में तैयार करने का निर्देश देना, और आदेश पारित करते समय उस एसआईआर पर विचार करना।**[57]
- सीएनसीपी की देखभाल के लिए **योग्य व्यक्ति घोषित करने हेतु जांच** करना और बालक को **पालक देखभाल** में रखने का निर्देश देना।[58]

उचित मामलों में विधिक सहायता सेवाओं की उपलब्धता सक्षम बनाना



जांच के दौरान यदि यह सामने आता है कि बच्चा किसी अपराध का शिकार है या उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो सीडब्ल्यूसी को **विधिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम** उठाने चाहिए।[59]

अन्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय



डीसीपीयू या राज्य सरकार के सहयोग से, बच्चों की देखरेख और संरक्षण में शामिल पुलिस, श्रम विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखना।[60]

देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास को आगे बढ़ाने हेतु आदेश पारित करना

- बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास, पुनर्वास और पुनः एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु **कारणयुक्त अस्थायी और अंतिम आदेश पारित करना।**[61]



- संबंधित अधिकारियों, माता-पिता / कानूनी अभिभावकों, **उपयुक्त व्यक्तियों या संस्थाओं को आवश्यक निर्देश देना।**[62]
- उपयुक्त मामलों में **पालक देखभाल हेतु प्रायोजन और संस्थागत देखभाल छोड़ रहे 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पश्चातवर्ती देखभाल** के आदेश देना।[63]
- बच्चे की उम्र, लिंग, विकलांगता और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और संस्था की उपलब्ध क्षमता को देखते हुए, प्रत्येक ऐसे बच्चे के लिए **उपयुक्त पंजीकृत संस्था या उपयुक्त सुविधा की पहचान करना,** जिसे संस्थागत सहायता की आवश्यकता है।[64]
- आदेश पारित करते समय **आईसीपी** पर विचार करना, उसे अंतिम रूप देना और अंतिम आदेश के साथ संलग्न करना।[65]
- डीसीपीयू को निर्देश देना कि वह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 3(vii) के तहत सकारात्मक उपायों के सिद्धांत के अनुसार **बच्चे के लिए लागू प्रासंगिक सरकारी योजनाओं और अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करे।**
- डीसीपीयू या सीसीआई कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि **बच्चे या उसके परिवार को आवश्यक पहचान संबंधित दस्तावेज़ प्राप्त करने में सहायता मिले।**

56 JJ Act 2015, s 17(2).
57 JJ Act 2015, s 30(iii) and s. 37(1), JJ Model Rules 2016, rule 19(8A).
58 JJ Act 2015, ss 30(iv) and 30(v).
59 JJ Act 2015, s 30(xvii).
60 JJ Act 2015, s 30(xv).
61 JJ Act 2015, ss 29(1), 30(ii) and s 30(vi).
62 JJ Act 2015, s 30(vi).
63 JJ Act 2015, ss 30(1)(v), 37(1)(e)(f) and 39(4).
64 JJ Act 2015, s 30(vii).
65 JJ Act 2015, s 30(vi).

बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) की निगरानी



- **सीएनसीपी बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं का माह में कम से कम दो बार निरीक्षण करना** और सेवाओं की गुणवत्ता सुधार हेतु डीसीपीयू और राज्य सरकार को सुझाव देना।[66]
- **प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण की रिपोर्ट** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) को प्रस्तुत करना, जैसा कि धारा 109, जेजे अधिनियम, 2015 में निगरानी हेतु प्रावधानित है।[67]
- सीसीआई के हर दौरे पर **"बच्चों की सुझाव पुस्तिका" या "शिकायत पुस्तिका" की समीक्षा** करना।[68]
- प्रत्येक दौरे पर सीसीआई कर्मचारियों की अनुपस्थिति में **बच्चों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत करना,** उनकी चिंताओं को समझना और संस्था को सुझाव देना।[69]
- किसी भी **सीसीआई में बच्चे के शोषण की शिकायत की जांच करना और पुलिस, डीसीपीयू, श्रम विभाग या चाइल्ड लाइन को उचित निर्देश देना।**[70]
- जेजे मॉडल नियम, 2016 के अनुसार, संस्था के प्रबंधन और प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी के लिए एक **प्रबंधन समिति** गठित की गई है।[71] सीडब्ल्यूसी का एक सदस्य इस समिति का हिस्सा होगा।[72]
- **बाल समिति** के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना।[73]

रिकॉर्ड संधारण और रिपोर्ट प्रस्तुत करना



- **बच्चों के मामलों का रिकॉर्ड** कम से कम 5 वर्षों तक सुरक्षित रखना।[74]
- **प्रत्येक तिमाही में ज़िला मजिस्ट्रेट को** मामलों के निस्तारण की प्रकृति, लंबित मामले और उनके कारणों सहित **विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना।**[75]
- **जिन बच्चों को उनके अभिभावकों से अलग किया गया है, उनकी जानकारी केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना।**[76]

जवाबदेही



समिति के परिसर में प्रमुख स्थान पर एक सुझाव पेटी या शिकायत निवारण पेटी स्थापित करना और उसका संधारण करके रखना, जिसे ज़िला मजिस्ट्रेट या उनके नामित व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाएगा।[77]

पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित कार्य

- पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बच्चे और उनके परिवार/अभिभावक की सहमति से **एक सहायक व्यक्ति नियुक्त करना,** जो जांच और मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान बच्चे और परिवार को सहायता प्रदान करेगा।[78]

66 JJ Act, 2015, s 30(viii).
67 JJ Model Rules 2016, rule 17(iii)(a).
68 JJ Model Rules 2016, rule 17(iv).
69 JJ Model Rules 2016, rule 17(iv).
70 JJ Act 2015, s 30(xvi).
71 JJ Model Rules 2016, rule 39(1).
72 JJ Model Rules 2016, rule 39(1).
73 JJ Model Rules 2016, rule 17(iii).
74 JJ Model Rules 2016, rule 17(viii a).
75 JJ Model Rules 2016, rule 17(v).
76 JJ Model Rules 2016, rule 18(10).
77 JJ Model Rules 2016, rule 17(ii).
78 POCSO Rules 2020, rule 4(8)).

- **सहायक व्यक्ति से हर माह रिपोर्ट मंगवाना,** जिसमें बच्चे की स्थिति और देखभाल का विवरण हो, जब तक मुकदमा पूरा न हो जाए।[79]



- बच्चे, उसके परिवार या **अभिभावक के अनुरोध पर सहायक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करना।** इसके लिए बच्चे को कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष न्यायालय या जेजेबी को इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य है।[80]
- पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पीड़ित बच्चे को, परिवार या साझा घर से निकाल कर **बाल गृह या आश्रय गृह में रखने की आवश्यकता** है या नहीं, इसका निर्धारण समिति को स्वयं अथवा किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से 3 दिनों के भीतर करना होगा।[81]
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 (पॉक्सो नियम, 2020) के अंतर्गत भोजन, कपड़े, परिवहन और अन्य आवश्यक ज़रूरतों के लिए **विशेष राहत** के भुगतान हेतु डीसीपीयू या डीएलएसए को सिफारिश करना और यह सुनिश्चित करना कि एक सप्ताह के भीतर भुगतान हो।[82]
- यह सुनिश्चित करने के लिए **डीएलएसए के साथ समन्वय** बनाना कि विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए जुर्माने की राशि पीड़ित को प्रदान की जाए।[83]
- डीसीपीयू और सहायक व्यक्ति की मदद से **बैंक खाता खोलने, पहचान पत्र बनवाने जैसी प्रक्रियाओं को सुगम बनाना।**[84]
- पॉक्सो अधिनियम, 2012 के मामलों में पीड़ितों को **विधिक सहायता और काउंसलिंग** उपलब्ध कराने हेतु डीएलएसए को सिफारिश करना।[85]

दत्तक ग्रहण से संबंधित कार्य

- जिन **अनाथ या परित्यक्त बच्चों को किसी सीसीआई में,** जिसमें विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (सपेशलाइज़्ड अडोपशन एजेंसी - सा) भी शामिल है, **प्रवेश दिया गया है, उन्हें 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**[86]
- यदि आवश्यक हो, तो बच्चे के सर्वोत्तम हित और जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए, **जैविक माता-पिता या कानूनी अभिभावकों का पता लगाने के लिए,** सीडब्ल्यूसी डीसीपीयू को यह **निर्देश** दे सकती है कि बच्चे की जानकारी और फ़ोटो उस क्षेत्र के किसी प्रमुख राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित की जाए जहां बच्चा मिला था।[87] यह कार्य बच्चे को प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है।[88]



- यह सुनिश्चित करना कि सीसीआई या विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) द्वारा बच्चे की जानकारी **ट्रैक चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया पोर्टल** पर अपलोड की जा रही है।[89] यदि बच्चा किसी अन्य राज्य से है, तो उसकी जानकारी उसके ज्ञात मूल स्थान में स्थानीय भाषा में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा।[90]
- यह **पता लगाने के लिए कि क्या परित्यक्त या अनाथ बच्चा किसी लापता बच्चे की श्रेणी में आता है, ट्रैक चाइल्ड या खोया-पाया पोर्टल का उपयोग**

79 POCSO Rules 2020, rule 4(12).
80 POCSO Rules 2020, rule 4(11).
81 POCSO Rules 2020, rule 4(5).
82 POCSO Rules 2020, rule 8.
83 POCSO Rules 2020, rule 10(1).
84 POCSO Rules 2020, rule 10(2) and NCPCR Model Guidelines with Respect to Support Persons under Section 39 of POCSO Act, para 3.3(cc). The latter states: "Support person shall facilitate the family or the minor victim to obtain identity documents like Aadhar, PAN card, ration card, BPL card, and open bank accounts in coordination with and assistance from the CWC/ DCPU/CCI."
85 POCSO Rules 2020, rule 7(1).
86 Adoption Regulations 2022, Para 6(2).
87 Adoption Regulations 2022, Para 6(7).
88 Adoption Regulations 2022, Para 6(7).
89 Adoption Regulations 2022, Para 6(7).
90 Adoption Regulations 2022, Para 6(8).

किया जाए।[91] यदि बच्चे की पहचान स्थापित हो जाती है, तो उसे उसके जैविक माता-पिता या कानूनी अभिभावकों से पुनः मिलाया जाए।[92]

- समुचित जांच के बाद, **अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे को कानूनी रूप से** दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जाए।[93]
- ऐसे बच्चे को, जिनके माता-पिता मानसिक रोग या बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित हैं, दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने हेतु केंद्र या **राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र** प्राप्त करना होगा।[94] साथ ही यह **सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडी अधिनियम, 2016) के अनुरूप हो।**
- माता-पिता द्वारा **अभ्यर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया की पुष्टि** की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।[95] परिवार को एक रखने के सभी प्रयास किए जाएं। अभ्यर्पण पत्र की एक प्रति माता-पिता या बच्चे को अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए।[96]
- ऐसे सभी बच्चों को, **जिनका कोई कानूनी अभिभावक नहीं है,**[97] उनकी उम्र चाहे जो भी हो, जल्द से जल्द दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जाए।[98]
- **यदि बच्चे जुड़वां हों या आपस में भाई-बहन हों,** तो सीडब्ल्यूसी को इस स्थिति को मान्यता देनी चाहिए और एक ही आदेश में उन्हें दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करना चाहिए।[99]
- ऐसे **बच्चों से संवाद** करना जो सीसीआई में रह रहे हैं और जिनके कोई अभिभावक नहीं हैं या **जो कई वर्षों से अपने अभिभावकों के संपर्क में नहीं हैं, और उन्हें पारिवारिक देखभाल के लाभों के बारे में समझाना, जिसमें पालक देखभाल और दत्तक ग्रहण भी शामिल हैं।**[100]
- वे **सभी संभावित प्रयास करना जिससे माता-पिता बच्चे को अपने पास रखें।**[101] इसमें काउंसलिंग देना या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त काउंसलिंग केंद्र से उन्हें जोड़ना शामिल होगा। उन्हें प्रोत्साहित करना कि वे बच्चे को अपने पास रखें और यह स्पष्ट रूप से समझाना कि यदि वे अभ्यर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, तो 60 दिनों के बाद यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो जाएगी। यह प्रक्रिया जैविक माता-पिता को बच्चे को अभ्यर्पित करने से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से की जाती है।[102]
- अभ्यर्पण करने वाले **माता-पिता और अभ्यर्पित बच्चे, दोनों की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए।**[103]
- ऐसे मामलों में जहां जैविक मां द्वारा स्वेच्छा से बच्चे को अभ्यर्पित किया गया हो, या बच्चा अवांछित यौन संबंधों के परिणामस्वरूप जन्मा हो, या पॉक्सो अधिनियम, 2012 अथवा आईपीसी, 1860/ बीएनएस, 2023 के अंतर्गत मामला दर्ज हो, वहां **सीडब्ल्यूसी को बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने का आदेश उस समयसीमा के भीतर पारित करना चाहिए जिसमें डीएनए नमूना संग्रह किया जाना** आवश्यक है – ताकि ऐसे मामलों में दत्तक माता-पिता को अनावश्यक मानसिक उत्पीड़न से बचाया जा सके।[104]

91 Adoption Regulations 2022, Para 6(12).
92 Adoption Regulations 2022, Para 6(12).
93 JJ Act 2015, s 30(xi); JJ Model Rules 2016, rule 19(29).
94 Adoption Regulations, 2022, Para 6(18).
95 JJ Act 2015, s 30(ix) and JJ Model Rules 2016, rule 19(23).
96 Adoption Regulations 2022, Para 7(9).
97 Section 2(31), JJ Act 2015 "guardian" in relation to a child, as "his natural guardian or any other person having, in the opinion of the Committee or, as the case may be, the Board, the actual charge of the child, and recognised by the Committee or, as the case may be, the Board as a guardian in the course of proceedings."
98 JJ Model Rules 2016, rule 17(ix).
99 Adoption Regulations 2022, Para 6(18).
100 JJ Model Rules 2016, rule 17(ix).
101 Adoption Regulations 2022, Para 7(11).
102 ibid.
103 Adoption Regulations 2022, Para 7(13).
104 Adoption Regulations 2022, Explanation to Para 39.

न्यायिक दृष्टांत

पॉक्सो कानून, 2012 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति की भूमिका

वी द वुमेन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ[105] मामले में उच्चतम न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पीड़ितों के लिए सहायक व्यक्ति की भूमिका पर विशेष बल दिया:

> "12. **बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में केवल अपराध के आरंभिक क्षण का भय या मानसिक आघात ही नहीं होता, बल्कि उसके बाद के दिनों में सहायता, संरक्षण और मार्गदर्शन की कमी से वह पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में न्याय केवल अपराधी को पकड़ने और उसे दंडित करने से नहीं होता, और न ही केवल कठोर सज़ा देने से पूरा होता है, बल्कि राज्य और उसकी सभी संस्थाओं द्वारा पीड़ित (या संवेदनशील गवाह) को जो सहायता, देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाती है - वही यह सुनिश्चित करती है कि जांच और मुकदमे की पूरी प्रक्रिया में पीड़ित को कम से कम दर्द और कठिनाई का सामना करना पड़े।** इस अवधि में राज्य की संस्थाओं और कार्यालयों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता और देखभाल अत्यंत आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त, **केवल तभी कहा जा सकता है कि न्याय साकार हुआ है, जब पीड़ितों को समाज में फिर से सम्मिलित किया जाए, उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया जाए, और उनके आत्मसम्मान व गरिमा को पुनःस्थापित किया जाए।** इसके बिना न्याय एक खोखला शब्द बनकर रह जाता है — केवल एक भ्रम। पॉक्सो नियम, 2020 इस संदर्भ में एक प्रभावी ढांचा प्रदान करते हैं। अब यह राज्य की ज़िम्मेदारी है — जो कि इस व्यवस्था का सबसे बड़ा हितधारक है — कि वह इन नियमों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, सख्ती से लागू करे।"

105 Writ Petition (Civil) No. 427 of 2022, decided by the Supreme Court on 18.08.2023.



ध्यान रहे कि बाल कल्याण समिति पुलिस को जांच की प्रक्रिया के तरीके के संबंध में निर्देश नहीं दे सकती

[धाराएं 8(3)(ठ) और 30(XVI), जेजे अधिनियम, 2015]

1.9 क्या बाल कल्याण समिति पुलिस को ऐसे सीएनसीपी के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकती है जो किसी अपराध का शिकार है?

यदि किसी सीसीआई में किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत आती है, तो सीडब्ल्यूसी पुलिस, डीसीपीयू, श्रम विभाग या चाइल्डलाइन सेवा को, जैसा उपयुक्त हो, निर्देश दे सकती है।[106] सीएनसीपी के साथ अन्य परिस्थितियों में हुए दुर्व्यवहार के मामलों में सीडब्ल्यूसी जेजेबी को एक लिखित शिकायत भेज सकती है, जिसमें यह अनुरोध किया जा सकता है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।[107]

1.10 क्या बच्चे को एसआईआर के बिना माता-पिता या अभिभावक को सौंपा जा सकता है?

जिस संदर्भ में कोई बच्चा सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और बच्चे, उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति, तथा बच्चे के परिवार या अभिभावक के साथ की गई बातचीत से जो तथ्य उभरकर सामने आते हैं, उनके आधार पर समिति प्रारम्भिक रूप से (प्राइमा फ़ेसी) यह तय कर सकती है कि बच्चा सीएनसीपी है या नहीं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा सार्वजनिक जुलूस के दौरान अपने परिवार से बिछड़ जाता है। पुलिस रात अधिक हो जाने के कारण उसे बाल गृह में ले जाती है।। अगले दिन बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसी दिन उसके माता-पिता भी उसे वापस लेने आ गए। सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे और उसके माता-पिता से स्वतंत्र रूप से बातचीत करने पर यदि यह लगता है कि यह केवल एक आकस्मिक घटना है और कोई सुरक्षा या संरक्षण संबंधी गंभीर चिंता नहीं है, तो माता-पिता की पहचान सत्यापित करने के बाद बच्चा उन्हें सौंपा जा सकता है।

दूसरी ओर, ऐसे मामलों में यदि यह प्रतीत होता है कि बच्चा घर में दुर्व्यवहार या उपेक्षा के कारण बार-बार घर छोड़कर भाग जाता है, और बच्चे तथा उसके परिवार के साथ बातचीत से उनके बीच कटु संबंध उजागर होते हैं, तो सीडब्ल्यूसी प्रारंभिक रूप से बच्चे को जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14)(iii) या (v) के तहत सीएनसीपी मान सकती है और मामले में जांच शुरू कर सकती है। ऐसे मामलों में, भले ही बच्चा पहली बार में ही माता-पिता को सौंप दिया जाए, फिर भी एसआईआर अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चे और उसके पारिवारिक परिवेश का समग्र आकलन करना है, विशेष रूप से यह समझने के लिए कि बच्चा बार-बार घर से क्यों भाग जाता है।

106 JJ Act 2015, s 30(xvi).
107 JJ Act 2015, s 8(3)(l).

1.11 देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान, संरक्षण और पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूसी क्या कर सकती है?

भारत में बच्चों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, साथ ही संसद द्वारा पारित विभिन्न केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत निर्धारित विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं – जैसे कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पॉक्सो अधिनियम, 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए, 2006), जेजे अधिनियम, 2015 आदि। किसी विशेष राज्य में निवास करने वाले बच्चों को उस राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित कानून के अंतर्गत अतिरिक्त अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं।

बाल अधिकार शब्द की परिभाषा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (सीपीसीआर अधिनियम, 2005) की धारा 2(ख) में दी गई है, जिसके अनुसार, यह "उन बाल अधिकारों को शामिल करता है जिन्हें 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता में अपनाया गया और जिन्हें 11 दिसम्बर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।" भारत ने 11 दिसंबर, 1992 को यूएनसीआरसी को स्वीकार किया था। अतः भारत के बच्चों को यूएनसीआरसी में निहित अधिकार प्राप्त हैं, और इन अधिकारों को भारतीय कानूनों में सम्मिलित किए जाने का प्रयास होता रहा है। यूएनसीआरसी में निहित अधिकारों को भारत में उन परिस्थितियों में बच्चों पर लागू किया जा सकता है जहां भारतीय कानून में कोई कमी हो, और जब वे भारतीय कानूनों के विपरीत न हों। यह ***विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले***[108] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर आधारित है, जिसमें न्यायालय ने महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय, 1979 (कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, 1979- सीडॉ) के आधार पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशानिर्देश बनाए थे।[109]

देश के भीतर लागू कई विधियों, जैसे पॉक्सो अधिनियम, 2012 और जेजे अधिनियम, 2015, ने अपने उद्देशिका में यूएनसीआरसी का उल्लेख करते हुए भारत की कानूनी प्रतिबद्धताओं को मान्यता दी है, ताकि यूएनसीआरसी में निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन किया जा सके। उदाहरणस्वरूप, जेजे अधिनियम, 2015 की उद्देशिका में कहा गया है:

> "...और जबकि भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते को स्वीकार कर लिया है, जिसने सभी राज्य पक्षों के लिए बाल हितों की रक्षा हेतु एक मानक निर्धारित किया है; और जबकि यह आवश्यक है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को पुनः अधिनियमित किया जाए ताकि उन बच्चों के लिए जो कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में हैं या जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, व्यापक प्रावधान किए जा सकें; और इस प्रक्रिया में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र किशोर न्याय प्रशासन के लिए न्यूनतम मानक नियम, 1985 (बीजिंग नियम), स्वतंत्रता से वंचित किशोरों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र नियम, 1990, बाल संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में सहयोग हेतु हेग कन्वेंशन, 1993, तथा अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ों में उल्लिखित मानकों को ध्यान में रखा जा सके।"

जेजे अधिनियम, 2015 के अनुसार, **किसी भी बच्चे के बुनियादी अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए या लिए जाने वाले निर्णयों का आधार बच्चे का सर्वोत्तम हित होना चाहिए।**[110]

108 *Vishaka v State of Rajasthan*, AIR 1997 SC 3011.
109 ibid.
110 JJ Act 2015, s 2(9).

बच्चों के मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

- बाल कल्याण समितियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भारत के संविधान, घरेलू कानूनों, यूएनसीआरसी और भारत में लागू अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अंतर्गत बच्चे को प्राप्त समस्त अधिकारों की पूरी श्रृंखला को ध्यान में रखें।
- हालांकि कुछ अधिकारों को सीधे लागू करना बाल कल्याण समितियों की ज़िम्मेदारी नहीं हो सकता, फिर भी यह आवश्यक है कि समितियां ऐसे कदम उठाएं जिससे बच्चों को विशिष्ट अधिकारों की प्राप्ति हेतु संबंधित प्राधिकरण से जोड़ा जा सके। उदाहरण के लिए, यदि किसी सीएनसीपी को, जो पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पीड़ित है, स्कूल से निष्कासित कर दिया गया हो, तो सीडब्ल्यूसी सहायक व्यक्ति को यह निर्देश दे सकती है कि वह स्कूल प्रबंधन से संपर्क करे ताकि बच्चे की शिक्षा फिर से शुरू कराई जा सके। यह निर्देश धारा 30(vi), जेजे अधिनियम, 2015 और नियम 4(12), पॉक्सो नियम, 2020 के अनुसार दिया जा सकता है।


नाम:
जन्म तिथि:
राष्ट्रीयता:
सावधानी से संभालें
बच्चे का सर्वोत्तम हित

अध्याय 2

"बच्चे के सर्वोत्तम हित" सिद्धांत की व्याख्या और प्रमुख तत्वों का उपयोग

2.1 "बच्चे के सर्वोत्तम हित" का क्या अर्थ है?

हालांकि यूएनसीआरसी में "सर्वोत्तम हित" शब्द का प्रयोग होता है, जो यह दर्शाता है कि हित अनेक हो सकते हैं, जेजे अधिनियम, 2015 में इसका उल्लेख "सर्वोत्तम हित" के रूप में किया गया है – मानो यह संकेत हो कि एक ही सर्वोपरि हित है जो अन्य हितों पर प्राथमिकता रखेगा। हालांकि, धारा 2(9), जेजे अधिनियम, 2015 में "बच्चे के सर्वोत्तम हित" की परिभाषा इस ओर संकेत करती है कि बच्चों को प्रभावित करने वाले निर्णयों के दौरान एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, और इस कारण अनेक हितों पर विचार किया जाना ज़रूरी है। यह परिभाषा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों में "सर्वोत्तम हित" की समझ के अनुरूप है।

इसमें कहा गया है:

> "किसी भी निर्णय का आधार जो बच्चे से संबंधित हो, ताकि उसके मूलभूत अधिकारों और आवश्यकताओं, पहचान, सामाजिक कल्याण, तथा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।"

और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परिभाषा यह अपेक्षा करती है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकरणों को सक्रिय रूप से यह पहचान करनी चाहिए कि बच्चे के किन अधिकारों का हनन या बच्चा किस तरह से वंचित हो रहा है, और उन्हें पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए – क्योंकि उन पर यह सकारात्मक दायित्व है कि वे बच्चे के मूलभूत अधिकारों को आगे बढ़ाएं।

"मैं इसे ऐसी स्थिति के रूप में देखती हूं जहां बच्चे के अधिकारों, सुरक्षा, हितों और आकांक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ताकि ऐसे निर्णय लिए जा सकें जो न केवल वर्तमान परिस्थिति में, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी बच्चे के लिए अनुकूल हों।"
- पूर्व सीडब्ल्यूसी सदस्य

2.2 सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे के सर्वोत्तम हितों का मूल्यांकन और निर्धारण करते समय बच्चे के अधिकारों से जुड़ाव क्यों आवश्यक है?

बच्चों के अधिकार सार्वभौमिक होते हैं और इन्हें किसी बच्चे से छीना नहीं जा सकता या त्यागा नहीं जा सकता।[111] **साथ ही, सभी अधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।** जब सीडब्ल्यूसी किसी सीएनसीपी के साथ कार्य कर रही हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वह बच्चे की तात्कालिक और दीर्घकालिक देखरेख और संरक्षण से संबंधित निर्णय लेते समय बच्चे के सभी मूलभूत अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करे।[112] **बच्चे के सर्वोत्तम हित का तर्क कभी भी किसी अधिकार के हनन या वंचना का आधार नहीं हो सकता।** उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान के

111 JJ Act 2015, s 3(ix).
112 JJ Act 2015, s 2(9).

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, भारत का नागरिक होने के नाते, किसी भी बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वे बच्चे जो अपने माता-पिता के साथ या स्वयं शिक्षा, काम या बेहतर अवसरों की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वे इस आवागमन की स्वतंत्रता तथा निवास और बसेरे की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसलिए जब सीडब्ल्यूसी यह निर्णय ले कि बच्चे को उसके मूल ज़िले या राज्य में स्थानांतरित किया जाए या नहीं, तो उसे बच्चों और परिवारों के इन संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखना होगा।

इसलिए, सीडब्ल्यूसी को उसके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक बच्चे की परिस्थितियों की पूरी और सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, और किसी भी अधिकार के हनन या वंचना को पहचानते हुए, अंतरिम और अंतिम आदेश पारित करते समय उसका समाधान करना चाहिए। यदि किसी स्थिति में दो या अधिक अधिकारों के बीच स्पष्ट टकराव प्रतीत हो, तो यह अनिवार्य है कि सर्वोत्तम हित सिद्धांत को लागू किया जाए, ताकि यह तय किया जा सके कि उस विशेष परिस्थिति में कौन सा निर्णय या कार्रवाई उस बच्चे के सर्वोत्तम हित में है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां ज़िला न्यायालयों ने सीडब्ल्यूसी के आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उन्होंने बच्चे के सर्वोत्तम हित का पर्याप्त रूप से मूल्यांकन नहीं किया। ***गुरबारी उर्फ तिनकी बनाम बाल कल्याण समिति- II*** के एक मामले[113] में, एक 12 वर्षीय लड़की को ओडिशा से दुर्व्यापार कर बेंगलुरु लाया गया था और एक ट्रस्ट द्वारा उसकी देखरेख की जा रही थी। सीडब्ल्यूसी ने ट्रस्ट को यह निर्देश दिया कि वह बच्चे को ओडिशा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में सहयोग करे। ट्रस्ट की ओर से यह तर्क दिया गया कि सीडब्ल्यूसी का आदेश बिना सोचे-समझे दिया गया है और उन्होंने प्रासंगिक तथ्यों और सामग्री पर कोई विचार नहीं किया। ज़िला न्यायालय ने यह नोट किया कि जब लड़की को यह जानकारी मिली कि उसे ओडिशा वापस भेजा जा रहा है, तो वह दुखी हो गई और उसने ट्रस्ट में रहने की इच्छा जताई। इसके बावजूद, सीडब्ल्यूसी ने बच्चे की इच्छाओं और हितों की जांच किए बिना आदेश पारित कर दिया। सीडब्ल्यूसी ने यह भी नहीं बताया कि बच्चे को ओडिशा भेजने का उद्देश्य क्या है। आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि सीडब्ल्यूसी ने यह उल्लेख नहीं किया कि बच्चे का सर्वोत्तम हित क्या है। न्यायालय को यह महसूस हुआ कि सीडब्ल्यूसी ने बच्चे के हितों पर विचार किए बिना, गलत निर्णय लिया और उसने सीडब्ल्यूसी के आदेश को रद्द कर दिया।

2.3 यूएनसीआरसी में बच्चे के सर्वोत्तम हित के बारे में क्या कहा गया है?

यूएनसीआरसी के अंतर्गत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत चार सामान्य सिद्धांतों में से एक है।[114]

यूएनसीआरसी का अनुच्छेद 3(1) संबद्ध राज्यों पर यह विशेष दायित्व डालता है कि "बच्चों से संबंधित सभी कामों में - चाहे वे सार्वजनिक या निजी सामाजिक कल्याण संस्थानों, न्यायालयों, प्रशासनिक प्राधिकरणों या विधायी निकायों द्वारा किए जा रहे हों - बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्रमुख प्राथमिकता (प्राइमरी कंसिडरेशन) दी जाए।" केवल दत्तक ग्रहण के संदर्भ में, अनुच्छेद 21, यूएनसीआरसी यह अपेक्षा करता है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित "सर्वोपरि विचार" (पैरामाउंट कंसिडरेशन) के रूप में देखा जाना चाहिए। "प्रमुख प्राथमिकता" का तात्पर्य है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित सभी निर्णयों में एक प्रमुख कारक होना चाहिये, हालांकि यह ज़रूरी नहीं कि वह केवल एक कारक हो। वहीं, "सर्वोपरि विचार" का अर्थ है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को सभी अन्य बातों से ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण माना जाए, और निर्णय लेते समय उसे सभी अन्य विचारों पर वरीयता दी जाए। सारांशतः, "प्राथमिक" का अर्थ है "सबसे पहले और प्रमुख रूप से" जबकि "सर्वोपरि" का अर्थ है "सबसे ऊपर, अन्य सभी बातों से अधिक महत्वपूर्ण"।

हालांकि, यूएनसीआरसी "सर्वोत्तम हित" की कोई परिभाषा नहीं देता,[115] लेकिन सीआरसी समिति यह स्वीकार करती है कि: **"बच्चे के सर्वोत्तम हित की संकल्पना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कन्वेंशन में मान्यता प्राप्त सभी अधिकारों का पूरा और प्रभावी आनंद बच्चे को प्राप्त हो,** और उसके समग्र विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।"[116]

113 Crl.A.No.1721/2019, decided by the Bangalore District Court on 12.03.2020.
114 The four general principles are enshrined in Articles, 2,3,6 and 12 of the UNCRC, 1989.
115 Established under Article 43 of the UNCRC, 1989.
116 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 4.

सीआरसी समिति ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को एक प्राथमिक विचार के रूप में माने जाने के अधिकार पर अपनी सामान्य टिप्पणी संख्या 14 में, बच्चे के सर्वोत्तम हित की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित रूपरेखा प्रस्तुत की है:[117]

(ए) एक मूल अधिकार (सब्सटेंटिव राइट): बच्चे का यह अधिकार कि उसके सर्वोत्तम हितों का मूल्यांकन किया जाए और जब किसी निर्णय के लिए विभिन्न हितों पर विचार किया जा रहा हो, तब उसे प्राथमिक विचार के रूप में लिया जाए। यह अधिकार यह भी सुनिश्चित करता है कि जब भी किसी बच्चे, किसी पहचाने गए या अप्रत्यक्ष रूप से पहचाने गए समूह के बच्चों, या सभी बच्चों से संबंधित कोई निर्णय लिया जाए, तो इस अधिकार को लागू किया जाए। अनुच्छेद 3, पैरा 1, संबद्ध राज्यों पर एक आंतरिक दायित्व डालता है, यह सीधे लागू करने योग्य है और न्यायालय में भी इस अधिकार का हवाला दिया जा सकता है।

(बी) एक मूलभूत, व्याख्यात्मक कानूनी सिद्धांत (लीगल इंटरप्रेटेटिव प्रिंसिपल): यदि कोई कानूनी प्रावधान एक से अधिक व्याख्याओं की अनुमति देता है, तो उस व्याख्या को चुना जाना चाहिए जो सबसे प्रभावी रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हितों को पूरा करती हो। यूएनसीआरसी और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल में निहित अधिकार व्याख्या के लिए ढांचा प्रदान करते हैं।

(सी) एक प्रक्रिया संबंधी नियम (रूल ऑफ प्रोसीजर): जब भी कोई ऐसा निर्णय लिया जाना हो जो किसी विशिष्ट बच्चे, बच्चों के किसी पहचाने गए समूह, या सामान्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता हो, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चे या बच्चों पर उस निर्णय के संभावित प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक) का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

बच्चे के सर्वोत्तम हित सिद्धांत का आकलन और निर्धारण कुछ प्रक्रियात्मक गारंटी की मांग करता है। इसके अलावा, किसी निर्णय का औचित्य यह दर्शाना चाहिए कि इस अधिकार को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा गया है। इस संदर्भ में, संबद्ध राज्यों को यह स्पष्ट करना होगा कि निर्णय में इस अधिकार का कैसे सम्मान किया गया है – अर्थात्, क्या बच्चे के सर्वोत्तम हितों को माना गया है; यह किन मापदंडों पर आधारित है; और कैसे बच्चे के हितों को अन्य विचारों के साथ संतुलित किया गया है – चाहे वे व्यापक नीतिगत मुद्दे हों या व्यक्तिगत मामले।[118]

2.4 सीडब्ल्यूसी के लिए बच्चे के सर्वोत्तम हित सिद्धांत को एक "मूल अधिकार" (सब्सटेंटिव राइट) के रूप में मानने के क्या निहितार्थ हैं?

सीडब्ल्यूसी को जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 3(iv) का पालन करना होता है, जिसमें यह आवश्यक है कि किसी भी बच्चे को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते समय उसका सर्वोत्तम हित सर्वोपरि रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक विकसित होने का अवसर मिले।

117 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 6.
118 ibid.

धारा 2(9), जेजे अधिनियम, 2015 के तहत बच्चे के सर्वोत्तम हित निर्धारित करने का उद्देश्य है उसके मूलभूत अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करना।

इसका अर्थ यह है कि सीएनसीपी के संबंध में कोई भी अंतरिम या अंतिम निर्णय लेते समय, सीडब्ल्यूसी के लिए बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देना कानूनी बाध्यता है, न कि केवल एक विवेकाधीन निर्णय।

जबकि बच्चे, अभिभावकों, संरक्षकों, अन्य प्रभावित पक्षों को सुना जाना चाहिए, सीडब्ल्यूसी का केंद्र-बिंदु केवल और केवल बच्चे का सर्वोत्तम हित होना चाहिए। किसी अन्य पक्ष का हित, अधिकार या सुविधा बच्चे के सर्वोत्तम हित से ऊपर नहीं हो सकते।

उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा यौन शोषण का शिकार है, तो केवल पुलिस की सुविधा के लिए उसे बाल गृह में अनावश्यक रूप से नहीं रखा जाना चाहिए ताकि धारा 164, सीआरपीसी, 1973/धारा 183, बीएनएसएस, 2023 के तहत उसका बयान दर्ज कराया जा सके। यदि बच्चा किसी ऐसे गैर-आरोपी परिवारजन के साथ सुरक्षित और सहज महसूस करता है, तो बच्चे का अपने परिवार के साथ रहना ही बच्चे के सर्वोत्तम हित के अनुरूप होगा।

2.5 सीडब्ल्यूसी के लिए बच्चे के सर्वोत्तम हित सिद्धांत को एक मूलभूत, व्याख्यात्मक विधिक सिद्धांत (लीगल इंटरप्रेटेटिव प्रिंसिपल) के रूप में मानने के क्या निहितार्थ हैं?

सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि किसी कानूनी प्रावधान की एक से अधिक व्याख्याएं संभव हैं, तो उस व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो बच्चे के सर्वोत्तम हितों और विशेष रूप से उसके अधिकारों को आगे बढ़ाती हो। उदाहरण के लिए, यदि सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया व्यक्ति लैंगिक दुर्व्यापार का शिकार है, जो कभी स्कूल नहीं गया है, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि वह बालक है या वयस्क – तो सीडब्ल्यूसी को बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए चिकित्सकीय परीक्षण का आदेश देना होगा।

यदि अस्थि परीक्षण से यह सामने आता है कि बच्चे की उम्र 17 वर्ष से अधिक और 19 वर्ष से कम है, और परीक्षण की त्रुटि की सीमा प्लस या माइनस दो वर्ष है, तो सीडब्ल्यूसी को यह निर्णय लेना होगा कि किस उम्र को माना जाए। ऐसी स्थिति में, समिति को यह विचार करना होगा कि उस व्यक्ति को 17 वर्ष की जगह 19 वर्ष का मानने के क्या प्रभाव होंगे। और फिर ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी जो उस व्यक्ति के अधिकारों को आगे बढ़ाए।

2.6 सीडब्ल्यूसी के लिए बच्चे के सर्वोत्तम हित सिद्धांत का एक प्रक्रिया संबंधी नियम (रूल ऑफ प्रोसीजर) के रूप में क्या निहितार्थ है?

सीडब्ल्यूसी को जेजे अधिनियम, 2015 और जेजे मॉडल नियम, 2016 अथवा संबंधित राज्य नियमों और अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत किसी विशिष्ट बच्चे की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित जांच की प्रक्रिया का पालन करना होता है। विशेष रूप से, सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे हर मामले में "वक्तव्यमूलक आदेश" (स्पीकिंग ऑर्डर) पारित करें – यानी ऐसा आदेश जिसमें निर्णय के पीछे के कारण स्पष्ट रूप से बताए गए हों, और यह भी साफ तौर पर बताया गया हो कि अंतिम निर्णय तक पहुंचने में सर्वोत्तम हित सिद्धांत के हर पहलू पर कैसे विचार किया गया है। हालांकि, सीडब्ल्यूसी को यह भी ध्यान रखना होता है कि वे जब कोई अंतरिम आदेश पारित करें – या जब कोई सदस्य, जिसके समक्ष किसी बच्चे को प्रस्तुत किया गया हो, कोई आदेश पारित करता है – तो उन स्थितियों में भी सर्वोत्तम हित सिद्धांत पर अवश्य विचार हो और इसे लागू किया जाए।[119]

119 JJ Model Rules 2016, rule 19(13).

बाल कल्याण समितियों में बाल अनुकूल वातावरण



बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के साथ आमने-सामने बातचीत की जा सके।



बच्चों के अनुकूल भाषा का उपयोग



कोई ऊंचा मंच **नहीं**



कोई कटघरा **नहीं**



मामले से असंबंधित कोई भी व्यक्ति उपस्थित **नहीं** होना चाहिए।



औपचारिक न्यायालय जैसी व्यवस्था **नहीं** होनी चाहिए।

बाल अनुकूल क्षेत्र

इसमें अलग बैठने की व्यवस्था हो सकती है, तनाव कम करने वाले खिलौने जैसे कि स्ट्रेस बॉल, चित्रकारी का सामान आदि शामिल हो सकते हैं – ताकि बच्चे से एकांत में बातचीत की जा सके।

बाल अनुकूल प्रक्रियाओं का पालन करना सीडब्ल्यूसी के लिए आवश्यक है।

- सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समिति की बैठक के दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद न हो जो उस मामले से संबंधित नहीं है। केवल वही व्यक्ति उपस्थित हों जिनकी उपस्थिति में बच्चा सहज महसूस करता हो।[120]
- बच्चे से संवाद करने के लिए बाल अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस स्थान पर बैठक हो रही है वह अदालत जैसा न लगे, और बैठक की व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चे से आमने-सामने बातचीत की जा सके।[121]

पुनर्वास या रिहा करने के उद्देश्य से बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए, सीडब्ल्यूसी को दस्तावेज़ों और सत्यापन रिपोर्टों के माध्यम से स्वयं को संतुष्ट करना होगा।[122] उदाहरण के लिए, माता-पिता या अभिभावकों की पहचान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र किए जाने चाहिए। यदि परिवार के पास ऐसे दस्तावेज़ नहीं हैं – जैसे कि प्रवासी परिवारों के मामले में हो सकता है – तो उनसे उस पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण का पत्र मांगा जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में वे रहते हैं। बच्चे को रिहा करने या पुनर्वास से पहले, सीडब्ल्यूसी बच्चे और उसके माता-पिता/ अभिभावकों, दोनों को काउंसलिंग के लिए भेज सकती है।[123]

सीडब्ल्यूसी को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बच्चों से संबंधित जांच समयबद्ध तरीके से पूरी हो। निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी का बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, उन सभी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जानी

120 JJ Model Rules 2016, rules 16(4) and 16(5).
121 JJ Model Rules 2016, rules 16(9) and 16(10).
122 JJ Model Rules 2016, rule 19(7).
123 JJ Model Rules 2016, rule 19(9).

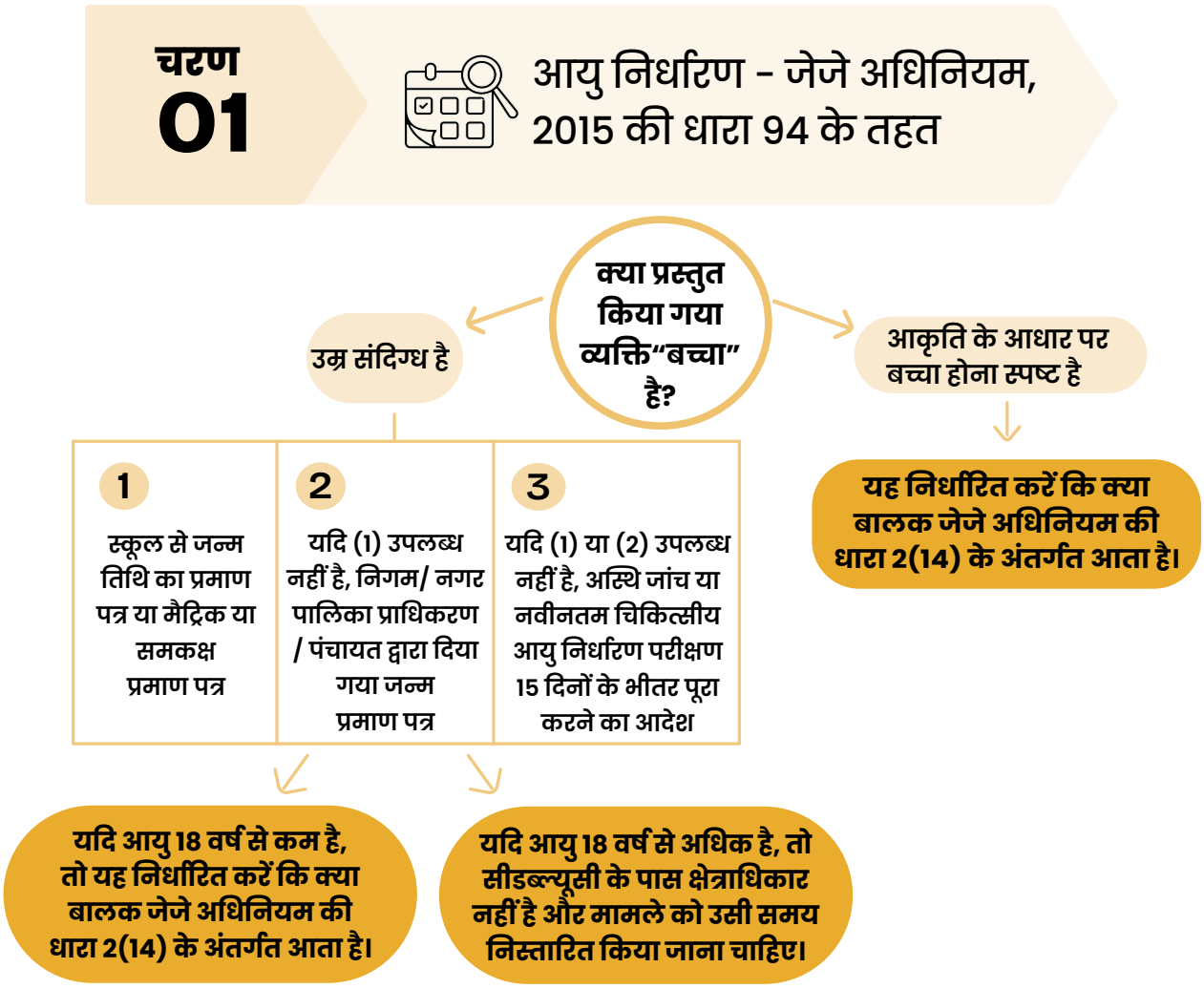
चाहिए जो बच्चों से संबंधित हों या उन पर असर डालने वाली हों, और उन्हें यथासंभव कम समय में पूरा किया जाना चाहिए[124] **— बिना प्रकिया की सावधानीपूर्वक जांच से समझौता किए हुए, क्योंकि केवल लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान देना भी सर्वोत्तम हित निर्धारण में बाधा बन सकता है। सीडब्ल्यूसी को बच्चे को पहली बार प्रस्तुत करने की तिथि के चार माह के भीतर अंतिम आदेश, पारित कर देना चाहिए।**[125]

दो वर्ष तक की आयु के बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र करने का आदेश, बच्चे को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने के भीतर पारित किया जाना चाहिये; और दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए यह निर्णय चार महीने के भीतर पारित किया जाना चाहिए।[126] सभी मामलों में, सीडब्ल्यूसी की अगली सुनवाई पिछली तारीख से 15 दिनों के भीतर निर्धारित की जानी चाहिए।[127] **सीडब्ल्यूसी को प्रत्येक सुनवाई की तारीख पर बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता, बाल कल्याण अधिकारी, या केस वर्कर से बच्चे की नियमित स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए।**[128] **यहां तक कि अंतिम आदेश पारित हो जाने के बाद भी, सीडब्ल्यूसी को बच्चे की प्रगति और स्थिति पर निगरानी रखनी चाहिए।**[129] **यदि आवश्यक हो तो सीडब्ल्यूसी उस संस्थान को बदलने पर विचार कर सकती है जहां बच्चे को भेजा गया है या उस व्यक्ति को बदल सकती है जिसके संरक्षण में बच्चा है।**[130]

2.7 सर्वोत्तम हित निर्धारण प्रक्रिया के तहत सीडब्ल्यूसी द्वारा पालन किए जाने वाले जांच के चरण क्या हैं?



124 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 93.
125 JJ Act 2015, s 36(2).
126 JJ Act 2015, s 38(1) proviso.
127 JJ Model Rules 2016, rule 19(11).
128 JJ Model Rules 2016, rule 19(11).
129 JJ Model Rules 2016, rule 19(18).
130 JJ Act 2015, s 104(1).



2.7.1. पहला कदम: यह निर्धारित करना कि प्रस्तुत किया गया व्यक्ति "बालक" है या नहीं

सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया व्यक्ति वास्तव में 18 वर्ष से कम आयु का है। इसके लिए सीडब्ल्यूसी को निम्नलिखित करना चाहिए:

- जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 और जेजे मॉडल नियम, 2016 के नियम 19(2) के अनुसार, जांच लंबित रहने तक बच्चे की आयु का निर्धारण प्रथम दृष्टया देखकर (प्राइमा फेसी) करें।
- यदि व्यक्ति को देखकर यह लगता है कि वह अवयस्क है, तो उस अनुरूप ही जांच आगे बढ़ाई जाए।
- यदि प्रस्तुत किया गया व्यक्ति किशोरावस्था की अंतिम अवस्था में है और उसकी आयु को लेकर संदेह है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) के अंतर्गत आयु निर्धारण हेतु जांच की जाए। इसके लिए - स्कूल से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से प्राप्त मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र विचार में लिया जाए।[131] यदि ये प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, तो नगर निगम, नगरपालिका अथवा पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार किया जाए।[132] यदि ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो सीडब्ल्यूसी को अस्थि जांच या नवीनतम चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण का आदेश देना होगा।[133]

131 JJ Act 2015, s 94(2)(i).
132 JJ Act 2015, s 94(2)(ii).
133 JJ Act 2015, s 94(2)(iii).

न्यायिक दृष्टांत

सीडब्ल्यूसी द्वारा आयु निर्धारण जांच करने और वयस्क को रिहा करने की बाध्यता

दीपिका बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य[134] में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बालिका के वयस्क हो जाने के बाद भी उसे एक वर्ष तक सरकारी बाल गृह में अवैध रूप से रखने के लिए सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष और सदस्य, प्रत्येक को ₹50,000 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूसी की अक्षमता और संभावित दुर्भाविनापूर्ण मंशा की तीव्र आलोचना की क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने समय पर उचित कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने यह भी कहा कि सीडब्ल्यूसी की कार्रवाई जेजे अधिनियम, 2015 का उल्लंघन थी।

> **"रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद, हमारा मत है कि बालिका की आयु संबंधी जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाने में हुई देरी सद्भावनापूर्ण नहीं थी, बल्कि यह दुर्भाविनापूर्ण मंशा से की गई थी और जानबूझकर एक से अधिक अवसरों पर टाल दी गई थी।** हमारे पास ऐसा मानने के एक से अधिक कारण हैं। बालिका के पिता ने एफआईआर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मिस 'डी' की आयु 19 वर्ष थी। बालिका ने सीडब्ल्यूसी के समक्ष पहले ही दिन स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं जाना चाहती और उसके माता-पिता द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है। आयु संबंधी जांच को शीघ्रता से निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए मूल स्कूल रिकॉर्ड को तुरंत तलब करने के बजाय, सीडब्ल्यूसी ने जानबूझकर कार्यवाही में बालिका के माता-पिता को बुलाना जारी रखा, जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया था कि वे बालिका को अपने साथ ले जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। अप्रैल 2019 में बालिका की आयु से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए थे और उसके बाद कार्यवाही को टालने का कोई कारण नहीं था। बालिका को कई बार बालिका गृह, जोधपुर से सीडब्ल्यूसी के समक्ष लाया गया और उसने बार-बार आग्रह किया कि उसे बालिका गृह से मुक्त किया जाए। फिर भी उसके आग्रहों को नज़रअंदाज़ किया गया। अंततः सीडब्ल्यूसी, पाली ने आयु जांच केवल तब पूरी की जब इस न्यायालय ने दिनांक 08.08.2019 को कड़ा निर्देश जारी किया। इसलिए हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ... पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, पाली द्वारा **आयु जांच को संपन्न करने की प्रक्रिया दुर्भाविनापूर्ण थी और इसमें गलत मंशा निहित थी, जिसके कारण मिस 'डी' को लगभग 11 महीने तक बालिका गृह में अवैध रूप से निरुद्ध रहना पड़ा। सीडब्ल्यूसी की यह कार्रवाई पूरी तरह से जेजे अधिनियम के उद्देश्य और प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए सीडब्ल्यूसी, पाली के पूर्व अध्यक्ष का आचरण निंदनीय है।...** "

134 D.B. Habeas Corpus Petition No. 164/2019 decided by the Rajasthan High Court on 7.04.2020.

चरण
02



क्या बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है?

क्या प्रस्तुत किया गया बच्चा जेजे ऐक्ट, 2015 की धारा 2(14) के तहत "देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता" की श्रेणी में आता है?

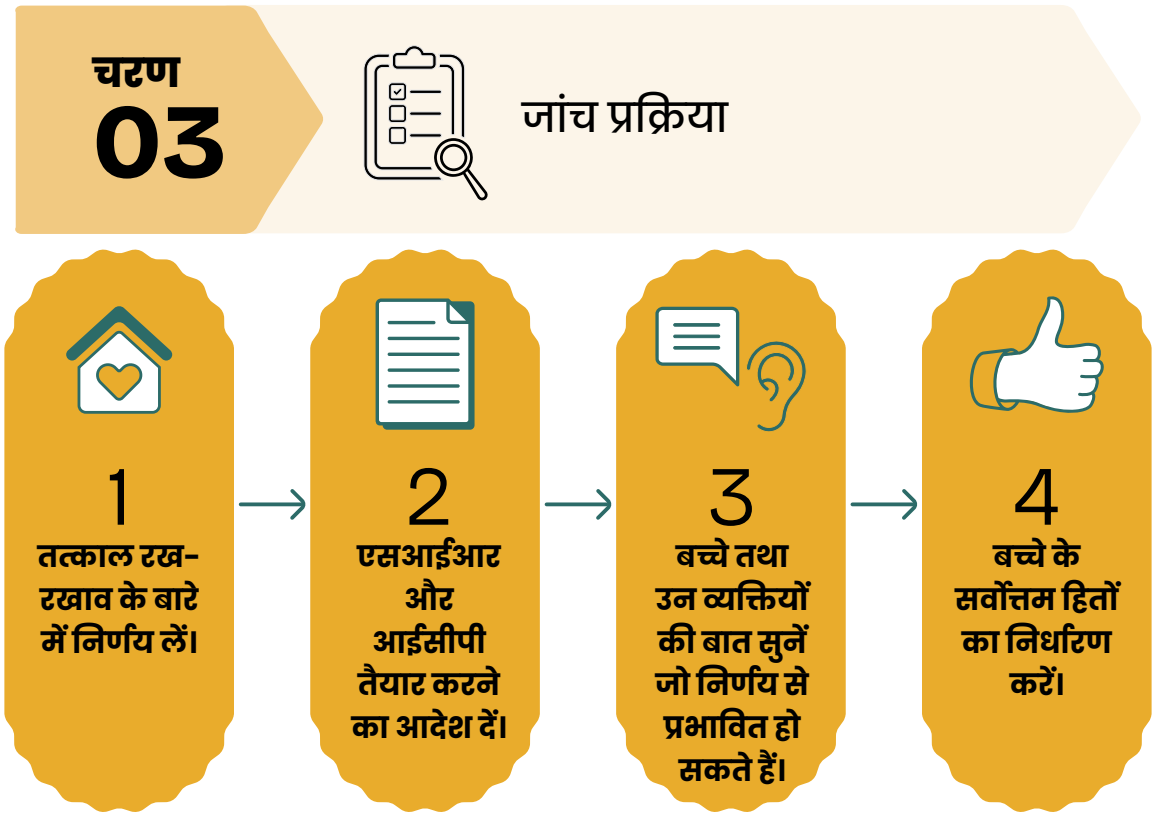
यदि हां, जांच के साथ आगे बढ़े

नहीं, तो मामले का निस्तारण करें

2.7.2. दूसरा कदम: यह निर्धारित करना कि प्रस्तुत किया गया बच्चा "सीएनसीपी" है या नहीं?

सीडब्ल्यूसी का अधिकार-क्षेत्र केवल उन बच्चों तक सीमित है जो सीएनसीपी की परिभाषा में आते हैं, जैसा कि धारा 2(14), जेजे अधिनियम, 2015) में परिभाषित किया गया है। **कोई बच्चा यदि सीएनसीपी की परिभाषा में नहीं आता, या उसे राज्य की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे बच्चे को अनावश्यक रूप से जेजे अधिनियम के तहत कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए और ना ही उसे किसी सीसीआई में निरुद्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उसे उसकी स्वतंत्रता से अवैध रूप से वंचित करने के समान होगा।** इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सीडब्ल्यूसी को निम्नलिखित करना आवश्यक है:

1. सीडब्ल्यूसी के समक्ष **प्रस्तुत किए जाने वाली परिस्थितियों की जांच** करें (नियम 19(1), जेजे मॉडल नियम; प्रपत्र 17)।
2. यह आकलन करें कि **बच्चा धारा 2(14), जेजे अधिनियम, 2015 में वर्णित किसी भी श्रेणी में आता है या नहीं।**
3. यह आकलन करें कि **क्या पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पीड़ित बच्चा, पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(4) में वर्णित किसी श्रेणी में आता है** – यानी:
   i. क्या बच्चे के साथ उस व्यक्ति द्वारा यौन अपराध किया जा रहा है, या करने का प्रयास हो रहा है, या करने की आशंका है, जो उसके साथ उसी घर या साझे घर में रह रहा है; या
   ii. बच्चे किसी सीसीआई में रह रहा है और उसे अभिभावकीय सहयोग प्राप्त नहीं है; या
   iii. बच्चे के पास न तो कोई घर है और न ही अभिभावकीय सहयोग प्राप्त है।
4. यह तय करने के लिए कि बच्चा सीएनसीपी है या नहीं, एक स्पष्ट और कारण युक्त लिखित आदेश जारी करें, जिसमें धारा 2(14), जेजे अधिनियम, 2015 के प्रासंगिक उपबंधों और कानून के उद्देश्यों का उल्लेख हो।



2.7.3. तीसरा कदम: जांच की प्रक्रिया

(क) तत्काल रख-रखाव हेतु निर्णय

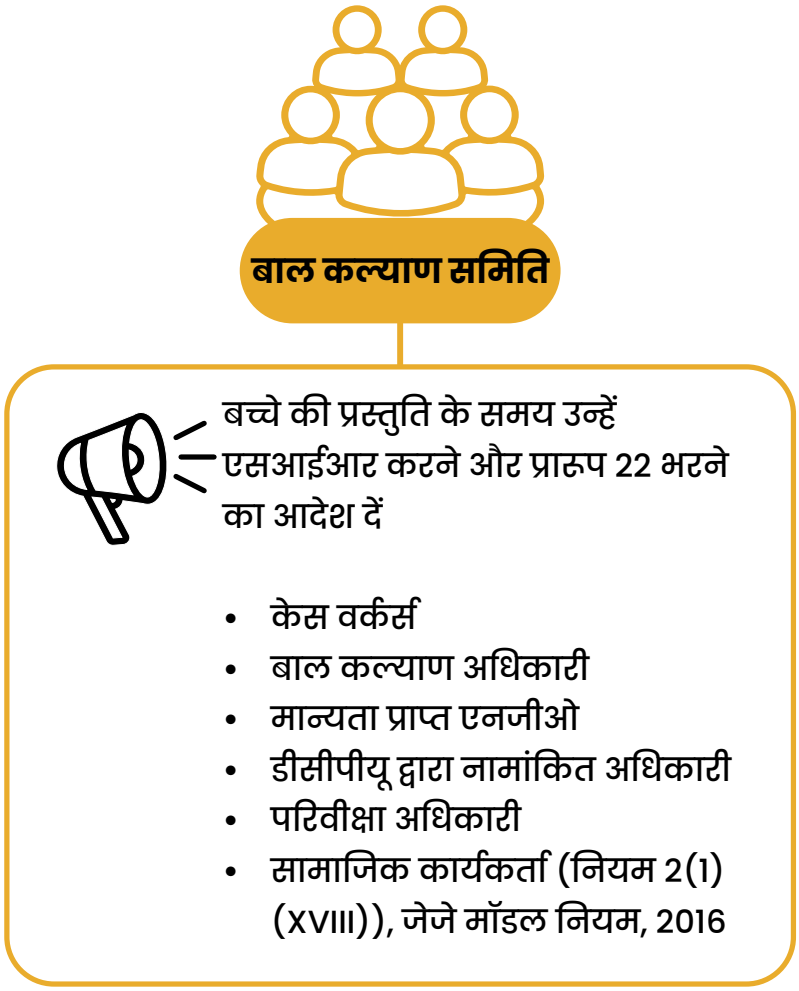
जब कोई व्यक्ति सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और प्राथमिक दृष्टि (प्राइमा फेसी) में यह प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति एक बच्चा है और सीएनसीपी है, तो सीडब्ल्यूसी को बच्चे के रख-रखाव के संबंध में तत्काल निर्णय लेना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, रेलवे चाइल्ड लाइन को एक बच्चा रेलवे स्टेशन पर भ्रमित और खोया हुआ मिला और उसने बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया। वह बच्चा किसी अन्य राज्य से हो सकता है और संभवतः पानी पीने के लिए उतरा हो और उसकी ट्रेन छूट गई हो।

कुछ बच्चे बाल श्रम या शोषणकारी परिस्थितियों से बचाए गए हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे या बच्चों को बाल गृह, किसी उपयुक्त सुविधा या योग्य व्यक्ति की देखरेख में तब तक रखा जाएगा[135] जब तक कि उसके परिवार का पता न चल जाए या एसआईआर. के माध्यम से उसकी/उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और यात्रा की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त न हो जाए। यदि बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का है, और वह अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित प्रतीत होता है, तो सीडब्ल्यूसी को उसे किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा) में रखना होगा।[136]

यह निर्णय निम्नलिखित आधारों पर लिया जा सकता है:

- सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे से की गई बातचीत।
- उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसने बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया है,[137] जैसे: चाइल्ड लाइन, रेलवे चाइल्ड लाइन, पुलिस/

135 JJ Act 2015, s 36(1).
136 JJ Act 2015, s 36(1) proviso.
137 JJ Act 2015, s 36(1).



(ख) एसआईआर का आदेश देना और आईसीपी तैयार करना

- सीडब्ल्यूसी को केस वर्कर;[138] बाल कल्याण अधिकारी;[139] सामाजिक कार्यकर्ता (जैसा कि नियम 2(1)(xviii), जेजे मॉडल नियम, 2016 में परिभाषित है);[140] मान्यता प्राप्त एनजीओ;[141] डीसीपीयू या डीसीपीयू द्वारा नामित अधिकारी;[142] और परिवीक्षा अधिकारी[143] को एसआईआर तैयार करने का निर्देश देना चाहिए।
- एसआईआर बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के 15 दिनों के भीतर तैयार की जानी चाहिए ताकि सीडब्ल्यूसी 4 महीने के भीतर अंतिम आदेश पारित कर सके।[144]
- **सीडब्ल्यूसी को अंतिम आदेश पारित करने से पहले एसआईआर पर विचार करना अनिवार्य है।**[145]

138 JJ Model Rules 2016, rules 62(4), 19(3), 19(8) & 19(17).
139 JJ Model Rules 2016, rule 19(17).
140 JJ Act 2015 2015, s 36(1) and JJ Model Rules 2016, rules 2(1) (xviii), 19(3) & 19(8).
141 JJ Act 2015, s 30(iii) and JJ Model Rules 2016, rules 19(3),19(8) & 19(17).
142 JJ Act 2015, s 30(iii) and JJ Model Rules 2016, rule 19(3).
143 JJ Act 2015, s 30(iii).
144 JJ Act 2015, s 36(2).
145 JJ Act 2015, s 37(1). 146 JJ Model Rules 2016, rule 19(8).

- सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआईआर में, जो प्रारूप 22 में तैयार किया गया है, पूरी जानकारी और सहायक दस्तावेज़ सम्मिलित हों, विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर:
  - बच्चे की पहले की ज़िंदगी के बारे में जानकारी, जिसमें उसकी शिक्षा, सामाजिक और भावनात्मक कारक, परिवार की स्थिति, आर्थिक जानकारी और बच्चे के साथ हुए किसी भी प्रकार के पूर्व शोषण या अपराध की घटनाएं शामिल हों।
  - बच्चे के विचार और सिफारिशें, यदि बच्चा अपने विचार बनाने के लिए पर्याप्त परिपक्वता रखता है।
  - बच्चे के माता-पिता या वैधानिक अभिभावक, विस्तारित परिवार, शिक्षक और विशेषज्ञों के विचार।
  - बच्चे और उसके परिवार की स्थिति का मूल्यांकन।
  - **इस विषय पर राय कि क्या बच्चे को उसके परिवार में वापस भेजना उसके सर्वोत्तम हित में होगा या नहीं,**[146] साथ ही मनोवैज्ञानिक सहयोग, पुनर्वास और सुझाए गए हस्तक्षेप के संबंध में सिफारिशें - जिनमें संस्थागत देखभाल अथवा गैर-संस्थागत देखभाल, जैसे कि पालक देखभाल, प्रायोजन, किसी योग्य व्यक्ति की अभिरक्षा में देना, या निगरानी आदेशों के अंतर्गत किसी रिश्तेदार के पास रखना - शामिल हो सकते हैं।

हालांकि प्रारूप 22, जेजे मॉडल नियम, 2016 में ऐसा कोई विशिष्ट शीर्षक या प्रश्न नहीं है जो एसआईआर तैयार करने वाले व्यक्ति को यह निर्देश दे कि वह बच्चे की स्थिति, पुनर्वास या रख-रखाव संबंधी योजना के बारे में उसकी राय को जानकर दर्ज करे, फिर भी यह आवश्यक है कि बच्चे की राय ली जाए और उसे एसआईआर में परिलक्षित किया जाए।

- यह धारा 3(iii), जेजे अधिनियम, 2015 में वर्णित "भागीदारी के सिद्धांत" को लागू करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। उदाहरण के लिए, बच्चे की राय और सुझाव कि उसके जीवन में और क्या बेहतर किया जा सकता है और कैसे, निम्नलिखित अनुभागों में दर्ज किए जा सकते हैं:
  - **जांच के अवलोकन** – (एसआईआर के अंतिम भाग में)
    - » भावनात्मक कारक – (अनुभाग 30)
    - » सामाजिक और आर्थिक कारक – (अनुभाग 32)
    - » समस्या के संभावित कारण – (अनुभाग 33)
    - » देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता के कारण – (अनुभाग 35)
    - » बाल कल्याण अधिकारी / केस वर्कर / सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिशें – जिसमें मनोवैज्ञानिक सहयोग, पुनर्वास और समाज में पुनःमिलाने की प्रक्रिया के बारे में सुझाव और ठोस योजना सम्मिलित हो – (अनुभाग 40)

146 JJ Model Rules 2016, rule 19(8).

- बच्चे की राय लेना आवश्यक है, यह दर्शाने वाले कुछ शीर्षकों की उदाहरणात्मक सूची इस प्रकार है:
  - » बच्चे का अपने दोस्तों के प्रति व्यवहार – (अनुभाग 20)
  - » परिवार को छोड़ने के कारण – (अनुभाग 26 ग(ii))
  - » बच्चे द्वारा झेले गए शोषण और दुर्व्यवहार के प्रकार – (अनुभाग 27)
  - » क्या बच्चे का उपयोग वयस्कों, गिरोहों द्वारा भीख मंगवाने आदि के लिए किया गया है, या उसे किसी भी उद्देश्य से खरीदा, बेचा या प्राप्त किया गया, या उसका दुरव्यापर हुआ है – चाहे वह उसके माता-पिता द्वारा ही क्यों न किया गया हो (अनुभाग 26छ, 26ज, 26झ, 26ञ)

- कोई अन्य टिप्पणी। अवलोकन 2022 में जेजे मॉडल नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि **आईसीपी उन सभी बच्चों के लिए तैयार किया जाना आवश्यक है जो संस्थागत देखभाल में या गैर-संस्थागत देखभाल में रखे गए हैं, सिवाय उन बच्चों के जिन्हें दत्तक ग्रहण के लिए दिया गया हो।**[147]
- यदि कोई बच्चा गैर-संस्थागत देखभाल में है, तो सीडब्ल्यूसी को डीसीपीयू को निर्देश देना होगा कि वह नए प्रारूप 7 का उपयोग करके आईसीपी तैयार करे।[148] और यदि बच्चा संस्थागत देखभाल में है, तो संबंधित सीसीआई के प्रबंधन को आईसीपी तैयार करना होगा, जिसमें पुनर्वास योजना (रिहैबिलिटेशन प्लान) सम्मिलित हो।[149] आईसीपी को बच्चे की केस हिस्ट्री, परिस्थितियों और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए।
- **सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना से संबंधित दिए गए सभी निर्देश आईसीपी के आधार पर होने चाहिए।**[150]

(ग) बच्चे के सुने जाने के अधिकार को सुनिश्चित करना और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना

यूएनसीआरसी के अनुच्छेद 12, और जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 3(iii), इस बात पर ज़ोर देते हैं कि बच्चों को उन प्रक्रियाओं और निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है जो उन पर प्रभाव डालते हैं, और यह कि उनकी राय को उनकी आयु और परिपक्वता के अनुसार उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, सीडब्ल्यूसी को निम्नलिखित करना चाहिए:

- यदि बच्चा किसी विषय पर राय बनाने के लिए पर्याप्त परिपक्वता रखता है, तो धारा 37(1) के अंतर्गत जांच के बाद आदेश पारित करते समय उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखें।
- पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बाल यौन शोषण के मामलों में यह निर्णय लेते समय कि बच्चे को परिवार या साझा आवास की अभिरक्षा से हटाया जाए या नहीं, बालक/बालिका की राय या प्राथमिकता को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसा कि पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(6) में वर्णित है।
- जिन व्यक्तियों पर सीडब्ल्यूसी के निर्णय का प्रभाव पड़ सकता है, उन्हें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत सुनवाई का अवसर दें – जैसा कि धारा 3(xvi), जेजे अधिनियम, 2015 में उल्लेख है।[151] उदाहरण के लिए, जब यह निर्णय लिया जा रहा हो कि किसी बच्चे को परिवार से अलग कर बाल गृह में या किसी योग्य व्यक्ति की देखभाल में रखा जाए, तो सीडब्ल्यूसी को बच्चे के माता-पिता को सुनवाई का अवसर देना होगा। यदि मामला इन्सेस्ट का हो, यानि सगोत्र या पारिवारिक व्यभिचार, जैसे भाई-बहन या पिता-पुत्री के बीच यौन क्रिया, तो गैर-आरोपित अभिभावक को सुनवाई का अधिकार है।

147 JJ Model Rules 2016, rule 19(4A).
148 Please refer to the 2022 amendment of the JJ Model Rules 2016.
149 JJ Model Rules 2016, rule 19(4) and (4A).
150 JJ Act 2015, s 30(vi).
151 JJ Model Rules 2016, rule 19(5).

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत (प्रिंसिपल ऑफ़ नेचुरल जस्टिस)[152]

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत न तो विधिवत संहिताबद्ध हैं और न ही ये हर परिस्थिति में एक समान लागू होते हैं। ये सिद्धांत लचीले एवं परिवर्तनशील होते हैं। किसी भी मामले में यह निर्धारित करने के लिए कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि : क्या संबंधित प्राधिकरणों ने निष्पक्ष रूप से कार्य किया है? ***उड़ीसा राज्य बनाम डॉ. (मिस) बीनापानी डे***[153] के मामले में यह निर्णय दिया गया कि यदि किसी प्रशासनिक आदेश या निर्णय से भी नागरिक दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे में यह निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ही लिया जाना चाहिए।

नैसर्गिक न्याय के दो प्रमुख अंग हैं:

(i) **निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार,** जिसे ऑडी अल्टेरम पार्टम नियम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस सिद्धांत के तीन मुख्य आवश्यक तत्व हैं: पहला, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया जाना हो, या जिसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, उसे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा, संबंधित प्राधिकरण को एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध करानी चाहिए। तीसरा, संबंधित प्राधिकरण को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए और एक वक्तव्यमूलक आदेश के माध्यम से मामले का निपटारा करना चाहिए। स्पष्ट आदेश निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, जिससे प्रभावित व्यक्ति को यह समझ में आता है कि उसका आवेदन क्यों अस्वीकार किया गया। यहां कारणों को दर्ज करना इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यदि आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, तो यह उच्च न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण को उस निर्णय के पीछे के तर्क को समझने में सहायता करता है।

(ii) **पक्षपात के विरुद्ध नियम,** या, नेमो जुडेक्स इन कौज़ा सुआ, अर्थात् कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। पूर्वाग्रह कई रूपों में हो सकता है, जिनमें शामिल हैं व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, अर्थात् निर्णय लेने वाले प्राधिकरण और संबंधित पक्ष के बीच किसी व्यक्तिगत संबंध से उत्पन्न होने वाला पक्षपात, आर्थिक पूर्वाग्रह, अर्थात् किसी वित्तीय हित की संलग्नता, आदि।[154]

152 Edited excerpts from MP Jain & SN Jain, *Principles of Administrative Law* (7th edn, Lexis Nexis 2013).
153 1967 AIR 1269.
154 National Institute of Open Schooling (NIOS), 'Module on Principles of Natural Justice', <https://nios.ac.in/media/documents/SrSec338New/338_Introduction_To_Law_Eng/338_Introduction_To_Law_Eng_L6.pdf> accessed 27 January 2025.

न्यायिक दृष्टांत

सुनवाई के अधिकार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना सीडब्ल्यूसी का दायित्व

X बनाम केरल राज्य[155] मामले में याचिकाकर्ता ने, जो कि एक युवा स्तनपान कराने वाली मां थी, सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसकी बेटी की अभिरक्षा उसके पति को दे दी गई थी। याचिकाकर्ता ने पति के हाथों मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद अपने बच्चे के साथ ससुराल छोड़ दिया था और अपनी मां के साथ रहने लगी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता एक पुरुष के साथ चली गई, जिसके पश्चात उसके पति ने केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 57[156] के तहत एफआईआर दर्ज करवाई।

जांच के दौरान, याचिकाकर्ता को एक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और यह देखते हुए कि उसकी आयु 23 वर्ष है और वह अपनी इच्छा से उस पुरुष के साथ रह रही है, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया गया। मजिस्ट्रेट ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस बच्चे को आगे के आदेशों के लिए सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि ऐसा माना गया कि बच्चा सीनसीपी हो सकता है।

सीडब्ल्यूसी ने बच्चे की अभिरक्षा याचिकाकर्ता के पति को सौंप दी। याचिका स्वीकार किए जाने के समय, याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क दिया कि बच्चा अभी भी स्तनपान कर रहा है, और सीडब्ल्यूसी के आदेश ने बच्चे को मां के दूध से वंचित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि बच्चे की अभिरक्षा ↘

155 WP(C) No. 35211 of 2024, decided by the Kerala High Court on 25.10.2024.

156 Section 57, Kerala Police Act states as follows:
"Police to attempt to locate missing persons.–
(1)Whenever a Station House Officer receives any information from which he reasonably suspects that any person is missing and there are circumstances to believe that,- (a) such person is in danger or not under the protection of lawful guardianship; or (b) such person may be subjected to some dangerous offence; or (c) such person is absconding himself to prevent someone from implementing a lawful right declared by any court, such officer shall register the information in a manner similar to the procedure prescribed for a cognizable offence and take immediate action to locate the missing person.
(2) During such enquiries such officer or any officer deputed by him may examine and record the statement of any witness and search any place.
(3) All persons shall answer truthfully to any question by a Police Officer enquiring this matter and a copy of such statement recorded by that officer shall be given to the witness and after getting such copy, the witness shall sign and acknowledge that such copy has been received.
(4) All searches under this section shall be done in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974).
(5) The missing person if found on enquiry shall forthwith be handed over to the responsible guardian or produced before the Magistrate having jurisdiction.
(6) Where the person so produced is a woman or a child the Magistrate shall take such steps as are needed to safeguard the privacy and interest of that person."

प्रतिदिन आधे घंटे के लिए याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन में दी जाए, एक महिला पुलिस कांस्टेबल की उपस्थिति में और स्तनपान के लिए गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए।

इस आदेश के जवाब में, याचिकाकर्ता के पति ने एक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया, जिसके साथ सीडब्ल्यूसी का आदेश संलग्न था। आदेश में सीडब्ल्यूसी ने इस बात पर चिंता जताई कि याचिकाकर्ता ने उस व्यक्ति के साथ भाग जाने का निर्णय लिया था जो बच्चे का सौतेला नाना था, और उसने अपने पति के पास लौटने से इनकार किया था। सीडब्ल्यूसी को बच्चे की सुरक्षा को लेकर आशंका थी और उसने बच्चे की ज़िम्मेदारी पिता को सौंप दी।

केरल उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि जेजे अधिनियम की धारा 2(14)(v) लागू होने के लिए आवश्यक है कि माता-पिता या अभिभावक को अयोग्य या अक्षम पाया जाए। न्यायालय ने ***शैजू एस बनाम बाल कल्याण समिति, कोल्लम व अन्य***[157] के मामले का हवाला दिया और स्पष्ट किया कि सीडब्ल्यूसी की भूमिका तभी बनती है जब दोनों माता-पिता बच्चे की देखभाल या सुरक्षा करने की स्थिति में न हों। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सीडब्ल्यूसी की एकमात्र चिंता बच्चे का सर्वोत्तम हित होनी चाहिए, और याचिकाकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने का निर्णय सीडब्ल्यूसी की चिंता का विषय नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सीडब्ल्यूसी सदस्यों के व्यक्तिगत नैतिक मूल्य निर्णय में पक्षपात लाते हैं और निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "सदस्यों के नैतिक मानदंडों के आधार पर यदि याचिकाकर्ता एक अच्छी व्यक्ति नहीं मानी जाती, तो भी इसका अर्थ यह नहीं है कि वह एक बुरी मां है। **व्यक्तिगत नैतिक मूल्य हमेशा पक्षपातपूर्ण निर्णयों का कारण बनते हैं। दुर्भाग्यवश, यह आदेश समिति के सदस्यों के नैतिक पक्षपात के अलावा कुछ नहीं दर्शाता।"**

मां के बच्चे को स्तनपान कराने के अधिकार और बच्चे के स्तनपान करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा मानते हुए उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की:

> "14. आश्चर्यजनक रूप से, यह तथ्य कि बच्चा स्तनपान कर रहा था, समिति द्वारा उस समय ध्यान में नहीं लिया गया जब उसने जल्दबाज़ी में बच्चे की अभिरक्षा तीसरे प्रतिवादी को सौंप दी। याचिकाकर्ता के वकील की यह दलील सही है कि एक वर्ष और चार महीने की बच्ची को उसकी मां से अलग करना मां के स्तनपान कराने के अधिकार और बच्चे के स्तनपान पाने के अधिकार का उल्लंघन है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है। हमारा संविधान राज्य को पोषण स्तर बढ़ाने का

157 2021 6 KHC 573.

दायित्व भी सौंपता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्तनपान को समर्थन देता है।"

उपरोक्त विचारों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सीडब्ल्यूसी का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और याचिकाकर्ता तथा उसके बच्चे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसलिए उसे रद्द किया जाता है। न्यायालय ने बच्चे की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को दे दी।

शीजा नवस बनाम बाल कल्याण समिति व अन्य[158] मामले में, याचिकाकर्ता ने सीडब्ल्यूसी द्वारा उसकी 15 वर्षीय बेटी को शेल्टर होम में रखने के आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ता की बेटी का यौन उत्पीड़न एक इमाम द्वारा किया गया था, जो उनके परिवार का मित्र था और अक्सर उनके घर आता था।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया जाए, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उचित प्रक्रिया और सिद्धांतों का पालन नहीं किया। धारा 3, जेजे अधिनियम, 2015 में वर्णित सिद्धांतों को धारा 40 के तहत अभिरक्षा आवेदन पर निर्णय लेते समय नहीं अपनाया गया। साथ ही, धारा 36 के तहत कोई जांच नहीं की गई और बच्चे की अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा पर विचार नहीं किया गया।
न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

"28. **यह कहा गया कि आरोपी की पीड़िता तक पहुंचने की आशंका है। लेकिन यह कोई आधार नहीं है कि नाबालिग को बाल गृह में रखा जाए। यह स्पष्ट हो गया है कि पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध शेल्टर होम में रखा गया है। समिति को बच्चे की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए थी।**

29. विवादित आदेश से यह नहीं प्रतीत होता कि समिति द्वारा इस मामले में पीड़ित बालिका की राय और इच्छा पर विचार किया गया। वर्तमान में, उसकी इच्छा याचिकाकर्ता के साथ जाने की है और हमने इस मामले पर अधिनियम की धारा 3 में वर्णित मौलिक सिद्धांतों के आधार पर विस्तार से विचार किया है। इसके अलावा, पीड़िता अपनी मां और अन्य परिवारजनों के साथ रह रही थी, इससे पहले कि उसे बाल गृह भेजा गया। अतः पीड़िता वर्तमान में मानसिक तनाव से गुज़र रही है क्योंकि उसे अचानक अपने पारिवारिक परिवेश से अलग किया गया है।"

158 RPJJ No. 3 of 2019 decided by the Kerala High Court on 08.03.2019.

- **जब बच्चे से जुड़े लोगों की राय पर विचार किया जाए तो उन व्यक्तियों की राय को अधिक महत्व देना चाहिए जो बच्चे के अधिक निकट हों और जिनका बच्चे के साथ अधिक गहरा और अर्थपूर्ण संबंध हो।**[159] **सीडब्ल्यूसी को हितों के टकराव की संभावनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि जब यह संकेत मिलते हैं कि कोई रिश्ता शोषणकारी, नियंत्रणकारी या हिंसात्मक हो सकता है।**
- निष्पक्षता और पक्षपात रहित कार्य करें, विशेष रूप से जब किसी बच्चे के रख-रखाव हेतु निर्णय, किसी सीसीआई के निरीक्षण, या सीसीआई में बच्चे के शोषण के किसी मामले में हितों का टकराव हो, और सीडब्ल्यूसी का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस सीसीआई से जुड़ा हो। ऐसे मामलों में वह सदस्य उस सीसीआई से संबंधित किसी भी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
- सीडब्ल्यूसी को चाहिए कि वह बच्चे से **जानकारी** एकत्र करे और उसकी राय जाने, और यदि सीडब्ल्यूसी का आदेश बच्चे की राय से भिन्न हो, तो बच्चे के सर्वोत्तम हित में ऐसा क्यों किया गया — यह **बात बच्चे को समझाने में उसकी सहायता करे।**
- **सीडब्ल्यूसी को बच्चों को उनकी समझ में आने वाली भाषा में यह जानकारी देनी चाहिए:**
  - पूरी प्रक्रिया के बारे में,
  - सीडब्ल्यूसी की भूमिका और कार्यों के बारे में,
  - बच्चे को प्राप्त बाल संरक्षण सेवाओं के बारे में, और
  - संभावित निर्णयों और उनके परिणामों के बारे में।

न्यायिक दृष्टांत

सीडब्ल्यूसी का यह दायित्व है कि वह अपनी कार्यवाही को संवेदनशील ढंग से और उस भाषा में संचालित करे जो बच्चे को समझ में आती हो

अजय बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)[160] मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूसी द्वारा मामले को अनुचित ढंग से संभालने की बात कही। निर्णय में मामले के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायालय ने केवल यह उल्लेख किया कि यह मामला आवेदक और एक नाबालिग लड़की के बीच सहमति से बने संबंध से जुड़ा है, और उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि सीडब्ल्यूसी ने कार्यवाही अंग्रेज़ी भाषा में संचालित की, जबकि पीड़िता अशिक्षित थी और केवल उर्दू भाषा समझती थी। सीडब्ल्यूसी यह सुनिश्चित करने में विफल रही कि पूरी कार्यवाही — जिसमें बच्चे का अभ्यर्पण और दत्तक ग्रहण शामिल था — पीड़िता और उसके अभिभावक को उनकी अपनी भाषा में समझाई जाए। उच्च न्यायालय ने यह ज़ोर देते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और कार्यवाही को सिर्फ "औपचारिक या व्यवसायिक शैली" में नहीं चलाना चाहिए था।

159 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines (n 4).
160 Bail Appln. 3194/2023 decided by the Delhi High Court on 6.11.2023.

घ) सर्वोत्तम हित निर्धारण

सीडब्ल्यूसी को यह समझना आवश्यक है कि सर्वोत्तम हित सिद्धांत से तीन मूलभूत तत्व निकलते हैं – 1) बच्चे का सर्वोत्तम हित 2) एक प्राथमिक विचार और 3) बच्चा स्वयं। तीसरे तत्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सीडब्ल्यूसी को बच्चे की परिस्थितियों के मूल्यांकन के साथ-साथ उसकी व्यक्तिगत ज़रूरतों, विशेषताओं और गुणों को ध्यान में रखते हुए एक **बाल केन्द्रित और बाल विशिष्ट दृष्टिकोण** अपनाना होगा। हालांकि एसआईआर कुछ जानकारी प्रदान करता है, **सीडब्ल्यूसी को सामान्यीकरण से बचना चाहिए,** विशेष रूप से उन मामलों में जहां वे सगे भाई-बहनों या एक ही प्रकार की संकटपूर्ण स्थिति से बचाए गए बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही हो।

नीचे दिए गए आरेख में प्रस्तुत सैद्धांतिक मॉडल बाल-केंद्रित दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जिससे यह दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिल सकती है।[161]

इस मॉडल के तीन स्तर हैं। पहला स्तर उन मूलभूत विशेषताओं को दर्शाता है **जो कि बच्चों को मानव वर्ग के रूप में परिभाषित करती हैं।** दूसरा स्तर उस विशेष श्रेणी/समूह की **विशेषताओं** को सम्मिलित करता है **जो किसी विशिष्ट समूह या पहचान से सम्बंधित है,** उदाहरण के लिए, विकलांग बच्चे, एचआईवी/एड्स (मानव प्रतिरक्षण अपूर्णता विषाणु, प्राप्त प्रतिरक्षण अपूर्णता सिंड्रोम) से ग्रसित या प्रभावित बच्चे, गर्भवती बालिका, दलित बच्चा, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित बच्चा आदि।

इन अतिरिक्त विशेषताओं वाले बच्चों में ऐसी सुभेद्यतायें पाई जाती हैं जो इस पहचान को साझा करने वाले अन्य बच्चों में भी सामान्य रूप से पाई जाती हैं, इसलिए इन मामलों में अंतर्संलग्नता (इंटरसेक्शनैलिटी) दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है।

मॉडेल ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड - एमआईसी



सीडब्ल्यूसी को बच्चे की परिस्थितियों के साथ-साथ बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों, विशेषताओं और गुणों का आकलन करते समय बाल-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

161 Jenny Krutzinna, 'Who is "The Child"? Best Interests and Individuality of Children in Discretionary Decision-Making' (2022) 30(1) The International Journal of Children's Rights 120-145.

सीडब्ल्यूसी को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चा किन श्रेणियों में आता है, या उसकी ऐसी कौन-सी पहचान है जो उसकी सुभेद्यता को बढ़ाती है या जिसके कारण उसे अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, सीडब्ल्यूसी को तीसरे स्तर का मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें उस **विशिष्ट बच्चे की व्यक्तिगत विशेषताएं** शामिल होती हैं – जैसे बच्चे की पसंद-नापसंद, रुचियां आदि – जिससे यह गहराई से समझने में सहायता मिलती है कि "यह बच्चा कौन है"। यह वैयक्तिकृत दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि एक ही मनो-सामाजिक-आर्थिक या अन्य पृष्ठभूमि से आने वाले, एक जैसी सुभेद्यता में रहने वाले बच्चों को एकरूपी या एक जैसे नज़रिए से न देखा जाए।

व्यक्तिगत बच्चे का मॉडल (मॉडेल ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड - एमआईसी) "सर्वोत्तम हित" से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया" में एक उपयोगी उपकरण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह "एक बच्चे" से ध्यान हटाकर उस "विशिष्ट बच्चे" पर केंद्रित करता है जो निर्णय के केंद्र में है।[162]

जब सीडब्ल्यूसी व्यक्तिगत बच्चे के मॉडल को अपनाती है, तो उसे सर्वोत्तम हित से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन चरणों को शामिल करना होगा:

1. बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करना, और बच्चे की राय और ज़रूरतों को समझना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, सीडब्ल्यूसी संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (यूएनसीआरसी) द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सात महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान में रख सकती है, जो किसी व्यक्तिगत बच्चे के सर्वोत्तम हित तय करने में सहायक होते हैं।[163] ये तत्व हैं:
   क) बच्चे की राय;
   ख) बच्चे की पहचान;
   ग) पारिवारिक वातावरण का संरक्षण और संबंध बनाए रखना;
   घ) बच्चे की देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा;
   ङ) सुभेद्यता की स्थिति;
   च) बच्चे का स्वास्थ्य का अधिकार; और
   छ) बच्चे का शिक्षा का अधिकार
2. इन सभी तत्वों का सावधानीपूर्वक तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और उन तत्वों को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करते हों कि बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ (समग्र) बचपन और गरिमा के साथ विकास प्राप्त हो सके – यह ध्यान में रखते हुए कि बच्चा अपने सभी अधिकारों का पूर्ण और प्रभावी रूप से आनंद ले सके, न केवल वर्तमान में बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी।

सीडब्ल्यूसी को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी सीएनसीपी में कोई भी कार्रवाई करते समय या निर्णय लेते समय, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 3 में निहित प्रासंगिक सिद्धांतों को भी लागू करना अनिवार्य है।

162 ibid 128.
163 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 52-79.

सर्वोत्तम हित निर्धारण के तत्व

शिक्षा का अधिकार



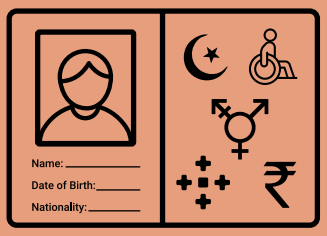
बच्चे के विचार



स्वास्थ्य का अधिकार



बच्चे की पहचान



देखभाल, संरक्षण एवं सुरक्षा





पारिवारिक परिवेश की रक्षा एवं संबंधों का संधारण

बच्चे की सुभेद्यता की स्थिति



चरण
04



तर्कसंगत आदेश लिखना

2.7.4. चौथा कदम: एक तर्कसंगत आदेश लिखें

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार, जब किसी बच्चे के संदर्भ में कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसे उचित ठहराया जाना और स्पष्ट रूप से समझाया जाना आवश्यक है।

जेजे मॉडल नियम, 2016 के अनुसार, आदेश लिखित रूप में होना चाहिए।[164] यह निर्णय बच्चे के सर्वोत्तम हित के निर्धारण पर आधारित होना चाहिए और यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिक विचार के रूप में कैसे लिया गया है।[165]

बाल कल्याण समितियों द्वारा लिए गए कई निर्णयों को अपील में सफलतापूर्वक चुनौती दी गई है, इस आधार पर कि उनके अंतिम आदेशों में किसी प्रकार का कारण या सिद्धांतों का कोई स्पष्ट उपयोग नहीं दिखता। उदाहरण के लिए, ***कृष्णकुमार बनाम केरल राज्य***[166] मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा:

> "जब कोई बच्चा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में पाया जाता है, तो उसे बाल गृह में भेजने से पहले समिति द्वारा सोच-विचार किया जाना चाहिए; समिति को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की जांच रिपोर्ट के साथ-साथ बच्चे की इच्छाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह बात धारा 37 को धारा 3 के आलोक में देखने पर स्पष्ट होती है। जब किसी लड़की की अभिरक्षा/पुनर्स्थापना के आवेदन पर विचार किया जा रहा हो और वह बाल गृह में रह रही हो (जो कि धारा 40 के अंतर्गत आता है), तब समिति को उस व्यक्ति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना चाहिए, जिसे अभिरक्षा दी जानी है, और यह मूल्यांकन धारा 3 में उल्लिखित मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए।"

श्रीमान् गण क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मसूद अहमद ख़ान,[167] मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अर्ध-न्यायिक (क्वाज़ी-जुडिशियल) प्राधिकारी जब ऐसा निर्णय लें जो किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो, तो उन्हें निर्णय के कारणों को दर्ज करना आवश्यक है। हालांकि यह निर्णय बाल कल्याण समितियों के संदर्भ में नहीं है, लेकिन इसमें बताए गए सिद्धांत उनके लिए प्रासंगिक हैं। न्यायालय ने कहा: "कारणों को दर्ज करने पर बल देने का उद्देश्य न्याय के व्यापक सिद्धांत की सेवा करना है – कि न्याय केवल किया ही न जाए, बल्कि होते हुए दिखे भी।" अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी को अपने निर्णय में दी गई परिणति का समर्थन करने हेतु कारण दर्ज करने चाहिए। ऐसा करना "न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक शक्तियों के किसी भी मनमाने प्रयोग पर एक वैध नियंत्रण का कार्य करता है।" सर्वोच्च न्यायालय ने कारणों को उल्लेखित करने पर ज़ोर देते हुए कहा कि "कारण यह आश्वस्त करते हैं कि निर्णय लेने

164 JJ Model Rules 2016, rule 19(5).
165 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 97.
166 [2018] 3 KHC 485.
167 [2010] 9 SCC 496.

वाले ने विवेक का प्रयोग प्रासंगिक आधारों पर किया है और बाहरी अथवा अप्रासंगिक विचारों को दरकिनार किया है।" यह उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को भी सहज बनाता है। अंततः, न्यायालय ने कहा: **"कारणों पर ज़ोर देना न्यायिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता – दोनों के लिए आवश्यक है... निर्णय के समर्थन में कारणों को तार्किक, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। कारणों का मात्र दिखावा या 'रबर-स्टैम्प कारण' को एक वैध निर्णय प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जा सकता।"**

चौथा कदम : एक तर्कसंगत-कारणयुक्त और स्पष्ट आदेश लिखना

सीडब्ल्यूसी के अंतिम आदेश में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होनी चाहिए:

1. जिन वास्तविक परिस्थितियों में बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया;
2. आयु निर्धारण के लिए उठाए गए कदम और बच्चे की आयु तय करने के लिए उपयोग किए गए दस्तावेज़;
3. जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) के तहत बच्चे को सीएनसीपी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार; एसआईआर और आईसीपी से प्राप्त प्रासंगिक जानकारी;
4. एसआईआर एवं आईसीपी में सम्मिलित प्रासंगिक जानकारियां, जिन पर विचार किया गया;
5. वे तत्व जो सर्वोत्तम हित निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण पाए गए, और इन विभिन्न तत्वों को किस प्रकार तौला गया ताकि बच्चे के सर्वोत्तम हित निर्धारित किए जा सकें;
6. बच्चे की राय और उसे किस प्रकार ध्यान में रखा गया, यह देखते हुए कि बच्चा किस आयु और परिपक्वता के स्तर पर है; और यदि निर्णय बच्चे की राय से भिन्न है, तो उसके कारण;
7. सर्वोत्तम हित के अतिरिक्त अन्य सिद्धांत और विचार जिन पर ध्यान दिया गया;
8. माता-पिता / अभिभावक / भाई-बहनों तथा केस वर्कर / सीसीआई कर्मचारी / स्वयंसेवी संस्था / बच्चे के साथ काम कर रहे अन्य व्यक्तियों के विचार;
9. पुनर्वास से संबंधित विभिन्न विकल्पों पर विचार और उनका बच्चे के सर्वोत्तम हित पर प्रभाव;
10. आईसीपी पर विचार – सीडब्ल्यूसी को बच्चे की देखभाल, संरक्षण, उपयुक्त पुनर्वास या पुनर्स्थापन सुनिश्चित करने हेतु आदेश देते समय आईसीपी पर विचार करना आवश्यक है।[168] आईसीपी का उद्देश्य सीडब्ल्यूसी के अंतिम आदेश का पूरक बनना है, जो बच्चे के साथ विचार-विमर्श कर एक समग्र और ठोस विकास योजना के रूप में तैयार किया जाता है;
11. अंतिम निर्णय तक पहुंचने का आधार; और
12. फॉलो-अप योजना - केस निपटान के एक महीने के भीतर फॉलो-अप सुनवाई की जानी चाहिए, और उसके बाद छह महीने तक प्रत्येक माह एक बार, फिर कम से कम एक वर्ष के लिए या जब तक सीडब्ल्यूसी उपयुक्त समझे, हर तीन महीने में एक बार सुनवाई की जानी चाहिए।[169]

उपरोक्त सभी पहलुओं का सामान्य रूप से उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए; बल्कि सभी प्रासंगिक विचारों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए, और यह भी बताया जाना चाहिए कि किसी विशेष विचार को अधिक महत्व क्यों दिया गया।[170]

168 JJ Act 2015, s 30(vi).
169 JJ Model Rules 2016, rule 19(18).
170 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 97.

2.8 सर्वोत्तम हित के तत्व



2.8.1. बच्चे की राय से क्या आशय है और इसे कैसे जाना जा सकता है?

कानूनी मानक	सार
धारा 3(III), जेजे अधिनियम, 2015	हर बच्चे को उन प्रक्रियाओं और निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है जो उसके हित को प्रभावित करते हैं, और उसकी राय को उसकी आयु और परिपक्वता के अनुसार उचित महत्व दिया जाना चाहिए।
नियम 4(6), पॉक्सो नियम, 2020	जब यह निर्णय लिया जा रहा हो कि किसी बच्चे को परिवार या साझी घरेलू संरचना से हटाकर किसी सीसीआई या आश्रय गृह में रखा जाए या नहीं, तो सीडब्ल्यूसी को उस बच्चे की राय या प्राथमिकता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, विशेषकर यदि उस पर लैंगिक शोषण हुआ हो या वह शोषण के जोखिम में हो और शोषण करने वाला व्यक्ति उसी घर में रह रहा हो।
धारा 4(2), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडी अधिनियम, 2016)	सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विकलांग बच्चों को उनकी आयु और विकलांगता को ध्यान में रखते हुए, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का समान अधिकार प्राप्त हो, और इसके लिए उन्हें उपयुक्त सहयोग प्रदान किया जाए। साथ ही, संबंधित सरकार को यह कदम उठाने होंगे कि विकलांग व्यक्तियों द्वारा दी जा रही गवाही, तर्क या राय को उनकी अपनी भाषा और संप्रेषण के माध्यम में दर्ज कराने हेतु सभी आवश्यक सुविधायें और उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।[171] साथ ही ऐसे विकलांग व्यक्ति जो कि परिवार से बाहर रहते हैं और जिन्हें अपने कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च स्तर के सहयोग की आवश्यकता है, उनके लिए उपयुक्त सहयोगात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।[172]
सीआरसी, सामान्य टिप्पणी 12 (2009): बच्चे के सुने जाने की अधिकारिता	विकलांग बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने में सहायता के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार के संचार माध्यम से सुसज्जित किया जाना चाहिए।[173]

171 RPD Act 2016, s 12(4)(c).
172 RPD Act 2016, s 12(2).
173 UN Committee on the Rights of the Child, 'General comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard' (20 July 2009) CRC/C/GC/12, para 21, <https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html> accessed 27 January 2025.

बच्चे की राय उन कई महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है जिन्हें बच्चों से संबंधित निर्णय लेते समय संतुलित करना आवश्यक होता है। कुछ स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि बच्चे की राय या इच्छा उसकी सुरक्षा या खुशहाली के विरुद्ध हो। ऐसे मामलों में परिस्थितियों के अनुरूप, सीडब्ल्यूसी को बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। अगर बच्चे की राय या इच्छा के विपरीत कोई निर्णय लिया जाता है, तो बच्चे को यह स्पष्ट रूप से समझाना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सीडब्ल्यूसी को अपने निर्णय का उचित और ठोस आधार प्रस्तुत करना होगा, यह दर्शाने के लिए कि बच्चे की सुरक्षा खतरे में है और उसकी राय के अनुरूप चलना उसके सर्वोत्तम हित में नहीं है।

न्यायिक दृष्टांत

बच्चे की राय की अवहेलना के कारण सीडब्ल्यूसी का निर्णय निरस्त किया गया

सेलवी मिचेल बनाम बाल कल्याण समिति[174] – एक मामला जिसमें सीडब्ल्यूसी ने न तो बच्चे से जुड़े व्यक्तियों की राय पर विचार किया और न ही बच्चे की राय पर।

इस मामले में, माता-पिता ने एक परित्यक्त बच्चे को गोद लिया था, लेकिन उन्होंने गोद लेने की कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं। कई साल बाद, जब बच्ची 5 साल की थी, तब उसके घर में रहने वाले किरायेदार ने उसका यौन शोषण किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, और यह देखते हुए कि "माता-पिता" ने बच्ची का कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण नहीं किया था, सीडब्ल्यूसी ने यह घोषित किया कि "मां" एक अयोग्य व्यक्ति है और निर्देश दिया कि बच्ची को किसी सीसीआई में भेजा जाए।

सीडब्ल्यूसी ने यह आदेश उस स्थिति में पारित किया जब बच्ची खुद अपनी "मां" के साथ रहना चाहती थी और "मां" भी बच्ची को वापस चाहती थी। **केरल उच्च न्यायालय ने यह कहा कि चूंकि बच्चे की राय पर विचार नहीं किया गया और जांच माता-पिता की अनुपस्थिति में की गई, इसलिए सीडब्ल्यूसी ने जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 3 का उल्लंघन किया है।**

बाल गृह में बच्ची को रखने का सीडब्ल्यूसी का आदेश निरस्त कर दिया गया और याचिकाकर्ता को "योग्य व्यक्ति " के रूप में बच्ची की अभिरक्षा दे दी गई।

174 RPJJ No. 2 of 2019, decided by the Kerala High Court on 28.03.2019.

बच्चों के सुने जाने के अधिकार को सर्वोत्तम हित निर्धारण की प्रक्रिया में लागू करने के लिए, सीडब्ल्यूसी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

1. **बच्चे की आयु, क्षमता और परिपक्वता का ध्यान रखें।**
   - **बड़े बच्चों की राय को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।**[175]
   - छोटे बच्चों के लिए, या जिन बच्चों को किसी विकलांगता या अन्य किसी कारणवश अपनी राय व्यक्त करने में कठिनाई हो, उनके साथ काम करने के अनुभव वाले काउंसलर या अन्य पेशेवरों की मदद लें।
   - **बच्चे की उम्र और क्षमताओं के अनुसार, उनके साथ संवाद करने, जानकारी इकट्ठा करने और उनकी राय जानने के लिए कला, खेल, संगीत, दृश्य, आदि माध्यम का प्रयोग करें।**
   - **विकलांग बच्चों के संवाद के तरीकों से परिचित विशेष शिक्षक, विशेषज्ञों या संबंधित लोगों की सहायता लें।**
   - **ऐसे बच्चों की मदद के लिए, जो अलग-अलग ज़िलों, राज्यों या देशों से आते हैं और बहुसंख्यक भाषा नहीं बोलते, अनुवादकों और दुभाषियों की सहायता लें**[176] **— इसके लिए डीसीपीयू से सहयोग लिया जा सकता है।**
   - श्रवण बाधित बच्चों के लिए पेन और कागज़ उपलब्ध रखें, और ज़िले में मौजूद या ऑनलाइन उपलब्ध सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की मदद लें। बच्चे के परिवार और घर से संबंधित जानकारी लेने के लिए, और उसकी भावनाओं व राय को समझने के लिए चित्र-आधारित प्रश्नावली का उपयोग किया जा सकता है।



2. **ऐसा सक्षम और समावेशी वातावरण बनाना, जिसमें बच्चा सम्मानित और सुरक्षित महसूस करे**[177] **और अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके।** "स्वतंत्र रूप से" का अर्थ है कि बच्चा बिना किसी दबाव के अपनी राय व्यक्त कर सके...



175 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 44.
176 General comment No. 12 (2009) (n 173) 7.
177 General comment No. 12 (2009) (n 174) para 23.

"स्वतंत्र रूप से" का यह भी अर्थ है कि बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव, प्रभाव या मनोवैज्ञानिक नियंत्रण नहीं होना चाहिये।। "स्वतंत्र रूप से" बोलने के अधिकार शब्द का गहरा संबंध बच्चे के "स्वतः" दृष्टिकोण से भी है – यानी बच्चे को अपनी खुद की राय व्यक्त करने का अधिकार है, न कि किसी और की राय को दोहराने का।[178]

- बच्चे की सुरक्षा और सहजता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाएं, खासकर तब जब बच्चा कोई संवेदनशील जानकारी साझा करे।
- संभावित प्रतिशोध या सज़ा को लेकर बच्चे के डर और चिंताओं को दूर करें।[179]
- **एक अलग कमरा या कोना चिन्हित करें जहां सीडब्ल्यूसी का कोई एक सदस्य बच्चे के साथ शांति और गोपनीयता से बातचीत कर सके, खासकर तब जब बच्चा परेशान या व्यथित हो।**
- सीडब्ल्यूसी की सुनवाई के दौरान केवल वही लोग उपस्थित रहें जिनकी उपस्थिति में बच्चा सहज महसूस करता हो।[180]
- सुनिश्चित करें कि बच्चे को इस तरह से बैठाया जाए जिससे उससे आमने-सामने संवाद सहज रूप में सीडब्ल्यूसी सदस्य से हो सके।
- **बच्चे के साथ संवाद करते समय ऊंचे मंच पर बैठने या कटघरे का उपयोग करने से बचें।**[181]
- बच्चे की बात **सीधे तौर पर सुनें,** और यदि बच्चा चाहता है कि वह किसी अन्य वयस्क के माध्यम से सुना जाए, या यदि वह केवल एक या दो सीडब्ल्यूसी सदस्यों के साथ संवाद करने में अधिक सहज महसूस करता है, तो उसकी यह इच्छा मानी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लड़की यौन शोषण से पीड़ित है, तो वह पुरुष सदस्यों की उपस्थिति में बात करने में असहज महसूस कर सकती है, या उसे एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों से बात करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में सीडब्ल्यूसी की दो महिला सदस्य उससे बातचीत कर सकती हैं और बाद में अन्य सदस्यों को जानकारी दे सकती हैं।
- **तकनीकी माध्यमों से संवाद के विकल्पों पर भी विचार करें (जैसे विडिओ कॉल),** खासकर जब बच्चा किसी सीसीआई या किसी उपयुक्त सुविधा में रह रहा हो जो सीडब्ल्यूसी से भौगौलिक रूप से दूर या किसी अन्य ज़िले में स्थित हो।
- **एक ही समय पर कई सदस्यों द्वारा बच्चे से प्रश्न पूछने से बचें। यह पहले ही तय करें कि कौन सा सदस्य मुख्य बातचीत करेगा और वही उस विशेष बच्चे से बातचीत का नेतृत्व करे।**

3. सार्थक और सूचित भागीदारी को सक्षम बनाना।

- **बच्चे को उसकी उम्र के अनुरूप उपयुक्त जानकारी दें** – जैसे कि सीडब्ल्यूसी क्या है, इसकी प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, पुनर्वास के विकल्प क्या हैं, और संभावित निर्णयों और उनके प्रभाव क्या हो सकते हैं।
- केस वर्कर / डीसीपीयू / सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से **नियमित अंतराल पर बच्चे को उसके केस की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाए।**
- **संभावित विकल्पों और परिणामों के बारे में बच्चे को समझाएं ताकि बच्चा अपनी राय या दृष्टिकोण खुद बना सके और उन्हें व्यक्त कर सके।**[182]

178 General comment No. 12 (2009) (n 173) para 22.
179 Pacific Judicial Strengthening Initiative, 'Checklist 2: When Children/Juveniles Come to Court- For Chief Justice Judge' (October 2020) 10 <https://www.fedcourt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/81663/Human-Rights-Checklist-2.pdf> accessed 27 January 2025.
180 JJ Model Rules 2016, rule 16(5).
181 JJ Model Rules 2016, rules 16(11).
182 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines (n 4).

- **सीडब्ल्यूसी द्वारा जब निर्णय लिया जाए तो बच्चे को यह भी बताया जाए कि उसकी राय को किस प्रकार से विचार में लिया गया।**[183]
- **यदि बच्चा परिवार के पास वापस जाने से हिचक रहा है या अनिच्छुक है, तो उस झिझक के पीछे के कारणों को समझने और जानने का प्रयास करें।**[184]
- **बच्चे को ज़बरदस्ती, दबाव डालकर या शर्मिंदा कर घर वापस भेजने की कोशिश न करें,**[185] क्योंकि अगर बच्चा यह महसूस करता है कि घर में उसे अस्वीकृति, सज़ा, उपेक्षा या किसी अन्य प्रकार का नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो वह कोई जोखिमपूर्ण कदम उठा सकता है।





183 General comment No. 12 (2009) (n 173) para 45.
184 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines (n 4).
185 JJ Model Rules 2016, rule 82B (3); Bihar JJ Rules, 2017, rule 82(8) and West Bengal JJ Rules 2017, rule 76(8).

बच्चे से संवाद — उसे घर वापस भेजने के लिए मजबूर न करें

“मैसूर में अंतर-जातीय संबंध के कारण लड़की की कथित हत्या” – द हिंदू, 7 जून 2022[186]

“लड़की ने अपने माता-पिता के साथ जाने के लिए इसलिए सहमति दी क्योंकि उन्होंने वादा किया कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसकी पढ़ाई में मदद करेंगे।

कर्नाटक के पेरियापटन तालुक के कग्गुंडी गांव में एक 17 वर्षीय लड़की की कथित तौर पर उसके पिता ने गला घोंटकर हत्या कर दी।

यह लड़की, जो पेरियापटन के एक कॉलेज में द्वितीय वर्ष पीयूसी की छात्रा थी और वोक्कालिगा समुदाय से थी, पास के मेल्लहल्ली गांव के एक दलित समुदाय के लड़के मंजू से प्रेम संबंध में थी। हालांकि, लड़की का परिवार इस संबंध के सख़्त खिलाफ था और उसे उस लड़के से दूर रहने की सलाह दी थी। पुलिस के अनुसार, लड़की ने अपने माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पेरियापटन पुलिस ने उसे मैसूर के सरकारी बालिका गृह भेज दिया था।

दो सप्ताह बाद, माता-पिता ने मैसूर ज़िला सीडब्ल्यूसी को यह शपथ देकर बच्ची को वापस ले लिया कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करेंगे।

घर लौटने के बाद, परिवार के सदस्यों ने, जिसमें पिता सुरेश (45 वर्ष) और मां बेबी शामिल थे, लड़की को उस लड़के से संबंध रखने से मना किया। लेकिन जब लड़की ने दोबारा लड़के से संपर्क करने की कोशिश की, तो मंगलवार को उसका अपने पिता से विवाद हो गया, जिससे कथित तौर पर रात 2.30 से 3.00 बजे के बीच उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसकी मां ने, जो उस समय वहीं मौजूद थी, पानी छिड़क कर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में, माता-पिता ने बच्ची के शव को दोपहिया वाहन पर रखकर मेल्लहल्ली गांव के पास सड़क किनारे छोड़ दिया और घर लौट आए। फिर सुरेश ने पेरियापटन पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्प किया। पुलिस ने सुरेश और उसकी पत्नी बेबी को गिरफ़्तार कर लिया और जांच जारी है।

इस बीच, मैसूर ज़िला सीडब्ल्यूसी के सूत्रों ने बताया कि शुरू में लड़की अपने माता-पिता के साथ जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन, बाद में वह उनके आश्वासन पर जाने को राज़ी हो गई थी। अधिकारियों ने एसआईआर प्रस्तुत करने के बाद ही लड़की को घर भेजा था।”

↘

186 ‘Girl allegedly killed for inter-caste relationship in Mysuru’ (*The Hindu*, 8 June 2022) <https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/17-year-old-girl-found-dead-in-suspected-case-of-honour-killing-in-karnataka/article65502906.ece> accessed 27 January 2025.

↖

विचार हेतु

जिन मामलों में बच्चे के जीवन और सुरक्षा को खतरा हो सकता है, वहां बच्चे को परिवार के पास वापस भेजने के निर्णय में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। यह मामला दर्शाता है कि इस विशेष परिस्थिति में बच्चे का सर्वोत्तम हित परिवार में पुनर्स्थापन में नहीं था, और बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध माता-पिता के पास भेजना हानिकारक सिद्ध हुआ।

सीडब्ल्यूसी को चाहिए था कि वह जेजे मॉडल नियम, 2016 के नियम 82ख(3) के अनुसार बच्चे के साथ संवाद कर उसके घर वापस जाने की अनिच्छा, माता-पिता के साथ उसके संबंध और घर वापस भेजने से जुड़े संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करती।

सीडब्ल्यूसी को कार्य करते समय जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 3 में वर्णित सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। इस मामले में सीडब्ल्यूसी को सुरक्षा, पारिवारिक ज़िम्मेदारी और संस्थागत देखभाल को अंतिम विकल्प के रूप में लेने के बीच संतुलन बनाना चाहिए था।

माता-पिता पर गंभीर आरोपों को देखते हुए, सीडब्ल्यूसी को घर वापस भेजने के स्थान पर अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए था — जैसे विस्तारित परिवार के किसी सदस्य के पास रखना, किसी उपयुक्त भरोसेमंद वयस्क (ट्रस्टेड अडल्ट) की अस्थायी देखभाल में देना, या प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा पारिवारिक काउंसलिंग का आदेश देना।

यूएनसीआरसी के अनुच्छेद 12 और जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 3(iii), बच्चों की भागीदारी के अधिकार को रेखांकित करते हैं — जिसमें उनकी राय को निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना आवश्यक है। यदि बच्चा परिपक्व है, तो सीडब्ल्यूसी को आदेश पारित करते समय उसकी इच्छा को ज़रूर विचार में लेना चाहिए। साथ ही, बच्चे के जीवन में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की राय को भी समझना चाहिए।

सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को सीडब्ल्यूसी की भूमिका, उसकी प्रक्रियाएं, और संभावित समाधान सरल भाषा में समझाए जाएं। सीडब्ल्यूसी को बच्चे और उसके माता-पिता के बीच संभावित हितों के टकराव पर भी ध्यान देना चाहिए, उदाहरणस्वरूप, यदि पारिवारिक संबंध हिंसात्मक, नियंत्रक या शोषणकारी होने के संकेत दें। इस मामले में, सीडब्ल्यूसी को बालिका की बात सुनने के बाद और उसके साथ निकटता से जुड़े अन्य व्यक्तियों से भी बातचीत कर, उसके माता-पिता के साथ उसके संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, ताकि सर्वोत्तम हितों के अनुरूप उसके निवास/पुनर्वास का निर्णय लिया जा सके।



2.8.2. बच्चे की पहचान से क्या अभिप्राय है और सर्वोत्तम हित निर्धारण करते समय उसे कैसे ध्यान में रखा जा सकता है?

बाल कल्याण समितियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(9) में 'सर्वोत्तम हित' की परिभाषा में बच्चे की पहचान को एक ऐसा पहलू माना गया है जिसे 'पूरा किया जाना चाहिए'।
- **बच्चे एक समान या एकरूप समूह नहीं होते – उनमें कई प्रकार की पहचानें होती हैं,** जैसे: लिंग, जाति (कास्ट), जनजाति (ट्राइब), धर्म और विश्वास (रिलिजन एंड बिलीफ्स), राष्ट्रीयता (नैशनलिटी), जन्मस्थान, लैंगिक अभिविन्यास (सेक्सुअल ओरिएंटेशन), विकलांगता, स्वास्थ्य स्थिति (हेल्थ स्टेटस), आर्थिक स्थिति, और सांस्कृतिक पहचान, आदि।[187]
- **बहुत से बच्चों को इन पहचानों के कारण भेदभाव, हिंसा और द्वेष का सामना करना पड़ता है।** सीडब्ल्यूसी को बच्चों से संबंधित मामलों में इन कारकों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए।

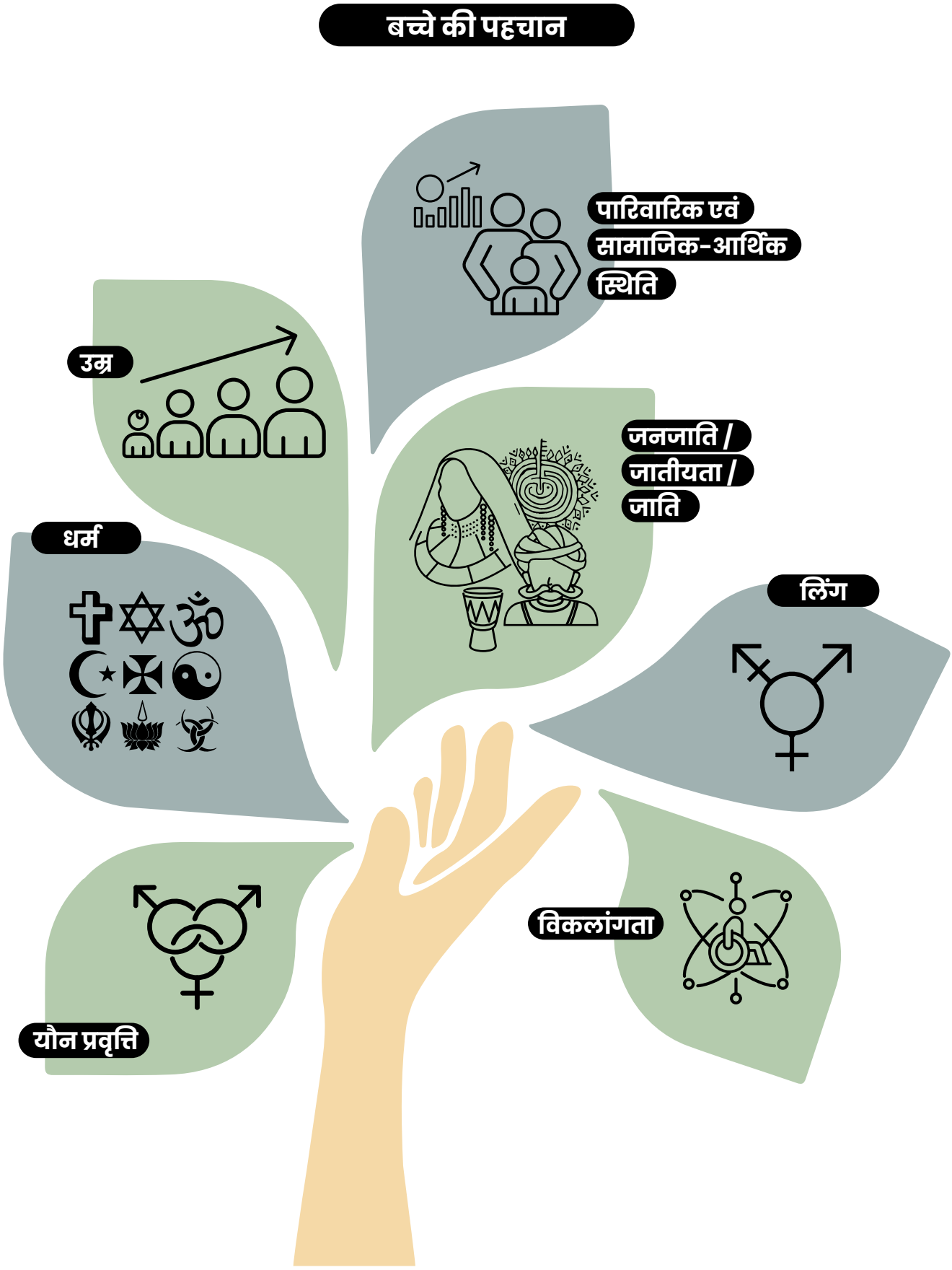
किसी भी बच्चे या उसके परिवार के प्रति केवल उसकी पहचान के आधार पर कलंकित भाषा या नकारात्मक पूर्वधारणाएं नहीं अपनाई जानी चाहिए। जैसे – यह मान लेना कि किसी बच्चे में क्षमता या समझ की कमी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह किसी जनजाति, अनुसूचित जाति से आता है, निरक्षर है, या विकलांग है – यह दृष्टिकोण गलत है। ऐसी पूर्वधारणाएं न केवल गरिमा, मूल्य, समानता और भेदभाव-रहित व्यवहार के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि सर्वोत्तम हित निर्धारण की आवश्यक निरपेक्षता को भी प्रभावित करती हैं। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है, जो निष्पक्ष सुनवाई की मांग करता है।

- विकलांग बच्चों के लिए यथोचित अनुकूलन (रीज़नेबल अकॉमोडेशन)[188] किया जाना चाहिए। जैसे कि – सीडब्ल्यूसी कक्ष बच्चे की पहुंच में हो, विशेष शिक्षकों या विशेषज्ञों की मदद उपलब्ध कराई जाए, और यदि बच्चा किसी सीसीआई में रखा गया हो, तो वहां उसे शैक्षणिक सामग्री और स्वास्थ्य सेवाएं भी सुनिश्चित की जाएं।
- धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण बच्चे की पहचान का अनिवार्य अंग है।
- बच्चे की पहचान, सर्वोत्तम हित के कई तत्वों में से एक है – इसे अन्य तत्वों के साथ संतुलित करना होगा।
- पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों का उपयोग उन प्रथाओं को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता जो बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।[189] उदाहरण के लिए – लड़की के मासिक धर्म शुरू होने के बाद उसकी पढ़ाई रोक देना, या उसकी शादी तय कर देना – ये ऐसी प्रथाएं हैं जो भारतीय संविधान में निहित उसके अधिकारों के विरुद्ध हैं, साथ ही साथ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम, 2009) व पीसीएमए, 2006 जैसे कानूनों का भी उल्लंघन करती हैं। बाल कल्याण समितियां इन प्रथाओं को बच्चे की सांस्कृतिक पहचान के सम्मान, संवर्धन या संरक्षण के बहाने स्वीकृति नहीं दे सकतीं।

187 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 55.

188 RPD Act 2016, s 2(y). It defines reasonable accommodation to mean "necessary and appropriate modification and adjustments, without imposing a disproportionate or undue burden in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise of rights equally with others".

189 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 57.


बच्चे की पहचान
पारिवारिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति
उम्र
जनजाति / जातीयता / जाति
धर्म
लिंग
यौन प्रवृत्ति
विकलांगता

प्रभावशाली प्रयास

लैंगिक पहचान (जेंडर आइडेंटिटी) के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का एक उदाहरण

एक 11 वर्षीय बालिका को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके हुलिए को देखकर सीडब्ल्यूसी उसकी लिंग पहचान (जेंडर) के बारे में निश्चित नहीं हो सकी।

सीडब्ल्यूसी ने उससे सीधे कोई स्पष्ट प्रश्न पूछने या कोई असंवेदनशील चिकित्सकीय जांच कराने के बजाय, ज़िले में स्थित विभिन्न सीसीआई और उनमें दाख़िले की शर्तों की जानकारी साझा की। उन्होंने समझाया कि 10 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियों को एक ही गृह में रखा जाता है, जबकि 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग सीसीआई हैं।

यह जानकारी मिलने के बाद, बच्ची ने स्वयं बताया कि वह बालिका गृह में रहना चाहती है। उसने यह भी बताया कि उसने सुरक्षा कारणों से अपने बाल छोटे कटवा लिए थे, क्योंकि वह एक होटल में काम करती थी और वहीं पर रह रही थी।

2.8.3. पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने और संरक्षित करने के संदर्भ में किन बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है?

कानूनी मानक	सारांश और प्रभाव
धारा 3(V), जेजे अधिनियम, 2015 तथा सीआरसी[190]	जैविक/दत्तक माता-पिता/पालक परिवार (बायोलॉजिकल/ एडॉप्टिव/ फ़ॉस्टर फैमिली) को बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक ज़िम्मेदारी दी गई है। बच्चे को पारिवारिक वातावरण में रहने और परिवार तथा विस्तारित परिवार के सदस्यों से संबंध बनाए रखने का अधिकार है।

190 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 58-70.

कानूनी मानक	सारांश और प्रभाव
धारा 3(XIII), जेजे अधिनियम, 2015	पुनर्वास और बहाली का सिद्धांत (यह मान्यता देता है कि बच्चे को जल्द से जल्द परिवार के पास वापस लौटने का अधिकार है और उसे उसी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए, जब तक कि यह उसके सर्वोत्तम हित में न हो। बच्चे को माता-पिता से केवल तभी अलग किया जाना चाहिए जब यह उसके सर्वोत्तम हित में हो।[191] माता-पिता से अलग करना अंतिम विकल्प होना चाहिए — "जब बच्चा तात्कालिक क्षति के खतरे में हो या अन्यथा आवश्यक हो।"[192]
नियम 4(6)(II), पॉक्सो नियम, 2020	"जहां आरोपी बच्चे का पारिवारिक सदस्य हो या साझा घर में रह रहा हो, वहां सीडब्ल्यूसी को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या बच्चा उन पारिवारिक सदस्यों की देखभाल में रह सकता है जो अपराध में शामिल नहीं हैं, और क्या बच्चे के सर्वोत्तम हित में उनसे संपर्क बनाए रखना उचित होगा।
नियम 82ख(3), (5), (6), जेजे मॉडल नियम, 2016	जब बच्चा अपने परिवार में लौटने की अनिच्छा जताता है, तो समिति, बोर्ड या बाल न्यायालय को बच्चे से संवाद कर उसके कारणों को जानना और रिकॉर्ड करना होगा। बच्चे को परिवार वापस लौटने के लिए मजबूर या राज़ी करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यदि माता-पिता या अभिभावक बच्चे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो भी बच्चे को परिवार में नहीं लौटाया जाएगा। बच्चे को तब भी परिवार में नहीं लौटाया जाएगा, जब परिवीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, केस वर्कर या एनजीओ द्वारा बनाई गई एसआईआर यह दर्शाए कि परिवार में वापसी बच्चे के हित में नहीं है। इन सभी स्थितियों में, समिति, बोर्ड या बाल न्यायालय को पुनर्वास के वैकल्पिक उपाय उपलब्ध कराने होंगे।
धारा 35, जेजे अधिनियम, 2015	जब माता-पिता या अभिभावक बच्चे को अभ्यर्पित करने (सरेंडर) का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे किसी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कारण से बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें दो महीने का समय दिया जाना चाहिए और काउंसलिंग कराई जानी चाहिए। पूरी जांच और काउंसलिंग के बाद ही यदि सीडब्ल्यूसी संतुष्ट हो, तो माता-पिता से अभ्यर्पण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कराए जा सकते हैं।

191 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 60.

192 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 61.

कानूनी मानक	सारांश और प्रभाव
नियम 7(11), दत्तक ग्रहण विनियम, 2022	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (सा), डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी को यह प्रयास करना होगा कि माता-पिता बच्चे को अपने पास ही रखें। इसमें काउंसलिंग केंद्रों से जोड़ना, माता-पिता को प्रोत्साहित करना और यह समझाना शामिल है कि अभ्यर्पण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के 60 दिन बाद वह अपरिवर्तनीय हो जाएगा — ताकि जैविक माता-पिता त्याग करने से बचें।
धारा 37(1)(च) तथा धारा 45(2), जेजे अधिनियम, 2015	बाल कल्याण समितियां उन मामलों में प्रायोजन पर विचार कर सकती हैं जहां — परिवार का नेतृत्व अकेली मां कर रही हो, बच्चा अनाथ हो और विस्तारित परिवार के साथ रह रहा हो, या माता-पिता गंभीर बीमारी के शिकार हों या दुर्घटना के कारण बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हों।[193]
धारा 9, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016	केवल विकलांगता के आधार पर किसी बच्चे को उसके माता-पिता से अलग नहीं किया जा सकता — "जब तक कि सक्षम न्यायालय ऐसा आदेश न दे, और वह भी तभी, जब यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो।" धारा 9(2) यह स्पष्ट करती है कि "यदि माता-पिता विकलांग बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं, तो सक्षम न्यायालय ऐसे बच्चे को निकट संबंधियों के पास रखेगा, और यदि ऐसा संभव न हो, तो समुदाय में किसी पारिवारिक वातावरण में, या अपवाद स्वरूप राज्य सरकार या गैर-सरकारी संस्था द्वारा संचालित आश्रय गृह में रखा जाएगा।"
धारा 21(2), मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017	**मां के साथ मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रहने का अधिकार:** जब कोई महिला मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में उपचार या पुनर्वास में हो और उसका बच्चा तीन वर्ष से कम उम्र का हो, तो सामान्यतः बच्चे को उस अवधि में मां से अलग नहीं किया जाएगा।[194] हालांकि, यदि उपचार रत मनोचिकित्सक महिला की स्थिति और अन्य जानकारी के आधार पर यह राय बनती है कि मां की मानसिक स्थिति से बच्चे को खतरा हो सकता है, तो बच्चे को अस्थायी रूप से अलग किया जा सकता है।[195] इस अवधि में महिला को उपयुक्त निगरानी में — संस्थान के कर्मचारी या परिवार की निगरानी में — बच्चे से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।[196]

193 General comment No. 12 (2009) (n 174) para 23.
194 Mental Healthcare Act 2017, s 21(2).
195 Mental Healthcare Act 2017, s 21(2) first proviso.
196 Mental Healthcare Act 2017, s 21(2) second proviso.

जब बच्चे के पारिवारिक परिवेश को संरक्षित किया जा रहा हो और पारिवारिक संबंधों को बनाए रखा जा रहा हो, तब सीडब्ल्यूसी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- **पारिवारिक संबंधों का अर्थ व्यापक होता है** और इसमें बच्चे के विस्तारित परिवार, दादा-दादी, नाना-नानी, रिश्तेदारों, स्कूल आदि से उसके संबंध भी शामिल होते हैं।[197] मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 2(1)(ज) में "परिवार" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – "एक ऐसा समूह जो रक्त-संबंध, दत्तक ग्रहण या विवाह के आधार पर एक-दूसरे से जुड़ा हो"। इस परिभाषा को ध्यान में रखा जा सकता है।
- केवल **आर्थिक कारणों** के आधार पर बच्चे को उसके परिवार से अलग नहीं किया जाना चाहिए।[198] इसके बजाय इसे एक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए कि उस परिवार को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।[199]
- **बच्चे को माता-पिता से अलग करने से पहले आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए** – जैसे कि काउंसलिंग, प्रायोजन, और अन्य उपलब्ध योजनाओं से जोड़ना – ताकि वे अपनी अभिभावकीय ज़िम्मेदारियां निभा सकें और "बच्चे की देखभाल के लिए परिवार की क्षमता को पुनः स्थापित या बढ़ाया जा सके।"[200]
- संस्थागत देखभाल को एक अंतिम उपाय[201] के रूप में अपनाने के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए, और सबसे पहले गैर-संस्थागत देखभाल के सभी विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए – जैसे कि पालक देखभाल, रिश्तेदारों द्वारा देखभाल, किसी योग्य व्यक्ति की देखभाल में रखना, प्रायोजन और दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण के संदर्भ में, यदि किसी बच्चे से माता-पिता, अभिभावक या कोई रिश्तेदार एक वर्ष से अधिक समय तक मिलने नहीं आया हो, तो ऐसे बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया जा सकता है।[202] चूंकि दत्तक ग्रहण से जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलगाव होता है, इसलिए सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को लागू करते हुए सीडब्ल्यूसी को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार को खोजने के सभी प्रयास किए गए हों, परिवार को सशक्त बनाने के प्रयास किए गए हों, और उन्हें माता-पिता के अधिकार समाप्त किए जाने की संभावित प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई हो। जब ये सभी प्रयास विफल हो जाएं, तभी सीडब्ल्यूसी बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र कर सकती है और फिर बच्चे के लिए उपयुक्त देखभाल व्यवस्था तय कर सकती है, जिसमें बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। ऐसे किसी बच्चे को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने से पहले, बच्चे की आयु और परिपक्वता के अनुसार उसकी इच्छा, और परिवार, संस्कृति व पहचान से उसके जुड़ाव के महत्व को भी ध्यान में लिया जाना आवश्यक है।
- जब बच्चे को उसके माता-पिता से अलग करने पर विचार किया जा रहा हो, तब **बच्चे और परिवार का मूल्यांकन एक अच्छी तरह प्रशिक्षित, बहु-विषयक पेशेवरों की टीम द्वारा किया जाना चाहिए।**[203]
- **परिवार से किसी भी प्रकार की दूरी को अंतिम विकल्प के रूप में और कम अवधि के लिए अपनाया जाना चाहिए और ऐसे मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त,** "जब बच्चे को परिवार से अलग करने के मूल कारण हल हो जाएं या समाप्त हो जाएं, तब बच्चे की पारिवारिक देखभाल में वापसी भी उसके सर्वोत्तम हित में होनी चाहिए।"[204]

197 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 70.
198 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 61.
199 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 62.
200 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 61.
201 JJ Act 2015, s 3(xii).
202 CARA, Office Memorandum dated 28.03.24, <https://cara.wcd.gov.in/PDF/Circular/OM%2028-3-2024%20Registration%20of%20Children.pdf> accessed 27 January 2025.
203 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 64.
204 'UN Guidelines for the Alternative Care of Children' (2009) para 13 <https://digitallibrary.un.org/record/673583?ln=en#record-files-collapse-header> accessed 27 January 2025.

केस स्टडी 3

किसी बच्चे को स्थानांतरित करते समय विचारणीय बिंदु

14 वर्षीय बिंदु पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में अपनी 22 वर्षीय बहन और उसके परिवार के साथ रहती थी, जबकि उसके माता-पिता छत्तीसगढ़ के एक गांव में रहते थे। बिंदु के तीन और भाई-बहन थे, जो उससे बड़े थे और सभी की शादी हो चुकी थी। वह 8 वर्ष की उम्र से अपनी बहन के साथ रह रही थी। उसका अपने माता-पिता से संबंध बहुत खराब था — वे लगातार उसकी शादी तय करने की धमकी देते थे। गरीबी के कारण उसे चौथी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। महामारी के दौरान, बहन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और घर की लड़ाइयों से तंग आकर, वह मुंबई की ट्रेन में सवार हो गई। एक महिला ने उसे बस स्टैंड के पास बैठे हुए पाया और उसे पुलिस थाने ले गई। इसके बाद बिंदु को मुंबई की सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बिंदु ने काउंसलर को बताया कि वह बंगाली माध्यम स्कूल में पढ़ाई जारी रखना चाहती है और भविष्य में पुलिस अधिकारी बनना चाहती है। उसने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने माता-पिता के पास वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका उनके साथ कोई लगाव नहीं है और उसे लगता है कि वे उसे बिल्कुल नहीं समझते। बिंदु ने यह भी कहा कि यदि उसे उसके माता-पिता या बहन के पास भेजा गया तो वह घर से भाग जाएगी और वह किसी छात्रावास (हॉस्टल) में रहना चाहती है। उसकी बहन भी उससे बहुत नाराज़ थी क्योंकि बिंदु जाने से पहले उसके घर से पैसे और ज़ेवर ले गई थी। सीडब्ल्यूसी यह विचार कर रही है कि क्या बिंदु को छत्तीसगढ़ में उसके माता-पिता के पास भेजा जाए या बैरकपुर में उसकी बहन के पास।

विचार करें:

- जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 3 के तहत, सीडब्ल्यूसी को इस मामले में भागीदारी के सिद्धांत, सर्वोत्तम हित, सुरक्षा, और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए।
- भागीदारी का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे की बात सुनी जाए और छत्तीसगढ़ या बैरकपुर लौटने को लेकर उसकी हिचकिचाहट और अपने जीवन को लेकर उसके सपनों को विचार में लिया जाए।
- सुरक्षा का सिद्धांत विशेष रूप से इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी निर्णय लिया जाए, वह बच्चे को किसी प्रकार की हानि या दुर्व्यवहार की स्थिति में नहीं डाले। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके माता-पिता ने बार-बार उसकी शादी तय करने की धमकी दी थी।
- बिंदु की बहन और माता-पिता के घर की स्थिति की जांच के लिए एसआईआर का आदेश दिया जाना चाहिए।
- शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में, सीडब्ल्यूसी को यह भी विचार करना चाहिए कि बिंदु किस माध्यम में पढ़ने में सहज है — चूंकि वह संभवतः बंगाली माध्यम स्कूल में पढ़ी है, इसलिए हिंदी या अंग्रेज़ी माध्यम में स्थानांतरण उसके लिए कठिन हो सकता है।

- बाल गृह में सुविधाओं या क्षमता की कमी, मामलों की लंबितता (पेंडेन्सी ऑफ केसेस) या बच्चों को संस्थागत देखभाल से बाहर लाने (डीइन्स्टिट्यूश्नलाईज़ेशन) के लिए पड़ने वाले दबाव के आधार पर, बच्चों को उनके परिवारों के पास वापस भेजने का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए – जब तक कि प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत परिस्थितियों का पूरा मूल्यांकन न कर लिया गया हो। उदाहरण के लिए, एक मामले में एक सीडब्ल्यूसी ने एक 16 वर्षीय लड़की को उसकी मां के पास भेज दिया, जबकि उस मां पर आरोप था कि उसने अपनी बेटी को दैहिक यौन कर्म में धकेला। दिल्ली की एक अदालत ने इसे सीडब्ल्यूसी की विफलता बताया और कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे को किसी असुरक्षित या अपरिचित वातावरण में न रखा जाए।[205]

जब बच्चा किसी सीसीआई या पालक देखभाल में रखा गया हो, तब भी – जब तक कि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित के विरुद्ध न हो – परिवार, भाई-बहन, रिश्तेदारों और उन अन्य व्यक्तियों से उसका संपर्क बनाए रखा जाना चाहिए, जिनसे बच्चे का व्यक्तिगत रूप से गहरा जुड़ाव है।[206]

जब बच्चे की देखभाल और निवास से संबंधित कोई निर्णय लिया जाए तब भाई-बहनों के आपसी रिश्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रयास किए जाने चाहिए कि भाई-बहनों को एक ही बाल गृह, एक ही पालक परिवार, या किसी योग्य व्यक्ति या उपयुक्त सुविधा में एक साथ रखा जाए – जब तक कि उन्हें अलग रखना उनके सर्वोत्तम हित में न हो।[207]

- बच्चे की पारिवारिक पुनर्स्थापना की तैयारी के लिए, सीडब्ल्यूसी को सामाजिक कार्यकर्ताओं, डीसीपीयू या गैर सरकारी संस्था की सहायता से स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए, और बच्चे, परिवार तथा वैकल्पिक देखभालकर्ता (ऑल्टरनेट केयरगिवर) से बातचीत करनी चाहिए – "ताकि यह तय किया जा सके कि बच्चे का परिवार में पुनः एकीकरण संभव है या नहीं, वह बच्चे के सर्वोत्तम हित में है या नहीं, इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाने होंगे और किसकी निगरानी में।"[208]
- **जहां माता-पिता या बच्चे में से कोई विकलांग हो,** वहां केवल तभी बच्चे को परिवार से अलग करने पर विचार किया जाना चाहिए जब "परिवार को एक इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए दी गई सहायता प्रभावी न हो, और बच्चे को उपेक्षा या सुरक्षा का खतरा हो।"[209]

205 Priyangi Agarwal, 'Mom who forced girl into sex trade gets custody, Delhi court fumes' (*Times of India*, 9 October 2022) <https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/cwc-gives-girl-to-mom-who-forced-her-into-sex-trade/articleshow/94732525.cms> accessed 27 January 2025

206 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 60.

207 JJ Act 2015, s 39(1) proviso.

208 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 48.

209 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 63.

- **तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सामान्यतः उस स्थिति में मां से अलग नहीं किया जा सकता है, जब उसकी मां का इलाज किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में चल रहा हो।**[210] यदि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह राय देता है कि महिला की मानसिक स्थिति से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है या बच्चे की सुरक्षा और हित की दृष्टि से यह आवश्यक है, तो अस्थायी रूप से बच्चे को अलग किया जा सकता है।[211] लेकिन इस अवधि में महिला को "सीसीआई कर्मचारी या उसके परिवार की निगरानी में, जैसा उपयुक्त हो, बच्चे से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।"[212]
- **जहां माता-पिता जेल में हों:** ***आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य***[213] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिला बंदी अपने बच्चों को छह वर्ष की उम्र तक अपने साथ जेल में रख सकती हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बच्चे को विचाराधीन कैदी या दोषी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, और ऐसे बच्चे को भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएं अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए। छह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को मां की इच्छा के अनुसार किसी उपयुक्त अभिभावक या उपयुक्त संस्थान में रखा जा सकता है। यदि बच्चे को सामाजिक कल्याण विभाग के किसी गृह में रखा गया है, तो उसे सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी मां से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रभावशाली प्रयास

सीडब्ल्यूसी द्वारा गैर-संस्थागत देखभाल का एक उदाहरण

3 साल 6 महीने की एक बच्ची को उसके पिता के साथ जेल में रखा गया था। उस पर यह आरोप था कि उसने अपनी पत्नी, अर्थात् बच्ची की मां की हत्या की है। बच्ची के दादा-दादी को भी उसी अपराध में गिरफ़्तार किया गया था। जिन मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश किया गया, उन्होंने निर्देश दिया कि बच्ची को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सीडब्ल्यूसी ने बच्ची को एक 'सा' में अस्थायी रूप से रखा और डीसीपीयू को एसआईआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने स्वयं जेल जाकर पिता से मुलाकात की और यह जानने की कोशिश की कि बच्ची को कहां रखा जा सकता है। पिता ने अपनी बहन के घर का सुझाव दिया। इसके बाद उसकी बहन के घर की स्थिति और परिवार के सदस्यों की बच्ची के प्रति सोच जानने के लिए एक एसआईआर तैयार करवाई गई।

एसआईआर में यह पाया गया कि बच्ची की मौसी का घर सुरक्षित है और परिवार बच्ची को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसके बाद सीडब्ल्यूसी ने बच्ची के पिता से लिखित रूप में अनापत्ति प्राप्त की और बच्ची को उसकी मौसी के परिवार में स्थानांतरित कर दिया।

210 Mental Healthcare Act 2017, s 21(2).
211 Mental Healthcare Act 2017, s 21(2) first proviso.
212 Mental Healthcare Act 2017, s 21(2) second proviso.
213 AIR (2006) SC 1946.

प्रभावशाली प्रयास

पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने का एक उदाहरण

तीन भाई-बहन को, जिनकी उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच थी, उनकी मौसी द्वारा सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बच्चों के पिता पर हत्या का आरोप था और वह फ़रार था। उनकी मां की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। सीडब्ल्यूसी ने सभी बच्चों को एक ऐसे सीसीआई में रखा जो उनकी मौसी के घर के पास स्थित था, ताकि पारिवारिक संपर्क बना रहे। जब बड़ी लड़की ने किशोरावस्था में प्रवेश किया, तो उसकी मौसी ने अनुरोध किया कि उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाए ताकि परिवार उसकी "बड़े होने की रस्म" मना सके – यह उनके समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा थी। लड़की भी इस समारोह को लेकर उत्साहित थी और सीडब्ल्यूसी से जाने की इजाज़त मांगी। सीडब्ल्यूसी ने लड़की को अनुमति दी और वह समारोह में भाग ले सकी, जिससे उसके पारिवारिक संबंध और मज़बूत हुए।

2.8.4. सर्वोत्तम हित निर्धारित करते समय सीडब्ल्यूसी बच्चे की देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा को, जिसमें बच्चे की भलाई और विकास शामिल है, किस प्रकार ध्यान में रख सकती है?

कानूनी मानक	सारांश और निहितार्थ
	पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत किसी पीड़ित बच्चे को उसके परिवार या साझा घर से अलग कर बाल गृह में रखने का निर्णय, सीडब्ल्यूसी द्वारा 3 दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए, और यह निर्णय बच्चे को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना होना चाहिए।
नियम 4(5), 4(6) और 4(7), पॉक्सो नियम, 2020	सीडब्ल्यूसी को इस निर्णय में बच्चे की राय और उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पहलुओं को भी विचार में लेना चाहिए: i. माता-पिता की यह क्षमता देखना कि वे बच्चे की तात्कालिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या नहीं; ii. क्या बच्चे को अपने परिवार से जुड़े रहने के लिए परिवार की देखभाल में बने रहना ज़रूरी है; iii. बच्चे की आयु, परिपक्वता का स्तर, लिंग, और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि; iv. क्या बच्चे को कोई विकलांगता है या कोई दीर्घकालिक बीमारी है; v. क्या बच्चे का किसी पारिवारिक हिंसा से जुड़ा कोई इतिहास रहा है; और vi. कोई अन्य प्रासंगिक तथ्य जो बच्चे के सर्वोत्तम हित से संबंधित हों।।

कानूनी मानक	सारांश और निहितार्थ
पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के अंतर्गत मॉडल दिशा-निर्देश[214]	सहायक व्यक्ति को एक "बाल संरक्षण योजना" तैयार करनी चाहिए, ताकि बच्चे के हितों की रक्षा और उसके विस्तारित परिवार की सहायता की जा सके, और साथ ही बच्चे की देखरेख एवं कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। यह योजना "व्यक्तिगत देखभाल योजना" (आईसीपी) को पूरक रूप में सहयोग कर सकती है। इसके मूल तत्व निम्नलिखित हैं:[215] i. बच्चे के लिए वर्तमान और संभावित जोखिमों की पहचान, जिसमें अपराधी की स्थिति भी शामिल हो; ii. न्यायिक परीक्षण के पूर्व और न्यायिक परीक्षण के दौरान बच्चे की सुरक्षा और जोखिम कम करने के लिए रणनीतियों की पहचान; iii. बच्चे की वर्तमान स्थिति में सुरक्षा के तत्वों की पहचान, जिन्हें और अधिक मज़बूत एवं विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है; iv. बच्चे और उसके माता-पिता/अभिभावकों/देखरेखकर्ताओं के साथ योजना की सामग्री और उसकी व्यवहारिकता पर विचार-विमर्श और सहमति की प्रक्रिया; v. सभी संबंधित पक्षों के बीच सूचना का आदान-प्रदान; vi. योजना को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान, जिसमें परिवार का सहयोग और आवश्यकतानुसार उपचार सेवाएं शामिल हों; vii. आरोपी की स्थिति पर विचार और उस दिशा से बच्चे को संभावित खतरे का मूल्यांकन; viii. बच्चे और उसके माता-पिता/अभिभावक/देखरेख करने वालों की काउंसलिंग की आवश्यकता; ix. पुनर्वास और मुआवज़े की आवश्यकता।
नियम 7, पॉक्सो नियम, 2020	पॉक्सो मामलों में सीडब्ल्यूसी को ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को कानूनी सहायता और सहयोग के लिए अनुशंसा करनी होती है।
नियम 8, पॉक्सो नियम, 2020	सीडब्ल्यूसी यह अनुशंसा कर सकती है कि डीएलएसए, या ज़िला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), या किशोर न्याय निधि (जुवेनाइल जस्टिस फ़ंड) से बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं, जैसे भोजन, कपड़े, परिवहन और अन्य ज़रूरतों का विशेष राहत के रूप में तुरंत भुगतान किया जाए। यह राशि सीडब्ल्यूसी की अनुशंसा मिलने के एक सप्ताह के भीतर देनी होगी। पुलिस या एसजेपीयू को एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट – जो पॉक्सो नियम, 2020 में दिए गए प्रारूप 'ख' (फ़ॉर्म 'बी') में होती है – सीडब्ल्यूसी को उपलब्ध करानी चाहिए।

214 Ministry of Women and Child Development, Model Guidelines under Section 39 of The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, 53.
215 ibid 53-54.

जब सीडब्ल्यूसी बच्चे की देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा पर विचार कर रही हो, तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

- बच्चे की देखभाल और संरक्षण में, बच्चे को किसी भी प्रकार की हानि, हिंसा या चोट से सुरक्षा देना, बच्चे की समग्र भलाई और विकास सुनिश्चित करना तथा उसकी बुनियादी भौतिक, शारीरिक, शैक्षणिक और भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना शामिल है।[216]
- **बच्चे की तात्कालिक और दीर्घकालिक सुरक्षा का आकलन करें** और निर्णय लेते समय सहायक व्यक्ति द्वारा तैयार की गई बाल संरक्षण योजना और व्यक्तिगत देखभाल योजना को ध्यान में रखें।
- **यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि बच्चा जब बाल संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत हो, तब उसे किसी भी प्रकार की हानि, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।**
- संवेदनशील प्रकृति के मामलों में, पूर्व-ट्रायल और ट्रायल अवधि के दौरान संभावित जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
- पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद बच्चे की यात्रा, भोजन और अन्य आवश्यक ज़रूरतों से संबंधित बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं पर विचार करें।
- पुलिस से प्रारूप 'ख' (*फ़ॉर्म बी*) में प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करें और **विशेष राहत के लिए तुरंत अनुशंसा करें।**
- देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बाल पीड़ितों को **विधिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायें** ताकि उन्हें पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अंतरिम और अंतिम मुआवज़ा और ज़मानत सुनवाई के दौरान प्रतिनिधित्व मिल सके।
- यदि बच्चा मुआवज़े का पात्र है, तो उसके नाम पर **बैंक खाता खुलवाना सुनिश्चित करें** और यह भी सुनिश्चित करें कि **मुआवज़े की राशि** उस बैंक खाते में ही जमा कराई जाए।
- डीएलएसए, डीसीपीयू और सहायक व्यक्ति की मदद लें ताकि जांच और मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान बाल पीड़ित की चिंताओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके, और यदि ज़रूरी हो तो **गवाह संरक्षण** के लिए आवेदन किया जा सके।
- **परिवार के साथ पुनः मिलन का बच्चे की सुरक्षा और भलाई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका मूल्यांकन** नियमित फॉलो-अप के ज़रिए करें।
- **बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चे के बकाया वेतन (बैक वेजेस), हर्जाना और जुर्माने** की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रम विभाग के साथ समन्वय करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िला नोडल अधिकारी और ज़िला मजिस्ट्रेट से समन्वय करें ताकि श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों और किशोरों को उनका **बकाया वेतन (बैक वेजेस) और मुआवज़ा** प्राप्त हो सके।
- **यह सुनिश्चित करें कि जब मानव दुर्व्यापार की पीड़िता अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हो, तब वहां सीडब्ल्यूसी की उपस्थिति हो,** ताकि पीड़िता को बार-बार अपना बयान न देना पड़े।[217]
- किसी सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता से समन्वय कर मानव दुर्व्यापार की पीड़िता को काउंसलिंग प्रदान कराएं।[218]
- किसी सामाजिक कार्यकर्ता या केस वर्कर या किसी संस्था के बाल कल्याण अधिकारी, या डीसीपीयू के नामित अधिकारी या किसी गैर-सरकारी संगठन को **आईसीपी**[219] तैयार करने और उसके ज़रिए बच्चे की समय-समय पर निगरानी सुनिश्चित करने **का निर्देश दें।**[220]
- ऐसे बच्चे को विधिक सहायता उपलब्ध कराएं, जो, पीसीएमए, 2006 की धारा 3 के अंतर्गत विवाह को शून्य (नलिफ़ाई) घोषित करने के लिए या इस अधिनियम में उपलब्ध किसी अन्य राहत को पाने के लिए ज़िला न्यायालय में याचिका दायर करना चाहता हो।

216 General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (n 3) para 71.
217 National Human Rights Commission, Standard Operating Procedure for Combating Trafficking of Persons in India (2017) 15.
218 ibid 17.
219 JJ Model Rules 2016, rule 19(17).
220 (n 218) 23.



2.8.5. सीडब्ल्यूसी किस प्रकार बच्चे की सुभेद्यता को सर्वोत्तम हित निर्धारण का हिस्सा मानकर विचार कर सकती है?

बाल कल्याण समितियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि:

- संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों में वे बच्चे शामिल हो सकते हैं जिन्हें किसी भी तरह की विकलांगता है, या जो एचआईवी/एड्स के साथ जीवन जी रहे हैं, गर्भवती हैं, हिंसा का शिकार हुए हैं, जो बगैर किसी अभिभावक या पारिवारिक सहारे के सड़क पर रह रहे हैं, जिन्हें दुर्व्यापार या बाल श्रम से मुक्त कराया गया है, या जो शरणार्थी बच्चे हैं, आदि।
- **एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ों की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।** यदि ऐसे बच्चे को उसकी संपत्ति से बेदखल किए जाने, उसका कब्ज़ा हटाने, या उसके घर में अवैध प्रवेश की शिकायतें प्राप्त हों, तो सीडब्ल्यूसी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।[221]
- जहां ऐसे सीसीआई हैं जिनमें विकलांग बच्चे रहते हैं, वहां निरीक्षण के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट या अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं।[222]

ऐसे बच्चों के अधिकारों को अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत भी देखा जाना चाहिए, जैसे – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971, बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, आदि। उदाहरण के लिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 9(1) के अनुसार, किसी बच्चे को केवल उसकी विकलांगता के आधार पर उसके माता-पिता से अलग नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय बच्चे के सर्वोत्तम हित में ऐसा आदेश न दे।

221 HIV/AIDS (PC) Act 2007, s 16(2).
222 JJ Act 2015, s 53(1)(ii).

2.8.6. सीडब्ल्यूसी को सर्वोत्तम हित का निर्धारण करते समय बच्चे के स्वास्थ्य के अधिकार को किस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए?

कानूनी मानक	सारांश और निहितार्थ
धारा 37, जेजे अधिनियम, 2015	सीडब्ल्यूसी यह आदेश पारित कर सकती है कि जिस व्यक्ति के पास संस्था/सुविधा में बच्चे को रखा गया है, वह बच्चे को चिकित्सा सेवाएं, मनोचिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक सहायता, और आवश्यकता अनुरूप काउंसलिंग उपलब्ध कराए।[223]
धारा 53, जेजे अधिनियम, 2015	सीसीआई को निर्धारित मानकों के अनुसार बच्चों को चिकित्सकीय सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हस्तक्षेप, जैसे कि काउंसलिंग, आदि प्रदान करनी चाहिए।[224]
धारा 92, जेजे अधिनियम, 2015 और नियम 80(1), जेजे मॉडल नियम, 2016	यदि कोई बच्चा सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसे किसी दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है, तो सीडब्ल्यूसी उसे किसी उपयुक्त मान्यता प्राप्त संस्था (फिट फैसिलिटी) में आवश्यक उपचार के लिए उपयुक्त अवधि तक भेज सकती है।
नियम 34 और 35, जेजे मॉडल नियम	ये नियम विभिन्न चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सूचीबद्ध करते हैं, जो सीसीआई द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। नियम 34 में यह भी कहा गया है कि संस्थान में आवश्यकतानुसार एक चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध होना चाहिए, जो नियमित स्वास्थ्य जांच या चिकित्सा उपचार कर सके।
नियम 55(3), जेजे मॉडल नियम	यदि किसी बच्चे के विरुद्ध अपराध हुआ है और उसे चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, तो सीडब्ल्यूसी यह निर्देश दे सकती है कि उस बच्चे को तत्काल निःशुल्क चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराई उपलब्ध कराई जाए।[225]

223 JJ Act 2015, s 37(1)(g).
224 JJ Act 2015, ss 53(1)(i) and 53(1)(vi).
225 JJ Model Rules 2016, rule 55(3).

सीडब्ल्यूसी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि:

- **स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी है।**
- बच्चों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए उम्र के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि संभव होने पर वे अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में **सूचित सहमति** (इनफॉर्म्ड कन्सेंट) के साथ भाग ले सकें।[226]
- **यदि कोई बालिका *गर्भवती* है,** तो उसके स्वास्थ्य और खुशहाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और समय पर स्वास्थ्य जांच और उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 12 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी बच्चे[227] की चिकित्सकीय जांच उसकी सहमति के बिना नहीं की जानी चाहिए।
- यदि कोई गर्भवती बालिका बाल गृह में रहते हुए **गर्भ समापन (टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी)** की इच्छा प्रकट करती है, तो उसकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए और **स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कोई अनावश्यक देरी न हो।**
- सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **गर्भपात के विषय में उनकी व्यक्तिगत मान्यताएं उनके कार्यों को प्रभावित न करें,** और वे बालिका को यह न बताएं कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन, यह ज़रूरी है कि वे बालिका को उपलब्ध सभी विकल्पों के बारे में समय पर और सटीक जानकारी दें – जैसे गर्भ समापन, नवजात शिशु का अभ्यर्पण, या अपने बच्चे को अपने पास रखना आदि।
- जो बच्चे भावनात्मक संकट में हैं, या आत्महत्या जैसे विचार साझा करते हैं, या स्वयं को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति दिखाते हैं, उनके लिए **मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।**
- **दीर्घकालिक या असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चों के तत्काल एवं दीर्घकालिक पुनर्वास** से संबंधित निर्णय लेते समय उनकी उपचार योजना पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि सीडब्ल्यूसी को किसी एचआईवी/एड्स से पीड़ित बच्चे के स्थानांतरण के बारे में निर्णय लेना है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चे की दवा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सतत और निर्बाध पहुंच बनी रहे। कई बार बच्चों को लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है, जिसे नियमित फॉलोअप के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

226 ibid.
227 IPC 1860, s 90/BNS 2023, s 28; CrPC 1973, s 164-A(7)/BNSS 2023, s 184(7).

केस स्टडी 4

स्वास्थ्य के अधिकार और शीघ्र पुनर्वास के बीच संतुलन स्थापित करना

16 वर्षीय झिमा, असम के एक ज़िले में रहती थी और उसका परिवार अत्यंत गरीब था। वह फेसबुक के माध्यम से जोसेफ नामक 20 वर्षीय युवक से परिचित हुई। चूंकि झिमा को डर था कि उसके माता-पिता उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसकी शादी कर देंगे, उसने जोसेफ को उसके साथ भाग जाने के लिए मना लिया। जोसेफ ने उसे पैसे भेजे और कर्नाटक के एक ज़िले में पहुंचने के लिए टिकट बुक किया। वहां पहुंचने के बाद वे एक विवाहित जोड़े की तरह रहने लगे। जब झिमा बीमार पड़ी, तो वे एक क्लिनिक गए, जहां रक्त परीक्षण से यह पता चला कि वह 14 सप्ताह की गर्भवती थी। डॉक्टर ने पुलिस को सूचित किया और जोसेफ के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। झिमा को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

झिमा अपना गर्भ समापन करवाना चाहती थी। वह केवल एक आदिवासी बोली बोलती थी, जिसे सीडब्ल्यूसी समझ नहीं पा रही थी। चूंकि झिमा असम से थी, सीडब्ल्यूसी ने डीसीपीयू को निर्देश दिया कि वह उसके गृह ज़िले से एसआईआर प्राप्त करे। जब एसआईआर प्राप्त हो गई, तब सीडब्ल्यूसी ने जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 95 के तहत उसके स्थानांतरण और उसके गृह ज़िले में गर्भ समापन की अनुमति का आदेश दिया। हालांकि, सुरक्षा दल की अनुपलब्धता के कारण झिमा का स्थानांतरण विलंबित हो गया, जिससे उसकी गर्भावस्था समाप्त करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

विचार करें:

- जेजे अधिनियम की धारा 95(1) के अनुसार, सीडब्ल्यूसी को पहले एक जांच करनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चे को उसके गृह ज़िले या राज्य में स्थानांतरित करना बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगा। यह केवल तभी हो जब कि सीडब्ल्यूसी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह स्थानांतरण बच्चे के हित में है, और जब गृह ज़िले की सीडब्ल्यूसी से परामर्श भी ले लिया हो, तभी सीडब्ल्यूसी स्थानांतरण आदेश जारी कर सकती है।
- बच्चे के सर्वोत्तम हित का मूल्यांकन करने का अर्थ है – बच्चे की इच्छा, उसकी पहचान, उसकी सुरक्षा और संरक्षण, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, पारिवारिक संबंधों का संरक्षण, और उसकी सुभेद्यता को ध्यान में रखना।
- वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि झिमा केवल एक आदिवासी बोली बोलती थी, जिसे सीडब्ल्यूसी नहीं समझ पाई। सीडब्ल्यूसी को डीसीपीयू की सहायता से एक अनुवादक की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि झिमा की बात सुनी जा सके और उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- चूंकि झिमा 16 वर्ष की है और पर्याप्त परिपक्वता रखती है, उसकी इच्छाओं पर विचार किया जाना आवश्यक था, जब तक कि सर्वोत्तम हित के अन्य तत्व अधिक महत्वपूर्ण न प्रतीत हों।
- सीडब्ल्यूसी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए था कि झिमा अपने घर से इस डर के कारण भागी थी कि उसकी जबरन शादी कर दी जाएगी, और उसके भागने और गर्भवती होने से यदि वह घर लौटे, तो उस पर सामाजिक लांछन लग सकता है।
- पुनर्स्थापन में हुई देरी के कारण उसकी मौजूदा सुभेद्यता की स्थिति और उसके समय पर गर्भ समापन के अधिकार पर क्या असर पड़ा – इन बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था।



2.8.7. सीडब्ल्यूसी को सर्वोत्तम हित निर्धारित करते समय बच्चे के शिक्षा के अधिकार को किस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए?

कानूनी मानक	सारांश और निहितार्थ
अनुच्छेद 21क, भारतीय संविधान	राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे।
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009	धारा 8 और 9 के अनुसार, उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण की यह ज़िम्मेदारी है कि वे 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएं तथा उनके अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करें।
धारा 53(1)(III) और (IX), जेजे अधिनियम, 2015	शिक्षा को बच्चे के पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। किशोर न्याय प्रणाली में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शैक्षिक सुविधाओं का अधिकार प्राप्त है। बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) को बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच, पूरक शिक्षा, विशेष शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा, और शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए रेफरल सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

सीडब्ल्यूसी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि:

- विद्यालय जाने वाले **बच्चों की शिक्षा बाधित न हो।**
- यदि संस्थागत देखभाल आवश्यक हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं कि बच्चे का स्कूल में दाखिला हो पाए और उसे आवश्यक सहायता प्राप्त हो, जैसे कि **ट्यूशन, अनुमतियां, और कक्षाओं और परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए संगरक्षक (एस्कॉर्ट्स) की उपलब्धता।**
- इस संबंध में हुई देरी से पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो सकता है, इसलिये इससे बचा जाए।
- जो बच्चे औपचारिक शिक्षा नहीं ले रहे हैं, उन्हें डीसीपीयू की सहायता से **व्यावसायिक प्रशिक्षण** दिया जाना चाहिए।

प्रभावशाली प्रयास

उदाहरण: एक बच्ची द्वारा नृत्य शिक्षिका की मदद से परीक्षा देना

एक 14 वर्षीय बच्ची अपने चाचा के घर से एक ऑटो चालक के साथ चली गई। उसके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज होने के बाद उसे ढूंढ लिया गया और फिर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बच्ची को एक अन्य ज़िले के बाल गृह में रखा गया क्योंकि उसके अपने ज़िले में कोई बाल गृह उपलब्ध नहीं था। सीडब्ल्यूसी ने उसकी एसआईआर तैयार करवाई और उसे काउंसलिंग के लिए भी भेजा। चूंकि उसकी परीक्षाएं नज़दीक थीं, सीडब्ल्यूसी ने बच्ची को उसकी परीक्षाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर आगे के कदमों पर विचार करने को कहा। बच्ची ने अपनी नृत्य शिक्षिका को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिस पर वह विश्वास करती थी। उसकी नृत्य शिक्षिका ने परीक्षाओं के लिए उसे संग लेकर जाने की ज़िम्मेदारी लेने पर सहमति दी। सीडब्ल्यूसी ने उसकी नृत्य शिक्षिका को "उपयुक्त व्यक्ति" घोषित किया, जिनकी देखरेख और संरक्षण में बच्ची को अस्थायी रूप से सौंपा गया। बच्ची ने अपनी परीक्षाएं पूरी कीं, और इस प्रकार, सीडब्ल्यूसी यह सुनिश्चित करने में सफल रही कि जांच प्रक्रिया के दौरान उसकी शिक्षा बाधित न हो।

न्यायिक दृष्टांत

सीडब्ल्यूसी का दायित्व है कि वह बच्चे की शिक्षा जारी रखे और प्लेसमेंट पर निर्णय लेते समय विवेकपूर्ण सोच रखे

पूजा राजपूत और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[228] में, एक 15 वर्षीय लड़की को सीडब्ल्यूसी द्वारा एक सरकारी बाल गृह में रखा गया जहां वह तीन महीने तक रही। वह अपनी कक्षा 7 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकी, जिससे उसका एक शैक्षणिक वर्ष नष्ट हो गया। वह 5–6 वर्षों से अपने पिता के साथ रह रही थी और उसके पिता, अपनी विकलांगता के बावजूद, उसकी देखभाल कर रहे थे और उसकी पढ़ाई का खर्च भी वहन कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद कि पिता बच्ची की देखभाल करने में सक्षम थे और पिछले कई वर्षों से उसकी अभिरक्षा में थे, सीडब्ल्यूसी द्वारा उसे बाल गृह भेजे जाने पर कड़ी टिप्पणी की। बच्ची ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कहा कि वह अपनी मां से मिलने के बाद भी अपने पिता के साथ ही रहना चाहती है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पहले मां ने लड़की की अभिरक्षा ली थी, लेकिन उसकी शिक्षा की उपेक्षा की और अपने पति को एक झूठे मामले में फंसाया। अदालत ने सीडब्ल्यूसी को न्यायिक विचार के अभाव (नॉन एप्लीकेशन ऑफ़ जुडीशीयल माइन्ड) और लड़की को बाल गृह भेजने के स्पष्ट कारण न बताने के लिए फटकार लगाई।

> "6. सबसे चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात है जिस प्रकार नारी निकेतन/ सीडब्ल्यूसी ने नाबालिग बच्ची को राजकीय बाल गृह में रखा है, जो आमतौर पर उन बच्चों के लिए नहीं होता जिनके माता-पिता उनकी अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, जबकि यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि पिता नाबालिग बेटी की देखभाल करने में सक्षम हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से वे उसकी अभिरक्षा में हैं।"
>
> "9. **आश्चर्य है कि न तो इसमें किसी प्रकार का न्यायिक विचार अपनाया गया और न ही कोई ठोस कारण बताया गया कि बच्ची को राजकीय बाल गृह में क्यों भेजा जा रहा है, और अत्यंत सामान्य तरीके से बच्ची को वहां भेज दिया गया**, जो 20.01.2024 से वहां रह रही है और जैसा ऊपर उल्लेखित है, उसने एक पूरा शैक्षणिक वर्ष खो दिया है।"
>
> "11. **जिस प्रकार से समिति ने एक नाबालिग बच्ची के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामले में कार्यवाही की है, उसकी गंभीरता को देखते हुए**, हम समिति की कार्यवाही पर कड़ी आपत्ति जताते हैं।"

उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूसी को उनके व्यवहार के लिए लड़की के पिता को ₹5 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया।

228 Habeas Corpus Writ Petition No. 228 of 2024 decided by Allahabad High Court on 22.4.2024.

2.8.8. जब विभिन्न तत्वों के बीच टकराव हो या अन्य पहलू विचारणीय हों, तो सीडब्ल्यूसी बच्चे के सर्वोत्तम हितों में संतुलन कैसे स्थापित कर सकती है?

सीडब्ल्यूसी को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां बच्चे की सुरक्षा और परिवार को बनाए रखने की आवश्यकता के बीच टकराव हो। पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत मामलों में यह दबाव भी हो सकता है कि बच्चे को तब तक संस्थागत संरक्षण में रखा जाए जब तक कि धारा 164, सीआरपीसी, 1973/183, बीएनएसएस, 2023 के अंतर्गत उसका बयान दर्ज न हो जाए या जब तक आरोपी गिरफ्तार न हो जाए।

> *हालांकि, ऐसे मामलों में यह देखना ज़रूरी है कि बच्चे के हित और न्याय व्यवस्था के तहत न्याय, एक-दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं।*

सीडब्ल्यूसी के पास यह विकल्प होता है कि वह बच्चे को उसके विस्तारित परिवार, योग्य व्यक्ति पालक परिवार या सामूहिक पालक देखभाल में रखे – बशर्ते उस व्यक्ति या परिवार की सुरक्षा की पुष्टि की गई हो और बच्चे की इच्छा का सम्मान किया गया हो। यह एक सूक्ष्म संतुलन की स्थिति होती है, जहां बच्चे को काउंसलिंग देकर समझाया जा सकता है कि यह व्यवस्था उसके सर्वोत्तम हित में क्यों है।

कृष्णकुमार बनाम केरल राज्य[229] में, एक 13 वर्षीय लड़की अपने पिता, सौतेली मां और बहन के साथ रह रही थी और बाद में अपने ननिहाल चली गई। उसकी जैविक मां का निधन तब हुआ जब वह 10 वर्ष की थी। 2017 में लड़की लापता हो गई और फिर उसके मिलने के बाद एक व्यक्ति के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत मामला दर्ज हुआ। लड़की को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने उसे एक महिला आश्रय गृह में भेज दिया, जहां से उसने दो बार भागने का प्रयास किया। लड़की के पिता और नानी (याचिकाकर्ता) ने सीडब्ल्यूसी में उसकी रिहाई के लिए आवेदन पत्र दायर किए, जिन्हे खारिज कर दिया गया। लड़की नानी या पिता के पास वापस जाना चाहती थी और वे भी उसे वापस लेना चाहते थे, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि नानी और पिता लापरवाह और असक्षम हैं। इस निर्णय के विरुद्ध एक पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई। केरल उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड की जांच के बाद पाया कि सीडब्ल्यूसी ने कोई जांच नहीं की, एसआईआर तैयार नहीं की, और बच्चे की राय नहीं जानी। अदालत ने लड़की से बातचीत की जिसमे लड़की ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी नानी या पिता के साथ रहना चाहती है, और उसकी नानी उसकी देखभाल करने में आर्थिक रूप से सक्षम है। **अदालत ने यह भी कहा कि सीडब्ल्यूसी ने न तो उचित जांच की, न याचिकाकर्ताओं के बयान दर्ज किए, न बच्चे की इच्छाओं पर विचार किया, और बिना किसी उचित तर्क या विवेचना के आदेश पारित कर दिया। इसलिए उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूसी का आदेश रद्द किया और बच्ची को उसकी नानी के पास सौंपने का निर्देश दिया। केरल उच्च न्यायालय ने यह भी कहा:**

> "किसी पीड़ित/किशोर को केवल इस आधार पर बाल गृह या किसी अन्य आश्रय स्थल में नहीं रखा जा सकता कि आरोपी का पीड़ित तक पहुंचने की आशंका हो सकती है। यह जांच एजेंसी या अभियोजन पक्ष की ज़िम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करने के लिए वह आवश्यक कदम उठाएं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। पीड़ित को किसी भी स्थिति में कष्ट नहीं उठाना चाहिए।"

सीडब्ल्यूसी को ऐसे मामलों का भी सामना करना पड़ सकता है जहां कोई अपराध किसी दूसरे राज्य या देश से आए बच्चे के खिलाफ हुआ हो, और दबाव हो कि जब तक साक्ष्य दर्ज न हो जाए, तब तक बच्चे को स्थानांतरित न किया जाए। ऐसा विशेष रूप से अंतर-राज्यीय या अंतर-देशीय बाल श्रम या बाल दुर्व्यापार के मामलों में देखा गया है, जिनमें बच्चों को महीनों या वर्षों तक बाल गृह में रोके रखा जाता है, जब तक मुक़दमे की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। ऐसे मामलों में, सीडब्ल्यूसी को सुप्रीम कोर्ट

229 Krishnakumar (n 166).

के उस आदेश को ध्यान में रखना चाहिये जो कि ***संदर्भ: सड़क परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चे***[230] के मामले में दिया गया था| जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि" ऐसे सभी आपराधिक मामलों में जहां बच्चे गवाह के रूप में पेश किए जाते हैं और वे उस न्यायालय के पास निवास नहीं करते जहां ट्रायल चल रहा है, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों के बयान दर्ज करने की मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) अपनाई जाए| यह विशेष रूप से अंतर्राज्यीय या अंतर-ज़िला बाल दुर्व्यापार के मामलों में लागू होता है।

डीएलएसए और डीसीपीयू की सहायता से, सीडब्ल्यूसी अदालत से यह आग्रह कर सकती है कि बच्चे का साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किया जाए, ताकि बच्चे को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक बाल गृह में न रहना पड़े। ऐसे मामलों में, सहायक व्यक्ति अदालत, बच्चा, परिवार और सीडब्ल्यूसी के बीच समन्वय तथा संपर्क स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि अदालत बच्चे की भौतिक उपस्थिति पर ज़ोर देती है, तो बच्चे और उसे साथ ले जाने वाले व्यक्ति को यात्रा भत्ता का अधिकार होता है। अदालत से यह भी आग्रह किया जा सकता है कि गवाही के समय उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए।

सीडब्ल्यूसी द्वारा नियुक्त सहायक व्यक्तियों की भूमिका होती है कि वे अदालत को बच्चों की स्थिति और प्रासंगिक तथ्यों से अवगत कराएं, और बच्चों व उनके परिवार को उनके अधिकारों और हक़दारी के बारे में सूचित करें।

चाहे गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या अन्य किसी तरीके से, बच्चे के गृह ज़िले/राज्य में एक होम स्टडी कराना आवश्यक है, ताकि यह जाना जा सके कि उस बच्चे के लिए क्या सबसे उपयुक्त है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि बच्चे का केस उसके गांव या ज़िले में सार्वजनिक न हो। इसलिए अनुवर्तन (फॉलो अप) के दौरान संवेदनशीलता के साथ उठाए गए कदम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें सीडब्ल्यूसी के प्रत्यावर्तन/पुनर्स्थापन संबंधित आदेश का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।



230 in Re: Exploitation of Children in Orphanages (n 13).

केस स्टडी 5

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन

15 वर्षीय लता अपनी मां और दो छोटे भाई-बहनों के साथ रहती है। जब वह 8 वर्ष की थी, उसके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था। लता की मां रेनू, घरेलू कामगार के रूप में काम करती है और रात को देर से घर लौटती है। लता का अपने 22 वर्षीय पड़ोसी अक्षय के साथ संबंध बन जाता है। जब रेनू को इस बारे में पता चलता है, तो वह लता से कहती है कि वह अक्षय से मिलना बंद कर दे। कुछ दिनों बाद, लता और अक्षय शादी करने के इरादे से घर से भाग जाते हैं। रेनू एफआईआर दर्ज कराती है, जिसके बाद पुलिस लता और अक्षय को ढूंढ निकालती है। चूंकि लता रेनू के साथ रहने से इनकार कर देती है, सीडब्ल्यूसी उसे एक बाल गृह में रखती है। लता सीडब्ल्यूसी को बताती है कि वह अपनी नानी माया देवी के साथ रहना चाहती है। सीडब्ल्यूसी माया देवी को बुलाती है और चूंकि वह तैयार होती है, सीडब्ल्यूसी लता को उनके सुपुर्द कर देती है। कुछ दिन बाद, जब रेनू बाल गृह जाती है, तो उसे बताया जाता है कि लता को रिहा कर दिया गया है। यह सुनकर रेनू नाराज़ हो जाती है और सीडब्ल्यूसी से गुस्से में कहती है कि माया देवी उसकी मां नहीं हैं, बल्कि उसी मोहल्ले में रहने वाली एक वृद्ध महिला है और अक्षय, माया देवी को जानता है। जब सीडब्ल्यूसी माया देवी और लता से संपर्क करने की कोशिश करता है, तो उनके नंबर बंद पाए जाते हैं। रेनू यह भी बताती है कि माया देवी कहीं और चली गई है और उसने अपना पता साझा नहीं किया है। कुछ महीने बाद पता चलता है कि लता ने अक्षय के साथ फिर से घर छोड़ दिया और अब वे साथ रह रहे हैं और लता ने उनके बच्चे को जन्म दिया है।

विचार करें:

- सीडब्ल्यूसी को लता के मामले में निर्णय लेने से पहले सर्वोत्तम हित के सात तत्वों पर विचार कर प्रक्रिया का पूरा पालन करना चाहिए था।
- भले ही सीडब्ल्यूसी ने भागीदारी के सिद्धांत को लागू किया, लेकिन उन्होंने बच्ची की जैविक मां को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का एक गंभीर उल्लंघन था।
- सीडब्ल्यूसी को विशेष निर्देशों के साथ एक एसआईआर का आदेश देना चाहिए था जिसमें लता और माया देवी के घर का दौरा करने का निर्देश शामिल होता। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो माया देवी खुद को लता की नानी बता रही थीं, उनकी पहचान और पृष्ठभूमि की सत्यता की पुष्टि की जाए।

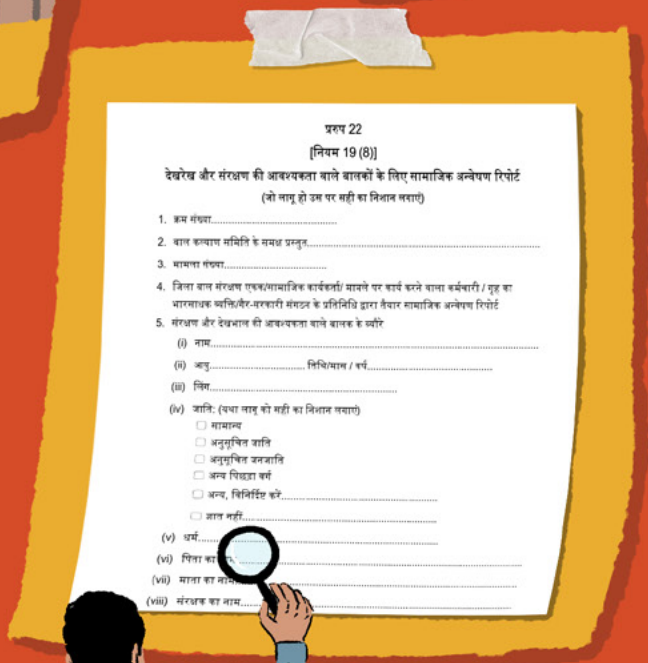
↘

↖

- सीडब्ल्यूसी को लता और उसकी मां से अलग-अलग बातचीत करनी चाहिए थी और दोनों की राय जाननी चाहिए थी। सीडब्ल्यूसी को लता को काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए था, ताकि वह अपनी स्थिति, किशोरावस्था के दौरान अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को समझ सके, अपने जीवन के लक्ष्य पहचान सके और ऐसे निर्णय ले सके जो उसके वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।
- सीडब्ल्यूसी को यह भी बताना चाहिए था कि उसके सामने क्या-क्या स्थानांतरण विकल्प उपलब्ध हैं और हर विकल्प के क्या-क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं।
- चूंकि लता ने कहा कि वह माया देवी के साथ रहना चाहती है, सीडब्ल्यूसी को माया देवी को बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी और उनकी पहचान की पुष्टि के लिए एक जांच करनी चाहिए थी।
- यदि किसी प्रकार का संदेह होता, तो सीडब्ल्यूसी को पुलिस की मदद लेकर माया देवी की पहचान की सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए थी और फिर संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश देना चाहिए था कि एसआईआर के माध्यम से यह मूल्यांकन करें कि क्या माया देवी के साथ रहना लता के लिए उपयुक्त होगा?
- यदि एसआईआर के अनुसार माया देवी उपयुक्त पाई जातीं और उनके साथ रहना लता की भी इच्छा होती, तो सीडब्ल्यूसी को लता की मां की राय भी लेनी चाहिए थी।
- सीडब्ल्यूसी को निर्णय लेते समय अन्य पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए था — जैसे लता की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, माया देवी या अपनी मां के पास वापस भेजे जाने पर उसकी दोबारा घर छोड़ने की आशंका, और उसकी मां के साथ उसके पारिवारिक संबंध कैसे बनाए रखे जा सकते हैं।







प्रपत्र 22

[नियम 19 (8)]

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

1. क्रम संख्या.....
2. बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत.....
3. मामला संख्या.....
4. जिला बाल संरक्षण एकक/सामाजिक कार्यकर्ता/ मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी / गृह का भारसाधक व्यक्ति/गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा तैयार सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट
5. संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता वाले बालक के ब्यौरे
   (i) नाम.....
   (ii) आयु..... तिथि/माह / वर्ष.....
   (iii) लिंग.....
   (iv) जाति: (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)
      ☐ सामान्य
      ☐ अनुसूचित जाति
      ☐ अनुसूचित जनजाति
      ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग
      ☐ अन्य, विनिर्दिष्ट करें.....
      ☐ ज्ञात नहीं.....
   (v) धर्म.....
   (vi) पिता का.....
   (vii) माता का नाम.....
   (viii) संरक्षक का नाम.....







अध्याय 3

विशिष्ट परिस्थितियों में बच्चों के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देना

3.1 पॉक्सो मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14)(viii) के अनुसार, ऐसा कोई भी बच्चा "जो यौन शोषण या अवैध कार्यों के उद्देश्य से शोषित, प्रताड़ित या उत्पीड़ित हुआ है, हो रहा है या होने की आशंका है", वह सीएनसीपी के रूप में परिभाषित है । हालांकि, बाल कल्याण समितियों को जे जे अधिनियम, 2015 की धारा 30(xiii) का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके अनुसार सीडब्लूसी का दायित्व है कि वे ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई करें जो लैंगिक शोषण के शिकार हुए हैं और जिन्हें एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस द्वारा पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत सीएनसीपी के रूप में समिति को रिपोर्ट किया गया है। पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(4) के अनुसार, निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

1. जहां अपराध बच्चे के साथ उसी घर में या साझा घर में किया गया हो, किए जाने का प्रयास किया गया हो, या किए जाने की आशंका हो; या
2. बच्चा किसी सीसीआई में रह रहा हो और उसके पास माता-पिता का सहारा न हो;
3. बच्चे के पास कोई घर या पारिवारिक सहारा न हो।

इस प्रकार, **पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत सभी बाल पीड़ितों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत** करना आवश्यक नहीं है। ऐसे मामलों में, बच्चे को एक सहायक व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। साथ ही प्रारूप 'ख' (फ़ॉर्म 'बी' में उपलब्ध प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट) के आधार पर विशेष राहत की अनुशंसा की जा सकती है।

पॉक्सो के मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका और कार्य

सहायक व्यक्ति प्रदान करें
नियम 4(8), पॉक्सो नियम



तत्काल देखभाल एवं रख-रखाव हेतु निर्णय
नियम 4(5)(6)(7), पॉक्सो नियम



विशेष राहत की सिफारिश करें
नियम 8, पॉक्सो नियम



बाल पीड़ित (सीएनसीपी) का पुनर्वास
धारा 30(XIII), जेजे अधिनियम



पीड़ित को जुर्माने का भुगतान सुनिश्चित करें
नियम 10, पॉक्सो नियम



विधिक सहायता और सहयोग की सिफारिश करें
नियम 7, पॉक्सो नियम



केस स्टडी 6

पॉक्सो के मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका

शिवली, एक 10 साल की लड़की अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ एक शहरी झुग्गी में रहती थी। शिवली के पिता एक ड्राइवर के रूप में, उसकी मां एक घरेलू सहायिका के रूप में और उसकी दादी एक कपड़ा कारखाने में दर्जी के रूप में काम करते थे। शिवली स्थानीय स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ती थी। उस पर राजेश ने प्रवेशात्मक लैंगिक हमला किया, जो उसकी दादी का पर्यवेक्षक था। राजेश शिवली और उसके परिवार के मोहल्ले में ही रहता था। पुलिस ने यौन हमले के बारे में सीडब्ल्यूसी को सूचित किया और सीडब्ल्यूसी ने शिवली की सुरक्षा, संरक्षण और उस पर हुए आघात को ध्यान में रखते हुए उसे उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा। सीडब्ल्यूसी ने उसे बाल गृह में रखने का फैसला किया क्योंकि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। शिवली की मां ने सीडब्ल्यूसी से उसे घर वापस ले जाने की गुहार लगाई। शिवली भी बहुत परेशान थी और जब उसे बाल गृह ले जाया जा रहा था तो वह रोती रही। सीडब्ल्यूसी ने उसकी मां को समझाया कि चूंकि राजेश उन्हीं के मोहल्ले में रहता है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसलिए शिवली को घर वापस भेजने से उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। शिवली की मां ने बताया कि वह शिवली को अपने नानी के घर भेज सकती है, जो दूसरे ज़िले में था। इस पर सीडब्ल्यूसी ने उसकी मां से कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत शिवली का बयान दर्ज होने तक उसे बाल गृह में रहना होगा। उसके बाद, शिवली को उसकी मां के पास भेज दिया जाएगा।

विचार करें:

- सीडब्ल्यूसी को पहले यह तय करना होगा कि क्या शिवली एक सीएनसीपी है और क्या उसका मामला पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(4) में वर्णित तीन स्थितियों के अंतर्गत आता है। चूंकि इस मामले में आरोपी पीड़िता के साथ नहीं रह रहा है बल्कि उसके पड़ोस में रहता है, शिवली को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, शिवली को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया जाता है, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि उसे बाल गृह भेजा जाए।

↘

- सीडब्ल्यूसी को अंतिम उपाय के रूप में संस्थागतकरण के सिद्धांतों, सर्वोत्तम हित और पारिवारिक ज़िम्मेदारी के सिद्धांत पर विचार करने की आवश्यकता है।
- सीडब्ल्यूसी को शिवली की राय, दुर्व्यवहार के तुरंत बाद उसे अपने परिवार के साथ संबंध में रहने की आवश्यकता, और उसके स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर संस्थागतकरण के प्रभाव पर विचार करना होगा। यदि इन सभी तत्वों पर विचार किया जाए तो यह ज़रूरी नहीं कि धारा 164, सीआरपीसी, 1973/धारा 183, बीएनएसएस, 2023 के तहत उसका बयान दर्ज होने तक उसे बाल गृह में रखना उसके सर्वोत्तम हित में हो।
- उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विस्तारित परिवार के साथ स्थानन जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता था। इसके अलावा, उसकी पारिवारिक स्थिति की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए तत्काल एक एसआईआर की मांग की जा सकती है और इस संबंध में तीन दिनों के भीतर निर्णय लेना आवश्यक होगा। सीडब्ल्यूसी पुलिस से यह भी आग्रह कर सकती है कि वह ***महेंदर चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य***[231] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित गवाह सुरक्षा योजना, 2018 के अनुसार उचित अधिकारियों के समक्ष गवाह सुरक्षा के लिए आवेदन करे।
- पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(8) के अनुसार, सीडब्ल्यूसी बच्चे को उसकी सहमति से और उसके माता-पिता की सहमति से एक सहायक व्यक्ति प्रदान कर सकती है। नियम 7(1) के अनुसार, सीडब्ल्यूसी बच्चे को कानूनी सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए डीएलएसए को सिफारिश भी कर सकती है और नियम 8 के तहत परिवहन, कपड़े, भोजन और अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए विशेष राहत के संबंध में डीसीपीयू या डीएलएसए को सिफारिश कर सकती है।

231 Writ Petition (Criminal) No. 156 of 2016, decided by the Supreme Court of India on 5.12.2018.

3.2 गर्भवती बालिका के संदर्भ में सीडब्ल्यूसी की भूमिका

गर्भवती बालिकाओं के मामलों की सुनवाई करते समय, सीडब्ल्यूसी को गर्भ की अवधि और गर्भ समापन की प्रक्रिया के संबंध में 2021 में संशोधित गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (एमटीपी एक्ट, 1971) के प्रावधानों को तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों को ध्यान में रखना होगा। पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 6(7) के अनुसार, यदि कोई बालिका गर्भवती पायी जाती है, तो पंजीकृत चिकित्सक को उस बालिका, उसके माता-पिता, अभिभावक, या सहायक व्यक्ति को गर्भावस्था को समाप्त करने या जारी रखने के लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनी विकल्प प्रदान करने होंगे।

निर्णय लेने की समयसीमा और कानून के बारे में स्पष्टता महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दिन की देरी उस बालिका के स्वास्थ्य के साथ-साथ गर्भ समापन की संभावना को भी प्रभावित कर सकती है। सीडब्ल्यूसी यह सुनिश्चित कर सकती है कि बच्चे को काउंसलिंग, संस्थागत देखभाल (यदि आवश्यक हो), प्रायोजन सहायता और निर्णय लेने में मदद के लिए समर्थन प्रदान किया जाए, और न्यायिक परीक्षण के पूर्व (ट्रायल से पहले) तथा न्यायिक परीक्षण के दौरान बालिका की सहायता के लिए सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971

नोट: यदि गर्भावस्था 24 सप्ताह से कम की है, तो गर्भ समापन के लिए सीडब्ल्यूसी या न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं है। यदि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक है, तो एक याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज की जा सकती है।

गर्भावस्था अवधि	चिकित्सकीय राय की आवश्यकता	गर्भवती महिला की प्रासंगिक श्रेणी	शर्तें
20 सप्ताह तक [धारा 3(2)(क)]	**एक** पंजीकृत चिकित्सक (आरएमपी)	**सभी गर्भवती महिलाएं**	1. गर्भवती महिला के जीवन को खतरा 2. उसके शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति होने का खतरा 3. बच्चे में गंभीर शारीरिक या मानसिक विकृति का पर्याप्त खतरा **"जहां किसी गर्भवती महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया हो कि गर्भधारण बलात्कार के कारण हुआ है, वहां गर्भधारण से उत्पन्न मानसिक पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चोट (ग्रेव इंजरी) माना जाएगा।** [व्याख्या 2, धारा 3(2)]"
20 से 24 सप्ताह तक [धारा 3(2)(ख)]	**दो** पंजीकृत चिकित्सक	• यौन हमले/बलात्कार/ सगोत्र या पारिवारिक व्यभिचार (इन्सेस्ट) की शिकार महिलाएं • नाबालिग • गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन • महिला जो शारीरिक विकलांगता/ मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं • भ्रूण विकृति - बच्चे के जीवन को गंभीर खतरा या गंभीर असामान्यताएं • आपातकाल/संकट/ आपदा के दौरान गर्भवती महिलाएं [नियम 3ख, एमटीपी नियम, 2003]	
24 सप्ताह से अधिक [धारा 3(2) (ख)]	**चिकित्सा बोर्ड द्वारा निदान** (डायग्नोसिस)[232] (जब तक आपातकालीन स्थिति न हो, जहां **एक पंजीकृत चिकित्सक** पर्याप्त है।)	**सभी गर्भवती महिलाएं**	गर्भावस्था की समाप्ति तब की जा सकती है जब यह गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक हो, या जब भ्रूण में कोई गंभीर असामान्यता, मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई हो। [धारा 5(1) एवं धारा 2ख]

232 Medical Boards comprising (i) a gynaecologist, (ii) a paediatrician, (iii) a radiologist or sonologist, and (iv) other members, as may be specified.

केस स्टडी 7

पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत "आपसी सहमति" वाले संबंध के एक मामले में विचार

17 वर्षीय अनीता की मुलाक़ात 20 वर्षीय राजेंद्र से एक कंप्यूटर सेंटर में हुई। वे एक-दूसरे से प्रेम करने लगे और एक संबंध में जुड़ गए। वे दोनों अलग-अलग जाति से थे और वे जानते थे कि उनके परिवार इस प्रेम संबंध को मंज़ूरी नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते को गुप्त रखा। जब वे एक साल तक एक-दूसरे के साथ रहे, अनीता के परिवार को इस संबंध के बारे में पता चला और उन्होंने उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए उसकी पिटाई की। उन्होंने यह धमकी दी कि यदि उसने इस संबंध को समाप्त नहीं किया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। एक दिन जब अनीता के पिता ने अनीता और राजेंद्र को कंप्यूटर क्लास के बाहर बात करते देखा, तो उन्होंने उसकी शादी तय करने की धमकी दी। अपनी सुरक्षा को लेकर डरते हुए, अनीता अपनी इच्छा से राजेंद्र के साथ भाग गई और उन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली। अनीता के माता-पिता ने पुलिस में अपहरण, पॉक्सो अधिनियम, 2012 और बाल विवाह प्रतिषेध कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अनीता को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बाल गृह में भेजा गया। अनीता 8 सप्ताह की गर्भवती है और उसके माता-पिता उसे घर वापस लेने से इनकार करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि वे गर्भ समाप्त करने के लिए सहमति नहीं देंगे, जब तक कि अनीता राजेंद्र से अपने संबंध को समाप्त नहीं कर देती। हालांकि, अनीता ज़ोर देती है कि वह राजेंद्र से शादी करना चाहती है और गर्भ भी समाप्त करना चाहती है।

विचार करें:

- पॉक्सो अधिनियम, 2012 किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए रिश्तों को मान्यता नहीं देता है। इस स्थिति में, राजेंद्र को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत आरोपी माना जाएगा और उसे अपहरण और बलात्कार के आरोपों (आईपीसी, 1860/बीएनएस, 2023) का भी सामना करना पड़ सकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या अनीता 18 वर्ष से कम उम्र की है या नहीं, उम्र निर्धारण ज़रूरी है।

↘

- यदि अनीता 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो चूंकि वह अपने परिवार के पास वापस जाना नहीं चाहती, सीडब्ल्यूसी उसे धारा 2(14)(xii) और/या (viii) के तहत सीएनसीपी मान सकती है।
- चूंकि अनीता की गर्भावस्था 24 सप्ताह से कम है और वह गर्भपात कराना चाहती है, तो सीडब्ल्यूसी को उसकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और बिना किसी विलंब के उसे आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता सहमति देने को तैयार नहीं हैं, तो सीडब्ल्यूसी बालिका गृह के अधीक्षक को गंभावस्था समाप्ति हेतु सहमति देने के लिए अभिभावक के रूप में मान्यता दे सकती है।[233] सीडब्ल्यूसी के आदेशों का पालन करना अधीक्षक का कर्तव्य होगा[234] और उसे एमटीपी अधिनियम, 1971 के तहत बच्चे की ओर से सहमति प्रदान करनी होगी। यदि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक हो गई है, तो बाल कल्याण समिति को तुरंत कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति के लिए याचिका दर्ज की जा सके।
- जहां तक बालिका की देखभाल और रख-रखाव का प्रश्न है, सीडब्ल्यूसी को गैर-संस्थागत विकल्पों पर विचार करना चाहिए - जैसे कि विस्तारित परिवार में या किसी ऐसे भरोसेमंद वयस्क की दखे-रेख में, जिसे "योग्य व्यक्ति" के रूप में पहचाना जा सकता है।
- एसआईआर का आदेश दिया जाना चाहिए ताकि अनीता की पारिवारिक स्थिति, क्षमताओं, और हिंसा के जोखिमों का मूल्यांकन किया जा सके।
- अनीता को उसकी स्थिति के लिए शर्मिंदा या अपमानित न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए - आघात-संवेदनशील दृष्टिकोण (ट्रॉमा-इन्फॉर्म्ड अप्रोच) अपनाया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अनीता को उसकी स्थिति के लिए शर्मिंदा या अपमानित न किया जाए। यह समझने का भी प्रयास किया जाना चाहिए कि अनीता ने किन परिस्थितियों में अपना घर छोड़ा।

233 JJ Act 2015, ss 30(vi) & 2(31). *Lavanya Anirudh Verma v State of NCT of Delhi*, Crl. M.C. 301/2017 decided by Delhi High Court on 08.02.17.

234 JJ Model Rules 2016, rule 61(3)(ii).

न्यायिक दृष्टांत

बच्चे की उसके कल्याण और भविष्य से संबंधित इच्छाओं और आकांक्षाओं पर विचार

शिवानी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य,[235] में, याचिकाकर्ता नंबर 1 अपनी मां से डांट खाने के बाद अपने घर से चली गई। उसकी मां ने एफआईआर दर्ज कराई जिसमें आरोप था कि उसकी बेटी याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ भाग गई है। बाद में लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया। धारा 164, सीआरपीसी 1973 के तहत अपने बयान में उसने दावा किया कि उसकी उम्र 19 वर्ष है और उसने अपनी मर्ज़ी से याचिकाकर्ता नंबर 2 से शादी की है। उन्होंने अपनी शादी का पंजीकरण भी किया था। जांच के दौरान, यह पाया गया कि लड़की की उम्र 16 वर्ष थी, जैसा कि उसकी कक्षा 10 की मार्कशीट से पता चला। लड़की को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चूंकि उसके माता-पिता ने उसकी अभिरक्षा से इनकार किया, उसे सीडब्ल्यूसी द्वारा बालिका गृह में भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में नाबालिग पत्नी की अभिरक्षा पति को देने की मांग की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विवाह की वैधता के प्रश्न को भविष्य में सक्षम न्यायालय के समक्ष उठाने का विकल्प पक्षकारों पर छोड़ दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि विवाह की वैधता (वैलिडिटी) से संबंधित प्रश्न को पक्षकार भविष्य में किसी सक्षम न्यायालय में उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायालय ने उल्लेख किया कि इस याचिका का विषय केवल नाबालिग पत्नी की अभिरक्षा से संबंधित है, जिसे पति द्वारा प्राप्त किए जाने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय ने नाबालिग पत्नी (याचिकाकर्ता नंबर 1) की धारा 164, सीआरपीसी, 1973 के बयान के आधार पर, जिसमें उसने पति के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी, यह निर्णय लिया कि उसे उसके पति (याचिकाकर्ता नंबर 2) के साथ रहने के लिए सौंपा जाए। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि "एक नाबालिग जो अपनी भलाई और भविष्य के जीवन के बारे में सचेत निर्णय लेने में सक्षम है और स्वेच्छा से विवाह संबंध में प्रवेश करती है, उसे माना जाना चाहिए।" न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:

↘

235 Criminal Misc. Writ Petition No. 14348 of 2023 decided by the Allahabad High Court on 15.12.2023.

"14. नाबालिग पत्नी की अभिरक्षा के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत उसका बयान यह सिद्ध करता है कि वह 19 वर्ष की है, उसने याचिकाकर्ता नंबर 2 से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया है, और विवाह के दिन से वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं, और बाद में इसे विवाह पंजीकरण कार्यालय-III, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कराया गया। **उसने आगे यह भी इच्छा व्यक्त की कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है और उसे उसके सुपुर्द करने की प्रार्थना की है।**

15. न्यायालय का मत है कि एक नाबालिग इस बात को लेकर विवेकपूर्ण प्राथमिकता बना सकती है कि वह किसके साथ रहना चाहती है। किसी नाबालिग को अभिभावक या पति की अभिरक्षा में वापस भेजने के निर्णय में सर्वोपरि विचार उसका कल्याण होता है।

16. इस न्यायालय की समकक्ष पीठ का निरंतर यह मत रहा है कि यदि कोई नाबालिग अपनी खुशहाली और भविष्य से संबंधित सचेत निर्णय लेने में सक्षम है और स्वेच्छा से वैवाहिक संबंध में प्रवेश करती है, तो उसकी स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 की मां ने नाबालिग पत्नी की अभिरक्षा से इनकार किया है। इसलिए, न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को अब और रोके रखने की आवश्यकता नहीं है और वह अपने पति के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। उसे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने की स्वतंत्रता है।"

विचारणीय

उपोरोक्त मामला सीडब्ल्यूसी और संबंधित प्राधिकरणों के सामने आने वाले सबसे जटिल और संवेदनशील निर्णयों में से एक को दर्शाता है। इस प्रकार के मामलों से निपटते समय, सीडब्ल्यूसी को बच्चे के सुने जाने के अधिकार का सम्मान करना होगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव या ज़बरदस्ती न की जा रही हो। बच्चे द्वारा घर छोड़ने, भाग जाने या विवाह करने के कारणों को भी उसके पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित निर्णय लेते समय ध्यान में रखना होगा। ऐसे मामलों में सीडब्ल्यूसी को बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देनी चाहिए और बाल-केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और अपने निर्णय को उपयुक्त कारणों के साथ स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए।

3.2.1. क्या गर्भ समापन के लिए सीडब्ल्यूसी का आदेश आवश्यक है?

यदि गर्भ 24 सप्ताह से कम है, तो एमटीपी अधिनियम, 1971 के तहत किसी नाबालिग का गर्भ समाप्त कराने के लिए सीडब्ल्यूसी या न्यायालय के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। जहां बच्चा और उसके माता-पिता या अभिभावक उपलब्ध हों, वहां इस निर्णय में सीडब्ल्यूसी की कोई भूमिका नहीं है। यदि बच्चा अनाथ हो या उसके माता-पिता देखभाल और संरक्षण प्रदान करने में अयोग्य हों, तो सीडब्ल्यूसी एक अभिभावक नियुक्त कर सकती है।[236] ऐसे मामलों में, सीडब्ल्यूसी यह सुनिश्चित कर सकती है कि बच्चे को काउंसलिंग, संस्थागत देखभाल (यदि आवश्यक हो), प्रायोजन सहायता और निर्णय लेने में समर्थन प्रदान किया जाए, और साथ ही आपराधिक मामले में न्यायिक परीक्षण के पूर्व तथा न्यायिक परीक्षण के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति नियुक्त किया जाए।

सीडब्ल्यूसी बच्चे की ओर से यह निर्णय नहीं ले सकती कि उसे गर्भ जारी रखना चाहिए या समाप्त करना चाहिए। एमटीपी अधिनियम, 1971 के तहत, यह निर्णय केवल पंजीकृत चिकित्सक द्वारा लिया जा सकता है, जो गर्भावस्था की अवधि के आधार पर यह तय करेंगे कि गर्भ समाप्त करना उचित है या नहीं।

राजस्थान सरकार द्वारा पारित पॉक्सो अपराधों की पीड़ित बालिकाओं के चिकित्सकीय गर्भ समापन हेतु बाल संरक्षण प्रणाली से जुड़े विभिन्न हितधारकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

संख्या एफ 31(01)(02) बी.ए.वी/पॉक्सो/भाग - द्वितीय/2014/ईएपी-00140/26421
दिनांक 01.02.2024

सीडब्ल्यूसी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

1. यदि सीडब्ल्यूसी द्वारा जांच के दौरान किसी बालिका के गर्भवती होने की जानकारी चिकित्सा परीक्षण या अन्य किसी तरीके से प्राप्त होती है और पॉक्सो अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, तो 24 घंटे के भीतर पुलिस के माध्यम से कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए।
2. यदि किसी लैंगिक अपराध की पीड़ित बालिका के गर्भवती होने की जानकारी मिलती है, तो पीड़ित बालिका, उसके परिवार/अभिभावक और सहायक व्यक्ति को तत्काल, अधिकतम 48 घंटे के भीतर, आवश्यक काउंसलिंग प्रदान की जानी चाहिए।
3. पीड़ित बालिका को डीसीपीयू के माध्यम से आवश्यक मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग प्रदान की जानी चाहिए।
4. पीड़ित बालिका और उसके परिवार/अभिभावक को पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 6(7) के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।
5. यदि पीड़ित बालिका किसी सीसीआई या उपयुक्त सुविधा में रह रही है, तो नियम 34(5), जेजे मॉडल नियम, 2016 के तहत बालिका के गर्भ समापन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए डीसीपीयू को निर्देशित किया जाना चाहिए।
6. यदि पीड़ित बालिका की गर्भावस्था अवधि 24 सप्ताह से अधिक है, तो डीसीपीयू को मुफ्त

↘

236 JJ Act 2015, Section 30(vi) read with Section 2(31); *Lavanya Anirudh Verma v State of NCT of Delhi*, Crl. M.C. 301/2017 decided by the Delhi High Court on 08.02.17.

कानूनी सहायता के माध्यम से तुरंत बालिका और उसके परिवार/अभिभावक को उच्च न्यायालय से गर्भ समापन की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

7. यदि पीड़ित बालिका के माता-पिता/कानूनी अभिभावक उपलब्ध नहीं हैं, तो सीडब्ल्यूसी धारा 2(31), जेजे अधिनियम, 2015 के तहत एक अभिभावक नियुक्त कर सकती है।
8. संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि गर्भ समापन या पीड़ित बालिका के प्रसव के समय पुलिस जांच अधिकारी अस्पताल में मौजूद रहें और फॉरेंसिक साक्ष्य को संरक्षित करने के लिए कार्रवाई करें।
9. यदि चिकित्सीय कारणों से गर्भ समापन नहीं हो पाता है या पीड़ित बालिका के प्रसव के उपरांत नवजात शिशु जन्म लेता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीड़ित बालिका को जेजे अधिनियम, 2015 के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाए।
10. पीड़ित बालिका की गर्भावस्था/गर्भ समापन की वास्तविक स्थिति के बारे में डीएलएसए (ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण) को सूचित किया जाना चाहिए।
11. यदि पीड़ित बालिका से संबंधित चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए आवश्यक पहचान दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, तो पुलिस के माध्यम से बालिका के परिवार/अभिभावक से ये दस्तावेज़ प्राप्त किए जाने चाहिए।
12. यदि पीड़ित बालिका शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग है या स्थानीय भाषा नहीं जानती है, तो डीसीपीयू द्वारा अनुमोदित विशेष शिक्षक/दुभाषिये/अनुवादक की सेवाएं ली जानी चाहिए।
13. पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 8 के तहत पीड़ित बालिका लड़की की गर्भावस्था के मामलों में विशेष राहत प्रदान करने पर अनिवार्य रूप से विचार किया जाना चाहिए।
14. गर्भावस्था के दौरान पीड़ित बालिका के चिकित्सीय उपचार और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिम या अंतिम मुआवज़ा प्रदान किए जाने की उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
15. पीड़ित लड़की की निजता और गोपनीयता को हर स्तर पर सुरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए।

3.2.2. ऐसे मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका क्या होनी चाहिए जहां नाबालिग की इच्छा उसके माता-पिता की इच्छा से भिन्न हो?

नाबालिग के गर्भ समापन के लिए माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति आवश्यक होती है। भले ही बच्ची किसी सीसीआई में रह रही हो, यदि उसके पास माता-पिता या अभिभावक हैं, तो उनकी सहमति और बच्ची की अपनी सहमति पर्याप्त होती है। यदि माता-पिता की सहमति उपलब्ध नहीं है और गर्भवती बालिका चिकित्सकीय गर्भ समापन कराना चाहती है, तो सीडब्ल्यूसी, सीसीआई अधीक्षक को उसका वैध अभिभावक मान सकती है, और वह लड़की के माता-पिता की ओर से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।[237]

237 JJ Act 2015, ss 30(vi) & 2(31).

कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्ची गर्भ बनाए रखना चाहती हो जबकि उसके माता-पिता गर्भ समापन की इच्छा रखते हों। हालांकि, एमटीपी अधिनियम, 1971 नाबालिग बालिका की सहमति की आवश्यकता के विषय में स्पष्ट नहीं है, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने ***मारिमुथु बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस***[238] मामले में यह कहा है कि यूएनसीआरसी के अंतर्गत बच्चों को प्राप्त अधिकारों और एमटीपी अधिनियम के उद्देश्यों के आधार पर, **यह नहीं माना जा सकता कि यदि कोई नाबालिग गर्भ बनाए रखना चाहती है तो उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।**

न्यायालय ने आगे कहा:

> "महिला को स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त है कि वह अपने शरीर के साथ क्या करना चाहती है – जिसमें यह निर्णय भी शामिल है कि वह गर्भ धारण करना चाहती है या नहीं, और यदि गर्भवती हो तो क्या वह गर्भ को बनाए रखना चाहती है और बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं – अर्थात् मातृत्व का अधिकार, उनके सशक्तिकरण की दिशा में है और यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अनुबंध (इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन ह्यूमन राइट्स) के अनुरूप है। जीवन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए – जिसमें एक नया जीवन उत्पन्न करने का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है – स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता का अधिकार भी सम्मिलित है। इसलिए पीड़िता बालिका की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात का आदेश नहीं दिया जा सकता।"



जब बच्ची गर्भ समापन (एमटीपी) नहीं चाहती लेकिन उसके माता-पिता चाहते हैं

गर्भवती महिला, जिसमें गर्भवती बच्ची भी शामिल है, की सहमति के बिना गर्भ समापन (एमटीपी) नहीं कराया जा सकता।

"धारा 3(4)(क) को कभी भी इस रूप में नहीं समझा जा सकता कि यदि गर्भवती महिला 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो उसकी सहमति आवश्यक नहीं है।"
- वी. कृष्णन बनाम जी. राजन, हैबेअस कॉर्पस याचिका संख्या 1450 OF 1993, निर्णय दिनांक: 2 दिसंबर 1993

यदि बच्चे के माता-पिता या प्राकृतिक अभिभावक उपलब्ध हों, और दोनों सहमत हों, तो गर्भपात में सीडब्ल्यूसी की कोई भूमिका नहीं है।

जब बच्ची गर्भ समापन (एमटीपी) चाहती है लेकिन माता-पिता सहमति नहीं देते हैं

ऐसी स्थिति में, सीडब्ल्यूसी बच्ची की ओर से गर्भ समापन की सहमति देने हेतु एक संरक्षक नियुक्त कर सकती है।

लावन्या अनिरुद्ध वर्मा बनाम स्टेट ऑफ़ एनसीटी ऑफ़ दिल्ली, सीआरएल.एम.सी. 301/2017, दिल्ली उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक: 8 फरवरी 2017

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(31) के अंतर्गत दी गई "संरक्षक" की परिभाषा में ऐसे संरक्षक शामिल हैं जिन्हें समिति द्वारा मान्यता दी गई हो।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 30(VI) के अनुसार, सीडब्ल्यूसी का कर्तव्य है – "बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर देखभाल, संरक्षण, उपयुक्त पुनर्वास या पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना और इस संबंध में अभिभावकों, संरक्षक, योग्य व्यक्ति, बाल गृहों या उपयुक्त संस्थानों को आवश्यक निर्देश देना।"

238 *Marimuthu v The Inspector of Police*, WP (MD) No. 12212 of 2016, decided by the Madras High Court on 19.09.2016

बच्चों को उनके अधिकारों के उपयोग में बढ़ती हुई ज़िम्मेदारी, स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता (एजेंसी) का अधिकार है। यह बात संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति द्वारा यूएनसीआरसी के अनुच्छेद 5 पर जारी हालिया वक्तव्य में रेखांकित की गई है।[239] समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि "बच्चों की विकसित होती क्षमताओं (इवोल्विंग कपैसिटीज़) की अवधारणा, यह मान्यता देने में केंद्रीय स्थान रखती है कि बच्चे अपने माता-पिता से स्वतंत्र रूप से अधिकारों के धारक होते हैं, और यह सिद्धांत बच्चों को मनमाने पारिवारिक नियंत्रण से बचाने में सहायक है।[240] इस वक्तव्य में आगे कहा गया है: "जहां माता-पिता अपनी ज़िम्मेदारियों, कर्तव्यों या अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं जो कन्वेन्शन (यूएनसीआरसी) के तहत बच्चे के अधिकारों के विपरीत है, वहां राज्य की ज़िम्मेदारी माता-पिता के समर्थन से हटकर, बच्चे के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुनिश्चित करने की ओर अधिक स्थानांतरित हो जाती है।"[241] इस संदर्भ में, बालिका के गर्भ समापन कराने के अधिकार की रक्षा करना राज्य का दायित्व बनता है।

उल्लेखनीय है कि बाल अधिकार समिति ने किशोरियों को गर्भपात सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक बिना किसी बाधा के पहुंच सुनिश्चित कराने पर भी ज़ोर दिया है, और राज्यों से यह आग्रह किया है कि गर्भपात से संबंधित निर्णयों में उनकी राय को सदैव सुना और सम्मानित किया जाए।[242]

हाल ही में ***X बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार***[243] मामले में भी यह कहा गया कि एमटीपी संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार प्राप्त है। साथ ही, यह माना गया कि हालांकि पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत नाबालिगों के बीच यौन संबंधों में तथ्यों पर आधारित सहमति की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, फिर भी वास्तविकता यह है कि किशोरों के बीच यौन संबंध होते हैं और इससे गर्भधारण भी होता है।

विधायिका इस तथ्य से अवगत थी, और इसी कारण किशोरियों को एमटीपी नियम, 2021 के नियम 3ख के अंतर्गत शामिल किया गया है।

यदि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक हो गई है और कोई गंभीर असामान्यता (foetal abnormality) न होने पर भी गर्भसमापन की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की जा सकती है। इसके लिए बाल कल्याण समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से कानूनी सहायता की व्यवस्था कर सकती है।

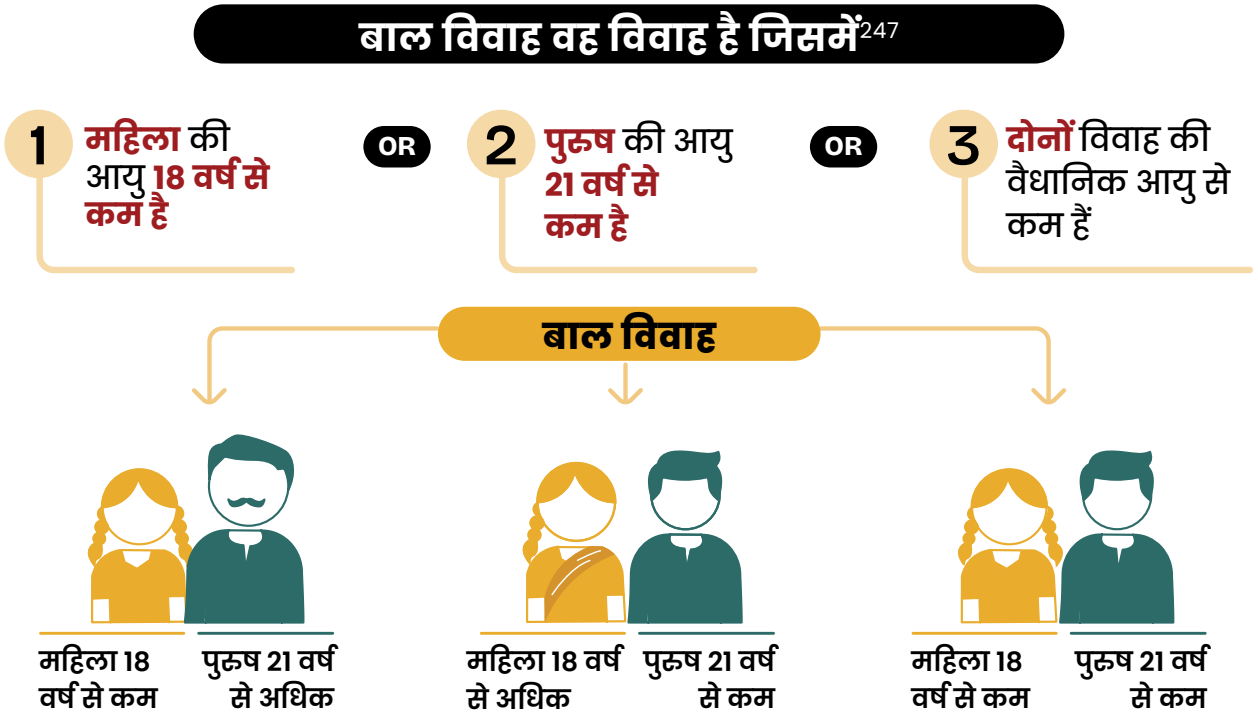
आमतौर पर, न्यायालय इस मामले को मेडिकल बोर्ड के पास भेजेगा। मेडिकल बोर्ड में में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलाजिस्ट या सोनोग्राफी विशेषज्ञ तथा राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित अन्य सदस्य शामिल होते हैं। यह बोर्ड न्यायलय को गर्भसमापन किया जा सकता है या नहीं के विषय में अपनी राय देता है।

3.3 बाल विवाह के मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, "बाल विवाह" का अर्थ है ऐसा विवाह जिसमें कोई एक या दोनों पक्ष बालक हों।[244] अधिनियम के तहत "बालक" या "बच्चे" की परिभाषा इस प्रकार है – यदि पुरुष है, तो जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि स्त्री है, तो जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।[245]

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14)(xii) के अनुसार, यदि कोई बच्चा विवाह की न्यूनतम आयु से पहले विवाह

239 CRC, Statement of the Committee on the Rights of the Child on article 5 of the Convention on the Rights of the Child (2023).
240 ibid, para 10.
241 (n 240) para 12.
242 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence, para 60.
243 Civil Appeal No 5802 of 2022, decided by the Supreme Court of India on 29.09.2022.
244 PCMA 2006, s 2(b).
245 PCMA 2006, s 2(a).

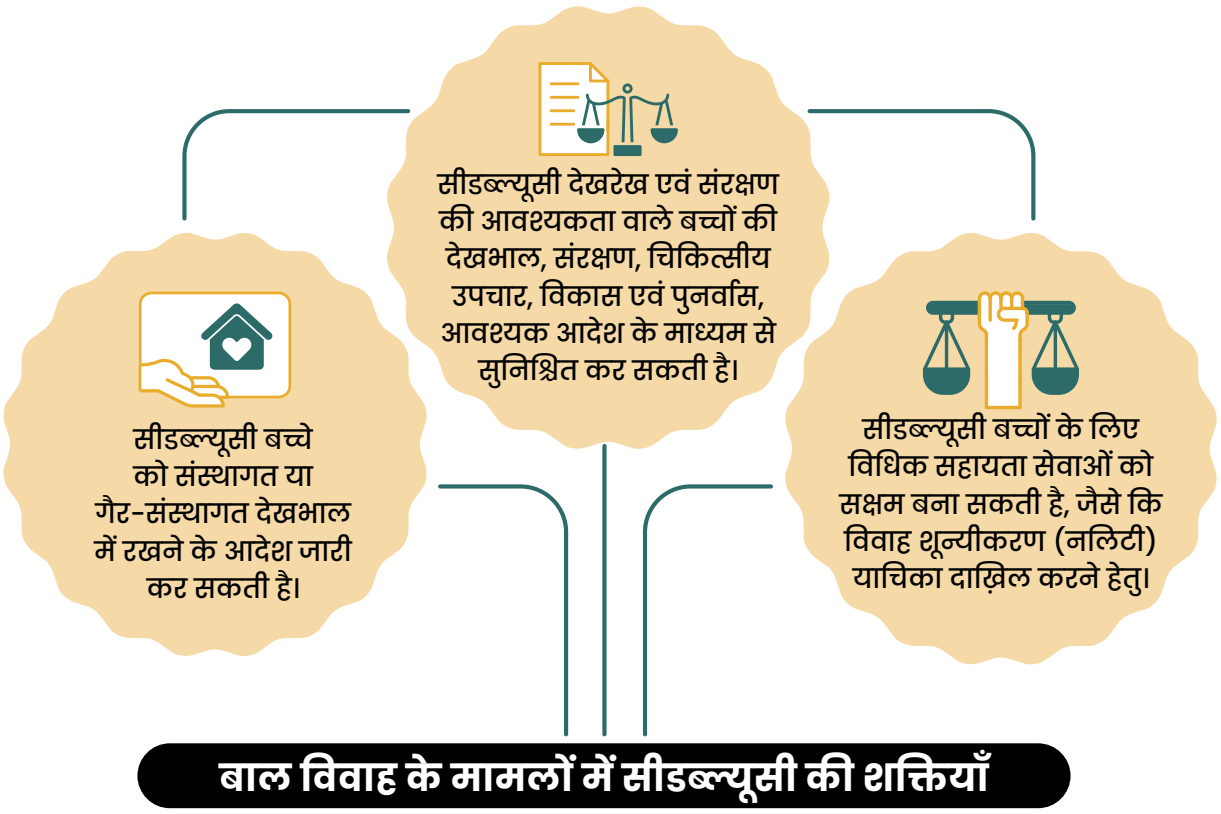


के आसन्न जोखिम में है, और उसके माता-पिता या परिवार के सदस्य उस विवाह को सम्पन्न कराने के लिए उत्तरदायी प्रतीत होते हैं, तो ऐसा बच्चा सीएनसीपी की श्रेणी में आएगा।[246] इसके अतिरिक्त, जेजे मॉडल नियम, 2016 के नियम 55 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी बच्चे का विवाह कराना, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत बच्चे के प्रति क्रूरता माना जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस या जेजे अधिनियम, 2015 अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत अधिकृत कोई भी अधिकारी, उस बच्चे को उचित निर्देशों अथवा पुनर्वासात्मक उपायों के लिए सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।[248] उदाहरण के लिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ़िसर) विवाह के पहले, दौरान या बाद में बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की किसी घटना की सूचना सीडब्ल्यूसी को दे सकता है – चाहे वह विवाह सम्पन्न हुआ हो या नहीं।[249]

जब पुलिस को बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होती है, तो उनके लिए भी बच्चे को 24 घंटों के भीतर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।[250] बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद, सीडब्ल्यूसी को यह जांच करनी होगी कि क्या बच्चा वास्तव में देखरेख और संरक्षण का पात्र है।[251] यदि यह स्थापित हो जाता है कि बच्चा सीएनसीपी की श्रेणी में आता है, तो सीडब्ल्यूसी बच्चे की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उसके आश्रय एवं पुनर्वास हेतु आदेश पारित कर सकती है।[252]

सीडब्ल्यूसी ऐसे बच्चे को कानूनी सहायता[253] उपलब्ध करवा सकती है जो धारा 3, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ज़िला न्यायालय में विवाह को निरस्त (नलिफाई) करने के लिए याचिका दायर करना चाहता/चाहती हो, या उक्त अधिनियम में दिए गए किसी अन्य प्रकार की राहत प्राप्त करना चाहे।

246 JJ Act 2015, s 2(14)(xii).
247 Enfold Proactive Health Trust-UNFPA, *Annulment of Child Marriage under the Prohibition of Child Marriage Act: A Primer, 2006* (2024) 26, available at <https://enfoldindia.org/wp-content/uploads/2024/10/UNFPA_Enfold-Annulment-of-Child-Marriage_English_Web.pdf>
248 JJ Model Rules 2016, rule 55.
249 HAQ, 'Handbook on the Prohibition of Child Marriage Act 2006' 12, 19, 20, 21 <https://www.childlineindia.org/pdf/Child-Marriage-handbook.pdf> accessed 27 January, 2025.
250 ibid 24.
251 JJ Act 2015, s 36.
252 JJ Act 2015, s 37.
253 JJ Act 2015, s 30(xvii).



Source: Enfold Proactive Health Trust-UNFPA, Annulment of Child Marriage under the Prohibition of Child Marriage Act: A Primer, 2006 (2024) 68, available at <https://enfoldindia.org/wp-content/uploads/2024/10/UNFPA_Enfold-Annulment-of-Child-Marriage_English_Web.pdf>.

3.3.1. बाल विवाह के शून्यीकरण की प्रक्रिया में सीडब्ल्यूसी की भूमिका क्या है?[254]

यदि कोई बच्चा अपने विवाह का शून्यीकरण कराना चाहता है और उसे अपने माता-पिता या परिवार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सीडब्ल्यूसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। **विशेष रूप से, सीडब्ल्यूसी यह सुनिश्चित कर सकती है कि बच्चे को कानूनी सेवाओं तक पहुंच मिले ताकि वह विवाह के शून्यीकरण के लिए याचिका दायर कर सके।**[255] यदि बच्चे के पास कोई सुरक्षित आश्रय नहीं है और उसका मूल परिवार (जन्म परिवार) उसके निर्णय का समर्थन नहीं करता है, **तो सीडब्ल्यूसी तत्काल उसे किसी सीसीआई, उपयुक्त सुविधा, या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में अस्थायी रूप से रख सकती है।**[256] जांच पूरी होने के बाद, एसआईआर तथा बच्चे की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, सीडब्ल्यूसी बच्चे को **संस्थागत या गैर-संस्थागत देखरेख में रखने के लिए आदेश पारित कर सकती है।**[257] यदि बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी संस्थागत देखरेख में रखा गया हो, या यदि वह सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट हो, तो वह उस आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर बाल न्यायालय में अपील दायर कर सकता/सकती है।[258] साथ ही, सीडब्ल्यूसी के समक्ष उस आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन भी दायर किया जा सकता है– विशेष रूप से उस संस्था या व्यक्ति के संबंध में जिसकी देखरेख या संरक्षण में बच्चे को रखा गया है।[259]

254 (n 246) 67-68.
255 JJ Act 2015, s 30(xvii).
256 JJ Act 2015, s 36(1).
257 JJ Act 2015, s 37(1).
258 JJ Act 2015, s 101(1).
259 JJ Act 2015, s 104(1).

3.4 बाल एवं किशोर श्रम के मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका

बाल श्रम के संदर्भ में, जेजे अधिनियम, 2015 के अनुसार, यदि कोई बच्चा, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, जेजे अधिनियम, 2015 या प्रचलित श्रम कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करते हुए पाया जाता है, तो उसे धारा 2(14)(ii) के तहत सीएनसीपी माना जाएगा।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (बाल श्रम कानून, 1986) के अनुसार, "बच्चा" वह व्यक्ति है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और "किशोर" वह है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 18 वर्ष की नहीं की है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं है, सिवाय इसके कि वे अपने परिवार की सहायता कर रहे हों या दृश्य-श्रव्य (ऑडियो-विज़ुअल) उद्योग में कार्य कर रहे हों।[260] बच्चे अपने परिवार या पारिवारिक उद्यम की सहायता केवल स्कूल के बाद या छुट्टियों में[261] उन गैर-खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कर सकते हैं जो 2017 बाल श्रम कानून संशोधन के तहत अनुसूची के खण्ड 'क' और 'ख' में सूचीबद्ध नहीं हैं। बच्चे ऑडियो-विज़ुअल मनोरंजन उद्योग में कलाकार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, बशर्ते आवश्यक सुरक्षा उपायों और शर्तों का पालन किया जाए।[262] जब बच्चा कार्य करता है, तो उसकी शिक्षा और विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और उसे पर्याप्त आराम की अनुमति दी जानी चाहिए।[263]

किसी बच्चे को रोज़गार के लिए बाध्य करना या उसे बंधुआ बना कर रखना, उसके कमाए हुए पैसों को ज़बरन लेना, या अपनी आवश्यकताओं के लिए उसकी कमाई का उपयोग करना, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 79 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें अधिकतम 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (बॉन्डेड लेबर सिस्टम (एबॉलिशन) एक्ट, 1976) के प्रावधान भी लागू होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को बंधुआ मज़दूरी करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास और/या ₹2000 तक के जुर्माने की सज़ा हो सकती है।[264] कोई भी व्यक्ति जो किसी "रिवाज,



260 CALPRA 1986, s 3(2).
261 CALPRA 1986, ss 3 and 3A.
262 Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Rules 2017, rule 2C.
263 CALPRA 1986, ss 3 and 3A.
264 Bonded Labour System (Abolition) Act 1976, s 16.

परंपरा, अनुबंध, समझौते या अन्य दस्तावेज़" के माध्यम से किसी व्यक्ति को, या उसके परिवार के सदस्य या आश्रित को, बंधुआ मज़दूरी प्रणाली के अंतर्गत सेवा देने के लिए मजबूर करता है, वह भी 3 वर्ष तक के कारावास और/या ₹2000 तक के जुर्माने का दोषी होगा।[265]

14 से 18 वर्ष की आयु के किशोर को गैर-खतरनाक कार्यों में शामिल किया जा सकता है। इसमें वे सभी व्यवसाय और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो बाल श्रम कानून, 1986 के 2017 के संशोधन में अनुसूची के खण्ड 'क' में सूचीबद्ध नहीं हैं। बच्चों और किशोरों को कार्य में संलग्न करने से संबंधित कानूनी ढांचा और दिशा-निर्देशों का विवरण **परिशिष्ट 2** में दिया गया है।

सीडब्ल्यूसी को जेजे अधिनियम, 2015, जेजे मॉडल/ राज्य नियमों तथा श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा जारी बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अंतर्गत अपनी तथा अन्य संबंधित पक्षों की ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखना होगा। बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) या शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए उन्हें उपयुक्त संस्थानों (फ़िट फेसिलिटीज़) में भेजे जाने, उनके लिए प्रायोजन और उपयुक्त योजनाओं से जोड़ने पर विचार किया जाना चाहिए।

एसओपी के अनुसार[266]:

"18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को, जिन्हें बचाया गया है, सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। सीडब्ल्यूसी को इस पर एक जांच करनी होती है, जिसमें घर सत्यापन (होम वेरीफिकेशन) की प्रक्रिया और एसआईआर शामिल हैं। इसके आधार पर सीडब्ल्यूसी निम्न आदेश पारित कर सकती है:

- **यदि घर सत्यापन स्वीकृत हो:**
  बच्चे को उसके समुदाय/घर वापस भेजा जाना चाहिए और सीडब्ल्यूसी प्रत्यावर्तन (रीपैट्रिएशन) के लिए आदेश पारित कर सकती है। प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश भी सीडब्ल्यूसी द्वारा दिया जा सकता है। राज्य के भीतर या दो राज्यों के बीच सुरक्षित प्रत्यावर्तन के लिए, सीडब्ल्यूसी को प्राप्तकर्ता क्षेत्र में स्थित संबंधित प्राधिकारियों, जैसे स्थानीय सीडब्ल्यूसी, को सूचित करना होगा। सीडब्ल्यूसी किसी गैर-सरकारी संगठन या विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) को बच्चे के साथ भेजने का आदेश भी दे सकती है।
- **यदि घर सत्यापन स्वीकृत नहीं हो:**
  यदि घर वापसी उपयुक्त नहीं मानी जाती है, तो पीड़ित के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीडब्ल्यूसी ऐसे बच्चों को जिन्हे पुनर्वास और संस्थागत सहायता की आवश्यकता है, निम्न स्थानों पर भेज सकती है:
  - बाल गृह
  - उपयुक्त संस्थान/सुविधा
  - योग्य व्यक्ति
  - पालक देखभाल, जब तक कि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले

  यह व्यवस्था तब तक की जा सकती है जब तक बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता/लेती। इस दौरान सीडब्ल्यूसी द्वारा आईसीपी के माध्यम से नियमित निगरानी की जानी चाहिए।
- सीडब्ल्यूसी प्रत्येक बच्चे के लिए पुनर्वास कार्ड (रिहैबिलिटेशन कार्ड) जारी करेगी, ताकि उसकी व्यक्तिगत देखभाल योजना पर हुई प्रगति की निगरानी की जा सके। सीडब्ल्यूसी को व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करनी होगी, जिसमें बच्चे की स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यकताएं, विशेष आवश्यकताएं, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, पुनर्स्थापन, फॉलो अप, सामाजिक मुख्यधारा में लाना, जीवन कौशल तथा सभी प्रकार के शोषण और दुरुपयोग से सुरक्षा जैसे बिंदु शामिल होंगे। यह योजना तीन महीने बाद पुनः समीक्षा कर आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जाएगी।"

265 Bonded Labour System (Abolition) Act 1976, s 18.

266 Ministry of Labour and Employment, Standard Operating Procedure for Enforcement of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act 1986 (September 2017) 26 <https://haqcrc.org/wp-content/uploads/2018/04/standard-operting-procedure-for-enforcement-of-the-child-and-adolescent-labour-prohibition-and-regulation-act-1986.pdf> accessed 27 January 2025.

केस स्टडी 8

बाल एवं किशोर श्रम मामलों में सीडब्ल्यूसी की भूमिका

तीन लड़कों को – मोंटू (आयु 11 वर्ष), सोनू (आयु 13 वर्ष) और रोहित (आयु 15 वर्ष) – एक सिलाई की दुकान से रेस्क्यू किया गया, जहां वे काम कर रहे थे और बिना किसी वेंटिलेशन (हवादार व्यवस्था) वाले कमरे में रह रहे थे। बच्चों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि उनके गांव का एक जानकार व्यक्ति उन्हें शहर लाया था और उन्हें यह काम दिलवाया था। वे पिछले तीन महीनों से काम कर रहे थे। उन्हें प्रति माह ₹1000 मिलते थे और दिन में दो बार भोजन दिया जाता था। वे दुकान में ही रहते थे और हर दिन 12 से 14 घंटे काम करते थे। उन्होंने गरीबी और आर्थिक मजबूरियों के कारण स्कूल छोड़ दिया था।

सीडब्ल्यूसी ने बच्चों को बाल गृह में रखने का आदेश दिया और डीसीपीयू को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में उनके माता-पिता को उपस्थित किया जाए। माता-पिता वहां पहुंचे और बच्चों को उनके हवाले करने का अनुरोध किया। सीडब्ल्यूसी ने उनकी पहचान की पुष्टि की और एक शपथ पत्र लिया कि वे बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएंगे और उन्हें काम पर नहीं भेजेंगे। माता-पिता ने सहमति दी और बच्चों को रिहा कर दिया गया। कुछ सप्ताह बाद, वे बच्चे फिर शहर लौट आए और एक अन्य सिलाई की दुकान में काम करने लगे।

विचार करें:

- सीडब्ल्यूसी को बच्चों की आयु से संबंधित जांच और निष्कर्ष उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर दर्ज करने चाहिए। यदि उनके हुलिए से यह स्पष्ट हो कि सभी बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं, तो सीडब्ल्यूसी को अपनी जांच आगे बढ़ानी चाहिए। सोनू और रोहित के मामले में यह जानना ज़रूरी हो सकता है कि वे 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं या नहीं, ताकि बाल श्रम कानून, 1986 की प्रासंगिकता निर्धारित की जा सके। आयु से संबंधित दस्तावेज़ॅ, जैसे कि स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र को देखा जा सकता है। यदि ये दस्तावेज़ॅ उपलब्ध नहीं हैं, तो सीडब्ल्यूसी सोनू और रोहित के लिए चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण का आदेश दे सकती है।
- तीनों बच्चे जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14)(ii) के अंतर्गत सीएनसीपी हैं, क्योंकि वे श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए शोषणकारी परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। भले ही सिलाई का कार्य खतरनाक श्रेणी में नहीं आता, लेकिन जिन परिस्थितियों में रोहित को काम कराया जा रहा था, वो बाल श्रम कानून, 1986 के कार्य की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करती हैं, जिससे वह सीएनसीपी की परिभाषा में आता है।
- सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए था कि एफआईआर में

↘

संबंधित अपराधों का उल्लेख हो, जिस में जेजे अधिनियम की धारा 79 भी शामिल हो।

- सर्वोत्तम हित के संदर्भ में, सीडब्ल्यूसी को सबसे पहले प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत रूप से बात सुननी चाहिए थी और यह समझना चाहिए था कि वे कहां रहना चाहते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है मोंटू स्कूल वापस जाना चाहता हो, जबकि सोनू और रोहित स्पष्ट रूप से कह सकते थे कि उन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं है। आगे की मूल्यांकन प्रक्रिया से यह पता चल सकता था कि उन्हें सीखने में कठिनाइयां हैं और वे व्यावसायिक पाठ्यक्रम को प्राथमिकता देते हैं। सीडब्ल्यूसी को बच्चों को उनके लिए उपलब्ध विकल्पों की पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, और प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों के बारे में समझाना चाहिए था।
- इस मामले में जिन सर्वोत्तम हित के तत्वों की प्रासंगिकता है, वे हैं — बच्चे की देखभाल और सुरक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और बच्चे की पहचान से संबंधित कोई भी विशेषता — जैसे कि अगर बच्चा विकलांग है या किसी वंचित समुदाय से आता है।
- सीडब्ल्यूसी को प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत एसआईआर मंगवानी चाहिए थी, ताकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां, कमज़ोरियां और जोखिम समझे जा सकें।
- बच्चों की ज़रूरतों और परिस्थितियों के आधार पर संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख विकल्पों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। यदि परिवार या किसी रिश्तेदार के साथ रहना बच्चों के सर्वोत्तम हित के तत्वों को पूरा करता है, तो बच्चों को वहां रखा जा सकता है (बशर्ते एसआईआर भी इसी की सिफारिश करे)। यदि ऐसा नहीं है, तो बच्चों को किसी सीसीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवासीय सुविधा, या पालक देखभाल (यदि उपलब्ध हो) में रखा जा सकता है।
- एसआईआर और सर्वोत्तम हित निर्धारण के आधार पर, एक स्पष्ट और युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना चाहिए था, जिसमें यह स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए थे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों को संबंधित सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, और बच्चों की शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ाव के लिए व्यक्तिगत अवश्यकतानुसार सिफारिशें दी जाएं। साथ ही संबंधित क्षेत्र की सीडब्ल्यूसी और डीसीपीयू को नियमित फॉलोअप के लिए सूचना भेजी जानी चाहिए थी।
- बाल श्रमिकों के बचाव और बचाव के बाद की प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा 2020 में पारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[267] के अनुसार, सीडब्ल्यूसी को श्रम विभाग को भी एक अनुरोध पत्र भेजना चाहिए था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बच्चे के संबंध में बकाया वेतन (बैक वेजेस), जुर्माना और दंड कितना बनता है।

267 National Commission for Protection of Child Rights, Standard Operating Procedure for Rescue and Post Rescue of Child Labour (27 January 2020) 18 <https://lc.kerala.gov.in/images/pdf/Latest/sop.pdf> accessed 27 January 2025

एसओपी में सीडब्ल्यूसी की निम्न भूमिकाओं का भी उल्लेख किया गया है:

- सीडब्ल्यूसी के एक सदस्य को बाल एवं किशोर श्रमिकों को बचाने वाली रेस्क्यू टीम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।[268]
- **सीडब्ल्यूसी को जांच का आदेश देना होता है, जिसमें चिकित्सकीय परीक्षण, आयु निर्धारण प्रक्रिया, अस्थायी देखभाल एवं संरक्षण, या माता-पिता का पता लगाना शामिल हो सकता है।**
- यदि सीडब्ल्यूसी को उपयुक्त लगे तो घर सत्यापन का आदेश दे सकती है ताकि बच्चे को उसके माता-पिता के पास भेजा जा सके।
- सीडब्ल्यूसी जेजेबी के माध्यम से एफआईआर में अतिरिक्त धाराएं जोड़ने की सिफारिश कर सकती है, जैसा कि जेजे अधिनियम, 2015 में वर्णित है।[269]
- काउंसलर को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि **बच्चे को मानसिक रूप से कितना आघात (मेंटल ट्रॉमा)** हुआ है और उसे किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। यह जानकारी सीडब्ल्यूसी को दी जाएगी और सीडब्ल्यूसी उसके अनुसार आदेश पारित करेगी।[270]
- सीडब्ल्यूसी को **प्रत्येक माह होने वाली ज़िला कार्यबल (डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स) की बैठक में भाग लेना होगा** और खतरनाक कार्यों में बाल एवं किशोर श्रम के उन्मूलन हेतु तैयार की गई कार्य योजना के क्रियान्वयन में सहायता करनी होगी।[271]
- सीडब्ल्यूसी को **ज़िला नोडल अधिकारी के साथ सभी बाल श्रमिकों और खतरनाक कार्यों में लगे किशोर श्रमिकों को प्रदान किए गए पुनर्वास की जानकारी साझा करनी होगी।**[272]

3.4.1. क्या बाल श्रम मामलों में सीडब्ल्यूसी नियोक्ता पर जुर्माना लगा सकती है या बकाया वेतन (बैक वेजेस) का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है?

जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी को बाल श्रम मामलों में किसी भी प्रकार का जुर्माना लगाने या बकाया वेतन का भुगतान करने का स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि, दिल्ली के संदर्भ में, ***बचपन बचाओ बनाम भारत संघ***[273] **के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने घरेलू कामगारों को उपलब्ध कराने वाली निजी एजेंसियों के नियमन और महिलाओं व बच्चों की मज़दूरी की वसूली सुनिश्चित करने हेतु निर्देश पारित किए थे।** इस निर्णय के बाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के श्रम विभाग ने दिल्ली प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज़ (नियमन) आदेश, 2014[274] जारी किए। आदेश 10 के अनुसार, दिल्ली में सीडब्ल्यूसी और दिल्ली महिला आयोग को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए:

i. घरेलू कामगार, उसके अभिभावक, या उसे नियुक्त करने वाले व्यक्ति की शिकायत पर, **निजी प्लेसमेंट एजेंसियों या नियोक्ताओं को तलब करना** (समन जारी करना);
ii. श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम वेतन के अनुसार, **वेतन के भुगतान** का निर्देश देना (नियोजन की आपसी सहमति से तय शर्तों को ध्यान में रखते हुए), और उपयुक्त मामलों में जुर्माना लगाना;
iii. ऐसे मामलों में **मुआवज़े का निर्देश** देना जहां काम के दौरान घरेलू कामगार को गंभीर चोट पहुंची हो;
iv. **चिकित्सकीय सहायता** का निर्देश देना;

268 ibid 17, 41.
269 (n 268) 23.
270 ibid.
271 (n 268) 41.
272 ibid.
273 [2010] SCC OnLine Del 4613.
274 Delhi Private Placement Agencies (Regulation) Order, 2014 <https://thc.nic.in/Central%20Governmental%20Ordinances/Delhi%20Private%20Placement%20Agencies%20(Regulation)%20Order,%202014.pdf> accessed 27 January 2025.

v. **निजी प्लेसमेंट एजेंसी को यह निर्देश देना कि वह नियोक्ता के साथ किए गए समझौते का पालन करे, और यदि शर्तों का पालन नहीं किया गया है तो कमीशन वापस लौटाए;**
vi. समझौते की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में निजी प्लेसमेंट एजेंसी पर **जुर्माना** लगाना;
vii. बच्चे/महिला को **विधिक सहायता** प्रदान करने का निर्देश देना जहां दंडनीय अपराध घटित हुआ हो
viii. ऐसे मामलों में नियोक्ता को स्थानीय पुलिस या समिति को 24 घंटे के भीतर सूचित करने का निर्देश देना जहां घरेलू कामगार लापता हो;
ix. यदि घरेलू कामगार को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी घर में नियुक्त किया गया हो, तो उसे **नौकरी छोड़ने की अनुमति देना** और एजेंसी को नियोक्ता द्वारा दिया गया कमीशन वापस लौटाने का निर्देश देना।

अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे अधिकारों की विधिक मान्यता न होने के कारण अन्य राज्यों की बाल कल्याण समितियां वेतन या मुआवज़ा दिलाने का आदेश नहीं दे सकतीं। 2020 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर या राष्ट्रीय बाल आयोग)) द्वारा जारी की गई एक एसओपी[275] के अनुसार, सीडब्ल्यूसी की भूमिका यह सुनिश्चित करने की है कि जब किसी बच्चे को किसी संस्थान में रखा जाता है या उसे उसके माता-पिता के पास वापस भेजा जाता है, तो बच्चे को उसकी मज़दूरी और मुआवज़े की राशि प्राप्त हो। जिस सीडब्ल्यूसी के क्षेत्राधिकार में बच्चे को पुनर्स्थापित किया गया है, वह यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चे के नाम एक बैंक खाता खोला जाए और बच्चे के नियोक्ता से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट, उस बैंक खाते में जमा किया जाए।[276] हालांकि, श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी पूर्ववर्ती एसओपी के अनुसार – जो कि बाल श्रम कानून, 1986 के प्रवर्तन से संबंधित है – प्रत्येक बच्चे और किशोर के लिए बैंक खाता खोलने की ज़िम्मेदारी श्रम विभाग द्वारा नियुक्त ज़िला नोडल अधिकारी की होती है। ज़िला नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चे के नाम एकत्र की गई राशि पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है, वह हर छह महीने में उस बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाए, और जब बच्चा या किशोर 18 वर्ष का हो जाए, तो मूलधन उस खाते में स्थानांतरित किया जाए।[277] ज़िला मजिस्ट्रेट को यह निगरानी करनी होती है कि पुनर्वास सेवाएं, जिसमें आर्थिक मुआवज़े की प्राप्ति भी शामिल है, पीड़ित तक पहुंच रही है या नहीं।[278] राज्य श्रम विभाग का राज्य संसाधन केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ज़िले या ज़िलों के समूह में एक "बाल एवं किशोर श्रम कोष" की स्थापना की जाए। इसके अतिरिक्त, यह केंद्र यह भी निगरानी करेगा कि श्रम कानूनों तथा केंद्र/राज्य सरकार की अन्य लागू योजनाओं के अंतर्गत सभी आर्थिक योजनाएं और मुआवज़े बच्चों तक पहुंचें।[279]

सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िला नोडल अधिकारी, ज़िला मजिस्ट्रेट, और राज्य संसाधन केंद्रों के साथ समन्वय करना पड़ सकता है कि श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों और किशोरों को उनकी मज़दूरी और मुआवज़ा प्राप्त हो।

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में बाल संरक्षण प्रणाली के विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।[280] जहां तक मज़दूरी और मुआवज़े के भुगतान की बात है, एसओपी में बाल एवं किशोर श्रमिकों को दिए जाने वाले मुआवज़े को एक तालिका के रूप में नीचे दर्शाया गया है।

275 (n 266).
276 ibid.
277 (n 268) 33.
278 (n 268) 36.
279 (n 268) 39.
280 (n 268) 27-28.

बाल एवं किशोर श्रमिकों के लिए मुआवज़ा

योजना / कानूनी प्रावधान	उत्तरदायी प्राधिकरण	राशि	लाभार्थी
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (बाल श्रम कानून, 1986) के प्रवर्तन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[281]	संबंधित न्यायालय	रोज़गार की अवधि के लिए बकाया वेतन जो न्यूनतम वेतन से कम की दर पर नहीं हो (बैक वेजेस)	बाल एवं किशोर श्रमिक
बंधुआ मज़दूरी के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना - 2021 के अंतर्गत ज़िला बंधुआ मज़दूरी पुनर्वास कोष[282]	ज़िला मजिस्ट्रेट	₹30,000 की तात्कालिक वित्तीय सहायता	बंधुआ या जबरन श्रम करने वाले बाल एवं किशोर श्रमिक
		₹2,00,000 की राहत राशि, जिसमें से कम से कम ₹1.25 लाख प्रत्येक लाभार्थी के नाम से वार्षिकी योजना (एन्युटी स्कीम) में जमा होगी, और शेष राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर - डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी	अनाथ बच्चों सहित, संगठित व जबरन भिक्षावृत्ति में फंसे या अन्य प्रकार के जबरन श्रम से मुक्त कराए गए बच्चे व किशोर
		₹3,00,000 की राहत राशि, जिसमें से कम से कम ₹2 लाख वार्षिकी योजना में और ₹1 लाख प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी	बंधुआ या जबरन कार्य में लगाए गए बाल एवं किशोर श्रमिक, जिन्हें यौन शोषण (जैसे कि वेश्यालय, मसाज पार्लर, प्लेसमेंट एजेंसियां आदि) से, या मानव दुर्व्यापार से, या विकलांगता की स्थिति में, अथवा ऐसी परिस्थितियों से बचाया गया हो जिसे ज़िला मजिस्ट्रेट उपयुक्त समझें।

281 ibid.

282 Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer - 2021. <https://labour.gov.in/sites/default/files/20220208154105_compressed.pdf> accessed 19 January 2025.

बाल एवं किशोर श्रमिकों के लिए मुआवज़ा

योजना / कानूनी प्रावधान	उत्तरदायी प्राधिकरण	राशि	लाभार्थी
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A / भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस, 2023) की धारा 396	न्यायालय द्वारा मुआवज़े की अनुशंसा पर ज़िला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए या एसएलएसए)	मुआवज़े की राशि ज़िला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी	श्रम हेतु दुर्व्यापार किए गए बच्चों सहित सभी बाल एवं किशोर श्रमिक
धारा 14(ख), बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में संशोधित) एवं नियम 16अ, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 2017	केंद्र / राज्य सरकार	₹15,000 की राशि "बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष" में जमा की जाएगी	मुक्त कराए गए बाल एवं किशोर श्रमिक
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के साथ पढ़ी गई धारा 14(ख) (2016 में संशोधित)		₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना नियोक्ता पर लगाया जाएगा, जो "बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष" में जमा किया जाएगा	

एनसीपीसीआर द्वारा बाल श्रम से बचाव एवं बचाव के बाद की प्रक्रिया के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), 2020[283] से कुछ अंश

परिशिष्ट-क

यह बयान सीडब्ल्यूसी द्वारा तभी दर्ज किया जाएगा जब यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि बयान देने वाला बच्चा इन प्रश्नों के उचित उत्तर देने की समझ/परिपक्वता रखता है:

बचाए गए बच्चे का बयान दर्ज करते समय पूछे जाने वाले प्रश्न:

A. सामान्य जानकारी :
बच्चे का नाम, उम्र, राष्ट्रीयता, परिवार, पता और बच्चे की पहचान के लिए आवश्यक अन्य जानकारी।

B. भर्ती की प्रक्रिया :

i. बच्चे का मूल निवास स्थान क्या है?
ii. बच्चा आखिरी बार किस स्थान पर रह रहा था?
iii. बच्चा कितने समय से उस स्थान पर रह रहा था?
iv. जब बच्चा अपने मूल निवास स्थान से गया, तब उसकी उम्र कितनी थी?
v. क्या बच्चे के परिवार के सदस्यों को उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी थी?
vi. क्या बच्चे को जबरन किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया? यदि हां, तो कैसे?
vii. बच्चे की भर्ती किसने की थी?
viii. इस भर्ती का उद्देश्य क्या था?
ix. क्या बच्चे और भर्ती करने वाले के बीच पहली बार संपर्क स्वैच्छिक था?
x. बच्चे को वेतन/मज़दूरी कब से मिलनी शुरू हुई?
xi. क्या काम शुरू होने से पहले बच्चे को कोई अग्रिम राशि दी गई थी?

C. बल प्रयोग या धमकी :
अगर भर्ती में बल प्रयोग किया गया था, तो ये प्रश्न पूछें:

i. क्या बच्चे का अपहरण किया गया था?
ii. क्या बच्चे को या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी?
iii. क्या बच्चे को बेचा गया था? किसके द्वारा?
iv. जबरन ले जाने की परिस्थितियां क्या थीं?
v. संपर्क किसने शुरू किया? कैसे?
vi. भर्ती की विधि क्या थी? (उदाहरण के लिए: विज्ञापन, जान-पहचान, परिवार, रिश्तेदार, एजेंसी, पढ़ाई, प्रशिक्षण आदि)

↘

283 (n 266) 18.

D. रोज़गार :

अगर भर्ती रोज़गार के लिए की गई थी, तो ये प्रश्न पूछें:

i. बच्चे को क्या लगता था कि वह किस प्रकार के काम में लगेगा नए स्थान पर पहुंचने के बाद?
ii. बच्चे को किस प्रकार का काम दिया गया था?
iii. बच्चे को कितने पैसे का वादा किया गया था और किसने किया था?
iv. क्या बच्चे ने किसी अनुबंध (उदाहरण: नौकरी का अनुबंध) पर हस्ताक्षर किए थे? यदि हां, तो अनुबंध की शर्तें क्या थीं?
v. क्या बच्चे को इन शर्तों की जानकारी थी (क्या अनुबंध उस भाषा में था जिसे बच्चा समझता था)?
vi. क्या बच्चे के पास उस अनुबंध की प्रति है?
vii. क्या बच्चे को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था? कैसे?
viii. क्या किसी व्यक्ति को बच्चे की भर्ती के लिए कोई शुल्क दिया गया था?

E. पहचान पत्र :

i. क्या बच्चे के पास कोई पहचान पत्र है? अगर है, तो क्या वह उसका वैध दस्तावेज़ है या जाली है?
ii. यह दस्तावेज़ उसे कैसे मिला?
iii. बच्चे से किस प्रकार की रोज़गार अनुमति (या नियुक्ति) का वादा किया गया था, और किसके द्वारा?

F. कार्य की स्थिति - शोषण :

i. क्या बच्चे को लगता है कि वह किसी प्रकार के ऋण बंधन (डेब्ट बॉन्डेज) में है?
ii. क्या बच्चे को लगता है कि उस पर भर्ती करने वाले / लाने ले जाने वाले / शोषण करने वाले लोगों का कोई ऋण बकाया है?
iii. क्या बच्चे को वेतन दिया गया? अगर हां, तो किस दर पर?
iv. वर्तमान में कमाई हुई राशि किसके पास है?
v. बच्चा प्रतिदिन कितने घंटे काम करता था?
vi. क्या बच्चे को छुट्टी मिलती थी? क्या बीमार होने पर उसे आराम करने दिया जाता था?

G. स्वतंत्रता पर रोक :

i. क्या बच्चा नियोक्ता की नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी नहीं कर सकता था?
ii. क्या बच्चे की आवाजाही पर रोक थी? कैसे? (जैसे, क्या बच्चे के पास घर की चाबी थी?)
iii. क्या बच्चा उसी जगह रह रहा था जहां वह काम करता था?
iv. अगर बच्चा परिवार के साथ नहीं रह रहा था, तो क्या उसे अन्य मज़दूरों या परिवार से संपर्क

करने की अनुमति थी?

H. रहने की स्थिति :

i. बच्चे की रहने की स्थिति कैसी थी? (उदाहरण: कमरों की संख्या, साथ रहने वाले लोगों की संख्या)
ii. क्या बच्चे के मित्र थे?
iii. क्या बच्चे के पास अपने पैसे थे?
iv. क्या बच्चा अपने लिए सामान खरीद सकता था?
v. क्या बच्चे को ठीक से खाना, कपड़े, और आश्रय मिला?

I. शारीरिक उत्पीडन :

i. क्या बच्चे के साथ शारीरिक मारपीट या यातना हुई? (जैसे - चुटकी काटना, थप्पड़ मारना, मुक्के मारना, लात मारना, झकझोरना, जलाना, लोहे से दागना, जंजीरों में बांधना आदि)
ii. क्या बच्चा पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 7 के अंतर्गत परिभाषित यौन उत्पीड़न (जैसे कि जबरन यौन संपर्क, बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति आदि) या धारा 11 के अंतर्गत परिभाषित यौन प्रताड़ना का शिकार हुआ है?
iii. क्या बच्चे को जबरन कैद या एकांतवास में रखा गया था?
iv. क्या बच्चे को ज़रूरी चिकित्सा सेवाओं से वंचित किया गया था?
v. क्या बच्चे को भोजन/कपड़े और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित किया गया था, जिनमें स्वच्छता बनाए रखने की सुविधा भी शामिल है?

J. मानसिक उत्पीड़न :

i. क्या बच्चे को या उसके परिवार/मित्रों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी?
ii. क्या बच्चे को अधिकारियों के पास उसके बारे में सूचना देने की धमकी दी गई थी?
iii. क्या बच्चे ने दूसरों को शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होते हुए देखा या सुना?
iv. क्या बच्चे को उसके काम, गतिविधियों या कार्यस्थल की मूलभूत स्थिति के बारे में धोखे में रखा गया?
v. क्या बच्चे के साथ गाली-गलौज, उसकी जाति या सामाजिक समूह पर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं?
vi. क्या बच्चे की तस्वीरें या वीडियो तब ली गईं जब उसके साथ यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा या अपमानजनक बर्ताव किया गया?



अध्याय 4

सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे का सर्वोत्तम हित निर्धारण करने के लिए चेकलिस्ट

यह चेकलिस्ट जेजे अधिनियम, 2015, जेजे मॉडल नियम, 2016, और "बच्चे के सर्वोत्तम हित" से संबंधित संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 14 के प्रावधानों पर आधारित है। बाल कल्याण समितियां जांच की प्रक्रिया के दौरान इस चेकलिस्ट का उपयोग करने पर विचार कर सकती हैं, क्योंकि यह कानूनी प्रक्रिया और सर्वोत्तम हित के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करने में सहायक होगी। प्रत्येक बच्चे के सर्वोत्तम हितों का निर्धारण, बाल कल्याण समितियों के अंतरिम और अंतिम आदेशों का आधार होना चाहिए, जिसके लिए यह चेकलिस्ट बाल कल्याण समितियों को सभी प्रासंगिक तत्वों, रिपोर्ट, विशेषज्ञों की राय और उन अन्य व्यक्तियों पर विचार करने में सहायता करेगी, जिन पर निर्णय का प्रभाव पड़ सकता है। इस चेकलिस्ट पर आधारित सर्वोत्तम हित निर्धारण को दर्शाने वाले उदाहरण के लिए परिशिष्ट 1 में उल्लिखित एसआईआर और अंतिम आदेश देखें।



सीडब्ल्यूसी चेकलिस्ट

आयु निर्धारण

1. **क्या प्रस्तुत किया गया व्यक्ति दिखने में "बच्चा" है?**
   a. हां, प्र.4 पर आगे बढ़ें।
   b. नहीं, उम्र संदिग्ध है।

2. **यदि उम्र संदिग्ध है:**
   - ❑ a. क्या स्कूल से जन्मतिथि का प्रमाण पत्र या मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र मांगा गया है?
   - ❑ b. यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो क्या किसी निगम, नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है?
   - ❑ c. यदि उपरोक्त कोई भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो क्या अस्थि जांच (ऑसिफिकेशन टेस्ट) या नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण 15 दिनों के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है?

3. **प्र.2 के आधार पर, यदि व्यक्ति बच्चा है, तो प्र.4 पर जाएं। यदि नहीं, तो मामले का निस्तारण करें।**

क्या बच्चे को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है

4. **क्या प्रस्तुत किया गया बच्चा "देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता" (सीएनसीपी) की श्रेणी में आता है?**
   - ❑ a. हां, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) के तहत, प्र.5 पर आगे बढ़ें
   - ❑ b. यदि नहीं, तो मामले का निस्तारण करें।

जांच के चरण

5. **क्या बच्चे को तत्काल किसी की देखरेख और संरक्षण में रखने की आवश्यकता है?**
   - ❑ a. हां, इन के आधार पर
     i. प्रारूप 17
     ii. बच्चे के साथ बातचीत और उनके विचार
     iii. परिवार/अभिभावक से बातचीत
     iv. चिकित्सा रिपोर्ट
     v. अन्य
   - ❑ b. नहीं, बच्चा जहां पर है वहीं रह सकता है

6. **यदि बच्चे को तत्काल देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो किन विकल्पों पर विचार किया गया है:**
   - ❑ a. माता-पिता/अभिभावक
   - ❑ b. रिश्तेदार
   - ❑ c. योग्य व्यक्ति (फ़िट पर्सन)
   - ❑ d. उचित सुविधा (फ़िट फेसिलिटी)
   - ❑ e. बाल गृह
   - ❑ f. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (सपेशलाइज़्ड अडोपशन एजेंसी)
   - ❑ g. अन्य (निर्दिष्ट करें)

↘

7. **क्या सामाजिक जांच रिपोर्ट (एसआईआर) का आदेश दिया गया है?**
   - ❑ a. हां, डीसीपीयू /केस वर्कर/परिवीक्षा अधिकारी /एनजीओ के स्टाफ/सामाजिक कार्यकर्ता/चाइल्ड लाइन/ अन्य को एसआईआर जमा करने के लिए कहा गया है।
   - ❑ b. नहीं, क्योंकि (कारण निर्दिष्ट करें)

8. **क्या व्यक्तिगत देखरेख योजना (इंडिविजुअल केयर प्लान - आईसीपी) का आदेश दिया गया है?**
   - ❑ a. हां, केस वर्कर/परिवीक्षा अधिकारी /डीसीपीयू को आईसीपी तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
   - ❑ b. नहीं, क्योंकि (कारण निर्दिष्ट करें)

बच्चे के विचार

(ध्यान दें: बच्चों के विचारों पर सभी चरणों में विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि सीडब्ल्यूसी के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने के दौरान, तत्काल अस्थाई व्यवस्था करते समय, एसआईआर और आईसीपी की तैयारी, बच्चे के पुनर्वास के लिए उपाय, जांच के दौरान, अंतिम आदेश की तैयारी और अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान)

9. **क्या बच्चा उस उम्र और परिपक्वता का है कि उसके विचारों को सुनना और उन पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?**

10. **यदि हां, तो क्या बच्चे की सार्थक और सूचित भागीदारी को सक्षम करने के लिए पर्याप्त और आयु-उपयुक्त जानकारी प्रदान की गई है?**

11. **क्या बच्चे को अनुवादक/दुभाषिये/विशेष शिक्षक से सहायता की आवश्यकता है?**

12. **क्या बच्चे के विचारों को सुना गया है:**
    - ❑ a. बच्चे को सीधे सुना गया है (directly)
    - ❑ b. एक प्रतिनिधि के माध्यम से (उनका नाम और प्रतिनिधि से संबंध)
    - ❑ c. अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

13. **क्या सीडब्ल्यूसी ने बच्चे को यह समझाया कि उसके विचारों को कैसे ध्यान में रखा गया है?**

14. **यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे के विचारों पर ध्यान दिया जाए, अन्य क्या उपाय किए गए?**

15. **अंतिम आदेश पर बच्चे के विचारों का क्या प्रभाव पड़ा?**

परिवार के सदस्यों के विचार और पदाधिकारियों की राय पर विवेचना

16. **माता-पिता/अभिभावक, भाई-बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के विचार क्या हैं ?**

17. **केस वर्कर, परिवीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर), सीसीआई कर्मचारी, काउंसलर, एनजीओ की राय क्या है? sपरिवार के सदस्यों और पदाधिकारियों के विचार अंतिम आदेश को कैसे प्रभावित करते हैं?**

बच्चे की पहचान और सुभेद्यता पर विचार

18. क्या बच्चे का लिंग, जाति, जनजाति, धर्म, जातीयता, विकलांगता, राष्ट्रीयता या कोई अन्य पहचान उसके तात्कालिक या दीर्घकालिक पुनर्वास के निर्णय को प्रभावित करते हैं?

19. एसआईआर के आधार पर, क्या बच्चे को अत्यधिक या गंभीर सुभेद्यता की स्थिति में आंका गया है? उदाहरण के तौर पर - क्या बच्चा अनाथ है /गर्भवती है /एचआईवी-एड्स से ग्रस्त है /परित्यक्त है /कई विकलांगताओं से ग्रस्त है /अभ्यर्पित है /यौन शोषण /घरेलू हिंसा/बाल श्रम/दुर्व्यापार का शिकार है /अपराध करने के लिए गिरोहों या वयस्कों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है /सड़क पर और बिना किसी सहायता के है /बार-बार संस्थागतकरण का शिकार है /नशीले पदार्थों का आदी है /अन्य संवेदनशील या संकटपूर्ण परिस्थिति में है (कृपया स्पष्ट करें)। अगर हां, तो बच्चे के अधिकारों और ज़रूरतों को अंतिम आदेश में कैसे शामिल किया जाएगा ?

20. क्या एसआईआर, बच्चे के साथ बातचीत, काउंसलिंग रिपोर्ट, या अन्य किसी दस्तावेज़ या जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे के खिलाफ कोई अपराध किया गया है? यदि हां, तो कृपया अपराध का उल्लेख करें।

21. जहां बच्चे के खिलाफ कथित रूप से अपराध किया गया है, वहां सीडब्ल्यूसी द्वारा क्या कदम उठाए गए?

- ❑ a. डीसीपीयू/सीसीआई कर्मचारी/अन्य को एफआईआर दर्ज करने की सलाह दी गई है
- ❑ b. एफआईआर दर्ज करने के लिए जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 8(3)(ठ) के तहत जेजेबी को शिकायत भेजी गई है
- ❑ c. कानूनी सहायता और बच्चे के प्रतिनिधित्व के लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) को सुझाव दिया गया है
- ❑ d. पॉक्सो नियम, 2020 के तहत पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अपराधों में सहायक व्यक्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान है
- ❑ e. जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 30(xvi) के तहत पुलिस/डीसीपीयू /श्रम विभाग/चाइल्ड लाइन को निर्देश दिया गया है

22. कृपया बच्चे को मुआवज़ा या राहत प्राप्त कराने के लिए की गई कार्रवाई पर टिक करें।

- ❑ a. मुआवज़ा प्रदान करने या योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डीसीपीयू को सिफारिश की गई है
- ❑ b. पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 8 के तहत विशेष राहत के लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)/डीसीपीयू को सिफारिश की गई है
- ❑ c. डीसीपीयू और सहायक व्यक्ति की सहायता से पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 10(2) के तहत बैंक खाता खोलने में मदद प्रदान की गई है
- ❑ d. बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चे के लिए बैंक खाता खुलवाने और नियोक्ता से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट को उस खाते में जमा कराने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की गई है
- ❑ e. बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को उनका वेतन और मुआवज़ा दिलाने के लिए डीसीपीयू को ज़िला नोडल अधिकारी, ज़िला मजिस्ट्रेट और राज्य संसाधन केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है
- ❑ f. अन्य (कृपया विवरण दें)

23. बच्चे की पहचान और सुभेद्यता अंतिम आदेश को कैसे प्रभावित करते हैं?

पारिवारिक परिवेश का संरक्षण और पारिवारिक संबंध बनाए रखना

24. क्या एसआईआर, बच्चे के साथ बातचीत, या किसी अन्य दस्तावेज़ अथवा जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे को परिवार, भाई-बहन या अभिभावक के हाथों किसी प्रकार के दुर्व्यवहार/उपेक्षा का सामना करना पड़ा है?
25. क्या माता-पिता/अभिभावक/भाई-बहन बच्चे को भावनात्मक समझ और समर्थन प्रदान करते हैं? बच्चा किस पर भरोसा करता है?
26. क्या एसआईआर, बच्चे के साथ बातचीत, या किसी अन्य दस्तावेज़ अथवा जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि माता-पिता/अभिभावक के कार्यों या निष्क्रियता के कारण बच्चा सीएनसीपी (देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे) की स्थिति में पहुंचा है?
27. क्या बच्चा परिवार में वापस आने का इच्छुक है? यदि नहीं, तो कारण लिखिए।
28. क्या बच्चा परिवार के संपर्क में रहने का इच्छुक है? यदि नहीं, तो कारण लिखिए? यदि हां, तो यह कैसे संभव होगा?
29. क्या परिवार बच्चे की देखभाल और सुरक्षा का दायित्व लेने के लिए तैयार है? यदि नहीं, तो कारण लिखिए।
30. सीडब्ल्यूसी द्वारा ऐसे मामलों में उठाए गए कदम जहां परिवार आर्थिक समस्याओं के कारण विवश है:
    - ❑ a. प्रायोजन सहायता
    - ❑ b. परिवार को उपलब्ध योजनाओं से जोड़ने के लिए डीसीपीयू को निर्देश
    - ❑ c. अन्य (स्पष्ट किया जाए)
32. क्या पारिवारिक सहयोग की कमी या घर में हिंसा के कारण बच्चे के घर से भागने की संभावना है?
33. यदि बच्चे के सर्वोत्तम हित में परिवार से संपर्क बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन बच्चे को परिवार या भाई-बहनों के साथ नहीं रखा गया है, तो बच्चे और परिवार के बीच नियमित संपर्क कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
34. पारिवारिक परिवेश एवं पारिवारिक सम्बन्धों का संरक्षण अन्तिम आदेश को कैसे प्रभावित करता है?

देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा

35. एसआईआर, बच्चे के साथ बातचीत, या किसी अन्य दस्तावेज़ अथवा जानकारी के आधार पर, क्या माता-पिता/अभिभावक बच्चे की देखभाल करने और उसे नुकसान या शोषण से बचाने में सक्षम हैं (विशेष रूप से जब बच्चे के साथ परिवार के ही किसी अन्य सदस्य द्वारा या बच्चे के साथ उसी घर में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया हो)?
36. क्या बच्चे के अधिकारों का किसी भी रूप में राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत उल्लंघन या हनन हुआ है?
37. क्या बच्चे को समुदाय/परिवार/सीसीआई में किसी भी प्रकार के आगामी दुर्व्यवहार, हानि, उपेक्षा, या प्रतिशोध का खतरा है (सहायक व्यक्ति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, एसआईआर, आईसीपी या अन्य किसी साक्ष्य/दस्तावेज़/जानकारी के आधार पर)? (कृपया स्पष्ट करें)

38. खतरे के जोखिम को दूर करने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा तत्काल क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- ❑ a. पुलिस की मदद लेना
- ❑ b. यदि उचित हो, तो अभियुक्त की ज़मानत रद्द करने या संशोधित करने के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करना
- ❑ c. ज़मानत की सुनवाई के दौरान बच्चे/अपराध की सूचना देने वाले का प्रतिनिधित्व (पॉक्सो अधिनियम, 2012 के मामलों में)
- ❑ d. नियमित फॉलो उप
- ❑ e. गवाह संरक्षण आवेदन देने के लिए पुलिस से संपर्क करना
- ❑ f. किसी उपयुक्त सुविधा / बाल गृह/ सा/ योग्य व्यक्ति के संरक्षण में बच्चे का रखरखाव
- ❑ g. पालक देखभाल / रिश्तेदारों की देखभाल में रखना
- ❑ h. दूसरे सीसीआई में स्थानांतरण
- ❑ i. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

39. सीडब्ल्यूसी द्वारा की गई जांच और बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) के आधार पर, बच्चे के पुनर्वास और सामाजिक पुन:एकीकरण को सक्षम करने के लिए बच्चे को कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए? क्या बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना पर्याप्त रूप से बच्चे की ज़रूरतों और अधिकारों की पूर्ति को सक्षम बना रही है? बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना में किन संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है?

40. बच्चे की देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा की ज़रूरतें अंतिम आदेश को कैसे प्रभावित करती हैं?

स्वास्थ्य का अधिकार

41. एसआईआर, सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे की ज़रूरतों का मूल्यांकन, और आईसीपी के आधार पर क्या बच्चे को इनमे से किसी की आवश्यकता है?

- ❑ a. चिकित्सा देखभाल और उपचार
- ❑ b. अस्पताल में भर्ती
- ❑ c. गर्भ का चिकित्सीय समापन (चिकित्सकीय गर्भपात)
- ❑ d. मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप
- ❑ e. दीर्घकालिक बीमारी का इलाज
- ❑ f. जीवन रक्षक दवाओं या चिकित्सा तक निरंतर पहुंच
- ❑ g. किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए सुविधा

42. क्या बच्चे के माता-पिता/अभिभावक बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं? यदि नहीं, क्या उन्हें प्रायोजन द्वारा सहायता दी जा सकती है?

43. क्या सीडब्ल्यूसी ने दवाओं, उपचार, स्वास्थ्य योजनाओं और लाभों, आयुष्मान भारत कार्ड, इत्यादि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए?

44. क्या जिस परिवेश में बच्चे को रखने पर विचार किया जा रहा है, बच्चे के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है?

45. बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं अंतिम आदेश को कैसे प्रभावित करती हैं ?



शिक्षा का अधिकार

46. एसआईआर और सीडब्ल्यूसी के अपने आकलन के आधार पर बच्चे की शैक्षणिक स्थिति क्या है:

- ❑ a. कभी स्कूल नहीं गया/गई
- ❑ b. स्कूल जाना छोड़ दिया
- ❑ c. विद्यालय/जूनियर कॉलेज में है
- ❑ d. विशेष शिक्षा की आवश्यकता है

47. अगर बच्चे को किसी परीक्षा में बैठना है, तो इसके लिए सीडब्ल्यूसी ने क्या उपाय किए:

- ❑ a. शिक्षा संबंधी संसाधनों की उपलब्धता
- ❑ b. शिक्षक / ट्यूशन की उपलब्धता
- ❑ c. आवश्यक अनुमति / प्रवेश पत्र
- ❑ d. बच्चे को परीक्षा में बैठने के लिए साथ ले जाने वाले व्यक्ति की व्यवस्था
- ❑ e. बच्चे की विकलांगता के कारण परीक्षा लिखने के लिए विशेष सहायता की सुविधा
- ❑ f. अन्य कोई (कृपया उल्लेख करें)।

48. शिक्षा तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

- ❑ a. सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) की उपलब्धता
- ❑ b. व्यावसायिक प्रशिक्षण
- ❑ c. पूरक शिक्षा (सप्लीमेंट्री एजुकेशन)
- ❑ d. विशेष शिक्षा (स्पेशल एजुकेशन)
- ❑ e. अन्य

49. बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताएं अंतिम आदेश को कैसे प्रभावित करती हैं:

50. अंतिम आदेश की विषय-सूची

- तथ्यात्मक परिस्थितियां जिस में बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया;
- उम्र पर निष्कर्ष और क्या पेश किया गया व्यक्ति देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा (सीएनसीपी) है;
- एसआईआर, काउंसलिंग रिपोर्ट और आईसीपी से प्राप्त प्रासंगिक जानकारी, जिस पर विचार किया गया;
- बच्चे के अधिकारों की पहचान करना और उनके सम्मान, संरक्षण एवं पूर्ति के लिए उचित कार्रवाई करना;
- सर्वोत्तम हित निर्धारण के लिए उपयुक्त पाए गए तत्व क्या थे, और बच्चे के सर्वोत्तम हितों को निर्धारित करने के लिए विभिन्न तत्वों को कैसे तौला और संतुलित किया गया;
- बच्चे के विचार तथा बच्चे की उम्र और परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए इन विचारों को कैसे संज्ञान में लिया गया; और यदि निर्णय बच्चे के विचारों से भिन्न है, तो उसके कारण;
- बच्चे के माता-पिता/अभिभावक/भाई-बहन और उनके मामले पर काम कर रहे केस वर्कर/सीसीआई कर्मचारी/एनजीओ कार्यकर्ता के विचार, जिन्हें ध्यान में रखा गया;
- जेजे अधिनियम, 2015 के तहत लागू किए गए सिद्धांत;
- अन्य विचार, सर्वोत्तम हितों के अलावा, जिन्हें ध्यान में रखा गया;
- विभिन्न पुनर्वास संबंधी उपायों पर विचार और उनका बच्चे के सर्वोत्तम हित पर प्रभाव;
- व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) पर विचार और इसे अंतिम रूप देना;
- जोखिम, दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण की स्थिति से संबंधित निष्कर्ष और अंतिम निर्णय का आधार, जिसमें असहमतिपूर्ण राय (यदि कोई है), तो वह भी शामिल हो;
- बच्चे की प्रगति की समीक्षा के लिए अनुवर्ती योजना (फॉलो अप प्लान) और संबंधित तिथियां।

परिशिष्ट 1

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वोत्तम हित निर्धारण का उदाहरण

परिशिष्ट 1A: केस स्टडी: श्रीजा

तथ्य: 9 वर्षीय श्रीजा का पिछले दो वर्षों से उसके पिता शिबू द्वारा यौन शोषण किया जा रहा था। उसने यह बात अपनी शिक्षिका को बताई, जिसने चाइल्डलाइन को सूचित किया। पुलिस ने बच्ची को बचाया और सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया। बच्ची के दो छोटे भाई-बहन हैं - सीमा (6 वर्ष) और दीपक (3 वर्ष)। श्रीजा की मां अमीता एक घरेलू कामगार है, और शिबू एक स्कूल बस ड्राइवर के रूप में काम करता है। परिवार पर बहुत कर्ज है और वे मासिक राशन के लिए पिता के परिवार पर निर्भर हैं। श्रीजा की पेशी के समय, अमीता सीडब्ल्यूसी से श्रीजा को रिहा करने की गुहार लगाती है और उन्हें आश्वासन देती है कि वह श्रीजा का ध्यान रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि शिबू उनके घर के आसपास भी न आए। श्रीजा ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार से ग्रस्त है। वह अपनी मां से बहुत जुड़ी हुई है। उसे अपनी मौसी स्मिता भी बहुत पसंद है, जो विवाहित हैं, उनके दो बच्चे हैं, और वे पास की एक शहरी झुग्गी बस्ती में रहती हैं। पिता की गिरफ्तारी न होने की स्थिति में सीडब्ल्यूसी श्रीजा को सीसीआई में भेजती है, और 3 दिनों के भीतर उसकी एसआईआर बनाने का आदेश देती है। 3 दिन बाद, अगली सुनवाई के दौरान सीडब्ल्यूसी को एसआईआर प्राप्त होती है और अब, चूंकि पिता को गिरफ़्तार किया जा चुका है, समिति को यह निर्णय लेना है कि आगे क्या किया जाए।

परिशिष्ट 1 बी: श्रीजा की सामाजिक जांच रिपोर्ट

प्रारूप 22

[नियम 19(8)]

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

1. **क्रम संख्या** 3
2. **सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत** एक्सवाईज़ेड ज़िला
3. **मामला संख्या** 237/10/2022
4. **सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने वाला:** ज़िला बाल संरक्षण एकक /सामाजिक कार्यकर्ता/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/गृह का भारसाधक व्यक्ति/गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा तैयार सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट -एबीसी का प्रतिनिधि
5. **संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता वाले बालक के ब्यौरे:** नाम: श्रीजा के.
   I. नाम: श्रीजा के
   II. आयु: 9 वर्ष तिथि/माह/वर्ष 6.5.2013
   III. लिंग: महिला
   IV. जाति: (यथा लागू को सही का निशान लगाएं) सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य, विनिर्दिष्ट करें: क्षत्रिय
   V. धर्म: हिंदू
   VI. पिता का नाम: शिबू कुमार
   VII. माता का नाम: अमीता
   VIII. संरक्षक का नाम: लागू नहीं।
   IX. स्थायी पता: XXX
   X. पते की पहचान: XXX गूगल मैप लोकेशन
   XI. पिछले निवास का पता: XXX गूगल मैप लोकेशन
   XII. पिता/माता/पारिवारिक सदस्य/संरक्षक की सम्पर्क सूचना: शिबू का मोबाइल नंबर -XXX; अमीता का मोबाइल नंबर - XXX
   XIII. क्या बालक को व्याख्याता/अनुवादक की आवश्यकता है? हाँ/ नहीं - बच्चे को विशेष आवश्यकता वाले दुभाषिए से लाभ होगा जो ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चों के साथ काम करता है
   XIV. क्या बालक - अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित/अन्य है?

XV. पूर्व संस्थानिक/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई है: लागू नहीं

XVI. पारिवारिक ब्यौरा (हां/नहीं), यदि हां, तो.

क्र. सं.	नाम और संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य संबंधी प्रास्थिति	मानसिक अस्वस्थता का इतिहास	नशे की लत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	शिबू कुमार - पिता	35	पुरुष	10वीं कक्षा	बस ड्राइवर	10,000	अच्छा	शून्य	शून्य
2.	अमीता - माता	28	महिला	7वीं कक्षा	घरेलू कामगार	3,500	अच्छा	शून्य	शून्य
3.	श्रीजा	9	महिला	4थी कक्षा	छात्रा	-	थोड़ी कुपोषित	ऑटिज़्म से ग्रस्त	-
4.	सीमा - छोटी बहन	6	महिला	पहली कक्षा	छात्रा	-	थोड़ी कुपोषित	शून्य	-
5.	दीपक - छोटा भाई	3	पुरुष			-	थोड़ा कुपोषित	शून्य	-

XVII. कुटुम्ब के सदस्यों के बीच संबंध:

पिता और माता	सौहार्दपूर्ण/**गैर सौहार्दपूर्ण**/ज्ञात नहीं
पिता और बालक	सौहार्दपूर्ण/**गैर सौहार्दपूर्ण**/ज्ञात नहीं
माता और बालक	**सौहार्दपूर्ण**/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
पिता और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/**गैर सौहार्दपूर्ण**/ज्ञात नहीं
मां और भाई-बहन	**सौहार्दपूर्ण**/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
बालक और भाई-बहन	**सौहार्दपूर्ण**/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
बालक और संबंधी	**सौहार्दपूर्ण**/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
बालक और रिश्तेदार (मामी स्मिता के साथ)	**सौहार्दपूर्ण**/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं

सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट से जुड़े अतिरिक्त कागज़ात में लिखित सामग्री

पिता और माता: मुख्यतः पिता के अपमानजनक व्यवहार और गुस्से पर नियंत्रण न रख पाने के कारण पिता और माता के बीच संबंध तनावपूर्ण है। श्रीजा को एक घटना याद आई जब उसके पिता ने लड़ाई के दौरान गुस्से में टीवी तोड़ दिया, जिससे वह और उसके भाई-बहन डर गए। श्रीजा की मां घर में कमाऊ सदस्य हैं क्योंकि उसके पिता अपने गुस्से के कारण बार-बार नौकरी खो देते हैं।

पिता और बच्ची: बच्ची अपने पिता के गुस्से और उनकी हरकतों से डरी हुई है, लेकिन उनके लिए स्नेह भी व्यक्त करती है क्योंकि वह उसके लिए चॉकलेट खरीदते हैं। उसे अपने पिता के साथ अकेले रहने की चिंता है और उसने बताया कि वह छोटी-छोटी गलतियों पर उसे डांटते और मारते हैं।

माता और बच्ची: श्रीजा बताती है कि उसका अपनी मां के साथ एक मज़बूत भावनात्मक बंधन है, और उसे चिंता है कि उसकी मां दुखी होगी क्योंकि उसने अपने पिता के दुर्व्यवहार को उजागर किया है। उसने बताया कि उसकी मां बहुत मेहनत करती है, लेकिन हमेशा श्रीजा के लिए उसका पसंदीदा नींबू चावल और पायसम बनाने के लिए समय निकालती है। अमीता ने यह भी बताया कि वह श्रीजा पर अतिरिक्त ध्यान देती है क्योंकि वह दूसरों की तरह संवाद नहीं कर सकती है और केवल वही समझती है कि श्रीजा को क्या चाहिए।। उसने यह भी कहा कि उसे इस बात का गहरा अफ़सोस है कि वे श्रीजा को शिबू (पिता) से बचा नहीं सकीं।

पिता और भाई-बहन: श्रीजा और अमीता के अनुसार, श्रीजा के भाई-बहनों के साथ पिता का व्यवहार भी उसी तरह का है जैसा वह श्रीजा के साथ करते हैं — जिसमें गाली-गलौज और मारपीट शामिल है। वह बच्चों को कठोरता से अनुशासित करते है, उन पर आर्थिक तनाव पैदा करने और पैसे की बर्बादी का आरोप लगाते हैं। माता और भाई-बहन: श्रीजा द्वारा बताई गई और घर पर मुलाक़ात के दौरान किए गए अवलोकन के आधार पर, लंबे समय तक काम करने के बावजूद, अमीता का श्रीजा के भाई-बहनों के साथ एक मधुर स्नेहमय संबंध है। वह चाहती हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और इस बात पर ज़ोर देती हैं कि वे अपना गृह कार्य समय पर करें और मेहनत करें। भाई-बहन अपनी मां पर भावनात्मक और आर्थिक स्थिरता के लिए निर्भर हैं।

बच्ची और भाई-बहन: श्रीजा अपने भाई-बहनों के साथ एक करीबी और प्रेमपूर्ण संबंध साझा करती है, खासकर अपनी छोटी बहन सीमा के साथ, क्योंकि वे एक साथ स्कूल जाते हैं और खेलते हैं। सीमा और दीपक, दोनों लगातार "अक्का" के बारे में पूछ रहे थे और चाहते थे कि वह घर वापस आ जाए ताकि वे एक साथ खेल सकें।

बच्ची और रिश्तेदार (मौसी स्मिता के साथ): श्रीजा बताती है कि उसकी मौसी स्मिता के साथ उसका एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि वह उसकी ज़रूरतों को समझती हैं और उसे चित्रकारी व पेंटिंग के लिए प्रोत्साहित करती हैं। श्रीजा को अपनी मौसी के घर जाना और अपनी मौसेरी बहनों के साथ समय बिताना पसंद है, जो उससे उम्र में बड़ी हैं। स्मिता ने यह भी बताया कि वह अपनी भांजी को बहुत पसंद करती है और उसकी देखभाल करने में अपनी बहन का समर्थन करने के लिए कुछ भी करेगी।

6. **समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के पूर्व बालक किसके साथ रह रहा था। (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)**

   अभिभावक - माता/पिता/दोनों ✓
   सहोदर भाई-बहन/सगे-संबंधी
   अभिभावक- संबंधी
   मित्र
   गलियों में
   रात्रि आश्रय स्थल
   अनाथ/छात्रावास/समान गृह
   बाल देखरेख संस्था:
   i. बाल गृह
   ii. आश्रय गृह
   iii. विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी
   iv. उपयुक्त सुविधा
   v. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें).....

7. **अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में -** लागू नहीं

   I. बालक कहां मिला ?

   II. बालक के जैविक माता-पिता/संबंधियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कृपया विनिर्दिष्ट करें.....
   .....

   III. यदि बालक के जैविक आधार ज्ञात हों, तो बालक के माता-पिता दोनों की मृत्यु के कारण.....
   .....

8. **क्या बालक को वापस घर भेजने की आवश्यकता है: हां/नहीं। यदि हां तो:** ✓

   अंतर ज़िला- घर वापसी
   अंतर राज्य - घर वापसी
   अंतर देशीय- घर वापसी

9. **क्या बालक प्रायोजन के लाभ के लिए पात्र है: हां/नहीं** ✓ परिवार भारी कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि दो बड़े बच्चों को एक निजी स्कूल में दाखिला दिलाया गया है और माता-पिता की आय अपर्याप्त है।

10. **क्या बालक किसी स्कीम या हकदारी के लिए पात्र है। हां/नहीं (यदि हां, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)** ✓

    - उत्तर प्रदेश बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा योजना, 2022
    - उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 2019
    - धारा 33(8), पॉक्सो अधिनियम, 2012 और नियम 9, पॉक्सो नियम, 2020 के तहत मुआवज़ा
    - नियम 8, पॉक्सो नियम, 2020 के तहत विशेष राहत

11. **क्या बालक को किसी माता-पिता की मृत्यु के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिकर मिला है: हां/नहीं;** ✓ **कृपया विनिर्दिष्ट करें।**.....
    .....
    .....

12. क्या बालक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के अधीन लाभ मिलना चाहिए: हां/नहीं।

बालिका शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से लाभान्वित हो सकती है। हालांकि, वर्तमान में उसे एक निजी स्कूल में दाखिला दिलाया गया है, जहां वह खुश है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है। बच्ची के हित में यही होगा कि वह केवल इसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखे।

13. बालक के लिए अनुशंसित वित्तीय सहयोग:

I. क्या बालक को माता-पिता के पास उनकी आकस्मिक मृत्यु से पहले कोई संपत्ति/एफडी/नकद/बीमा/बैंक खाते थेः हां/नहीं; उसके ब्यौरे.....

II. क्या बालक के माता-पिता के पास कोई ऋण, बंधक, वित्तीय देनदारियां हैं? क. हां ख. नहीं। उसके ब्यौरे: परिवार ने अगस्त 2021 में दो बच्चों की निजी स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए ब्याज पर 1,50,000 रुपये का ऋण लिया है। वे इसे चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

III. क्या उस बंधक के खिलाफ बालक के माता-पिता के पास कोई संपार्श्विक है? क. हां ख. नहीं। उसके ब्यौरे .....

IV. क्या बालक के माता-पिता का कोई कुटुम्ब कारबार है? क. हां ख. नहीं। उसके ब्यौरे.....

V. क्या बालक मृत माता-पिता से संपत्ति (स्व-अर्जित/पैतृक) में कोई अधिकार/हिस्सा प्राप्त किया है: हां/नहीं; उसके ब्यौरे - लागू नहीं.....

14. बालक की शिक्षा के ब्यौरे:

I. क्या बालक ने शिक्षा प्राप्त की हैः हां/नहीं

II. यदि हां, तो किस कक्षा तक की शिक्षा विनिर्दिष्ट करें चौथी कक्षा में पढ़ रही है

III. यदि बालक विद्यालय में नामांकित है, तो विद्यालय का नाम: पीक्यूआरएस स्कूल

IV. क्या बालक का विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली पर पंजीकृत है, यदि हां, शिक्षा संहिता के लिए राज्य एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली: जानकारी उपलब्ध नहीं है

V. विद्यालय का प्रकार- सरकारी/प्राइवेट।

VI. क्या बालक को विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकित किया गया है। हां/नहीं। यदि हां, तो विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बालक के नामांकन की अवधि विनिर्दिष्ट करें। बच्ची को ऑटिस्टिक बताया गया है, लेकिन उसे कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है।

VII. **क्या विशेष प्रशिक्षण केंद्र आवासीय/गैर-आवासीय था:** लागू नहीं

VIII. **विद्यालय छोड़ने का कारण (यथा लागू को सही का निशान लगाएं):** लागू नहीं

- पिछली कक्षा में विफल
- विद्यालयी गतिविधियों में कम रुचि
- अध्यापकों का असामान्य व्यवहार
- साथी-समूह का प्रभाव
- कुटुम्ब के लिए कमाना और सहायता करना
- अभिभावकों की अचानक मृत्यु
- विद्यालय में लड़ाई
- सख्त विद्यालय वातावरण
- विद्यालय से भागने के कारण अनुपस्थिति
- निकट में उचित स्तर का विद्यालय नहीं है
- विद्यालय में प्रताड़ना
- विद्यालय में अवमानना
- शारीरिक दंड
- निर्देश का माध्यम
- अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

IX. **बालक के प्रति सहपाठियों का रवैया (यदि लागू हो)** श्रीजा ने बताया कि उसके सहपाठी उसके प्रति मित्रवत हैं। वे उसे पढ़ाई समझने में मदद करते हैं और कक्षा के नोट्स साझा करते हैं। श्रीजा ने यह भी बताया कि जब उसने स्कूल में एक ड्राइंग प्रतियोगिता जीती तो उसके सहपाठी बहुत खुश थे।

X. **बालक के प्रति शिक्षकों और सहपाठियों का रवैया (यदि लागू हो)** श्रीजा के शिक्षक आम तौर पर सहायक और उसकी ज़रूरतों को समझने वाले हैं। उसकी कक्षा शिक्षिका उसे अपना होमवर्क पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देती है और अन्य बच्चों को कक्षा के नोट्स के साथ उसकी मदद करने के लिए कहती है। वे श्रीजा के कला कार्य की सराहना करते हैं और उसे कक्षा में प्रदर्शित करके प्रोत्साहित करते हैं। श्रीजा कला शिक्षक के बहुत करीब है, जिनके साथ उसने अपने यौन शोषण की बात साझा की।

XI. **व्यावसायिक प्रशिक्षण (यदि कोई हो)** लागू नहीं।

15. **महत्व के अन्य कारक यदि कोई हो:** श्रीजा पढ़ाई-लिखाई में एक औसत छात्रा है लेकिन शिक्षक द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार पिछले पांच महीनों में उसका प्रदर्शन गिर गया है।

16. बालक की आदतें: (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

टीवी/फिल्म देखना
आंतरिक/आउटडोर खेल खेलना
पुस्तकें पढ़ना
ड्राइंग/चित्रकारी/कलाकारी/गाना
धार्मिक गतिविधियां
भिक्षा वृत्ति
जुआ खेलना
शराब का सेवन करना
धूम्रपान करना
नशीली दवाओं का उपयोग यदि कोई हो तो विनिर्दिष्ट करें
अन्य कोई हो तो, कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

17. पाठ्येतर रुचियां ड्राइंग, पेंटिंग।

18. उत्कृष्ट विशेषताएं और व्यक्तित्व लक्षण: अमीता और सीसीआई में काउंसलर द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार, श्रीजा अपना समय ज़्यादातर अकेले बिताती है, क्योंकि वह स्वभाव से शांत है। श्रीजा शिकायत करती है कि सीसीआई में अन्य बच्चे उसे धमकाते और चिढ़ाते हैं, इसलिए वह उनकी संगति से दूर रहती है और इसके बजाय ड्राइंग और पेंटिंग करना पसंद करती है। वह बालिका गृह में छोटे बच्चों को ड्राइंग करना भी सिखा रही है।

19. अधिकांश मित्र हैं (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

शिक्षित
समान आयु वर्ग के: श्रीजा की स्कूल में अपनी ही उम्र की एक मित्र है।
उम्र में बड़े
उम्र में छोटे कम आयु वाले सीसीआई में, श्रीजा ने कुछ छोटे बच्चों के साथ दोस्ती की है।
पुरुष
महिला
व्यसन/लत
विधि का उल्लंघन करने वाले बालक

20. यदि बालक वयस्कों का मित्र है, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें: श्रीजा की अपने विस्तारित परिवार के वयस्कों के साथ-साथ अपने पड़ोसियों के साथ भी मित्रता है।

21. दोस्तों के प्रति बालक का रवैया: श्रीजा अपने चचेरे भाई-बहनों से बहुत जुड़ी हुई है और स्कूल में भी उसकी एक अच्छी मित्र है। सीसीआई में वह अपनी उम्र के या बड़े बच्चों के साथ कोई दोस्ती नहीं बना पाई है, क्योंकि वे हमेशा लड़ते रहते हैं और बहुत शोर करते हैं।

22. बालक के प्रति मित्रों का रवैया: श्रीजा के चचेरे भाई-बहन उसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब वे साथ होते हैं तो सभी शांत खेल खेलना पसंद करते हैं। उसके चचेरे भाई-बहनों को पता है कि श्रीजा अपना समय अकेले बिताना पसंद करती है, और ऐसे समय में वे उसे उसकी इच्छा के अनुसार अकेला छोड़ देते हैं, जिससे श्रीजा उनके साथ सहज महसूस करती है।

23. पड़ोस के बारे में पर्यवेक्षण (बालक पर आस-पड़ोस के प्रभाव का पर्यवेक्षण करने के लिए) श्रीजा का पड़ोस एक सामान्य निम्न मध्यम वर्ग का पड़ोस है, जिसमें ऐसे परिवार शामिल हैं जो दिहाड़ी मज़दूर हैं या कम आय वाले रोज़गार में लगे हुए हैं।

24. क्या बालक को कोई लत है- हां/नहीं, यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें.....

25. यदि बालक दिव्यांगता या विशेष आवश्यकता से ग्रस्त है या अंतिम रूप से बीमार है (यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें):

I. **बालक की स्वास्थ्य प्रास्थिति** मां द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार बच्ची को कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है।
   i. श्वसन संबंधी विकार उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
   ii. श्रवण दोष उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
   iii. नेत्र रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
   iv. दंत रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
   v. हृदय रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
   vi. चर्म रोग-मौजूद/अज्ञात/अनुपस्थित
   vii. यौन संचारित रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
   viii. स्नायविक विकार- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
   ix. मानसिक दिव्यांगता- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
   x. शारीरिक दिव्यांगता उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
   xi. मूत्र मार्ग में संक्रमण-उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित
   xii. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) श्रीजा का विद्यालय में एक स्वास्थ्य शिविर के दौरान ऑटिस्टिक होना आंका गया था

II. **क्या बालक दिव्यांग है - हां या नहीं, यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें-**
   i. श्रवण दोष
   ii. भाषण दोष
   iii. शारीरिक अक्षमता
   iv. मानसिक दिव्यांगता
   v. लोकोमोटिव दिव्यांगता
   vi. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ऑटिज़्म

III. **क्या बालक के पास विधि मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। (यदि हां, तो ब्यौरे दें)** नहीं

IV. **बालक की मानसिक स्थितिः (वर्तमान और अतीत)** बच्ची द्वारा बताए गए यौन शोषण की घटना के कारण वह पहले से भी अधिक शांत और संकोची हो गई है। वह डरावने सपनों के साथ जाग जाती है और पिछले पांच महीनों में उसकी शैक्षणिक प्रगति में भारी गिरावट आई है।

V. बालक की शारीरिक स्थितिः (वर्तमान और अतीत) बच्ची थोड़ी कुपोषित है

VI. क्या बालक को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है- हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें: ऑटिज़्म के लिए

VII. वर्तमान स्कूली पाठ्यक्रम में पहले से ही सम्मिलित विशेष शिक्षाः हां/नहीं/लागू नहीं: बच्ची को समावेशी शिक्षा नहीं मिल रही है।

VIII. क्या बालक को किसी चिकित्सीय उपस्कर की आवश्यकता है या वह उपयोग कर रहा है। (यदि हां, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें) नहीं

IX. पूर्व संस्थानिक/मामला पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत देखभाल योजना यदि कोई हो तो: लागू नहीं

X. क्या बालक को दिव्यांगता योजनाओं के अधीन कोई पेंशन मिल रही है। हां /नहीं (यदि हां तो विनिर्दिष्ट करें)

XI. कोई अन्य टीका-टिप्पणी/पर्यवेक्षण - नहीं

26. यदि बालक बेसहारा बालकों/दुर्व्यापार वाले/नशीले पदार्थों/बाल श्रम की तस्करी में सम्मिलित बालकों से संबंधित हैः

I. क्या बालक बेसहारा स्थिति में बालकों के अंतर्गत किसी भी श्रेणी का हैः हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें:
   i. बिना सहारे के बालक अकेले सड़कों पर रहते हैं
   ii. बालक दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में अपने कुटुम्ब के साथ घर वापस आ जाते हैं जो पास की झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
   iii. अपने कुटुम्ब के साथ सड़कों पर रहने वाले बालक:

II. समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बालक किसके साथ रह रहा था:
   i. माता-पिता - माता/पिता/दोनों
   ii. भाई-बहन/रक्त संबंधी
   iii. अभिभावक-संबंधी
   iv. मित्र
   v. गली में
   vi. रात्रि आश्रय स्थल
   vii. अनाथालय/छात्रावास/इसी तरह के समान गृह
   viii. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

III. यदि बालक का घर से भागने का इतिहास/प्रवृत्ति है, हां/नहीं। यदि हांः
   i. घर में अनुशासन के प्रति माता-पिता का रवैया और बालक की प्रतिक्रिया क्या है पिता बच्चों के प्रति आक्रामक व्यवहार करते हैं और यदि वे अनुशासित न हों तोउन्हें पीटते हैं। वह उन पर पैसे बर्बाद करने और उनकी पढ़ाई के कारण बढ़ते कर्ज की वजह से घर में तनाव पैदा करने का आरोप लगाते हैं। मां के अपने बच्चों के लिए बड़े सपने हैं, और वह उनकी निजी स्कूल में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। बच्ची ने सीसीआई के काउंसलर के साथ साझा किया कि उसके पिता का मिज़ाज अचानक और बार-बार बदलता है। कभी-कभी पिता बच्ची के साथ

बहुत स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे, उसे मिठाई लाकर देते और उसके साथ खेलते थे, लेकिन कुछ दिनों में वे छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते और बच्ची से बुरी बातें कहते थे। वे आवाज़ ऊंची कर लेते, गालियां देते औरबच्ची व उसके भाई-बहनों को मारते थे।

ii. परिवार छोड़ने के कारणः लागू नहीं

a. माता-पिता/अभिभावक/सौतेले माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार
b. रोजगार की तलाश में
c. सहकर्मी समूह प्रभाव
d. माता-पिता की अक्षमता
e. माता-पिता का आपराधिक रिकॉर्ड
f. माता-पिता का अलगाव
g. माता-पिता की मृत्यु
h. गरीबी
i. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

IV. बालक कहां पाया गया था, कृपया विनिर्दिष्ट करें।.....

V. क्या बालक को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया हैः हां/नहीं ✓

VI. क्या बालक कूड़ा बीनने में शामिल रहा हैः हां/नहीं ✓

VII. क्या बालक किसी गिरोह या वयस्कों या वयस्कों के समूह द्वारा उपयोग किया जाता है या नशीली दवाओं की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया है: हां/नहीं ✓

VIII. क्या बालक को किसी उद्देश्य के लिए खरीदा या बेचा या दलाली या दुर्व्यापार किया गया हैः हां/नहीं, ✓
यदि हांः.....

IX. क्या माता-पिता की जानकारी में बालक का दुर्व्यापार किया गया थाः हां/नहीं ✓

X. क्या बालक को माता-पिता/रिश्तेदारों द्वारा बेचा गया थाः हां/नहीं ✓

यदि हां, तो क्या माता-पिता/रिश्तेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है: हां/नहीं ✓

XI. क्या बालक को श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया थाः हां/नहीं, यदि हांः ✓

i. उद्योग जिसमें बालक कार्यरत था
ii. क्या बालक को काम पर शोषण का सामना करना पड़ा है: हां/नहीं
a. भुगतान के बिना काम से निकाला गया
b. काम की लंबी अवधि के साथ कम या कम मजदूरी
c. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....
iii. आय उपयोग का विवरण.
iv. बालक के सामने कोई व्यावसायिक खतराः हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें
v. क्या नियोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है: हां नहीं। यदि हां, तो मामले का विवरण विनिर्दिष्ट करें.

vi. बालक को दिया गया मुआवज़ा:

a. अंतरिम

b. अंतिम

c. बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष

XII. पिछली संस्थागत/केस हिस्ट्री और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो: लागू नहीं

XIII. क्या बालक को अस्थायी आश्रय प्रदान किया गया है: हां/नहीं: लागू नहीं

XIV. क्या बालक के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई गई है, निर्दिष्ट करें लागू नहीं

XV. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन: लागू नहीं

27. यदि बालक ने यौन शोषण सहित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना किया है, या किसी अपराध का शिकार हुआ है:

I. क्या बालक किसी अपराध का शिकार हुआ है: हां/नहीं

II. बालक द्वारा सामना किए गए दुर्व्यवहार के प्रकार:

i. मौखिक दुर्व्यवहार- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें): पिता कभी-कभी श्रीजा को 'पागल' कहकर बुलाते हैं और उसके व्यवहार की आलोचना करते हैं। वह कभी-कभी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जिससे श्रीजा बहुत डर जाती है।

ii. शारीरिक शोषण- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) पिता श्रीजा को नियमित रूप से पीटते हैं।

iii. यौन शोषण द्वारा-

✓ सगे-संबंधी से रिश्तेदार
गोद लेने द्वारा रिश्तेदार
विवाह द्वारा रिश्तेदार
संरक्षकता द्वारा रिश्तेदार
पालक देखभाल में व्यक्ति
✓ एक ही या साझा घर में रहने वाला व्यक्ति
किसी बालक को सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था के स्वामित्व, या प्रबंधन, या कर्मचारियों में कोई
भी व्यक्ति
विश्वास या अधिकार की स्थिति में कोई भी व्यक्ति
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

iv. अन्य- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)। लागू नहीं

III. बालक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के प्रकारः

i. भोजन से इनकार- माता-पिता/भाई-बहन नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

ii. बेरहमी से पीटा गया- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें):
बच्ची ने अपने पिता द्वारा पीटे जाने की शिकायत की

iii. चोट पहुंचाना- माता-पिता/भाई-बहन/ नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें): बाल गृह से जुड़े डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की आंतरिक जांघ पर चोट के निशान थे

iv. निरोध- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

v. अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

IV. यौन शोषण के मामले में:

i. अपराधी के साथ संबंध: पिता

ii. अपराधी का लिंग: पुरुष

iii. अपराधी की आयु: 35 वर्ष

iv. बालक अपराधी के संपर्क में कैसे आया: घर पर

v. उसी स्थान का कोई अन्य बालक जिसे अपराधी द्वारा दुर्व्यवहार/प्रताड़ित/उठाया/भेजा गया हो. अभी तक ज्ञात नहीं है।

vi. क्या कोई अन्य व्यक्ति/लोग अपराध में शामिल थे:नहीं

vii. क्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत बालक को किसी मुआवजे की सिफारिश की गई है: हां/ नहीं।

यदि अन्य कोई हो, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें

V. पुलिस द्वारा दर्ज मामला/एफआईआरः हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें: FIR no. 354/2022

VI. क्या बालक साइबर धमकी का शिकार हुआ है: हां/नहीं। अगर हाँः

i. घर पर इंटरनेट सिस्टम का उपयोग करते समय साइबर धमकी

ii. स्कूल में इंटरनेट सिस्टम का उपयोग करते समय साइबर धमकी

iii. घर से स्कूल की कक्षाओं में भाग लेने के दौरान साइबर-धमकी

VII. क्या बालक को काउंसलिंग दिया गया है: हां/नहीं, यदि हां, तो विवरण प्रदान करें श्रीजा की बाल गृह के काउंसलर ने एक बार काउंसलिंग की थी।

VIII. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन.....

IX. पूर्व संस्थागत/केस हिस्ट्री और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो: लागू नहीं

28. यदि बालक बाल विवाह का शिकार है या विवाहित है: लागू नहीं

I. पति या पत्नी का नाम

II. पति या पत्नी की आयु

III. विवाह की तिथि (दिन/मास/वर्ष).

IV. विवाह का स्थान..

V. बालक का विवाह कराने के कारण.....

VI. बालक के विवाह कराने में शामिल लोग.

i. माता-पिता

ii. रिश्तेदार

iii. अन्य।

VII. यदि अन्य हैं, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें।.....

VIII. क्या पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया है: हां/नहीं। यदि हां, तो ब्यौरा दें।.....

IX. यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो उसका ब्यौरा।.....

X. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन।.....

29. क्या बालक को प्रत्यावासित करने की आवश्यकता है: हां/नहीं। अगर हां:

I. अंतर-ज़िला प्रत्यावासन

II. अंतरराज्यीय प्रत्यावासन

III. अंतर-देशीय प्रत्यावासन

जांच का अवलोकन

30. भावनात्मक कारक: बच्ची सदमे में है और उसे बार-बार बुरे सपने आते हैं। जब उसके पिता घर पर होते हैं तो वह भ्रमित और भयभीत रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी मां और अपने भाई-बहनों के साथ घर पर रहने में अधिक सहज होगी, जिनके साथ उसका एक मज़बूत भावनात्मक बंधन है। वह जानती है कि उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कहती है कि यदि वह रिहा हो जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं, तो वह अपनी मौसी के घर में रहना और वहीं से स्कूल जाना चाहेगी, क्योंकि उसका उनके साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। वह अपनी मां और भाई-बहनों के साथ-साथ अपने स्कूल और अपने शिक्षकों से भी प्यार करती है, और अपना स्कूल बदलना या बाल देखरेख गृह में नहीं रहना चाहेगी। मां, उसकी मौसी स्मिता और उसकी स्कूल की शिक्षिका सभी का कहना है कि उसके स्कूल और उसके पड़ोस के अन्य बच्चे उसकी स्थिति को समझते और स्वीकार करते हैं। उन्हें डर है कि अगर उसे बाल देखरेख गृह में भेजा जाता है- तो यह एक अपरिचित वातावरण होगा, जहां उसे उन लोगों द्वारा छेड़े और धमकाए जाने की संभावना है जो उसकी स्थिति और विशेष ज़रूरतों को नहीं समझते हैं।

31. शारीरिक स्थिति: श्रीजा थोड़ी कुपोषित है और उसे अतिरिक्त पोषण संबंधी सहायता से लाभ होगा।

32. सामाजिक और आर्थिक कारक: चूंकि श्रीजा ऑटिस्टिक है, इसलिए उसे अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ घुलने-मिलने में मुश्किल होती है। माता-पिता की आर्थिक स्थिति घर में तनाव का कारण बनती है।

33. समस्याओं के विचारोत्तेजक कारण: श्रीजा की समस्याओं के पीछे उसके पिता का हिंसात्मक व्यवहार (यौन शोषण और शारीरिक शोषण), स्कूल में समावेशी शिक्षा के मामले में पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सहायता की कमी; परिवार पर भारी ऋण; और मां का आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होना भी शामिल है।

34. मामले का विश्लेषण, अपराध के कारणों/योगदान कारकों सहित: पिता बच्चों को स्कूल से वापस घर ले जाने के लिए इंतज़ार करते हुए अन्य बस चालकों के साथ बहुत समय बिताते हैं, और अक्सर वे मिलकर अश्लील वीडियो देखते हैं। मां तीन घरों में काम करती हैं और देर शाम तक घर लौटती हैं, जिस दौरान बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। श्रीजा का ऑटिज़्म और शांत स्वभाव भी एक योगदान कारक हो सकता है।

35. बालक की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के कारण: अंतरंग संबंध और शारीरिक शोषण

36. विशेषज्ञों की राय ली गई: यौन शोषण की रिपोर्ट करने के बाद बच्ची का एक चिकित्सक द्वारा मूल्यांकन किया गया था, और उसे थोड़ा कुपोषित पाया गया था।

37. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का मूल्यांकन: बच्ची को बाल देखरेख गृह के काउंसलर द्वारा देखा गया है और उन्होंने कहा है कि बच्ची बाल देखरेख संस्था में नाखुश है और घर वापस जाना चाहती है। वह अपनी मां और भाई-बहनों को याद कर रही है और बार-बार पूछ रही है कि क्या वह स्कूल वापस जा सकती है।

38. बालक के जीवित माता-पिता/रिश्तेदारों/अभिभावक को बहाल करने के लिए जोखिम विश्लेषण: जब तक कि पिता जेल में है, बच्ची को उसकी मां को सौंपा जा सकता है, क्योंकि वहां उसे एक सुरक्षित भौतिक वातावरण मिल पाएगा और यह उसे पालन-पोषण में स्थिरता, परिचित माहौल और निरंतरता का अहसास कराएगा, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हालांकि, यदि और जब पिता को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो बच्ची वहां (घर पर) नहीं रह सकती। ऐसे में उसे उसकी मौसी की देखभाल में रखा जा सकता है, जिनसे उसका बहुत मज़बूत बंधन है। यह उसके सर्वोत्तम हित में होगा, क्योंकि इससे वह उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रख सकेगी, जिससे उसकी नियमित दिनचर्या बनी रहेगी, और साथ ही उसे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति तथा सगे संबंधी द्वारा किए गए यौन शोषण से उत्पन्न मानसिक आघात के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक सहयोग भी मिल सकेगा। वह अपनी मां, अपनी मौसी, अपने चचेरे भाई-बहनों और अपने स्कूल के शिक्षकों और मित्रों के साथ अपने सकारात्मक संबंधों को भी बनाए रखने में सक्षम होगी, जो सभी सुरक्षा प्रदान करने वाले कारक भी हैं। स्कूल शिक्षिका के साथ उसका विश्वसनीय और स्नेहपूर्ण संबंध भी एक जानी-पहचानी और प्रेमपूर्ण देखभाल देने वाली व्यक्ति के माध्यम से उसके भीतर भरोसे की भावना को फिर से बहाल करने में मदद करेगा। श्रीजा - जो बहुत ही छोटी उम्र की विकासशील अवस्था में है और जिसे ऑटिज़्म भी है – को इन सकारात्मक संबंधों और परिचित सामाजिक परिवेश से अलग करना और उसे किसी सीसीआई में रखना, उसके सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। ऐसे अलगाव और सीसीआई में निवास से बच्ची को अन्य बच्चों और देखभालकर्ताओं द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, जो उसकी विशेष आवश्यकताओं को समझने या सम्मान देने में असमर्थ हो सकते हैं। मां ने अपने पति द्वारा श्रीजा के साथ किए गए यौन शोषण को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है और स्पष्ट कहा है कि वह उसे दोबारा घर में कदम नहीं रखने देगी। उसने यह भी कहा कि भले ही आर्थिक रूप से कठिनाई हो, वह किसी तरह प्रबंध कर लेगी लेकिन पति को कभी वापस स्वीकार नहीं करेगी। बच्ची की मौसी स्मिता भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं।

39. पिछला संस्थागत/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो: लागू नहीं

40. ज़िला बाल संरक्षण इकाई/मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता की मनोवैज्ञानिक सहायता, पुनर्वास और बच्चे के पुन एकीकरण के संबंध में सिफारिश और सुझाई गई योजना।

I. बच्ची को उसकी मां की देखभाल में यथाशीघ्र पुनर्स्थापित करना, ताकि उसे परिवार एवं अपने भाई-बहनों तथा विस्तारित परिवार से संबंध बनाए रखने का अधिकार प्राप्त हो सके।

II. पॉक्सो अधिनियम, 2020 के अंतर्गत एक सहायक व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए, जिसे यह निर्देश दिया जाए कि जब भी आरोपी को ज़मानत पर या सज़ा पूरी करने के बाद रिहा किया जाए, और उस वक्त यदि बच्ची नाबालिग हो, तो वह सीडब्ल्यूसी को सूचित करे।

III. बच्चे और मां को नि:शुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए, उनके विधिक सहायता के अधिकार की पूर्ति करना।

IV. बच्ची की सुरक्षा एवं आगे फिर कभी होने वाले यौन शोषण की संभावना से संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, बच्ची को समर्थन दिया जाए कि वह विशेष न्यायालय में अपने पिता को ज़मानत न दिए जाने

के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सके, ताकि वह एक परिचित एवं देखभाल करने वाले वातावरण में रहना जारी रख सके। यदि इस आवेदन के बावजूद पिता को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो सीडब्ल्यूसी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने पर विचार कर सकती है, जिसमें एक नई एसआईआर तैयार करने का आदेश देना और यह जांच करना शामिल हो सकता है कि क्या मौसी स्मिता को श्रीजा की अस्थायी देखभाल के लिए एक योग्य व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जब तक कि कोई अन्य उपयुक्त विकल्प उपलब्ध न हो जाए।

V. उसके स्वास्थ्य के अधिकार (जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है) को सुनिश्चित करने के लिए मां को एक पोषण विशेषज्ञ तक पहुंच प्रदान कराना, जो उसे कम लागत में पोषणयुक्त भोजन तैयार करने के लिए मार्गदर्शन दे सके ताकि तीनों बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हो सके; तथा बच्ची के विद्यालय को यह निर्देश देना कि प्रशिक्षित स्कूल काउंसलर के माध्यम से उसे निरंतर काउंसलिंग प्रदान की जाए।

VI. उसके शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए:

i. बच्ची के विद्यालय को यह निर्देश देना कि उसे "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा 12(1) के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाए;

ii. विद्यालय को यह निर्देश देना कि वह "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 16 की उपधाराओं (iv), (vi) और (vii) के अंतर्गत आवश्यक कदम उठाए, ताकि बच्ची की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके; और

iii. "किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015" तथा उत्तर प्रदेश राज्य नियमों के तहत बच्ची को प्रायोजन प्रदान करने का आदेश पारित करना, क्योंकि इससे मां को, जो अब एकमात्र कमाने वाली होंगी, आर्थिक कर्ज से उबरने में सहायता मिल सकेगी।

VII. निम्नलिखित दो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उसे प्राप्त अधिकारों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना:

i. उत्तर प्रदेश निःशुल्क शिक्षा योजना, 2022 (लड़कियों के लिए)

ii. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 2019

VIII. पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 33(8) एवं पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 9 के अंतर्गत मुआवज़ा प्रदान किया जाना।

IX. पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 8 के अंतर्गत विशेष राहत प्रदान किया जाना।

हस्ताक्षरित/-

XXXXXXXXXXX

हस्ताक्षर

(नामित व्यक्ति के)

परिशिष्ट 1 सी: श्रीजा के मामले में सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित अंतिम आदेश

1. श्रीजा, एक 9 वर्षीय बच्ची को सीडब्ल्यूसी (शहरी) के समक्ष सुश्री कुसुम, महिला कांस्टेबल, XXXXX पुलिस स्टेशन द्वारा 10.06.2022 को पेश किया गया था। प्रपत्र 17 में पेशी रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची के साथ कथित तौर पर 2020 से उसके पिता द्वारा यौन शोषण किया जा रहा है। उसने यह बात 6.06.2022 को एबीसी स्कूल में अपनी अंग्रेज़ी शिक्षिका को बताई, जिन्होंने तब चाइल्डलाइन को फोन किया। चाइल्डलाइन टीम ने XXXXX पुलिस स्टेशन की सहायता से 10.06.2022 को बच्ची को उसके घर से छुड़ाया।
2. प्रथम दृष्टया वह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(14)(iii)(a) और 2(14)(viii) के तहत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाली बच्ची (सीएनसीपी) पाई गई।
3. चूंकि श्रीजा दिखने में 18 वर्ष से कम थी, इसलिए सीडब्ल्यूसी ने उसे एक बच्चा माना और जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94(1) के अनुसार अपनी जांच आगे बढ़ाई।
4. 10.06.2022 को सीडब्ल्यूसी ने श्रीजा को बालिका गृह में रखने का निर्देश दिया और XXXXX एनजीओ के एक सामाजिक कार्यकर्ता को एसआईआर तैयार करके दो सप्ताह के भीतर सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
5. पुलिस को दो सप्ताह के भीतर उसके स्कूल के रिकॉर्ड या जन्म प्रमाण पत्र पेश करने के लिए कहा गया। 24.06.2022 को, पुलिस ने उसके स्कूल में प्रवेश का रिकॉर्ड जमा किया, जिसके अनुसार उसकी जन्मतिथि 6.05.2013 थी। एसआईआर में भी यही जन्मतिथि उल्लिखित है। इसके आधार पर, श्रीजा को पेशी की तारीख पर 9 वर्ष का निर्धारित किया गया।
6. बच्ची के बारे में अतिरिक्त तथ्यों में यह तथ्य शामिल है कि उसे ऑटिज़्म है। उसके पिता एक स्कूल बस चालक हैं, जबकि उसकी मां एक घरेलू कामगार है।
7. उसका परिवार कर्ज में डूबा हुआ है और पिता की आय पर निर्भर है।
8. कार्यवाही के दौरान, हमने स्वयं बच्ची, उसकी मां, और बच्ची की मौसी - स्मिता, और केस वर्कर सहित हितधारकों को सुना। बच्ची ने बताया कि वह अपनी मां और अपनी मौसी से बहुत जुड़ी हुई है। उसकी मौसी पास में रहती है और वह अक्सर उनके घर समय बिताने और मौसी के दो छोटे बच्चों के साथ खेलने जाती है, जो उसी की उम्र के हैं और जो उसकी स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं। बच्ची का अपने विस्तारित परिवार के वयस्कों और अपने पड़ोसियों के साथ भी मेलजोल है। वह अपनी मां और भाई-बहनों के साथ अपने घर पर रहने में अधिक सहज है, जिनके साथ उसका भावनात्मक लगाव है। बच्ची ने कहा कि यदि उसके पिता को ज़मानत मिल जाती है, तो वह मौसी के घर रहना चाहेगी और वहीं से स्कूल जाना चाहेगी। वह अपनी मां, भाई-बहनों, स्कूल और शिक्षकों से गहरा लगाव रखती है और न तो स्कूल बदलना चाहती है और न ही किसी बाल देखरेख संस्था (सीसीआई) में रहना चाहती है। बच्ची की स्पष्ट इच्छा है कि वह घर लौटे। बच्ची की मां बच्ची के पिता द्वारा अपराध किए जाने पर बहुत नाराज़ है। वह दृढ़ है कि वह उसे घर के आसपास कहीं भी नहीं आने देगी, और न ही उसे बच्ची के संपर्क में आने देगी। उसने कहा कि वह किसी तरह अपनी आर्थिक कठिनाइयों का प्रबंधन करेगी, लेकिन बच्ची के पिता को वापस स्वीकार नहीं करेगी। मां अपने बच्चों को एक निजी स्कूल में शिक्षा देने के लिए अतिरिक्त मेहनत भी करती है ताकि पैसे कमा सके। बच्ची की मां ने कहा कि बच्ची के स्कूल और पड़ोस के अन्य बच्चे उसकी स्थिति को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं। मां का मानना है कि यदि बच्ची को किसी बाल देखरेख संस्था में भेजा गया, तो वह उसके लिए एक अपरिचित और असहज वातावरण होगा, जहां उसकी विशेष ज़रूरतों और स्थिति को न समझने वाले लोग उसे ताना मार सकते हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मां की इच्छा है कि बच्ची उनके पास वापस लौट आए और उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि वे उसकी पूरी देखभाल करेंगी।

9. बच्ची की एसआईआर तैयार करने वाले केस वर्कर ने बताया है कि बच्ची को उसकी समझ के अनुसार, उसकी उम्र के अनुकूल जानकारी उपलब्ध कराई गई, और उसे उसकी विद्यालय की शिक्षिका और एक काउंसलर की सहायता से, जिन पर वह विश्वास करती है, उसके मामले से संबंधित विधिक प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया गया। केस वर्कर सिफारिश करती है कि जब तक बच्ची के पिता जेल में हैं, तब तक उसे उसकी मां के पास पुनर्स्थापित किया जाए। बच्ची के घर का वातावरण उसके लिए सुरक्षित पाया गया है, जो उसके पालन-पोषण में स्थायित्व, परिचित परिवेश और निरंतरता का अनुभव प्रदान करेगा, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। केस वर्कर की राय थी कि जब भी उसके पिता को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तब बच्ची को उसकी मौसी की देखभाल में रखा जा सकता है। बच्ची की पढ़ाई उसी स्कूल में जारी रहनी चाहिए जहां वह वर्तमान में पढ़ रही है। इससे उसकी दिनचर्या बनी रहेगी और उसके भीतर विश्वास की भावना पुनर्स्थापित हो सकेगी। केस वर्कर ने यह भी कहा कि बच्ची को किसी सीसीआई में रखना उसके सर्वोत्तम हित में नहीं होगा और इससे वह भेदभाव की शिकार हो सकती है।

10. सीसीआई की काउंसलिंग रिपोर्ट ने हमें बच्ची और सीसीआई में उसके अनुभव के बारे में जानकारी प्रदान की। काउंसलर ने बताया कि बच्ची स्वभाव से शांत है और सीसीआई में अपना अधिकांश समय अकेले बिताती है। उसने शिकायत की है कि सीसीआई में अन्य बच्चे उसे चिढ़ाते और परेशान करते हैं। काउंसलर ने यह भी देखा कि बच्ची वहां किसी से मित्रता नहीं कर पाई है, क्योंकि अन्य बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं और बहुत शोर करते हैं। वह अपना अधिकांश समय चित्र बनाने में बिताती है, ज़्यादा बोलती नहीं है और न ही अन्य बच्चों के साथ खेलती है।

11. काउंसलर ने खुलासा किया कि बच्ची इस बात से भी दुखी है कि पिछले पांच महीनों में स्कूल की पढ़ाई में उसका प्रदर्शन काफी गिर गया है। वह सीसीआई में नाखुश है और घर वापस जाना चाहती है। काउंसलर ने कहा कि बच्ची को अपनी मां की याद आती है और बार-बार स्कूल के बारे में पूछती है। काउंसलर को लगता है कि अगर सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्ची को लंबे समय के लिए सीसीआई में रखा जाता है, तो यह उसके लिए एक अपरिचित वातावरण होगा और उसे उन लोगों द्वारा धमकाया और चिढ़ाया जा सकता है जो उसकी स्थिति और विशेष ज़रूरतों को नहीं समझते हैं। काउंसलर की यह भी सिफारिश है कि जब तक पिता जेल में हैं, तब तक बच्ची को उसकी मां की अभिरक्षा में पुनः सौंप दिया जाए।

12. बच्ची की मौसी स्मिता, जिनके साथ बच्ची बहुत करीब है, बच्ची की मां के समान विचार रखती हैं और सक्रिय रूप से इस बात का समर्थन करती हैं कि बच्ची के पिता को वापस स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मौसी को लगता है कि यदि बच्ची को सीसीआई में भर्ती कराया जाता है, तो यह उसके लिए एक अपरिचित वातावरण होगा, वह अपने भाई-बहनों, मौसेरे भाई-बहनों और रिश्तेदारों के साथ भावनात्मक संबंध खो देगी, और उसे उन लोगों द्वारा धमकाया और चिढ़ाया जा सकता है जो उसकी स्थिति और विशेष ज़रूरतों को नहीं समझते हैं।

13. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की सामान्य टिप्पणी संख्या 14 उन तत्वों को निर्धारित करती है जिन पर एक बच्चे के सर्वोत्तम हित का निर्धारण करते समय विचार किया जाना है। इन तत्वों के आधार पर, वर्तमान मामले में, बच्ची के सर्वोत्तम हितों का आकलन इस प्रकार है:

    i. बच्ची के विचार- बच्ची की आयु और परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए उसकी राय को महत्व दिया जाना चाहिए। यह तथ्य कि बच्चा बहुत छोटा है या किसी संवेदनशील परिस्थिति में है, उसकी राय के महत्व को कम नहीं करता। वर्तमान मामले में संबंधित बच्ची की आयु 9 वर्ष है। उसने अपनी मां, मौसी, भाई-बहनों और स्कूल मित्र के साथ अपने निकट संबंध और भावनात्मक लगाव के बारे में विस्तार से बताया। उसने स्पष्ट रूप से कहा

कि वह घर लौटकर अपनी मां और भाई-बहनों के साथ रहना चाहती है। हालांकि वह कम उम्र की है, फिर भी उसे यह समझ है कि यदि उसके पिता जेल से रिहा हो जाते हैं तो वह एक असुरक्षित स्थिति में आ सकती है। उसने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में वह अपनी मौसी के पास जाकर उनके साथ रहना चाहेगी। अतः, बच्ची की राय को देखते हुए, उसका सर्वोत्तम हित इसी में है कि उसे घर वापस उसकी मां के पास भेजा जाए।

ii. **बच्ची की पहचान-** बच्ची की कम उम्र, उसके लिंग और ऑटिज़्म की परिस्थिति को कार्यवाही के दौरान ध्यान में रखा गया और उसके सर्वोत्तम हितों का निर्धारण करते समय विचार में लिया गया। बच्ची को उसकी मां और भाई-बहन अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए उसका अपने घर, स्कूल और उन लोगों के बीच रहना आवश्यक है जो उसे समझते हैं और उसके लिए सहायक हैं।

iii. **पारिवारिक वातावरण का संरक्षण और संबंधों का निर्वाह-** पारिवारिक ज़िमीदारी और संस्थागत देखभाल एक अंतिम उपाय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, सीडब्ल्यूसी का विचार है बच्ची को उसकी इच्छा के विरुद्ध मां और परिवार से अलग नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा करना बच्ची के सर्वोत्तम हित में हो। वर्तमान मामले में, बच्ची अपनी मां, भाई-बहनों या मौसी से अलग नहीं होना चाहती है, और वे भी उससे अलग नहीं होना चाहते। बच्ची को वापस घर भेजने का एकमात्र संभावित खतरा यह है कि यदि उसके पिता को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो बच्ची एक संवेदनशील या असुरक्षित स्थिति में आ सकती है। हालांकि, मां ने प्रस्तुत किया है कि वह पिता को घर के पास नहीं आने देगी और यदि उसके पिता को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वह अपनी मौसी के घर चली जाएगी। हमने संभावित जोखिमों पर विचार किया है, लेकिन हमारा मानना है कि बच्ची की घर लौटने की इच्छा, मां की बच्ची को वापस पाने की इच्छा, और बच्ची के घरेलू परिवेश में उपलब्ध संसाधन – जैसे एक अच्छा स्कूल, सहयोगी मौसी, तथा भाई-बहनों और मित्रों के साथ मज़बूत संबंध – ऐसे कारक हैं जो इन जोखिमों को कम करते हैं। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्ची सीसीआई में खुश नहीं है और पहले से अधिक उदासीन और शांत हो गई है। केस वर्कर और सीसीआई की काउंसलर दोनों का मानना है कि घर पर रहना बच्ची को स्थिरता, अपनापन और निरंतरता की भावना प्रदान करेगा, जो उसके समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, बच्ची, उसकी मां और उसकी मौसी की इच्छाओं को देखते हुए, पारिवारिक वातावरण का संरक्षण और पारिवारिक संबंधों का निर्वाह बच्ची के सर्वोत्तम हित में है।

iv. **बच्ची की देखभाल, सुरक्षा और संरक्षा-** इसमें बच्ची की भावनात्मक देखभाल तथा घर पर उसकी सुरक्षा और मानसिक दृढ़ता का ध्यान रखा जाना शामिल है। जैसा कि काउंसलर और केस वर्कर द्वारा उल्लेख किया गया है, चूंकि सीसीआई उसके लिए एक अपरिचित वातावरण है, इसलिए उसे उसके घर में पुनर्स्थापित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। यह स्थिति इसलिए और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि बच्ची यौन उत्पीड़न के प्रभाव से पीड़ित है, और ऐसे में उसका ऐसे वातावरण में रहना अधिक उचित होगा जो उसके लिए सहज और परिचित हो। जब तक बच्ची के पिता जेल में हैं, तब तक घर पर उसकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जा सकती है। अतः, बच्ची की देखभाल और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, जब तक उसके पिता जेल में हैं, उसे उसके घर में पुनः स्थापित किया जाना उसके सर्वोत्तम हित में होगा।

v. **सुभेद्यता की स्थिति-** सीडब्ल्यूसी ने बच्ची की संवेदनशीलता पर विचार किया है। इस मामले में, बच्ची अपने पिता द्वारा यौन उत्पीड़न की पीड़िता है और उसे ऑटिज़्म नामक एक विकलांगता भी है। आर्थिक कठिनाइयां और घरेलू हिंसा भी मौजूद हैं। यद्यपि संस्थागत देखभाल से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यदि बच्ची के पिता रिहा होते हैं,

तो आगे यौन शोषण से उसकी रक्षा की जा सके, लेकिन अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। हमारा यह मत है कि बच्ची, उसकी मां और उसके भाई-बहनों को इस प्रकार सहयोग प्रदान किया जा सकता है कि वे उसकी देखभाल अपने ही घर में, या उसकी मौसी के घर में कर सकें।

vi. **बच्ची का स्वास्थ्य अधिकार-** बच्ची की स्वास्थ्य स्थिति, उसके सर्वोत्तम हितों के मूल्यांकन और निर्धारण में एक केंद्रीय पहलू है। काउंसलर और केस वर्कर द्वारा दिए गए विवरणों से यह स्पष्ट है कि बच्ची अब भी यौन शोषण के आघात से पीड़ित है, और डरी हुई रहती है, जिससे वह भयभीत है। बच्ची सीसीआई में कोई मित्र नहीं बना पाई है और अन्य बच्चों द्वारा उसे चिढ़ाया और तंग किया जाता है। वह सीसीआई में अत्यंत असंतुष्ट और दुखी है। इसके अतिरिक्त, बच्ची कुपोषण की शिकार बताई जाती है और उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सीसीआई में रहते हुए बच्ची की ये आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी। बच्ची के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उसके लिए अपने घर पर रहना अधिक उपयुक्त होगा, जहां उसे अपने परिवार का सहयोग मिलेगा और वह अब अलग-थलग करने वाले वातावरण में नहीं रहेगी। इसलिए, बच्ची के मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए, उसे उसके घर में पुनः स्थापित किया जाना बेहतर होगा।

vii. **शिक्षा का अधिकार-** बच्ची ने बताया कि उसे अपना स्कूल और वहां के शिक्षक बहुत पसंद हैं। बच्ची की शिक्षिका ने भी बताया कि ऑटिज़्म होने के बावजूद वह एक अच्छी छात्रा है, हालांकि पिछले कुछ महीनों में उसकी शैक्षणिक प्रगति में गिरावट आई है। बताया गया है कि स्कूल बहुत ही बाल-अनुकूल है, और वहां बच्ची के अच्छे मित्र भी हैं। काउंसलर ने यह भी बताया कि बच्ची बार-बार अपने स्कूल के बारे में पूछती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बच्ची को अपना स्कूल बहुत याद आता है, जो उसके लिए एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करता प्रतीत होता है। स्कूल उसकी स्थिति और आवश्यकताओं को समझता है, और वही उसे आवश्यक सहयोग प्रदान करने की सबसे बेहतर स्थिति में है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हित में है कि वह अपनी शिक्षा अपने पिछले स्कूल में जारी रखे।

14. श्रीजा के हित इस प्रकार हैं:

viii. मां के साथ उसका पुनर्मिलन, न कि उस सीसीआई में रहना जहां वह फिलहाल अस्थायी रूप से रखी गई है।

ix. अपने घर के वातावरण में रहना और अपने घरेलू वातावरण में रहना और अपनी मां, भाई-बहनों, स्कूल के मित्रों और मौसी के साथ संबंध बनाए रखना।

x. उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखना, जहां वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और विशेष शिक्षा भी प्राप्त कर रही थी।

xi. राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

xii. यौन शोषण, घरेलू हिंसा, दुव्यवहार और उपेक्षा के आघात से उबरने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना; और कुपोषण से उबरने के लिए पोषण विशेषज्ञ से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना।।

15. सीडब्ल्यूसी ने प्रारूप 7 में बच्ची के लिए तैयार की गई व्यक्तिगत देखभाल योजना की भी समीक्षा की और इसे अंतिम रूप दिया है, जो इस आदेश के साथ संलग्न है।

16. सीडब्ल्यूसी ने बच्ची के सर्वोत्तम हितों के सभी तत्वों पर विचार किया है और प्रत्येक तत्व का समुचित मूल्यांकन किया है। हमने पाया है कि इस मामले में बच्ची के पिता को छोड़कर सभी हितधारक इस बात पर एकमत हैं कि बच्ची के सर्वोत्तम हित में है कि उसे उसके परिवार में पुनः स्थापित किया जाए, और यह भी कि वह सीसीआई में असंतुष्ट है। बच्ची स्वयं अपनी मां के पास वापस जाना चाहती है।

इसलिए सीडब्ल्यूसी ने यह निर्धारित किया है कि श्रीजा के सर्वोत्तम हित इसी में हैं कि उसे उसकी मां की अभिरक्षा में पुनः स्थापित किया जाए, जिन्हें उसके लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के योग्य पाया गया है, जहां वह अपने पसंदीदा स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेगी, और ऐसे लोगों के बीच रहेगी जिन्हें वह समझती है और जिन पर उसे भरोसा है। सीडब्ल्यूसी का मानना है कि श्रीजा के सर्वोत्तम हित में यह भी है कि उसके लिए एक सहायक व्यक्ति नियुक्त किया जाए और विशेष न्यायालय में मुकदमे के लिए उसे कानूनी सहायता प्रदान की जाए।

17. **निर्देश:**

xiii. बाल गृह की अधीक्षिका को यह निर्देश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति पर तुरंत बच्ची को उसकी मां के पास वापस भेजने की व्यवस्था की जाए।

xiv. सहायक व्यक्ति की नियुक्ति: पॉक्सो नियमों के नियम 4(8) के तहत, सुश्री विमला को, मां और श्रीजा की सहमति से, सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता है।

xv. सहायक व्यक्ति, डीसीपीयू (ज़िला बाल संरक्षण इकाई) के सहयोग से, बच्ची को निम्नलिखित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेंगी, जिनके लिए वह पात्र है:

a. उत्तर प्रदेश बालिकाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना, 2022

b. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

c. पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(8) और पॉक्सो नियमों के नियम 9 के तहत मुआवज़ा

xvi. बच्ची की मां श्रीमती अमीता को यह निर्देश दिया जाता है कि वह बच्ची की अभिरक्षा ग्रहण करें, आवश्यक देखभाल और सुरक्षा प्रदान करें, पिता द्वारा किसी भी प्रकार के पुनः शोषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें, तथा बच्ची की पढ़ाई उसी स्कूल में जारी रखें जहां वह वर्तमान में नामांकित है।

xvii. ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह बच्ची और उसके परिवार को मुफ़्त कानूनी सहायता का अधिकार सुनिश्चित करे।

xviii. ज़िला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) को यह निर्देश दिया जाता है कि वह बच्ची को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत राज्य प्रायोजन योजना से जोड़ें, सहयोगी व्यक्ति को आवश्यक सहायता प्रदान करें, बच्ची की स्थिति की निगरानी हेतु प्रत्येक माह गृह भ्रमण के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करें, और अपनी रिपोर्टें सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत करें।

xix. बच्ची के स्कूल को निर्देशित किया जाता है कि:

a. उसे बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत लाभार्थी माना जाए

b. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16(iv)(vi) और (vii) के तहत उसकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं

परिशिष्ट 2

बाल श्रम के लिए कानूनी ढांचा

	बच्चा (14 वर्ष से कम)	किशोर (14 वर्ष पूरे कर लिए हैं, अभी 18 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं)
परिभाषा	'बच्चा' या 'बालक' से अभिप्राय है वह व्यक्ति जिसने 14 वर्ष पूरे नहीं किए हैं।[284]	'किशोर' वह व्यक्ति है जिसने 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन 18 वर्ष नहीं।[285]
क्या उन्हें काम करने की अनुमति है?	बच्चों को कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है, सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों के, बशर्ते कि ऐसा कार्य उनकी स्कूली शिक्षा को प्रभावित न करे[286]: • **बच्चे अपने परिवार या पारिवारिक उद्यम में, गैर-खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में, स्कूल के समय के बाद या अवकाश के दौरान, सहायता कर सकते हैं।** यहां "परिवार" की परिभाषा में माता, पिता, भाई, बहन, पिता की बहन (बुआ), पिता का भाई (चाचा), माता की बहन (मौसी) और माता का भाई (मामा) शामिल हैं।[287] • बच्चे कुछ शर्तों और सुरक्षा उपायों के अधीन, विज्ञापन, फ़िल्मों, टेलीविज़न धारावाहिकों या इसी प्रकार की अन्य मनोरंजन या खेल गतिविधियों सहित **ऑडियो-विज़ुअल उद्योग** में काम कर सकते हैं, सिवाय सर्कस के।	किशोरों को **गैर-खतरनाक कार्यों** में नियोजित किया जा सकता है।
किशोरों को नियोजित करने और बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में सहायता देने तथा ऑडियो-विज़ुअल उद्योग में कार्य करने हेतु दिशा-निर्देश	**परिवार और पारिवारिक उद्यमों में बच्चों की सहायता करने की शर्तें**[288] • कोई भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया जो अधिनियम की अनुसूची के खण्ड 'क' और खण्ड 'ख' में सूचीबद्ध हैं, उनमें सहायता नहीं की जा सकती। • ऐसा कोई कार्य या प्रक्रिया शामिल नहीं होनी चाहिए जो निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा बाज़ार (रीटेल चेन) के किसी भी चरण में आती हो और जिससे बच्चे, उसके परिवार या पारिवारिक उद्यम को पारिश्रमिक (वेतन/आर्थिक लाभ) प्राप्त हो। • बच्चों को केवल अपने परिवार में, या उस पारिवारिक उद्यम में सहायता करने की अनुमति होगी, जहां उनका परिवार ही स्वामी (उद्योग का अधिभोक्ता) हो। • स्कूल के समय के दौरान तथा शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच बच्चों से कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। • बच्चों को किसी ऐसे सहायता कार्य में नहीं लगाया जा सकता, जो उसकी शिक्षा के अधिकार, स्कूल में उपस्थिति, या शिक्षा से	**किशोरों के कार्य की शर्तें**[289] • किशोरों को अधिनियम की अनुसूची के खण्ड 'क' में उल्लिखित खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं किया जा सकता। • किशोर कम से कम एक घंटे के आराम के बिना, लगातार तीन घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते। • कार्य की कुल अवधि (आराम का समय और काम के लिए प्रतीक्षा का समय सहित) छह घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

284 CALPRA 1986, s 2.
285 CALPRA 1986, s 2.
286 CALPRA 1986, s 3.
287 CALPRA 1986, s 3.
288 Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Rules, 2017, rule 2B.
289 CALPRA 1986, s 7.

	बच्चा (14 वर्ष से कम)	किशोर (14 वर्ष पूरे कर लिए हैं, अभी 18 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं)
किशोरों को नियोजित करने और बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में सहायता देने तथा ऑडियो-विज़ुअल उद्योग में कार्य करने हेतु दिशा-निर्देश	जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, जिसमें वह गतिविधियां भी शामिल हैं जो उसकी शिक्षा से अविभाज्य रूप से जुड़ी हैं, जैसे गृहकार्य या स्कूल द्वारा सौंपे गए सह-पाठयक्रम से संबंधित कोई अतिरिक्त कार्य। • बच्चों को ऐसे किसी भी कार्य में लगातार बिना विश्राम के नहीं लगाया जा सकता जिससे वह थकान महसूस करे; उन्हें अपने स्वास्थ्य और मानसिक ताज़गी के लिए पर्याप्त विश्राम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और उनके लिए एक दिन में कार्य का समय तीन घंटे से अधिक नहीं हो सकता (विश्राम अवधि को छोड़कर)। • परिवार या पारिवारिक उद्यम में सहायता करते समय, बच्चों को किसी भी रूप में वयस्क या किशोर के स्थान पर कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। • सहायता का कार्य किसी भी प्रचलित कानून के उल्लंघन में नहीं होना चाहिए। • बच्चे अपने परिवार की केवल उसी प्रकार से सहायता कर सकते हैं जो किसी भी व्यवसाय, कार्य, पेशे, निर्माण या व्यापार से संबंधित न हो, जिसके लिए बच्चों या उन पर नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को कोई भुगतान या लाभ न मिलता हो, और जो बच्चों की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए हानिकारक न हो। • यदि कोई बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, लगातार 30 दिनों तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है, तो उस स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को इस अनुपस्थिति की सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को देनी होगी। **ऑडियो-विज़ुअल उद्योग**[290] • किसी भी बच्चे से एक दिन में पांच घंटे से अधिक और बिना विश्राम के लगातार तीन घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। गतिविधि प्रारंभ करने से पहले, निर्माता को ज़िला मजिस्ट्रेट को प्रपत्र 'सी' में एक प्रतिज्ञा पत्र, भाग लेने वाले बच्चों की सूची, माता-पिता या अभिभावक की सहमति (जो भी लागू हो), उस व्यक्ति का नाम जो निर्माण या कार्यक्रम में बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार होगा – ये सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।	• किशोरों से शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच या अतिरिक्त समय (ओवरटाइम) में कोई कार्य नहीं लिया जा सकता। • अतिरिक्त समय (ओवरटाइम) में कार्य करने के लिए न तो बाध्य किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी। • किशोरों को एक ही दिन में एक से अधिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिए न तो बाध्य किया जा सकता है और न ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। • किशोरों को किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी के लिए निर्धारित समय सीमा से अधिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और न ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। • किशोरों को सप्ताह में एक पूर्ण दिवस का अवकाश देना होगा।

290 Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Rules, 2017, rule 2C.

	बच्चा (14 वर्ष से कम)	किशोर (14 वर्ष पूरे कर लिए हैं, अभी 18 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं)
किशोरों को नियोजित करने और बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में सहायता देने तथा ऑडियो-विज़ुअल उद्योग में कार्य करने हेतु दिशा-निर्देश	• किसी ऑडियो-विज़ुअल मीडिया निर्माण या किसी वाणिज्यिक कार्यक्रम में एक निर्माता किसी बच्चे को केवल तभी भाग लेने के लिए शामिल कर सकता है, जब उसने उस गतिविधि के आयोजन वाले ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की हो। निर्माता को ज़िला मजिस्ट्रेट को प्रारूप 'ग' (फ़ॉर्म 'सी') में ये सभी दस्तावेज़ और जानकारियां उपलब्ध कराने होंगे - एक स्वघोषणा/प्रतिज्ञा पत्र, भाग लेने वाले बच्चों की सूची, माता-पिता या अभिभावक की सहमति (जो भी लागू हो), और निर्माण दल या कार्यक्रम में से उस व्यक्ति का नाम जो बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जब भी उस फिल्म या टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रदर्शन हो, तो एक अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) अवश्य प्रदर्शित किया जाए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि यदि किसी बच्चे को शूटिंग में सम्मिलित किया गया है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया के दौरान उस बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का शोषण, उपेक्षा या दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और इन से बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए गए थे। • उपरोक्त खंड में उल्लिखित स्वघोषणा पत्र छह माह के लिए मान्य होगा और इसमें बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तथा बाल दुर्व्यवहार की सूचना से संबंधित विवरण होंगे, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए जारी दिशा-निर्देशों और संरक्षण नीतियों के अनुरूप होंगे। इनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे: i. बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करना। ii. समय पर पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराना। iii. सुरक्षित, स्वच्छ आश्रय प्रदान करना जिसमें दैनिक आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था हो। iv. उस समय लागू सभी कानूनों का पालन करना जो बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण तथा यौन अपराधों के विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित हों। • कार्यक्रम या उसके उत्पादन से बच्चे को जो आय प्राप्त होती है, उसमें से कम से कम बीस प्रतिशत (20%) राशि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में बच्चे के नाम पर स्थायी जमा खाते (फ़िक्स्ड डिपोज़िट अकाउंट) में जमा करनी होगी, जिसे बच्चे के बालिग होने पर उसके खाते में स्थानांतरित किया जा सकेगा। और • किसी भी बच्चे को उसकी इच्छा या सहमति के विरुद्ध किसी भी ऑडियो-विज़ुअल या खेल गतिविधि में, जिसमें अनौपचारिक मनोरंजन गतिविधियां भी शामिल हैं, भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।	

खण्ड 'क' अनुसूची

परिसंकटमय व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं जिनमें कुमारों का काम करना तथा बालकों का मदद करना प्रतिषेध है[291]

1. खानें और कोलियरी (भूमिगत तथा जलमग्र) तथा इनसे संबंधित कार्य:
   - I. पत्थर खानें;
   - II. ईंटों की भट्ठियां;
   - III. इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सिलिका या भूमि से उत्कर्षित कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन, पिसाई, कटाई, विपाटन, पोलिश करना तथा प्रहस्तन शामिल है; अथवा
   - IV. खुले गड्ढे की खानें।
2. ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे–
   - I. पटाखे;
   - II. विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, विक्री, लादना, उतरना;
   - III. उत्पादन, प्रहस्तन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में डालना, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से संबंधित कार्य तथा अन्य कोई प्रक्रिया से संबंधित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों; अथवा
   - IV. ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उनके उप-उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन।
3. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट 'परिसंकटमय प्रक्रियाएं' और नीचे उल्लिखितः-

उद्योगों की सूची जिनमें परिसंकटमय प्रक्रियाएं अन्तवर्तित हैं:

- I. लौह धातुकर्म उद्ययोग
  - a. समकलित लोहा और इस्पात;
  - b. लौह-मिश्र धातु
  - c. विशेष इस्पात
- II. अलौह धातुकर्म उद्योग: प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनिज और अल्मुनियम।
- III. डलाईसाल (लौह और अलीह): कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा चिकना करना अथवा रेत और शॉट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदरा बनाना
- IV. कोयला (कोक सहित) उद्योगः
  - a. कोयला, लिग्राहट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ;
  - b. इंधन केसेस (कोयला गैस, उतपादक गैस, जल गैस सहित)
- V. विद्युत उत्पादन उद्योग
- VI. लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग
- VII. उर्वरक उद्योग
  - a. नाइट्रोजनयुक्त
  - b. फॉस्फेटिक
  - c. मिश्रित
- VIII. सीमेंट उद्योग: पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पॉजजोलाना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित)
- IX. पेट्रोलियम उद्योग:
  - a. तेल शुद्धिकरण परिष्करण
  - b. स्नेहन तेल और ग्रीस
- X. पेट्रो-रसायन उद्योग

291 2017 Amendment of the Schedule to CALPRA, 1986 through notification - S.O. 2827(E).

XI. दवा और औषधीय उद्योग-मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स
XII. किण्वन उद्योग (आसवन और मद्य निर्माणशाला)
XIII. रबड़ (सिंथेटिक उद्योग)
XIV. पेंट और पिगमेण्ट उद्योग
XV. चमड़ा उद्योग
XVI. इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग
XVII. रासायनिक उद्योग
a. कोक ओवन गौड उत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद,
b. औद्योगिक गैसे (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसेटेलिन, ओर्गन, कार्बन डाईआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस;)
c. औद्योगिक कार्बन
d. क्षार और अम्ल
e. क्रोमेट्स और डीक्रोमेटस;
f. शीशा और इसके यौगिक पदार्थ
g. इलैक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटैशियम ओर मैग्रेशियम, क्लोरेट्स, पराक्लोरेट्स और पैरोक्साइड्स)
h. इलेक्ट्रोधरर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक), कैलशियम कारबाइड)
i. नाइट्रोजन कम्पाउड (साइनाइड, साइनामाइड्स और नाइट्रोजन यौगिक पदार्थ)
j. फोरफोरस ओर इसके यौगिक पदार्थ;
k. हेलोजन्स और हेलोजीकृत यौगिक पदार्थ (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन)
l. विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटको और डिटोनेटर और फ्यूज सहित)
XVIII. कीट नाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाईयों के उद्योग
XIX. संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक
XX. मानव निर्मित फाइबर (सेल्यूलोसिक और गैर सैल्यूलोसिक) उद्योग
XXI. विद्युत एक्यूम्यूलेटरों का विनिर्माण और मरम्मत
XXII. शीशा ओर सिरेमिक
XXIII. धातुओं की घिसाई या चमकाना
XXIV. एस्बेस्टस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण
XXV. वानस्पतिक और पशु स्रोतों से तेल और वसा की निकासी।
XXVI. बेन्जीन और बेन्जीन निहित पदार्थों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रयोग
XXVII. कार्बन डाइसल्फाइड में संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन।
XXVIII. डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम
XXIX. अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें

4. परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची-1 के भाग-II में यथाविनिर्दिष्ट जोखिम रसायन की प्रहस्तन और प्रकमण में निहित प्रक्रिया है।

5. बूचड़खानों और कसाईखानों में कार्य

6. रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रभाव में डालने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाएं

7. पोत विभंजन

8. नमक खनन या नमक बनाने का कार्य

9. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 की अनुसूची-ix में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाएं।

खण्ड 'ख'

अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची जहां परिवार अथवा पारिवारिक उद्यम में बालकों की सहायता के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है (भाग क के अतिरिक्त)

व्यवसाय (गैर-औद्योगिक कार्यकलाप)[292]

व्यवसाय-

1. रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना;
2. रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;
3. रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है;
4. रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;
5. किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;
6. अस्थाई लाइसेन्स प्राप्त दुकानों में पटाखों और आतिशबाजी का सामान बेचने से संबंधित कार्य;
7. ओटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;
8. हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग;
9. प्लास्टिक इकाइयों एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;
10. घरेलू कामगार अथवा नौकर;
11. ढाबे (सड़क किनारे की खाने-पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट, अथवा
12. गोताखोरी।
13. सर्कस में कार्य।
14. हाथियों की देखभाल।
15. विद्युतचालित बेकरी मशीन, अथवा
16. जूता निर्माण।

प्रक्रियाएं (औद्योगिक कार्यकलाप)

1. बीड़ी बनाना।
2. कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है।
3. सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक।
4. कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है।
5. अभ्रक काटना और उसके टुकड़े (बिखण्डन) करना।
6. लाख/शीलैक विनिर्माण।
7. साबुन बनाना।
8. ऊन की सफाई;
9. भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना तथा ढुलाई एवं संग्रहण, बढ़ईगिरी, राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;
10. स्लेट पेंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);
11. अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य;
12. सीसा, मैंगनीज, पारा, क्रोमियम, कैडमियम, बैंजीन, कीटनाशक और एसबेस्टस जैसे जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं;

292 2017 Amendment of the CALPRA, 1986 through notification - S.O. 2827(E).

13. काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया;
14. इलैक्ट्रोनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने (सोल्ड्रिग) की प्रक्रिया;
15. 'अगरबत्ती' का निर्माण;
16. आटोमोबाईल मरम्मत और रख-रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है, वेल्डिंग इकाइयों लेथवर्क डेन्टिंग एवं पेन्टिंग;
17. ईंटों या खपरैलों का निर्माण;
18. रूई सूत की ओटाई और इसे दबाना, हौजरी का सामान बनाना;
19. डिटरजेंट का निर्माण;
20. फैबरिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नान फेरस);
21. रव तराशना और उनकी पालिश करना;
22. क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्कों का रख-रखाव;
23. जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण;
24. चूना भट्टा और चूना निर्माण;
25. ताला बनाना;
26. ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वेल्डिंग और कटाई करना, गल्बनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड की वेल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दाहन, खान सीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;
27. सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य बस्तुएं बनाना;
28. कांच, कांच के बर्तनों का निर्माण जिसमें चूड़ियां ट्यूबों, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य कॉच उत्पाद शामिल हैं;
29. रंजक (डाई) और रंजक द्रव्यों का निर्माण;
30. कीटनाशकों का निर्माण और उनका रख-रखाव;
31. इलैक्ट्रानिक उद्योग में जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण जिसमें धातु साफ करना, फोटो उत्कीर्णन तथा टांका लगाना शामिल है;
32. जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण;
33. खेल-कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;
34. तेल की पिराई और परिष्करण;
35. कागज बनाना;
36. चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग;
37. पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वेल्डिग शामिल है;
38. ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहां फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है;
39. आरा मिल- सभी प्रक्रियाएं,
40. रेशम उद्योग;
41. चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं;

42. तम्बाकू प्रसंस्करण जिसमें तम्बाकू का पेस्ट (लेई) बनाना तथा किसी भी रूप में उसकी उठाई धराई शामिल है;
43. टायर निर्माण, मरम्मत, री-ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण;
44. बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना;
45. 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी (सभी प्रक्रियाएं);
46. ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रक्रिया;
47. धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना;
48. हीरों की कटाई और पालिश;
49. कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना;
50. मशीनीकृत मछली पालन;
51. खाद्य प्रसंस्करण;
52. पेय पदार्थ उद्योग;
53. मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पैंकिंग करने का कार्य;
54. लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई;
55. लकड़ी की यांत्रिक कटाई;
56. भण्डारागार कार्यकलाप;
57. मसाज पार्लर, जिमनेजियम अथवा अन्य मनोरंजक अथवा मेडिकल सुविधाएं केन्द्र;
58. खतरनाक मशीनों के निम्नलिखित वर्गों से संबंधित प्रचालनों में -
    I. उत्तोलक एवं लिफ्ट
    II. मशीनों को चढ़ाने, चेनों, रस्सियों एवं उत्तोलक विधि से जुड़ा कार्य
    III. घूमने वाली मशीनें
    IV. विद्युत प्रक्रिया
    V. मेटल ट्रेड से जुड़े मशीनी औजार
    VI. गिलोटिन मशीनें
59. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उप-खंड (iv) में मुद्रण के अनुसार अर्थात छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रेस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेवर अथवा अन्य समान प्रक्रिया अथवा बुक बाइंडिंग का कार्य।

पुस्तिका के बारे में

यह पुस्तिका भारत में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्तम हितों के सिद्धांत को लागू करने में सहायता करती है। यद्यपि "सर्वोत्तम हित" शब्द का प्रयोग बाल संरक्षण में व्यापक रूप से किया जाता है, फिर भी इसका अनुप्रयोग जटिल हो सकता है, और बच्चे के विशिष्ट अनुभवों और आवश्यकताओं के आधार पर इसके अर्थ भिन्न हो सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति (2013) की सामान्य टिप्पणी संख्या 14, जिसमें बच्चे के अपने सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दिए जाने के अधिकार पर चर्चा की गई है, से प्रेरणा लेते हुए, यह पुस्तिका भारतीय संदर्भ में इस मार्गदर्शन को प्रस्तुत करती है।

यह सीडब्ल्यूसी को एक व्यावहारिक ढाँचा और जाँच सूची प्रदान करती है जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण सुनिश्चित करने वाले सूचित, बाल-केंद्रित निर्णयों का समर्थन करती है।